लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 10 जुलाई, 1980/19 आषाढ़, 1902 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 135, शीर्षक "विशेषाधिकार के प्रश्नों के स्थगन प्रस्तावों के बारे में" के स्थान पर "विशेषाधिकार के प्रश्नों तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में" पढ़िये।

पृष्ठ 141, शीर्षक "राज्य सभा का संदेश" के स्थान पर "राज्य सभा से संदेश" पढ़िये ।

पृष्ठ 142, शीर्षक "अखिल भारतीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना" के स्थान पर "अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना" पढ़िये ।

पृष्ठ 142 से पृष्ठ 155 तक पृष्ठ शीर्षक में "अखिल भारतीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना" के स्थान पर "अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना पढ़िये ।

पृष्ठ 143, अंतिम पंक्ति तथा पृष्ठ 144, पंक्ति 20 में "श्री चरणजीत यादव" के स्थान पर "श्री चन्द्रजीत यादव" पढ़िये ।

पृष्ठ 180, पंक्ति 22 में "श्री नेन्देश्वरी दुबे" के स्थान पर "श्री बिन्देश्वरी दुबे" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 24. गुरुवार, 10 जुलाई, 1980/19, आषाढ़ 1902 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 471, 473 476, 477 479, 481 से 485 489 और365	...	1-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 470, 474, 475, 478, 480 और 486 से 488	...	28-32
अतारांकित प्रश्न संख्या 3632 से 3804,	...	32-135
अतारांकित प्रश्न संख्या 1308 दिनांक 19-6-80 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	...	135
विशेषाधिकार के प्रश्नों तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में	...	135-137
स्थगन प्रस्ताव के बारे में		
दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों की हड़ताल	...	137-138
सदस्य की गिरफ्तारी		
श्री रसीद मसूद	...	138
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	138-141
राज्य सभा से संदेश	...	141-142
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	142-156
देश के महानगरों में गन्दी बस्तियों की दशा सुधारने के लिए योजनायें		
श्री चन्द्रजीत यादव	...	142-148

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री पी० सी० सेठी ... 142-154
श्री राम विलास पासवान ... 149-152
श्री प्रतापभानु शर्मा ... 154-155

15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत किए गये बैंकों को धनराशि की अदायगी करने के लिए आकस्मिकता निधि में से धन निकालने के बारे वक्तव्य

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आई० आई० टी० बम्बई से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निष्कासन से रोकने के लिए कार्यवाही
श्री ए. के. बालन ... 156

(दो) इलाहाबाद में भारतीय खाद्य निगम के भण्डागारों में गेहूं के भंडारन की बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता
श्री बी. डी. सिंह ... 157

(तीन) बिहार के पश्चिमी चम्पारन जिले में बूढ़ी गंडक नदी से होने वाले भूमि के कटाव को रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता ... 157
प्रो० कमला मिश्र मधुकर ... 157

(चार) कोयले की कमी के कारण केरल में सवारी गाड़ियों के रद्द किये जाने का समाचार
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल ... 157-158

(पाँच) राजस्थान से अच्छी नसल के पशुओं को वध के लिए बम्बई ले जाये जाने से रोकने की आवश्यकता
श्री चतुर्भुज ... 158

(छ) कोटा परमाणु बिजली संयंत्र के लगातार बन्द रहने का समाचार
श्री नवल किशोर शर्मा ... 158

(सात) लक्षद्वीप और भारत के बीच हर मौसम में चलने वाले जहाजों को कोचीन बन्दरगाह में रोक लिया जाना
श्री पी. एम. सईद ... 158-159

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1980-81

ऊर्जा मन्त्रालय और कोयला विभाग (इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय)
श्री आनन्द गोपाल मुखोपध्याय ... 159-168
श्री एस. बी. चव्हाण ... 169-170
श्री विजय मोदक ... 170-174

श्री जी. एल. डोगरा ... 174-176
श्री विक्रम महाजन ... 176-180
श्री विन्देश्वरी दूबे ... 180-185
श्री डा० बी० कुलनदईवेलु ... 185-187
श्री ए० आर० मल्लु ... 187-192
श्री वृद्धि चन्द्र जैन ...
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव ... 192-195
श्री मोतीलाल सिंह

महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा

श्री ज्योतिर्मय वसु ... 195-200
डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी ... 200-229
श्री राजेश पायलट ... 203-205
श्री चन्द्रजीत यादव ... 205-208
श्रीमती मोहसिना किदवई ... 208-210
श्रीमती गीता मुखर्जी ... 210-212
श्री धर्मदास शास्त्री ... 212-214
श्री टी० नागरत्नम ... 214-215
श्री आर० के० महालगी ... 215-216
श्री तारिक अनवर ... 216-218
श्री जगजीवन राम ... 218-220
श्रीमती प्रमिला दंडवते ... 220-225
श्री योगेन्द्र मकवाना ... 223-226
श्री ए० नीलालोहिथादसन ... 226-229
श्री मनीराम बागड़ी ... 229-235
श्री ए० के० राय ... 229-230
श्री जैल सिंह ... 230-237

लोक सभा

गुरुवार, 10 जुलाई, 1980/19 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हड़ताल कर रहे लोको कर्मचारियों के साथ समझौता

* 471. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री पी० एम० सईद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़ताल कर रहे लोको कर्मचारियों और उनके मंत्रालय के बीच 18 जून, 1980 को एक समझौता हुआ था,

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के मुद्दे क्या थे,

(ग) कर्मचारियों की मांगें किस सीमा तक पूरी तरह मानी गई हैं,

(घ) इस हड़ताल के कारण रेलवे को अनुमानतः कितनी हानि हुई है, और

(ङ) यह हानि पूरी करने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और उत्तर रेलवे प्रशासन के बीच (न कि कर्मचारियों और मंत्रालय के बीच) समझौता हो गया है।

(ख) और (ग) आंदोलनकारी लोको रनिंग कर्मचारी काम पर आने से पहले निम्नलिखित मांगें मनवाने पर जोर देते रहे :

(i) काम नहीं : दाम नहीं नियम को लागू न किया जाये।

(ii) किसी भी लाको रनिंग कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाई न की जाये।

(iii) रोहतक की राजकीय रेलवे पुलिस के थानेदार को निलम्बित किया जाये।

(iv) जिन दैनिक यात्रियों ने इंजन क्रमीदल के साथ हाथापाई की थी उन्हें गिरफ्तार किया जाये।

(v) सेवा भंग न की जाये।

(vi) सभी उपनगरीय सवारी गाड़ियों में सशस्त्र मार्ग रक्षकों की व्यवस्था की जाये।

16 जून 1980 को एक समझौता हुआ था जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि निष्पक्ष जांच कराने के लिए हरियाणा सरकार से कहा जायेगा कि वह कम से कम जांच के दौरान रोहतक की राजकीय रेलवे पुलिस के थानेदार को अस्थायी रूप से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के बारे में विचार करे। यह स्वीकार किया गया था कि सेवा भंग नहीं की जायेगी परन्तु हड़ताल की अवधि के दौरान कर्मचारियों की अनुपस्थिति को 'काम नहीं तो दाम नहीं' माना जायेगा और जिन मामलों में विभागीय कार्रवाई की गयी थी, उन पर पुनर्विचार किया जायेगा। यह भी स्वीकार किया गया था कि अगले कुछ दिनों के लिए चुनिंदा दैनिक यात्री गाड़ियों में उशस्त्र मार्ग रक्षियों की व्यवस्था कर दी जायेगी।

(घ) 175.73 लाख रुपये।

(ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को तैनात करके और निष्ठावान कर्मचारियों की सहायता से, जिनके लिए पुलिस की टुकड़ी और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गयी थी, अनिवार्य सवारी और माल गाड़ियां चलाने के प्रयास किये गये थे। अति अनिवार्य वस्तुओं अर्थात् बिजलीघरों और रेलों के लिए कोयला, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और सूखाग्रस्त इलाकों के लिए खाद्यान की ढुलाई करने के लिए प्रयास किये गये थे।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, 1977 वर्ष के दौरान जनता और लोक दल शासन में तालेबन्दी और हड़तालों जैसे औद्योगिक विवादों के कारण हमें 371 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई है। यद्यपि रेल कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस दिया गया था किन्तु सम्बन्धों में कतई सुधार नहीं हुआ। यद्यपि उत्तर रेलवे में हड़ताल समाप्त हो गई फिर भी कुछ कर्मचारी नियमानुसार काम मत करो आन्दोलन कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो सरकार इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही करना चाहती है।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : महोदय, यह प्रश्न उत्तर रेलवे में हाल में हुई हड़ताल से सम्बन्धित है। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने स्पष्ट किया है यह नियमानुसार कार्य का मामला नहीं था। यह हड़ताल बड़ी ही छोटी-सी घटना के कारण हो गई थी यह हड़ताल बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। अतः जो प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है, उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हड़ताल के दौरान कुछ कर्मचारी तेजाब फेंकने तथा रेल सम्पत्ति को हानि पहुँचाने जैसी अपराधिक गतिविधियों में पकड़े गये थे। इस तथ्य के कारण, मैं

मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है यदि हाँ, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : महोदय, यह कर्मचारी तोड-फोड, अथवा धमकाने अथवा कष्ट पहुँचाने के लिये उत्तरदायी हैं, अतः उन्हें काम पर वापस नहीं लिया गया है। किन्तु जब एक समझौता किया गया तो उन मामलों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। यह समझौते का हिस्सा था और समिति ने गुण-दोष के आधार पर इन मामलों की जांच की और उन कर्मचारियों को जो ऐसे अपराधों में संलक्त नहीं थे, काम पर वापस ले लिया गया है।

श्री पी. एम. सईद : महोदय, बार बार होने वाली ऐसी हड़तालों से राष्ट्रीय कोष को बहुत हानि होती है और माल ढुलाई और यात्रियों के आने-जाने में बहुत बाधा पड़ती है। इस बार सरकार को 175.73 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। महोदय, यह हड़ताल इस छोटी-सी घटना के कारण की गई और यह काफी समय तक चलती रही। किन्तु अब भी यह आफवाह फैलाई जा रही है कि कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं हुए हैं और वह पुनः हड़ताल करेंगे। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना पुनः होने से पहले क्या मन्त्रालय के पास ऐसा कोई तन्त्र है जिससे कर्मचारी इस प्रकार का उग्र कदम उठाने से पहले उससे सम्पर्क स्थापित कर लें।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : इस सम्बन्ध में क्षेत्र स्तर पर शिकायत समिति की व्यवस्था है। कर्मचारी और प्रशासन इकट्ठे बैठ कर समस्याएं सुलझाते हैं। समझौता करने की संभावना हमेशा रहती है। जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हड़ताल पर जाने से पहले कर्मचारियों के पास प्रशासन के साथ बात चीत करने का रास्ता उपलब्ध होता है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, लोको हड़तालो कर्मचारियों ने सरकार के सामने मुख्यतया 6 मांगें रखी थीं, जिन में से सरकार ने अंशतः 5 मांगों को माना और एक मांग जो "नो वर्क नो पे" वाली बात थी, उस को नहीं माना। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कर्मचारी हड़ताल पर उसी हालत में जाते हैं ..

अध्यक्ष महोदय : सवाल पूछिये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सरकार का ध्यान दिलाने के लिये लोको कर्मचारीयों ने जो हड़ताल की और सरकार ने उनको वाजिब समझ कर माना, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि "नो वर्क नो पे" वाली मांग को भी मान लिया जाय ताकि जिन हड़तालो कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान काम नहीं किया, उन्हें भी तनख्वाह मिल सके ? ...

श्री सी. के. जाफर शरीफ : वास्तव में यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। फिर भी मैं यह कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों ने 'नो वर्क नो पे' को स्वीकार कर लिया है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : जो माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है उससे पता चलता है कि यह मामला सुलझा लिया गया है किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि 3 जुलाई को, केवल सात दिन पहले कर्मचारियों के संघ ने, जिनके साथ समझौता हुआ था, रेल मन्त्रालय को लिखा है कि स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है, दूसरी बात उन्होंने यह लिखी है कि न केवल रेल मन्त्रालय बल्कि हरयाना पुलिस के द्वारा उत्पीड़न न करने की भावना के स्थान पर प्रतिशोध की भावना

ली गई है। तीसरी बात यह है कि जब भी जमानत कराई जाती है तभी कर्मचारियों के विरुद्ध नया मामला लाया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है परिणामस्वरूप जब भी उन्हें रिहा किया गया, उन्हें पुन: गिरफ्तार कर लिया गया और चौथे, आज भी स्थिति के अनुसार 64 कर्मचारियों को अभी तक सेवा में वापस नहीं लिया गया है और 40 कर्मचारियों को ड्राईवर के पद से हटा कर कलीनर बना दिया गया है। अत: क्या मन्त्री महोदय हमें बताएंगे कि वह अपने उत्तर पर अब भी दृढ़ हैं अथवा वह कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों पर ध्यान देंगे और स्थिति को पुन हाथ से निकलने देने से पहले ही उपचारात्मक कदम उठायेंगे ?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : मैं श्री फर्नाण्डीस की भावना की कद्र करता हूँ वह ऐसे अवसरों पर सदैव अग्रणी रहे हैं किन्तु मैं यह बात माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों के साथ समझौता हुआ है, वह उससे पूर्णरूप से सन्तुष्ट हैं। माननीय मन्त्री से यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ है कि जो कर्मचारी रिहा किये गये थे, उन्हें पुन: गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत मन्त्रालय के पास नहीं पहुँची है। हमें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

श्री सतपाल मुखर्जी : मैंने स्वयं माननीय मन्त्री श्री त्रिपाठी से बात की है और उन्हें इन शिकायतों के बारे में एक पत्र दिया है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : मैंने रेल मन्त्रालय को भेजे गये पत्र से ही उदधृत किया है। वह शायद मन्त्रालय को नहीं चला रहे हैं यह बात स्पष्ट है।

श्री सी.के. जाफर शफीर : यदि उत्तर देने से पहले माननीय सदस्य व्यवधान डालते हैं तो मेरे लिये उत्तर देना बड़ा कठिन हो जायेगा। यदि कोई मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है तो निश्चय ही हम उसकी जांच करेंगे। हमने कर्मचारियों की सद्भावना प्राप्त करने के लिये यह समझौता किया है। यह बात नहीं है कि हमें कर्मचारियों की सदभावना नहीं चाहिये।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : किन्तु रेलवे तथा हरयाणा सरकार दोनों में बदले की भावना बनी हुई है।

श्री सी. के. जाफर शफीर : जितने भी कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे, उन्हें रिहा कर दिया गया है। सेवा से हटाये गये 196 कर्मचारियों में से केवल 64 कर्मचारी सेवा में नहीं लिये गये है।

श्री नारायण चौबे : वह कहते हैं, केवल 64 व्यक्ति सेवा में वापस नहीं लिये गये। यह "केवल 64 व्यक्ति हैं" ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : मैं उन सदस्यों को जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं अकेले नहीं, हम भी श्रमिकों के उतने ही समर्थक हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर देने नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें बार बार टोक रहे हैं। आप उनकी पूरी बात तो सुनिये।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : उन्हें यह बात नहीं सोचनी चाहिये कि श्रमिकों के संरक्षक

केवल वही हैं । हम भी उनके हितों के संरक्षक हैं । कृपया मेरी बात सुनिये। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये ।

प्रमुख प्रश्नकर्त्ता ने यह प्रश्न पूछा है कि उन श्रमिकों के विरुद्ध जो तोड़-फोड़ घमकाने तथा इसी प्रकार की गतिविधियों के लिये उत्तरदायी हैं, क्या कार्यवाही की गई है । जो श्रमिक सेवा में वापस नहीं लिये गये, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ऐसी गतिविधियों में संसक्त हैं । अतः उन्हें अभी सेवा में वापस नहीं लिया गया है । जांच समिति इन मामलों की गुण-दोष आधार पर जांच कर रही है ।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार ऐसी हड़ताल की सराहना करती है अथवा भर्त्सना जिससे राष्ट्र को 1.75 करोड़ रुपये की हानि हुई है। 1.75 करोड़ रुपये की सीधी हानि हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि अनेक स्थानों पर सामान न पहुँचाने के कारण जनता को कितनी हानि हुई। यदि उस हानि का हिसाब लगाया जाता है तो यह हानि 10 करोड़ रुपये की हो सकती है। क्या यह बात सच है अथवा नहीं ?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : जो आंकड़े दिये गये हैं वह प्रत्यक्ष रूप से हुई हानि है। यदि अप्रत्यक्ष रूप से हुई हानि की भी गणना की जाये तो यह बहुत अधिक होगी । किन्तु उसका हिसाब नहीं लगाया गया है ।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी क्या सरकार इस हड़ताल की सराहना करती है अथवा भर्त्सना :

श्री सी. के. जाफर शरीफ : हम इसकी भर्त्सना करते हैं ।

श्री छांगुरराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों की जो मांगें थीं, वे करीब करीब सब उन्होंने मान लीं लेकिन वे मांगें हड़ताल में 175 लाख रुपया का नुकसान होने के बाद मानी हैं । इस तरह से मजबूर होकर गवर्शमेंट ने उनकी मांगें मानी हैं क्योंकि पहले जब ये मजदूर इन मांगों को लेकर मन्त्री जी के पास, सरकार के पास गए थे तो उन्होंने उन मांगों को नहीं माना था । इस सम्बन्ध में मुझे रहीम साहब का यह दोहा याद आ रहा है, जिसको मैं सदन में सुनाना चाहता हूं ।

रहीम चाक कुम्हार को मांग दिया न दे ।
छेद में डंडा डालकर चाहे नाद ले ले ॥

यही हालत इस सरकार की है । मजदूर जब सीधे से मांगते थे तो इन्होंने उनकी मांगों को नहीं माना लेकिन हड़ताल हो जाने पर उनको मान लिया ।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिये ।

श्री छांगुरराम : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । 175 लाख रुपये का नुकसान होने के बाद उनकी तमाम मांगों को सरकार ने मान लिया है । तो मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थित को रोकने के लिये कि मजदूरों की हड़ताल न होने पावे, जब वे अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, तो उनकी उचित मांगों पर सरकार सहानुभूतिक विचार कर ले ताकि हड़ताल में उनको न जाना पड़े ।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : हड़ताल करने का कारण बड़ी मामूली सी घटना थी। यह किसी मामले के आधार पर नहीं की गई है।

लखनऊ-बरेली रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

*473 रामलाल राही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि :

(क) क्या सरकार का विचार लखनऊ-बरेली मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है।

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है;

(ग) क्या उपरोक्त लाइन को बदलने की बजाय भुसावल-सीतापुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर भुसावल से शाहजहाँपुर तक बड़ी लाइन का होना अधिक लाभप्रद तथा उपयोगी होगा; और

(घ) यदि हाँ, तो इन लाइनों को बदलने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लखनऊ बरेली मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बुढ़वल-सीतापुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न की जाँच की जा रही है।

श्री रामलाल राही : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया है। उससे मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इस हुश्न के (ग) भाग में बुढ़वल-सीतापुर ब्रांच लाइन क बोड़ी लाइन में बदलने के बारे में पूछा गया था लेकिन मन्त्री जी ने कहा कि प्रश्न की जाँच की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रश्न की जाँच की जा रही अगर लाइन बदलने की जाँच की जा रही है ? अगर लाइन बदलने की जांच की जा रही है तो क्या कोई अधिकारी जाँच करने के लिए वहाँ भेजा गया है, या वहां नियुक्त किया गया है और उसकी जाँच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि परियोजना प्रतिवेदन भेजा जा चुका है और वह विचाराधीन है। पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ स्पष्टीकरण माँगें हैं। ज्योंहि वह हो जाता है, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री रामलाल राही : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रोजक्ट रिपोर्ट मन्त्रालय को आयी है क्या वह मन्त्री जी के पास है ? उस रिपोर्ट में क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि बुढ़वल-सीतापुर मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जायेगा ? क्या यह भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि इस लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित करने के बाद सीतापुर शाहजहाँपुर ब्राडगेज लाइन से कनेक्ट कर दिया जायेगा और एक डायरेक्ट लाइन बना दी जायेगी जिससे कि पूर्वोत्तर भारत का सीधा मार्ग पश्चिमोत्तर भारत तथा राजधानी दिल्ली तक उपलब्ध हो जाये ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहाँ तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि छोटी रेलवे लाइनों को बड़ी रेलवे लाइनों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिवहन समिति की क्या सिफारिशें हैं जिसका कि अप्रैल, 1978 में योजना आयोग द्वारा गठन किया गया था।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक राष्ट्रीय परिवहन समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, वह मन्त्रालय को प्राप्त नहीं हुई हैं। वह योजना आयोग के पास पड़ी है।

जम्मू और कश्मीर में बिजली की गाड़ियां

*476. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के पास जम्मू और कश्मीर राज्य में बिजली की रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियां श्री नगर शहर में भी कब से आरम्भ की जायेंगी;

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) क्या ऐसी रेलगाड़ियां चलाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितना धन उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) श्रीनगर को रेल से जोड़ने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (घ) और (ङ) श्रीनगर के रास्ते बारामूला को काजीगुन्ड से मिलाने हेतु एक विजलीकृत स्थानीय रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 1971-73 में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था, जिससे पता चला था, कि मीटर लाइन के रूप में यदि इसका निर्माण रेलवे कार्य के रूप में किया जाए तो इस परियोजना पर 71.33 करोड़ रुपए की लागत आयेगी और यदि इस काम को राज्य सरकार के 'निक्षेप कार्य' के रूप में किया जाये तो इस पर 81·17 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। 1971-73 के मूल्य स्तर पर बड़ी लाइन की तदनुरूपी लागत का अनुमान रेलवे कार्य के रूप में 78.62 करोड़ रुपये और 'निक्षेप कार्य' के रूप में 89.40 करोड़ रुपये लगाया गया था। आजकल की कीमतों के आधार पर इसके निर्माण की लागत बहुत अधिक होगी। यह परियोजना लाभप्रद नहीं पाई गई थी, क्योंकि लाइन के खोले जाने के छठे वर्ष में मीटर लाइन के मामले में (—) 1.10% और बड़ी लाइन के मामले में (—) 1.00% प्रतिशत पाने की संभावना थी। सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए और इस परियोजना के अत्यधिक अलाभप्रद रहने की संभावना के कारण, इस परियोजना को शुरू करना सम्भव नहीं हो सका है और इसे फिलहाल छोड़ दिया गया है।

इस समय जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू तवी से ऊधमपुर तक बड़ी लाइन के विस्तार के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस परि-

योजना पर आगे तभी विचार किया जायेगा जब सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा और सर्वेक्षण रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जांच कर ली जायेगी, बशर्ते कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो और योजना आयोग इसकी स्वीकृति दे दे।

उधमपुर से आगे काजीगुन्ड तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए हाल में कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : चूंकि काश्मीर एक नाजुक क्षेत्र है वहां सेना का शीघ्र तैनात किया जाना राष्ट्रीय एकता के लिए अति आवश्यक है। यह एक रेल लाइन से जोड़कर ही किया जा सकता है क्योंकि वहां सड़क प्रायः बन्द हो जाती है। क्या मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है और यदि है तो वे इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार के निवेदन पर 1971-73 में श्री नगर होकर बारामुल्ला और काजीगुन्ड के बीच एक रेल लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। किन्तु चूंकि यह एक निक्षेप निर्माण-कार्य है, राज्य सरकार ने कुछ भी जमा नहीं किया है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : मेरा प्रश्न जम्मू से काश्मीर तक एक प्रभावी रेल लाइन बनाने के बारे में है। इसके लिए मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या सुरक्षा की दृष्टि से सेना को तैनात नहीं किया जाना चाहिये और क्या इस आधार पर जम्मू और काश्मीर को रेल लाइन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है यह रक्षा मंत्रालय का काम है कि वह इस मन्त्रालय से परामर्श कर निर्णय ले। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।

श्री गुलाम नबी आजाद : गत कई वर्षों से जम्मू से उधमपुर तक एक रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव था। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है और काम कब आरम्भ होगा ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जम्मू और काश्मीर राज्य में बी० जी० रेल लाइन को जम्मू तवी से उधमपुर तक विस्तार करने के लिये अन्तिम स्थान सम्बन्धी इंजीनियरिंग सर्वेक्षण अभी चल रहा है। हम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतिवेदन के आने पर यह योजना आयोग को जाएगा।

डा० कर्णसिंह : मंत्री महोदय ने मेरे एक मित्र और सहयोगी के उत्तर में अभी कहा है कि उधमपुर के बारे में मामला अभी विचाराधीन है। किन्तु एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सभा में वास्तव में प्रो० मधु दण्डवते ने, जब वह मंत्री थे, एक स्पष्ट आश्वासन दिया था कि रेल लाइन उधमपुर तक ले जाई जाएगी क्योंकि वह उत्तरी सेना कमांड का मुख्यालय है और रक्षा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में श्री कोचक ने भी जो बात उठाई है वह उधमपुर तक रेल लाइन ले जाने से काफी हद तक पूरी हो जाएगी। अब सरकार के उत्तर से मालूम पड़ा है और मंत्री महोदय ने मुझे भी लिखा है कि वे अभी भी इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं। क्या मन्त्री

महोदय कृपया एक स्पष्ट आश्वासन देंगे कि भारत सरकार ने पहले जो वचन दिया था कि उद्धमपुर तक रेल लाइन ले जाई जायेगी उसको मानते हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : प्रो० मधु दण्डवते द्वारा दिये गये आश्वासन के परिणाम स्वरूप अन्तिम स्थान के बारे में सर्वेक्षण हो रहा है और हमेशा अन्तिम स्थान के बारे में सर्वेक्षण के बाद ही किसी रेल लाइन के निर्माण के बारे में विचार किया जाता है और तब यह योजना आयोग के पास जाता है और उनकी स्वीकृति ली जाती है। जब मैं यह कहता हूं कि अन्तिम स्थान सम्बन्धी सर्वेक्षण चल रहा है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को सरकार की चिन्ता समझनी चाहिए।

कांगड़ा में हुई रेल दुर्घटना

*477. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने से कांगड़ा घाटी रेलवे (उत्तर रेलवे) के ज्वालामुखी और भरमार रेलवे स्टेशनों के बीच 12 मई, 1979 को एक रेलवे दुर्घटना हुई थी।

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कोई यात्री हताहत हुए थे।

(ग) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने यात्री मारे गये थे।

(घ) क्या उनके लिये किसी मुआवजे की स्वीकृति दी गई है और क्या वह उनके उत्तराधिकारियों को दिया गया है ?

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उत्तर रेलवे प्रशासन को रेलवे की ओर से हुई उपेक्षा का उल्लेख करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(च) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और किस सम्भावित तारीख तक कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (छ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां।

(ग) इस दुर्घटना में 8 व्यक्ति मारे गये थे।

(घ) दावेदारों में से एक को, जिसने अंतरिम राहत के लिए भी आवेदन किया था, दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के सम्बन्ध में अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर 15,000 रु० का भुगतान कर दिया गया है। अन्य दावेदारों को अभी तक क्षतिपूर्ति का कोई भुगतान नहीं दिया गया है।

(ङ) पदेन दावा आयुक्त के रूप में जिला दंडाधिकारी, कांगड़ा द्वारा क्षतिपूर्ति के दावों का निपटारा धर्मशाला में किया जा रहा है।

क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के सम्बन्ध में उत्तर रेलवे को दो अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे।

(च). अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उत्तर रेलवे ने दावेदारों को पदेन दावा आयुक्त (धर्मशाला में जिला दंडाधिकारी, कांगड़ा) के पास अपने दावे प्रस्तुत करने की सलाह दी थी। उन्होंने अब अपने दावे दायर कर दिये हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि आठ व्यक्ति मारे गये। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि मरने वाले उन आठ व्यक्तियों के नाम क्या हैं और क्यों एक को ही मुआवजा दिया गया तथा अन्य सात व्यक्तियों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय मेरे पास उन आठ व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। उन्होंने राहत का दावा भी नहीं किया है। जहां तक अन्य व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा करने का संबन्ध है, उन्होंने क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट पदेन दावों के आयुक्त हैं। जिन व्यक्तियों ने रेलवे को प्रतिवेदन दिये हैं उन्हें जिला मजिस्ट्रेट, कांगड़ा को प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : यह गम्भीर मामला है। उन व्यक्तियों के नाम उपलब्ध होने चाहिये थे। फिर भी क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई समय सीमा है जिसके अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की अदायगी की जानी है ? क्योंकि दुर्घटना हमेशा एक दुखद बात होती है और क्षतिपूर्ति तत्काल दी जानी चाहिए। कुछ समय सीमा होनी चाहिए अर्थात् छः महीने अथवा एक वर्ष हो सकती है। इस सम्बन्ध में क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : हमें हमेशा यह चिन्ता रहती है कि क्षतिपूर्ति का शीघ्र भुगतान किया जाए। हमने दावों के आयुक्त को दावों का यथा सम्भव शीघ्र भुगतान करने के लिए कहा है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं न केवल कांगड़ा में किन्तु भारत में सर्वत्र हो रही हैं। क्या यह रेलवे के तैनात कर्मचारियों अथवा पुरानी रेल लाइन के कारण हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे भविष्य में ये घटनायें न हों।

श्री मल्लिकार्जुन : इस मामले में गाड़ी के पटरी से उतर आने की घटना उससे बिल्कुल भिन्न है जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं। सदस्य यह सामान्य रूप से कह रहे हैं। सामान्यत या आधुनिक उपकरणों का विकास किया गया है जो यह सुनिश्चित करें कि झोंके एक्सल पर रहें और खराबी का लाइनों में पता लगाया जा सके। कभी-कभी बदमाश इन्हें चुरा ले जाते हैं। इसमें इस प्रकार की कई बातें होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

टाटा-पटना एक्सप्रेस में डिब्बों की संख्या का बढ़ाया जाना

* 479. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 बजकर 20 मिनट पर टाटा नगर से चलने वाली टाटा-पटना ऐक्सप्रेस में सदा ही बहुत भीड़ रहती है,

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रथम दर्जे, 2-टायर, 3-टायर स्लीपर की प्रतीक्षा सूची में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है और स्थान उपलब्ध न होने के कारण अनेक यात्रियों को निराश होना पड़ता है,

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त गाड़ी में प्रथम दर्जे, 2- टायर और 3-टायर स्लीपरों के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का है, और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्य कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर दिया गया है ।

विवरण

87-88 साउथ बिहार एक्सप्रेस गाड़ी पटना और टाटानगर के बीच काफी लोकप्रिय है। लेकिन देखने में आया है कि टाटानगर से पहले और दूसरे दोनों दर्जों में आरक्षित स्थान के लिए प्रतीक्षा सूची कोई बहुत बड़ी नहीं होती । अत: इस गाड़ी में शयनयान या पहले दर्जे के डिब्बे लगाने का औचित्य नहीं है ।

बहरहाल, गाड़ी में स्थान के उपयोग के विश्लेषण से पता चलता है कि दूसरे दर्जे के के अनारक्षित डिब्बों में, विशेषकर आसनसोल-झाकी खंड के कम दूरी के यात्रियों की भारी भीड़ रहती है ।

87 अह साउथ बिहार एक्सप्रेस पटना और उत्तरी बिहार क्षेत्र के यात्रियों के लिए मोकामा या पटना में आगे की गाड़ी से मेल लेने की आवश्यकता पूरी करती है । इन यात्रियों की सुविधा के लिए, 1977 से टाटा नगर और मुजफ्फरपुर के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक सीधी गाड़ी चलायी गयी है । 87,88 साउथ बिहार एक्सप्रेस गाड़ियों में टाटानगर आसनसोल खंड पर भाप कर्षण के अन्तर्गत पूरी निर्धारित संख्या में डिब्बे लगाये जाते हैं । रेल इंजन की कर्षण क्षमता को देखते हुए इसमें और अधिक डिब्बे लगाना व्यावहारिक नहीं है । इसमें सदेह नहीं कि आसनसोल पटना खंड पर इस गाड़ी को डीजल इंजन से चलाने से इसमें और अधिक डिब्बे लगाये जा सकेंगे । लेकिन डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भीड़-भाड़ वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण योजना बद्ध आधार पर किया जा रहा है । काफी बड़ी संख्या में विभिन्न वर्तमान गाड़ियों और नयी गाड़ियों में डीजल रेल इंजन लगाने का पहले ही वचन दिया जा चुका है । फिर भी उपयुक्त समय पर इस गाड़ी के डीजलीकरण को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, टाटानगर देश का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है तथा पटना बिहार की राजधानी है । इस कारण प्रतिदिन हजारों पैसेंजर पटना और टाटानगर के बीच सफर करते हैं । यह गाड़ी चूंकि रात को चलती है और दूसरे दिन सुबह पटना पहुँचती है, इसलिए काफी असुविधा लोगों को होती है ।

मन्त्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 87/88 साउथ बिहार एक्सप्रेस गाड़ी पटना और टाटानगर के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन देखने में आया है कि टाटानगर से पहले और दूसरे दर्जे दोनों में आरक्षित स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची कोई बहुत बड़ी नहीं होती, मैं यह

कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है। मैंने एक दिन स्वयं देखा है कि फर्स्ट क्लास में 50 के करीब पेसेन्जर्स वेटिंग लिस्ट में थे। और सैकिंड क्लास में 100 के करीब वेटिंग लिस्ट पर थे। तो यह स्थिति वहां पर लगभग रोज रहती है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसी एक दिन पटना में कितने टिकट टाटा नगर के लिए कटे और टाटानगर में कितने टिकट पटना के लिये कटे ? इससे फर्स्ट और सैकिंड क्लास के मुसाफिरों का जायजा आ जायेगा और इससे जानकारी हो जायेगी कितने आरक्षण लोगों के टिकट कटते हैं और कितने वेटिंग लिस्ट पर रहते हैं ?

श्री सी. के जाफर शरीफ : माननीय सदस्य ने अपने एक दिन के अनुभव में जो अभी कहा है रेल प्रशासन सामान्यतया छः महीने के औसत पर विचार करता है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं : प्रतीक्षा सूची में प्रथम श्रेणी में—2, द्वितीय श्रेणी—2 टायर में 16, द्वितीय श्रेणी—3 टायर में—17, यही औसत है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मन्त्री महोदय ने माना है कि यह ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है और उनको यह भी जानकारी है कि यह गाड़ी स्टीम इन्जन से चलती है। इससे आये दिन यह होता है कि यह रास्ते में खराब हो जाती है और पूछने पर कहा जाता है कि कोयला खराब है। मेंटीनन्स नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस ट्रेन की महत्ता को देखते हुए क्या इस बात पर विचार किया जायेगा कि उसमें डीजल इन्जन लगाया जाये ?

श्री सी. के जाफर शरीफ : इन गाड़ियों को डीजल चालित गाड़ियों में चरणवार परिवर्तित किया जा रहा है और समस्त देश में भारी यातायात मार्ग हैं तथा यातायात की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकतायें दी जाती हैं। अतः मैं माननीय सदस्य को सहसा कोई वचन नहीं दे सकता हूं। इसमें समय लगेगा। लोकोमोटिव की उपलब्धता के अनुसार जब भी सम्भव हुआ हम इस पर विचार करेंगे।

श्री तारिक अनवर : करीब 20 साल पहले, इससे भी अधिक हम समझते हैं टाटानगर और पटना के बीच में साउथ बिहार एक्सप्रैस गाड़ी चलनी शुरू हुई थी। आज 20 साल के बाद जब कि दोनों शहरों की आबादी पता नहीं कितने गुना बढ़ चुकी है, और लोगों के आवागमन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां कि ही नई ट्रेन चलाने की या किसी और नई व्यवस्था करने की कार्यवाही नहीं की गई है। जो व्यवस्था 20 साल पहले थी, वही आज भी बरकरार है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या किसी और नई व्यवस्था या नई ट्रेन चलाने की कोई नई योजना है, जिससे वहां के मुसाफिरों को सुविधा पहुँच सके ?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : हाल ही में 1977 में पटना और मुजफ्फरपुर के बीच एक गाड़ी चलाई गई जो हफ्ते में तीन बार चलती है और रेलवे प्रशासन ने एक सर्वेक्षण किया है जिसके अनुसार इस अवस्था से वहां के यातायात की आवश्यकता पूरी हो जाती है।

श्री नरायण चौबे : मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को यह मालूम है कि रेलवे में बोगियों और डिब्बों की भारी कमी है। क्या यह सत्य है कि इस विशेष गाड़ी पर जितनी बोगियां लगती हैं वे इस कारण नहीं लगाई जाती हैं।

श्री जाफर शरीफ : महोदय, जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसा नहीं है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : मैं मंत्री महोदय यह जानना चाहता हूं कि वह जो सरवे कराते हैं या जानकारी प्राप्त करने का उनका जो सोर्स, माध्यम है, क्या उसके अलावा यात्रियों की कठिनाइयों के बारे में जन-प्रतिनिधि या अन्य लोग उन्हें जो प्रतिवेदन देते हैं, या प्रश्न पूछते हैं, या आकर्षित करते हैं, क्या वह उन पर भी विचार करते हैं या नहीं, अगर हां, तो हमने जो बार बार उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है कि पटना-जमशेदपुर के लिए एक और ट्रेन दी जाए क्या वह उसपर भी विचार करेंगे या नहीं।

श्री जाफर शरीफ : यह केवल प्रशासनिक विचार नहीं है। क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता परामर्शदाई समिति, रेलवे उपभोक्ता परामर्शदायी समिति आदि भी हैं जो विचार करती हैं और सुझाव देती हैं हम भी विचार करते हैं और संसद सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के उचित महत्व देते हैं। अतः ऐसा नहीं है कि सर्वेक्षण हो गया और हम एक मात्र उस पर अपना मूल्यांकन अधारित करते हैं।

ब्रिटेन में प्रशिक्षण पर जाने वाले अधिकारी

*481. **श्री नरायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के लगभग 18 अधिकारी 4 महीने के कोर्स में प्रशिक्षण लेने हेतु ब्रिटेन में डर्बी जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा; और

(ग) प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। ये अधिकारी 16-6-1980 से डर्बी में पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) यह विशेषज्ञीय प्रशिक्षण 8 सप्ताह की अवधि के लिए रेलवे इन्जीनियरी स्कूल डर्बी में सामान्य प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में है जिसमें प्रबन्ध सूचना प्रणाली, कम्प्यूटर उपयोग, वित्त एवं अर्थ तन्त्र निवेश मूल्यांकन, परिमाणात्मक साधन, उत्पादन प्रबन्ध, विपणन, सम्भार तन्त्र योजना, संचार व्यवस्था, मानवीय एवं औद्योगिक सम्बन्ध, नगरीय परिवहन आदि विषय शामिल हैं। उसके पश्चात प्रशिक्षु अधिकारी और 8 सप्ताह तक ब्रिटिश रेलों पर अपने-अपने विषय विशेष से सम्बन्धित व्यावहारिक प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे।

(ग) 1. श्री डी. एन. सिंह मुख्य इन्जीनियर, पूर्वोत्तर रेलवे।

2. श्री एम. विष्णुमूर्ति मुख्य पुल इंजीनियर, दक्षिण-पूर्व रेलवे

3. श्री वाई. कृष्णमूर्ति मुख्य इंजीनियर, (निर्माण) दक्षिण-मध्य रेलवे।

4. श्री वाई. वी. अस्वस्थनरायण अपर मुख्य इंजीनियर (योजना दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे

5. श्री जे. राजगोपालाचारी मंडल रेल, प्रबन्धक, दक्षिण-मध्य रेलवे।

6. श्री बी. आर. नायर अपर मुख्य परिचालन अधीक्षक, दक्षिण रेलवे।

7. श्री क्रांति कुमार रेल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे।
8. श्री एन. सी. महापात्रा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे।
9. श्री एम. सी. सिंहा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इन्जीनियर, पूर्वोत्तर रेलवे।
10. श्री एस नरसिम्हन मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इन्जीनियर, दक्षिण रेलवे।
11. श्री वी. वेंकटेश्वरन संयुक्त निदेशक, मानक (विद्युत) अनु. अभि. एवं मानक संगठन।
12. श्री कांति स्वरूप भंडार नियंत्रक, पश्चिम रेलवे।
13. श्री के. बी कृष्ण स्वामी अपर मुख्य परिचालन अधीक्षक (माल) दक्षिण मध्य रेलवे।
14. श्री विनोद पाल सचिव, रेल दर सूची जांच समिति, नई दिल्ली।
15. श्री आई के. रसगोत्रा निदेशक, स्थापना, रेलवे बोर्ड।
16. श्री एस. के. एन. नायर संयुक्त निदेशक, वित्त (बजट) रेलवे बोर्ड।
17. श्री के. के. अरोड़ा अपर निदेशक, यातायात परिवहन रेलवे बोर्ड।
18. श्री के. डी. साहा उप सचिव (स्थापना) रेलवे बोर्ड।

श्री नारायण चौबे : महोदय, मेरा पहला प्रश्न है वे कौन से कारण जिनसे भारत सरकार यह आवश्यक समझती है कि उनके कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन भेजे जायें।

मेरा दूसरा प्रश्न है : इन कर्मचारियों को इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए भेजने पर रेलवे को कितना व्यय करना पड़ता है ?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : महोदय, प्रशिक्षण कार्यक्रम कोलम्बो योजना पर आधारित है। रेलवे प्रशासन प्रशिक्षण पर कोई खर्च करता है।

श्री नारायण चौबे : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया किन्तु भाग (ख) का उत्तर दिया गया है। मैं अपने प्रश्न के भाग (क) का उत्तर चाहता हूँ।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने विवरण नहीं देखा है जो दिया गया है। उनके प्रश्न का उत्तर विवरण में दिया गया है।

श्री नारायण चौबे : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय दूसरे प्रश्न को समझ नहीं पाये हैं। मैंने उनका विवरण पढ़ा है। आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे ने अन्य देशों जैसे ईरान, ईराक, अफ्रीका आदि देशों को भी कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ भेजे हैं। भारत को भी इस योजना के अन्तर्गत कतिपय प्रशिक्षण के लिए उन्हें ब्रिटेन भेजना है। आपने एक विवरण दिया है। मेरा प्रश्न है समिति ने इन अधिकारियों का किस प्रकार चयन किया है ? दूसरों को क्यों चुना नहीं गया यही मेरा प्रश्न है।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कोलम्बो योजना के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड अधिकारियों का चयन करता है। उनका प्रशासनिक संवर्ग में वरिष्ट ओहदा होना चाहिए और प्रत्यक्षत: उन कामों में लगा होना चाहिए जिनके लिए उन्हें उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है

तथा उनकी रिपोर्ट और काम उत्तम होना चाहिए और वे पहले विदेशों में प्रशिक्षण के लिए न गये हों तथा उनके विरूद्ध कोई सतर्कता विभाग के मामले न चल रहे हों। ये शर्तें हैं जिनके आधार पर उन्हें प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : मंत्री महोदय ने कहा है कि ये आफिसर कोलम्बो प्लान के तहत ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और उन पर कोई खर्चा नहीं आयेगा। क्या यह सही है कि जहां हम अपने आफिसर्ज को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, वहां हम पर भी यह आबलिगेशन है कि जितना रुपया हमारे आफिसर्ज की ट्रेनिंग पर खर्च किया जायेगा, उतना ही रुपया हम डेवेलपिंग या अंडर डेवेलप्ड कंट्रीज के लोगों ट्रेनिंग देने पर खर्च करें? क्या इस तरीके का सर्किल है, क्या यह सही है? अगर सही है तो यह कहना कि उन पर कोई खर्च गवर्नमेंट आफ इंडिया का नहीं आएगा क्या यह सही है?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : महोदय, इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि आफिसर्स को कोलम्बो प्लान के तहत भेजा जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक सर्किल है। हम जो अपने आफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं तो हमें भी अपने यहां अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों को बुलाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। तो यह कहना कतई गलत है कि हमारी कोम का कोई पैसा उन पर खर्च नहीं होता।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : महोदय, इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह बताया गया है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इन अधिकारियों को सामान्य प्रबन्ध आदि में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। परन्तु महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या यह आवश्यक है कि वे यह प्रशिक्षण विदेश में ही लें? क्या यह हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिये हैं, ज्ञानवृद्धि के लिये अथवा किसी अन्य उद्देश्य से या यह क्या कोई आम बात है?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : महोदय, विकसित देश विज्ञान और औद्योगिकी में सदैव ही अग्रगामी रहते हैं। जिसमें हमें पैसा न लगाना पड़े ऐसी जगह लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजने में कोई बुराई नहीं है।

रुपसा- बंगरीपोसी लाइन को परिवर्तित करना

* 482. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपसा-बंगरीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही की जा रही, है और

(ख) उस पर क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। रेल प्रशासन द्वारा परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसके शीघ्र प्राप्त हो जाने की उम्मीद है। परियोजना रिपोर्ट की सावधानी पूर्वक जाँच तथा

मूल्यांकन कर लिये जाने के पश्चात बड़े आमान के नये रेल सम्पर्क के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि सरकार को प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और अब इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि 'विचाराधीन' और 'सावधानी पूर्वक विचारण' में क्या अन्तर है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उड़ीसा सरकार की लम्बे समय से चली आ रही मांग करने के पश्चात्—लगभग 25 वर्ष—अन्ततः रेल-मन्त्रालय ने यह सर्वेक्षण कराया है और प्रतिवेदन पूर्ण हो चुका है। परन्तु हमें यह बताया गया है इसे 1981-82 के लाइने बदलने सम्बन्धी बजट में सम्मिलित कर लिया जायेगा। क्या बात है कि इसमें विलम्ब हुआ है और क्या आगामी दो-तीन माह में यह पूरा हो जाएगा ?

श्री के. सी. जाफर शरीफ : महोदय विचारण और गम्भीर विचारण में यह अन्तर है कि गम्भीर विचारण का अर्थ है कि सरकार इस पर काफी गम्भीरता से विचार कर रही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं बहुत खुश हूँ कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। यह तो एक सुधार है। मैं इस सर्वेक्षण के बाद यह जानना चाहता हूं कि बड़ी लाइन में बदलने में इस पर क्या खर्चा आयेगा और क्या आगामी दो-तीन मास में निर्णय ले लिया जाएगा, जिससे कि इस वर्ष के अन्त तक बदलाव का काम शुरू हो जाए ?

श्री मल्लिकार्जुन : 1979 में जब सर्वेक्षण किया गया था तो यह लगभग 3·97 करोड़ रुपये था, परन्तु वर्तमान मूल्य स्तर पर यह अधिक होगा। क्योंकि राज्य सरकार निरन्तर मांग कर रही थी, सरकार मामले में गहन रुचि ले रही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, उचित उत्तर नहीं दिया गया है। 'गहन रुचि' से क्या अर्थ है ?

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मैं यह जान सकता हूं कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में कब परिवर्तित किया जायेगा ? कौन से वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के पश्चात्, लागत में भी वृद्धि हो गई होगी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि कितनी अतिरिक्त लागत आएगी।

श्री मल्लिकार्जुन : इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने और उसे आगे बढ़ाने का काम सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के पश्चात् ही किया जायेगा, जब हम उन बातों की जांच कर लेंगे, किया जायेगा।

उड़ीसा में बिछाई जा रही रेलवे लाइनें

* 483. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में ऐसी नई रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं जो अब बिछाई जा रही है और उनका काम पूरा होने की अन्तिम तिथियाँ क्या हैं;

(ख) उड़ीसा राज्य के लिये उन प्रस्तावित नई रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं; जो सरकार विचाराधीन हैं और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी, और

(ग) प्रस्तावित नई रेलवे लाइनों पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय उड़ीसा में निर्माणाधीन नई रेलवे लाइनें :

जाखपुरा – बांसपानी व० ला० रेल परियोजना (176 कि. मी.) का पहला चरण—जाखापुरा से देतारी (33 कि. मी.)—पूरा करने की निर्धारित तारीख दिसम्बर, 1980 है।

(ख) और (ग) उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें, जो या तो निर्माणाधीन हैं या जिनके लिए सर्वेक्षण पूरे होने वाले हैं अथवा किये जा रहे हैं :

(I) तालचेर-सम्बलपुर-लम्बाई लगभग 160 कि. मी. 1977-78 में स्वीकृत प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण लगभग पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट को रेल प्रशासन द्वारा अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है जिसके शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

(II) रुपसा-बंगारीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और इसका विस्तार करना—लम्बाई लगभग 134 कि. मी.

टोह इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इंजीनियरी तथा यातायात रिपोर्टों को रेल प्रशासन द्वारा अन्तिम रुप दिया जा रहा है तथा इनके शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

(III) कोरापुट—सालूर/पार्वतीपुरम/रायगडा—लम्बाई लगभग 170 कि. मी.

कोरापुट से सालूर/पार्वतीपुरम/रायगडा तक रेलवे लाइन के लिए मैसर्स रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा द्वारा प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह सर्वेक्षण कार्य सितम्बर, 1980 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित नई रेल परियोजनाओं पर निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उनकी जांच हो जाने के बाद लिया जायेगा लेकिन ऐसा करते समय इनकी अर्थक्षमता और धनराशि की उपलब्धता तथा योजना आयोग की स्वीकृति को भी ध्यान में रखना होगा।

श्री लक्ष्मण मलिक : यह उड़ीसा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल सम्पर्क है। इससे पाराद्वीप बन्दरगाह को सीधा ही सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। और इससे उड़ीसा के क्योंझार जिले के पिछड़े क्षेत्रों का विकास भी हो जायेगा। इससे पाराद्वीप को लोह अयस्क की ढुलाई की लागत भी कम हो जायेगी। यह भी एक राष्ट्रीय लाभ की बात होगी।

यह सम्पर्क दो चरणों में बंटा हुआ है। पहला चरण देतारी से झखपुरा और दूसरा झखपुरा से बंसापानी तक। इस रेल सम्पर्क का पहला चरण निर्माणाधीन है।

क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि झखपुरा से बांसापानी रेल सम्पर्क के द्वितीय चरण की क्या स्थिति है ? इसकी कब अनुमति मिलेगी और इस पर क्या लागत आएगी तथा यह कब प्रारम्भ होगी ? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : देतारी से बांसापानी का द्वितीय चरण लगभग 145 किलो मीटर है। प्रथम चरण झखपुरा देतारी तक है। प्रथम चरण में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है। जहाँ तक द्वितीय चरण की बात है, सरकार की इसको पूरा करने की पूरी रुचि है। यह वास्तव में ही एक सामरिक महत्व की लाईन है। पाराद्वीप से लोह अयस्क का निर्यात किया जायेगा। बांसापानी से भी सरकार को इसके लिये निर्यात करना सुविधाजनक रहेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हम मन्त्री महोदय से प्रश्न के भाग 'ख' के बारे में जानना चाहता हूं। हमारे पास नई प्रस्तावित लाईनों के नाम हैं। तलचेर से सम्भलपुर जाने वाली रेल लाईन की स्थिति यह है कि यातायात और अभियान्त्रिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मन्त्री महोदय ने सदन को अपने भाषण में यह बताया था कि तलचेर-सम्भलपुर सम्बन्धी प्रतिवेदन मई और जून के अन्त तक आ जायेगा, सम्भवतः प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ? यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि झखपुरा से बांसापुरा तक की सारी लाईन की स्वीकृति योजना आयोग ने दे दी थी। यह क्या बात है कि इसकी फिर से चरण-दर-चरण अनुमति दी गई है ? इसकी स्वीकृति केवल झखपुरा तक मिली है। और झखपुरा से बांसापानी तक इसे छोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है ? हम जानना चाहते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : जहाँ तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है—तलचेर से सम्भलपुर तक, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उसका प्रतिवेदन हमें मिल गया है। इसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जहाँ तक द्वितीय चरण का सम्बन्ध है क्योंकि धन उपलब्ध नहीं था इसलिए हमें इसे चरणों में बांटना पड़ा अर्थात प्रथम, चरण, द्वितीय चरण आदि-आदि।

अतः यह अब इस अवस्था तक पहुंच चुका है जैसा कि मैं कह चुका हूँ इस लाइन के झखपुरा से बांसापानी तक के निर्माण कार्य को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसका निर्माण किया जायेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार—

श्री अध्यक्ष महोदय : ए. सी. दास

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इससे यह प्रश्न खड़ा होता है क्या मैं यह जान सकता हूँ कि उड़ीसा सरकार—

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया शान्त रहिए। मैंने श्री एस. सी. दास को बुलाया है।

श्री अनादि चरणदास : अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट दिया गया है, उससे पता चलता है कि कोरापुट-सालूर-पार्वतीपुरम-रायगढ़ा न्यू रेलवे लाइन को सितम्बर तक सर्वे रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। यह कोरापुट का एरिया खासतौर से फारेस्ट एरिया है, पहाड़ी इलाका है और आदिवासी इलाका भी है। इधर फ्रेंच कोलाबोरेशन से एल्यूमिनियम काम्प्लेक्स स्थापित करने का भी प्रयोजन चल रहा है। इस बात को देखते हुए क्या मंत्री महोदय सर्वे रिपोर्ट जल्दी से जल्दी कम्पलीट कराने का विचार करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, जल्दी-से-जल्दी काम को कराने की हमारी इच्छा है।

वालटेयर डिवीजन

* 484. श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने दक्षिण-मध्य रेलवे में वालटेयर डिवीजन जोड़ने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) जी हां।

(ख) रेल मन्त्रालय ने इस अनुरोध पर विचार किया है । लेकिन, अधिक महत्वपूर्ण परिचालनिक एवं प्रशासनिक पहलुओं को देखते हुए दक्षिण-पूर्व रेलवे के वालटेर मंडल का दक्षिण-मध्य रेलवे में अंतरण उपयुक्त नहीं पाया गया है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : वालटेयर डिवीजन को दक्षिण-मध्य रेलवे के साथ मिलाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, रेलवे-क्षेत्रों का प्रादेशिक कार्य क्षेत्र तो अनेकानेक संचालन विशिष्टताओं पर निर्भर करता है, जैसे—यातायात का सातत्य, खाली रेलगाड़ी के डिब्बों की सप्लाई, मूल स्टेशनों पर लदान, मार्शलिंग यार्डों की अवस्थिति, इंजिनों के लिए स्थान, शैडस, आखिरी स्टेशन पर मिलने वाली सुविधायें, यातायात का घनत्व, संयुक्त कार्यभार सूचकांक आदि आदि।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : रेलवे प्राधिकारी यदि इस मण्डल को दक्षिण मध्य रेलवे के साथ मिलाना अपेक्षित न भी समझते हो तो भी क्या दक्षिण मध्य रेलवे के साथ इस मण्डल को मिलाना लाभदायक न होगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : मुख्यतः जहां तक रेलवे परिवहन का सम्बन्ध है, इस पर हम संचालन की दृष्टि से विचार करते हैं और जहां तक इस मण्डल के दक्षिण-मध्य रेलवे से मिलाने की माननीय सदस्य की पूछताछ की बात है तो उसका उत्तर नकारात्मक होगा।

नया मंगलौर पत्तन न्यास बोर्ड

*485. श्री के० ए० राजन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये मंगलौर पत्तन बोर्ड में श्रमिक सदस्य नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इस बोर्ड का गठन 1 अप्रैल, 1980 से हो चुका है;

(ख) प्रत्येक यूनियन की संबद्ध सदस्य-संख्या के निर्धारण के लिए किस तारीख की सदस्य-संख्या को आधार बनाया गया है; और

(ग) क्या जो पद्धति मंगलौर में अपनाई गई है वह किसी अन्य पत्तन के प्रारंभ गठन के मामले में भी अपनाई गई थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) इस पोर्ट में काम कर रही यूनियनों की 31-12-1978 तक की सदस्य संख्या को प्रमाणित जानकारी उपलब्ध थी। लेकिन चूंकि यह सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड था, इसलिए सदस्य-संख्या की अद्यतन सूचना के आधार पर इसके गठन में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देना उचित समझा गया। तदनुसार यूनियनों की 31-12-1979 तक की सदस्य संख्या का नये सिरे से सत्यापन करवाया जा रहा है। यह निर्णय दिया गया है कि जब तक 31-12-1979 तक की सदस्य-संख्या के प्रमाणित होने के परिणाम नहीं प्राप्त हो जाते हैं तब तक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व देने के लिए बोर्ड में जगह खाली रखी जाए।

(ग) जहां तक टूटीकोरिन का सम्बन्ध है, यहाँ पर पहला पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड 1-4-1979 को गठित हुआ था और यहां पर बोर्ड में श्रमिकों की ओर से ट्रस्टी की नियुक्ति 31-12-1977 तक की सदस्य संख्या के बारे में किये गये विशेष सत्यापन के आधार पर की गई थी।

श्री के० ए० राजन : महोदय, यदि आप विवरण को देखें तो आपको समस्त विवरण में प्रदायगत विरोधाभास और अस्पष्टता दृष्टिगोचर होगी। तूतीकोरियन के लिए, प्रथम पोतपत्तन न्याय बोर्ड की स्थापना 1-4-1979 से की गई थी। तूतीकोरियन पोतपत्तन के बोर्ड गठन में, अंतिम उपलब्ध सदस्यता, जिस पर विचार किया गया था, वह 1-1-1977 की थी। परन्तु मंगलोर पोतपत्तन के मामले में, जिसे पोतपत्तन न्यास बोर्ड के अधीन 1-4-1980 को घोषित कर दिया गया था, उसकी सदस्यता जिस पर विचार किया जाना था, उसकी 1-1-79 को उपलब्ध सदस्यता सूची से जांच की जा रही थी। परन्तु जहां जब मंगलौर पोतपत्तन का प्रश्न आता है 1-1-1979 को जांची गई सदस्यता पर विचार नहीं किया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सदस्यता का निर्धारण करते समय, इन सभी मामलों में कौनसा स्वीकृत मार्गदर्शन काम में लाया जाता है ? एक पोतपत्तन में तो एक प्रकार का मापदण्ड काम में लाया जाता है और अपनी सुविधा के लिये दूसरे पोतपत्तन में आप भिन्न प्रकार का मापदण्ड काम में लाते हैं और लोगों का अपनी इच्छानुसार लाभ उठाते है।

श्री बूटासिंह : माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि हमारा प्रयास एक संघ-विशेष की सुविधा के अनुसार कार्य करने का रहा है। परन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। इस मामले में यह मार्गदर्शन काम में लाया जाता है। जांच-पड़ताल सत्यापन तो श्रम मन्त्रालय करता है और संघों में किसी प्रकार का टकराव रोकने के लिये हम सदैव अन्तिम रूप से जांच के सिद्धांत का पालन करते हैं। इस मामले में इस मार्ग दर्शन को अपनाया जाता है।

श्री के. ए. राजन : मंगलोर के बारे में अन्तिम उपलब्ध जांच सत्यापन 31-12-1978 को किया गया था। आप उस पर क्यों नहीं टिकते और आप 31-12-1979 के सत्यापन की प्रतीक्षा क्यों करना चाहते हैं ? मुझे सीधा उत्तर चाहिये।

श्री बूटासिंह : 1979 के अन्तिम सत्यापन। जांच पर निर्भर करना अधिक उपयुक्त है।

श्री नीरेन घोष : क्या यह सच है कि भारत के विभिन्न पोतपत्तन न्यासों से सम्बद्ध प्रश्न पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाये जाते हैं ? क्या ऐसी बात है कि आप कुछ मामलों में तो 1979 में किए गये सत्यापन। जांच के आधार पर बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व पर निर्णय

लेते हैं और इस बात का ध्यान रखते हुए कि बोर्ड में किन मजदूर संघों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा और चूंकि आप अपने मजदूर-संघों के श्रमिक-सदस्य को बोर्ड में रखना चाहते हैं तो अन्य मामलों में 1978 के सत्यापन पर निर्णय लेते हैं ?

श्री बूटासिंह : जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह सत्य नहीं है। माननीय सदस्य याद करेंगे कि चूंकि इस मार्ग दर्शन के कारण हमें कोचीन पोतपत्तन के एक मजदूर संघ-विशेष के दो श्रमिक सदस्यों को बोर्ड से हटा देना पडा था और माननीय सदस्य इस बारे में जानते हैं। ऐसा अभी-अभी गिनाए गये मार्गदर्शन सिद्धान्तों के कारण किया गया। यह किसी मजदूर-संघ विशेष के साथ पक्षपात करने का प्रश्न नहीं है, परन्तु यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें अन्तिम सत्यापन को इस उद्देश्यार्थ मार्गदर्शक सिद्धान्त मान लिया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दूसरे सदन के सदस्य, मजदूर संघ के नेता, श्री कल्याण सुन्दरम को मद्रास पोतपत्तन न्यास के न्यासियों के बोर्ड से बाहर निकालने का क्या कारण था ? दूसरे क्या मंत्री महोदय, इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जिस चुनाव-क्षेत्र में पोतपत्तन न्यास अवस्थित हों, उसके प्रतिनिधि संसद सदस्य को उस पोतपत्तन न्यास का पदेन न्यासी होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध है ? नहीं मैं इस प्रश्न को अनुमति नहीं दूंगा···परन्तु यदि वह उत्तर देना चाहता है तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बूटासिंह : इस प्रश्न का दूसरा भाग, कार्यवाही के लिए एक सुझाव था। जहां तक उनके प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है। चूंकि मामला निर्णयाधीन है इसलिये मैं कुछ नहीं बता सकता।

श्री के० लक्कप्पा : नये मंगलोर पोतपत्तन बोर्ड में श्रमिक सदस्यों के नियुक्त न किये जाने की बात को लेकर सदस्यों में काफी उत्तेजना है। क्योंकि सत्यापन की समस्या थी। गिनती द्वारा सत्यापन को पूरा करने में हुए इस विलम्ब को देखते हुए क्या मंत्री महोदय उस चुनाव-क्षेत्र के संसद सदस्य को बोर्ड में रखने पर विचार करेंगे जिससे वे आवश्यक सलाह दे सकें।

श्री बूटासिंह : यह भी एक सुझाव दिया गया है।

चलते-फिरते औषधालयों का कार्यकरण

*489. **श्री निहाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के विचार से प्रत्येक मेडिकल कालेज के अधीन तीन चलते-फिरते औषधालय खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ये औषधालय किन-किन स्थानों में और कब तक खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं। फिर भी भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि चिकित्सा शिक्षा को देश की स्थितियों के अनुरूप ढालने की योजना के अन्तर्गत देश में आधुनिक चिकित्सा के 106 मेडिकल कालेजों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्बद्ध कर दिये जायें। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रत्येक कालेज 3 के हिसाब से सम्बद्ध किये जायेंगे। इस प्रयोजन के लिए हरेक ऐसे कालेज को 3 मोबाइल क्लिनिक अलाट

किये गये हैं और यह कालेज की पूरी-पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह सम्बद्ध 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य संवर्धन, रोग निवारक और उपचारी सेवायें प्रदान करें। हर कालेज द्वारा अपने संकाय सदस्यों और छात्रों को लोगों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं से परिचित कराने की बात भी निहित है।

(ख) जिन मेडिकल कालेजों को ये मोबाइल क्लिनिक अलाट किये गये हैं, उनकी एक सूची सभा-पटल पर रख दी गई है। ब्रिटेन सहायता के अन्तर्गत ब्रिटेन से प्राप्त 318 मोबाइल क्लिनिक राज्य सरकारों को अलाट कर दिए गये हैं और इनमें से 270 मोबाइल क्लिनिकों को राज्य सरकारों ने ले लिया है। बाकी बचे क्लिनिकों को राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र ही एकत्र किये जाने की भी आशा है।

विवरण

भारत के उन मेडिकल कालेजों की सूची जिन्हें तीन-तीन मोबाइल क्लिनिक दिये गए हैं

क्र० सं०	राज्य और मेडिकल कालेज	4 व्हील मोबाइल क्लिनिक्स	4 व्हील मोबाइल क्लिनिक्स
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	आन्ध्र मैडिकल कालेज, विशाखापत्तनम	1	2
2.	गुन्टूर मैडिकल कालेज, गुन्टूर	1	2
3.	कुरनूल मैडिकल कालेज, कुरनूल	1	2
4.	ओसमानिया मैडिकल कालेज, हैदराबाद	1	2
5.	गांधी मैडिकल कालेज, हैदराबाद	1	2
6.	रंगारया मैडिकल कालेज, काकीनद	1	2
7.	ककलिया मैडिकल कालेज, वारगंल	1	2
8.	एस०वी० मैडिकल कालेज, तिरुपति	1	2
	असम		
9.	असम मैडिकल कालेज, डिबरुगढ़	3	—
10.	गोहाटी मैडिकल कालेज, गोहाटी	3	—
11.	सिलचर मैडिकल कालेज, घुंगूर	3	—
	बिहार		
12.	भागलपुर मैडिकल कालेज, भागलपुर	3	—
13.	पटना मैडिकल कालेज, पटना	3	—
14.	नालन्दा मैडिकल कालेज, नकरबाग रोड, पटना	3	—
15.	दरभंगा मैडिकल कालेज, लहेरिया सराय	3	—
16.	पाटलीपुत्र मैडिकल कालेज, धनबाद	3	—
17.	राजेन्द्र मैडिकल कालेज, रांची	3	—
18.	श्री कृष्णा मैडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर	3	—

1	2	3	4
19.	मगध मैडिकल कालेज, गया	3	—
20.	मैडिकल कालेज, दामोदर रोड, सकची, जमशेदपुर	3	—
	गुजरात		
21.	बी० जे० मैडिकल कालेज, अहमदाबाद	2	1
22.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, बड़ौदा	2	1
23.	एम० पी० शाह मैडिकल कालेज, जामनगर	2	1
24.	श्रीमती एन० एच० एल० मुनीपपाल मैडिकल कालेज, अहमदाबाद	2	1
25.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, सूरत	2	1
	हिमाचल प्रदेश		
26.	हिमाचल मैडिकल कालेज, स्नीडन अस्पताल, शिमला	3	—
	जम्मू व कश्मीर		
27.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, श्रीनगर	3	—
28.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, जम्मू	3	—
	कर्नाटक		
29.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, मैसूर	1	2
30.	कर्नाटक मैडिकल कालेज, हुबली	1	2
31.	बंगलौर मैडिकल कालेज, बंगलौर	1	2
32.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, बैलरी	1	2
33.	कस्तूरबा मैडिकल कालेज, मणीपाल	3	—
34.	सैंट जौन मैडिकल कालेज, बंगलौर	1	2
35.	हैदराबाद कर्नाटक एजूकेशन सोसायटी और मैडिकल कालेज, गुलबर्ग	1	2
36.	जवाहर लाल मैडिकल कालेज, बैलगम	1	2
37.	मैडिकल कालेज, दवनगरे	1	2
	केरल		
38.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम	3	—
39.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, कालीकट	3	—
40.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, कोट्टायम	3	—
41.	टी०डी० मैडिकल कालेज, एलैपी	3	—
	मध्य प्रदेश		
42.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, जबलपुर	2	1

1	2	3	4
43.	एम०जी०एम० मैडिकल कालेज, इन्दौर	2	1
44.	जी. आर. मैडिकल कालेज, ग्वालियर	2	1
45.	गाँधी मैडिकल कालेज, भोपाल	2	1
46.	श्यामशाह मैडिकल कालेज, रेवा	2	1
47.	पंडित जवाहर लाल नेहरू मैमोरियल कालेज, रायपुर	2	1
	महाराष्ट्र		
48.	ग्रांट मैडिकल कालेज, बम्बई	1	2
49.	सेठ जी. एस. मैडिकल कालेज, परेल, बम्बई	1	2
50.	टीपीवाला नेशनल मैडिकल कालेज, बम्बई	1	2
51.	बी. जे. मैडिकल कालेज, पूने	1	2
52.	मैडिकल कालेज, पूणे	1	2
53.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, औरंगाबाद	1	2
54.	आएड फीसिस मैडिकल कालेज, पूणे	1	2
55.	मैडिकल कालेज, मिराज	1	2
56.	मैडिकल कालेज, शोलापुर	1	2
57.	मैडिकल कालेज, सियोन, बम्बई	1	2
58.	म्युनिसिपल मैडिकल कालेज, नागपुर	1	2
59.	स्वामी रामानन्द तीर्थ ग्रामीण मैडिकल कालेज, अमगाजोगई, जिला-भीर	1	2
60.	मैडिकल कालेज, सेवाग्राम	1	2
	उड़ीसा		
61.	एस. सी. बी. मैडिकल कालेज, कटक	3	—
62.	बी. एस. एस. मैडिकल कालेज, भुस्ला, सम्बलपुर	3	—
63.	एम. सी. जी. मैडिकल कालेज, बीरहामपुर	3	—
	पंजाब		
64.	मैडिकल कालेज, अमृतसर	1	2
65.	क्रिश्चियन मैडिकल कालेज, लुधियाना	1	2
66.	दयानन्द मैडिकल कालेज, लुधियाना	1	2
67.	गुरु गोबिन्द सिंह मैडिकल कालेज, फरीदकोट	1	2
68.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, पटियाला	1	2
	राजस्थान		
69.	एस. एम. एस. मैडिकल कालेज, जयपुर	1	2

1	2	3	4
70.	बीकानेर मैडिकल कालेज, बीकानेर	1	2
71.	मैडिकल कालेज, उदयपुर	1	2
72.	मैडिकल कालेज, अजमेर	1	2
73.	मैडिकल कालेज, जोधपुर	1	2
	तमिल नाडु		
74.	मैडिकल कालेज, मद्रास	1	2
75.	स्टैनले मैडिकल कालेज, मद्रास	1	2
76.	किलीपौक मैडिकल कालेज, किलपौक, मद्रास-10	1	2
77.	मदुरई मैडिकल कालेज, मदुरई	1	2
78.	तंजौर मैडिकल कालेज, तंजोर	1	2
79.	मैडिकल कालेज, त्रिरुनेलवल्ली	1	2
80.	मैडिकल कालेज, चिंगलेपूत	1	2
81.	मैडिकल कालेज, कोइम्बटूर	1	2
82.	क्रिश्चियन मैडिकल कालेज, वैल्लूर	1	2
	उत्तर प्रदेश		
83.	के. जी. मैडिकल कालेज, लखनऊ	2	1
84.	एस. एन. मैडिकल कालेज, आगरा	2	1
85.	जी. एस. वी. एम. मैडिकल कालेज, कानपुर	2	1
86.	मेडिकल कालेज, झांसी	2	1
87.	मोतीलाल नेहरू मैडिकल कालेज, इलाहाबाद	2	1
88.	एल. एल. आर. एम. मैडिकल कालेज, मेरठ	2	1
89.	बी. आर. मैडिकल कालेज, गोरखपुर	2	1
	पश्चिमी बंगाल		
90.	मैडिकल कालेज, 88, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता	3	—
91.	आर. जी. कार मैडिकल कालेज, बैलगच्चिया रोड, कलकत्ता-4	3	—
92.	नीलरतन सिरकार मैडिकल कालेज, 138, लाबर सर्कूलर रोड, कलकत्ता	3	—
93.	नेशनल मैडिकल कालेज, 32, गौराचांद रोड, कलकत्ता-14	3	—
94.	बर्कला सम्मिलनी मैडिकल कालेज, बंकुरा	3	—
95.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय मैडिकल कालेज, पी. ओ. एन. बी. यू. मैडिकल कालेज, दार्जिलिंग	3	—
96.	मैडिकल कालेज, वर्दवान यूनिवर्सिटी, वर्दवान	3	—

1	2	3	4
97.	लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज फार वूमैन, नई दिल्ली	1	2
98.	मौलाना आजाद मैडिकल कालेज नई दिल्ली	1	2
	गोवा, दमन और दीयू		
99.	गोवा मैडिकल कालेज, पणजी	3	—
	पांडिचेरी		
100.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, (जिपमेर) धन्वन्तरी नगर, पांडिचेरी	1	2

भारत के आयुर्विज्ञान/विश्वविद्यालय मैडिकल कालेजों की स्वायत्त संस्थाओं की सूची

क्र० सं०	संस्थाएँ/विश्वविद्यालय मेडिकल कालेजिज	4 व्हील मोबाइल क्लिनिक्स	2 व्हील मोबाइल क्लिनिक्स
1	2	3	4
1.	गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, रोहतक (हरियाणा)	1	2
2.	क्षेत्रीय मैडिकल कालेज, इम्फाल (मणिपुर)	3	—
3.	आयुर्विज्ञान कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (उ० प्र०)	2	1
4.	मैडिकल कालेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ (उ० प्र०)	2	1
5.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली	1	2
6.	आयुर्विज्ञान कालेज, रिंग रोड, नई दिल्ली-16	1	2

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो चलते-फिरते औषधालय हैं, ये बड़े शहरों के आस-पास के गाँवों में हो जाते है और इन्टीरियर में दूरदराज ये गावों में ये औषधालय नहीं जाते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या ये चलते-फिरते औषधालय, जहाँ पर कोई दूसरे औषधालय नहीं हैं उन दूर-दराज गावों में जाकर दवा-दारू का काम करेंगे ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं भेजने की सरकार इच्छुक है, परन्तु यह निदान-यह तो स्वाभाविक है कि सड़कों पर ही चल सकेंगे। वे उन जगहों पर नहीं जा सकते जहाँ सड़कें न हों

डा० वसन्त कुमार पंडित : चुने गये सभी चिकित्सालय तो बहुत ही बड़े नगरों में चलाए गये हैं। प्रत्येक एकक द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के कितने अंश को आंकना है ? क्या इन एककों को पिछड़े क्षेत्रों के जिला अस्पतालों में काम पर लगाया जायेगा ?

श्री निहार रंजन लास्कर : इन एककों को देश के सभी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को दिया जाता है। जहाँ कहीं भी ये महाविद्यालय अवस्थित हैं, उन्हें ये एकक आवंटित किये गये हैं।

वातानुकूलित सवारी डिब्बों में कैरियर वातानुकूलन उपकरण

*365. **श्री जयोतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि वातानुकूलित सवारी डिब्बों के अधिकतर 'केरियर' वातानुकूलन उपकरण, कम्प्रेशर सहित, बहुत असंतोष-जनक कार्य कर रहे हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वातानुकूलन संयंत्रों के लिए मफतलाल ग्रुप द्वारा सप्लाई की गई गैस अपमिश्रित पाई गई है,

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मत्रालय में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे बड़ा दुःख है कि मुझे अपने मित्र श्री मल्लिकार्जुन की उपस्थिति में रेलवे के बारे में कुछ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कभी भी उनकी निन्दा नहीं करना चाहता। उन्होंने जो उत्तर दिया हैं उसका सच से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री के. लकप्पा : दौड़ते कुत्ते से क्या मतलब है ? दौड़ता कुत्ता क्या होता है ? (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : दौड़ते कुत्ते का अर्थ है··· (व्यवधान)

श्री के. लकप्पा : वे तो बोलते ही जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : गत एक वर्ष में, कितने अवसरों पर, वातानुकूलित शायिकाओं में यन्त्र के काम न करने पर, उन्हें वापसी वाउचर (प्रमाणक) जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। गत एक वर्ष में आपने वातानुकूलन यन्त्र के खराब होने के कारण कितने अवसरों पर वापसी के लिए वाउचर जारी किए हैं ? कृपया हमें बताएँ।

श्री मल्लीकार्जुन : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि रेलवे ने वापसी माँगने वालों को कितने अवसरों पर भुगतान किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, क्या आपने उत्तर सुना ? उनका कहना है कि वातानुकूलन यन्त्र खराब नहीं होता। लेकिन उन्होंने अक्सर डिब्बों में इस यन्त्र के खराब होने पर वापसी वाउचर दिए हैं क्योंकि हम बहुत से उस रेल में कम्यूटर्स है। आपको इस सदन में ऐसे 50 सांसद मिल जायेंगे। महोदय आप मुझसे सहमत होंगे कि मुझे इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं थी। मुझे इस पर एक प्रस्ताव लाने के लिए बाधित किया जा रहा है। दूसरे, हमें शिकायतें मिलती रही हैं कि ले जाने वाले वातानुकूलन यन्त्र बहुत खराब स्थिति में चल रहे हैं। निस्सन्देह, उनमें से कुछ को तो बदलने की आवश्यकता है। परन्तु मफतलाल ग्रुप द्वारा जो गैस सप्लाई की गई है उसमें वायु और अन्य चीजों की मिलावट है, इसीलिए तो यह सही है कि वातानुकूलन प्रणाली

में अधिक खराबियां हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को हर समय घाटा उठाना पड़ रहा है ?

श्री मल्लिकार्जुन : मफतलाल ग्रुप ने सप्लाई कि··· (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेवाड़ी-भटिंडा लाइन का बदला जाना

*470. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेवाड़ी-मटिंडा के बीच छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति

*474. **श्री रेणुपद दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति की सिफारिश को देखते हुए पूर्वी रेलवे के सियालदह व हावड़ा डिवीजनों के शेष सेक्शनों का विद्युतीकरण शीघ्र किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : जी नहीं।

संचार सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को वित्तीय सहायता

*475. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय राजपथ की लम्बाई कितनी है, और

(ख) क्या सरकार ने उन राज्यों की वित्तीय सहायता में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठायें हैं जो संचार सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ख) भारत सरकार संविधान की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन किसी खास भू-भाग या क्षेत्रीय आधार पर नहीं दिया जाता है। राज्यों के लिए धनराशि नियत करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखा जाता है जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में बुनियादी कमियां, इन कमियों को पूरा करने तथा इन सड़कों का और आगे सुधार करने की जरुरत और आवश्यकता जिसका निर्धारण यातायात की मात्रा, भौगोलीय/जलवायु/वातावरण संबंधी परिस्थितियों, जारी निर्माण कार्य, राज्यों द्वारा प्रस्तावित धन राशि की आवश्यकता, इस धन राशि के औचित्य और अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए धनराशि के उपलब्ध होने के आधार पर होता है।

विवरण

क्र०स० राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कि०मी. में	जनसंख्या लाख में (1971 की जनगणना के आधार पर)	राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कि.मी. में प्रति लाख की जनसंख्या के आधार पर
1. आंध्र प्रदेश	2299	435.0	5.29
2. आसाम	1468	146.3	10.03
3. बिहार	2117	563.5	3.76
4. चण्डीगढ़	24	2.6	9.23
5. दिल्ली	72	40.7	1.77
6. गोआ	229	8.6	26.63
7. गुजरात	1398	26.70	5.24
8. हरियाणा	681	100.4	6.78
9. हिमाचल प्रदेश	630	34.6	18.21
10. जम्मू और काश्मीर	641	46.2	13.87
11. कर्नाटक	1996	293.0	6.81
12. केरल	784	213.5	3.67
13. मध्य प्रदेश	2670	416.5	6.41
14. महाराष्ट्र	2861	504.1	5.68
15. मणिपुर	211	10.7	19.72
16. मेघालय	345	10.1	44.15
17. नागालैण्ड	113	5.2	21.73
18. उड़ीसा	1649	219.4	7.52
19. पंजाब	913	135.5	6.74
20. राजस्थान	2157	257.6	8.37
21. सिक्किम	62	2.1	29.52
22. तमिलनाडु	1749	412.2	4.25
23. त्रिपुरा	200	15.6	12.28
24. उत्तर प्रदेश	2328	883.4	2.63
25. पश्चिम बंगाल	1419	443.1	3.20
26. अन्य संघ शासित क्षेत्र		14.9	—
	29016	5481.6	5.29

दिल्ली में आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन

* 478. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न आयुर्वेदिक कालेजों के कुछ विद्यार्थियों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिये 17 जून, 1980 को संसद भवन के सामने प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हाँ। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि लगभग 53 आयुर्वेदिक छात्र 17 जून, 1980 को योजना भवन के पास एकत्र हुये थे। जहाँ से वे संसद भवन की ओर बढ़ गए। उन्हें निषेध आज्ञा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया था और बाद में न्यायालय द्वारा चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में तीन प्राइवेट आयुर्वेद कालेज हैं। जिनके नाम हैं :—

1. सनातन धर्म आयुर्वेद कालेज, कृष्ण नगर
2. अहिंसा आयुर्वेदिक कालेज, शंकर रोड, और
3. धन्वन्तरी आयुर्वेदिक कालेज, मुण्डका

इन कालेजों के छात्रों ने अपने अपने कालेजों में विभिन्न सुविधाओं की कमी की शिकायत करते हुये सितम्बर, 1979 में हड़ताल की थी। बाद में उन्होंने इन कालेजों के बन्द करने और प्रशासन द्वारा उनके लिये एक नया कालेज खोले जाने की माँग की।

2. फिलहाल इन तीन कालेजों में से सनातन धर्म आयुर्वेदिक कालेज ने कार्य करना शुरू कर दिया है। धन्वन्तरी आयुर्वेदिक कालेज के प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि उनका कालेज खुल गया है और छात्र कक्षाओं में आ रहे हैं। अहिंसा आयुर्वेदिक कालेज, शंकर रोड के प्रबन्धक इस कालेज को फिर से खोलने के इच्छुक मालूम होते हैं। सरकार यह चाहेगी कि इन कालेजों के प्रबन्धकों द्वारा छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।

प्रयोग की हुई चाय की पत्तियों से टीके तैयार करने का परीक्षण

* 480. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलियो जैसे भयानक रोग के लिये प्रयोग की हुई चाय की पत्तियों से टीका तैयार करने का परीक्षण किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रयोग की हुई चाय की पत्तियों में अन्य लाभदायक तत्व पाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस परीक्षण का कार्य तेज करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं। (ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

डिप्थीरिया का प्रभाव और फैलाव

* 486. **श्री के. प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में डिप्थीरिया के प्रभाव और फैलाव के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या भारत में डिप्थीरिया के रोगियों की संख्या विश्व के किसी अन्य देश में ऐसे रोगियों की संख्या से कहीं अधिक है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता माँगी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) डिप्थरिया के रोगियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये कोई भी राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को चिकित्सा संस्थाओं से मिली सूचना के अनुसार अनुमान है कि डिप्थीरिया के कारण होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या में काफी कमी आई है।

(ख) जी हाँ, ऐसा ही बताया जाता है।

(ग) और (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन टीके लगाने के उस विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता कर रहा है जिसमें शिशुओं को डी. पी. टी. के टीके और स्कूल के बच्चों को डी. टी. के टीके लगाये जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए सहायता दे रहा है, कोल्ड चेन उपकरणों की सप्लाई कर रहा है और इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता भी दे रहा है।

विदेशी सहायता से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाएं

* 487. **श्री सी. चिन्नास्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सभी राज्यों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को विदेशी सहायता से मजबूत बनाने के लिए एक परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कौन-कौन से देश सहायता देंगे; और

(घ) प्रस्तावित परियोजना को कब शुरू किया जायेगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) 12 राज्यों के 46 जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिये जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं अथवा चलाई जानी है, उनके विदेशी सहायता मिलने की आशा है।

(ख) इन परियोजनाओं को इस ढंग से बनाया गया है कि चुने हुये जिलों में, लगभग पांच वर्षों में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सेवाओं को मिले जुले रूप में लोगों तक पहुँचाने की सुविधाएं और कार्यकर्ता इस स्तर तक उपलब्ध हो जाएं जिस स्तर तक के अन्ततोगतत्व कुछ अधिक समय के भीतर सारे देश में ही उपलब्ध कर दिये जायेंगे।

(ग) निम्नलिखित देशों अथवा एजेन्सियों से सहायता मिलने की आशा है :

(I) विश्व बैंक

(II) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि (यू. एन. एफ. पी. ए.)

(III) डेनिश अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी

(IV) ब्रिटेन

(V) यू. एस. ए. आई. डी. (यू. एस. ए.)

(घ) जिस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मिलनी है और दूसरी जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि से सहायता मिलनी है, इन दो परियोजनाओं की मंजूरी दे दी गई है। दूसरी परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें संबंधित विदेशी एजेन्सियों के साथ बातचीत शामिल है। परियोजना ठीक किस तारीख से शुरू होगी यह अभी मालूम नहीं है।

डालटेन गंज से पटना तक की सीधी गाड़ी

* 488. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि डालटेन गंज से पटना तक की कोई सीधी गाड़ी नहीं है और बड़वादिह से पटना तक भी अभी तक कोई गाड़ी नहीं चलाई गई है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार डालटेनगंज से पटना तक एक सीधी गाड़ी चलाने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) (क) और (ख) : 131/132 गोमोह-पटना सवारी गाड़ी (बरवाडीह-डाल्टानगंज के रास्ते) बरवाडीह/डाल्टनगंज के बीच एक सीधी गाड़ी है।

(ग) मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की तंगी तथा बरवाडीह/डाल्टनगंज और पटना में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण डाल्टनगंज और पटना के बीच फिलहाल कोई अतिरिक्त सीधी गाड़ी चलाना व्यवहारिक नहीं समझा गया है।

नेशनल इन्टेग्रेटिड मैडिकल एसोसियेशन बम्बई के अभ्यावेदन पर कार्यवाही

3632. **श्री आर० के० महालगी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को नेशनल इण्टेग्रेटिड मैडिकल एसोसिएशन बम्बई की ओर से, मैडिकल प्रैक्टिशनरों की समस्याओं के बारे में 20 मार्च, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या माँगे की गई हैं;

(ग) प्रत्येक माँग पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी हाँ।

(ख) नेशनल इण्टेग्रेटिड मेडिकल एसोसिएशन बम्बई ने अपने 20 मार्च, 1980 के अभ्यावेदन में जो मांगे की हैं वे इस प्रकार हैं —

(1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में संशोधन।

(2) एकीकृत चिकित्सकों द्वारा दिए जाने वाले आधुनिक तथा दवाइयों के बिलों की प्रतिपूर्ति।

(3) एकीकृत स्नातकों को भारतीय फैक्टरी अधिनियम तथा गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम के अधीन पंजीकृत चिकित्सकों के रूप में मान्यता देना; और

(4) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के चुनाव कराना।

(ग) संघ की पहली तीन माँगों पर भारत सरकार कई बार सावधानी पूर्वक विचार कर चुकी है और संघ को सूचित किया जा चुका है कि इस माँगों को नहीं माना जा सकता है।

जहां तक संघ की चौथी माँग का संबंध है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के चुनाव शीघ्र होने की आशा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्यकरण

3633. **श्री ए. के. राय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार द्वारा आरम्भ की गई सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत। मई, 1980 के दिन धनबाद में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे और खण्ड-वार ब्यौरों सहित तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनको बहुत ही कम वेतन मिलता है और इस समय महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है और यदि हाँ, तो उसकी अदायगी के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार का विचार इस योजना का प्रत्येक गांव में विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पहली मई, 1980 तक जन स्वास्थ्य रक्षकों की संख्या 218 है।

खण्डवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

खण्ड का नाम	प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षकों की संख्या
चस	109
चदनकियारी	94
चंदनकियारी	15 (प्रशिक्षणाधीन)
	218

(ख) जन स्वास्थ्य रक्षकों उनकी तीन महीने के प्रशिक्षण की अवधि के दौरान हर महीने वृत्तिका के रूप में 200/- रुपये तथा प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद हर महीने मानदेय के रूप में 50/- रुपये दिये जाते हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक अंशकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं बल्कि वे तो अवैतनिक रक्षक होते हैं। उन्हें हर महीने जो 50/- रुपये का मानदेय मिलता है वह केवल आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए ही होता है, जो उन्होंने मुफ्त सेवायें प्रदान करने के लिए खर्च किया होता है। कुछ राज्यों में 1979-80 के दौरान जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के पैटर्न में परिवर्तन के कारण जन स्वास्थ्य रक्षकों को मानदेय और वृत्तिका के भुगतान में देरी हुई थी। धनबाद के मामले में जन स्वास्थ्य रक्षकों को फरवरी 1980 तक

भुगतान किया गया। बिहार सहित सभी राज्यों से अनुरोध किया जा चुका है कि वे समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।

(ग) और (घ) : 2-10-77 से अब तक देश के 2386 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 0-6-1980 तक 1, 45, 139 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस योजना का सारे देश में चरणबद्ध रूप से विस्तार करने का विचार है।

वायरलैस आपरेटर्स

3634. श्री मतिलाल हसदा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में रेलवे-वार ऐसे वायरलैस आपरेटरों की कुल संख्या कितनी है जिन को बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या पी. सी.-111/78 यू. पी. जी 3 दिनांक 1 जनवरी, 1979 में दर्जा बढ़ाए जाने के आदेश दिये जाने के बाद ग्रेड-वार लाभ पहुँचा है;

(ख) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के वायरलैस आपरेटरों द्वारा दर्ज किया गया कोई मुकदमा न्यायालय में इस सम्बन्ध में विचाराधीन पड़ा हुआ है;

(ग) क्या इस मुकदमे में रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर हैदराबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़ा हुआ है;

(घ) क्या पदोन्नयन के आदेश सूक्ष्मतरंग को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व की स्वीकृति संख्या के आधार पर दिये गये हैं;

(ङ) क्या किसी रेलवे ने वायरलैस आपरेटरों के संवर्ग की रक्षा करते हुए बोर्ड के निर्देश का उल्लंघन किया है और पदोन्नयन को वास्तविक संख्या के आधार पर किया है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) हैदराबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़े हुए मुकदमे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) दक्षिण मध्य रेलवे के 13 वायरलैस आपरेटरों ने 13-8-79 को हैदराबाद उच्च न्यायालय में लिपिकीय पदों के सृजन के लिए समान अभ्यर्पण के रूप में इनके पदों को अभ्यर्पित न करने के बारे में निदेश दिए जाने के लिए एक याचिका दायर की थी। उन्होंने अपग्रेडेशन को लागू करने के लिये भी न्यायालय से निदेश मांगे थे। उच्च न्यायालय ने वायरलैस आपरेटरों के पदों को अभ्यर्पित करने के लिए अन्तिम निषेधज्ञा जारी कर दी थी। 3-10-79 को रेल प्रशासन ने उसके विरोध में याचिका दायर की थी और यह मामला अभी भी उच्च न्यायालय में अन्तिम निर्णय के लिए पड़ा हुआ है।

(घ) और (ङ) दक्षिण रेलवे के अतिरिक्त सभी रेलों ने सूक्ष्मतरंग प्रणाली के शुरू किए जाने से पूर्व यथा विद्यमान कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के आधार पर पदों को अपग्रेड कर दिया है। दक्षिण रेलवे ने कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के आधार पर पदों को अपग्रेड किया है। रेलवे बोर्ड के ऐसे विशिष्ट आदेश नहीं हैं जिनके अनुसार वायरलैस आपरेटरों के उन पदों को अभ्यर्पित करने की मनाही हो जिनकी आवश्यकता नहीं रही है। इन आदेशों में केवल ऐसी व्यवस्था है जिससे वर्तमान पदधारियों के हित सुरक्षित रह सकें।

(च) यह मामला अभी भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

विवरण

वेतनमान में अपग्रेड किये गये पदों की संख्या

रेलवे	रु० 700-900	रु० 550-750	रु० 425-640	रु० 330-560
मध्य	1	1	5	—
पूर्व	2	3	17	—
उत्तर	2	4	15	—
पूर्वोत्तर	1	2	12	—
पूर्वोत्तर सीमा	1	—	9	—
दक्षिण	—	1	—	—
द० म०	—	—	4	—
द० पू०	1	2	2	—
पश्चिम	1	—	9	—

अस्पतालों में विभागों को अलग- अलग करना

3635. श्री भोलूराम जैन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार स्वदेशी-औषध विज्ञान के अन्तर्गत निम्न-लिखित विभागों को अलग अलग करने का है ;

(एक) कान-नाक-गला विभाग;
(दो) चर्म विभाग;
(तीन) तपेदिक;
(चार) मनोविज्ञान; और
(पांच) यूनानी और तिब; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कान—नाक—गला चर्म रोग, तपेदिक तथा मनोविज्ञान को अलग-अलग विभागों में करने का कोई विचार नहीं है। वैसे अनुसंधान कार्य के लिए यूनानी चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद एक स्वतन्त्र और अलग स्वायत्त निकाय है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दो यूनानी औषधालय हैं, एक दिल्ली में है। दूसरा हैदराबाद में है। दो और यूनानी औषधालय, एक दिल्ली में दूसरा लखनऊ में खोलने का विचार है।

(ख) यूनानी चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद को, जो कि भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के चार उत्तराधिकारी निकायों में से एक है, मार्च 1978 में खोला गया। इसका अलग वार्षिक बजट है और नई दिल्ली में स्वतंत्र मुख्यालय है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा सेवन के लिए सुझाई गई दवाओं के मूल्यों की प्रतिपूर्ति

3636. श्री टी. एस. नेगी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभग्राही केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा सेवनार्थ सुझायी गई दवाइयों के मूल्यों की प्रतिपूर्ति करने के हकदार नहीं है ।

(ख) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जिनकी बीमारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ठीक नहीं हो पाती है, को उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान जाना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन रोगियों को उनके द्वारा दवाइयों पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने का है या फिर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा बताई गई दवाइयों का ही सुझाने की अनुमति देने का है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) और (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभर्थियों के लिए मान्यता प्राप्त अस्पताल नहीं है बल्कि यह एक रेफरल अस्पताल है - वैसे जब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तब रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेफर किया जाता है और उस सूरत में संस्थान द्वारा लिखी गई दवाइयां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा उपलब्ध की जाती है और यदि वे दवाइयाँ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में उपलब्ध नहीं होती हैं और वे किसी प्राधिकृत दुकान से खरीदी जाती हैं तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को उनकी कीमत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की पूर्वानुमति लिए बिना केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जो लाभार्थी सीधे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान में चले जाते हैं, उन्हें दवाओं की कीमत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है ।

मद्रास पत्तन

3637. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास पत्तन पर उच्च डी. डब्ल्यू. टी. श्रेणी के जल-पोतों को हराने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और जापानी विशेषज्ञों द्वारा सुनाई गई निकर्षण कार्यवाही के बाद स्थिति में कितना सुधार होगा; और

(ख) भारत के कौन-कौन से पत्तन 100000 से 120000 डी. डब्ल्यू. टी. तक की श्रेणी के जलपोतों को जगह देने में समर्थ है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) इस समय मद्रास बन्दरगाह में खुले मौसम में 88,000 टन डी. डब्ल्यू. टी. तक के जहाज आ-जा सकते हैं । जापानी दल ने यहां 16·2 मीटर के डुबाव का सुझाव दिया है । इतना डुबाव होने पर यहाँ 1,00,000 से 1,20,000 टन डी. डब्ल्यू. टी. तक के जहाज आ-जा सकेंगे ।

(ख) केवल विशाखापत्तनम् पोर्ट पर 1,00,000 टन डी. डब्ल्यू. टी. के जहाज आ-जा सकते हैं ।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विकास

3638. श्री भीखा भाई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने गत 32 वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये कोई योजना नहीं बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) अनुसूचित और जनजाति के इलाकों से संबंधित विभिन्न विकास स्कीमों के लिये राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिये पहले ही भारत के संविधान में व्यवस्था है।

फिर भी, पांचवीं योजना से जनजाति के इलाकों के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है और इसके अनुसार उन सभी इलाकों को जहां 50 से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं संबंधित राज्य की जनजाति उप-योजनाओं में शामिल कर लिया गया है। ये जनजाति उपयोजनाएं आन्ध्र प्रदेश असम, बिहार, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, दमण और दीव संघ राज्यों में तैयार की गई हैं। जनजाति उप योजना में सड़क संचार के विकास सहित विकास के सभी पक्ष शामिल है। राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जिसका शासन गृह मत्रालय द्वारा होता है, जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में परिवहन और संचार कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1979-80 में 43·87 करोड़ रुपये नियत किये गये थे।

इसके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति इलाकों में अनेक सड़कें बनी हुई है। यह कार्यक्रम नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और केन्द्र आयोजित स्कीमें जैसे आर्थिक/अन्तर्राज्यीय महत्व की राज्य सड़कें, सामरिक सड़कें आदि शामिल हैं। इस प्रकार की सभी सड़कों पर 1-4-1969 से 31-3-1980 तक 38·00 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार करने के लिए कार्यवाही

3639. श्री एस. एम. कृष्ण : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप टैक्सी और स्कूटर के किराये बढ़ जाने के कारण राजधानी में सरकारी परिवहन व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो परिवर्तित स्थिति का मुकाबला करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जनसंख्या में वृद्धि होने और परिवहन के कुछ अन्य साधनों को छोड़कर निगम की बसों में सफर शुरू करने के कारण यातायात की मांग बहुत बढ़ गई है। इस मांग को पूर

ने के लिये और अधिक से अधिक यात्रियों को यातायात सुविधा प्रदान करने के लिये कुछ ोष कदम उठाये गये हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(I) यह प्रस्ताव है कि मार्च, 1981 तक बसों की कुल संख्या बढ़ाकर 3974 कर दी ए, (जिसमें प्राइवेट आपरेटरों की 1000 बसें भी शामिल हैं) 30 जून, 1980 को इन बसों की या 3070 थी (जिसमें प्राइवेट आपरेटरों की 565 बसें शामिल हैं)।

(II) 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के लिये एक पचवर्षीय योजना तैयार की है जिसमें बसों की संख्या बढ़ाने सम्बन्धी अनेक योजनाएं शामिल हैं। इन सब योजनाओं उद्देश्य यह है कि 60% माडल स्प्लिट का लक्ष्य प्राप्त किया जाये जो इस समय 45% के ाव है।

(III) वर्ष 1980-81 में 630 नई बसों की खरीद करने और कुछ अन्य बुनियादी ाएं जुटाने के लिये 19·38 करोड़ रु० खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

(Iv) सरकार ने मरम्मत और रखरखाव की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 3·64 ड़ रु. की अनुमानित लागत से एक दूसरी केन्द्रीय वर्कशाप बनाने की परियोजना मजूर की उम्मीद है कि यह परियोजना 1982-83 तक चालू हो जायेगी।

राजघाट पैसेंजर हाल्ट

3640. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1980 से जून 1980 के बीच एक संसद सदस्य और आम जनता से कोई अभ्यावेदन, आवेदन पत्र आदि प्राप्त हुये हैं जिनमें दक्षिण पूर्व रेलवे में राजघाट पैसेंजर का दर्जा बढ़ाकर उसे एक नियमित स्टेशन बनाने का और वहां पर यात्रियों के लाभ के अन्य सुविधाएं जुटाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और इस पैसेंजर हाल्ट का, जो ल 30 वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था, दर्जा बढ़ा कर इसे नियमित स्टेशन कब तक बना जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस हाल्ट का दर्जा बढ़ाने का वित्तीय दृष्टि से कोई औनित्य नहीं है क्योंकि यहां तिरिक्त यातायात की संभावना न होने के कारण रेलवे को भारी आवर्तक हानि होगी।

बन्द किए गए कारखाने और छंटनी किए गए श्रमिक

3641. **श्री समर मुकर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान राज्यवार तथा महीनेवार कितने कारखाने बन्द हुये, नों में तालाबन्दी और जबरी छुट्टी की घोषणाएं की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि में, राज्यवार, कितने श्रमिकों की छंटनी की गई ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अन्जैया) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों आदि से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय लोक की मेज पर रख दिया जाएगा।

बागान श्रमिकों को संरक्षण

3642. **श्री आनन्द पाठक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण भारत में मालिक बागानों को बड़े पैमाने पर छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप वे बागान श्रम अधिनियम की परिधि से बच रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया को रोकने और बागान श्रमिकों को संरक्षण देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ताकि उन्हें उनके लाभों से वंचित न किया जाये ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अंजैया) : (क) सरकार को पता है कि बागानों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जा रहा है परन्तु यह कहना कठिन है कि यह केवल अधिनियम की प्रयोज्यता से बचने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आमतौर पर बागानों के छोटे-छोटे हिस्से बटवारे के परिणामस्वरूप होते हैं। यह बटवारा उत्तराधिकार परिवार के सदस्यों के विभाजन और बिक्री से होता है।

(ख) बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, जो राज्य सभा के समक्ष है, के सम्बन्ध में प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, राज्य सरकारें बटी हुई और छोटी-छोटी जोतों के मामले में बागान श्रम अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती हैं। केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन अधिसूचना जारी करके अधिनियम को ऐसी किसी भी भूमि के प्रत्येक भाग पर लागू किया है, जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध मूल रुप से लागू थे :

बेरोजगार अर्हता प्राप्त इन्जीनियर

3643. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 को बेरोजगार अर्हता प्राप्त सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, केमिकल्प, इलेक्ट्रानिक और खनन इन्जीनियरों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) 1 अप्रैल, 1980 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से, व्यवसाय-वार, बेरोजगार डिप्लोमाधारियों की कुल संख्या कितनी थी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अन्जैया) : (क) उपलब्ध सूचना इन्जीनियरिंग स्नातकों से सम्बन्धित है, जिसमें स्नातकोत्तर (जिनमें से अनिवार्यत: सभी बेरोजगार नहीं हैं) शामिल है तथा जो रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर थे। ऐसे स्नातकों की संख्या, जो 31.12.1979 को चालू रजिस्टर पर थे (नवीनतम उपलब्ध संख्या) निम्न प्रकार है :—

1. सिविल	5054
2. मेकेनिकल	7244
3. इलेक्ट्रिकल (इलेक्ट्रानिकी सहित)	7368

4. रसायन	1029
5. पनन	82

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें नवीनतम सूचना दी गई है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित है और 31.12.1979 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर थे।

विवरण

व्यवसाय		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा जो 31·12 31.12.1979 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत थे।
क. इन्जीनियरी व्यवसाय		
1. भवन निर्माता	—	14
2. नक्शानवीस (सिविल)	—	7034
3. नक्शानवीस (मेकेनिकल)	—	7823
4. बिजली मिस्त्री	—	39960
5. इलैक्ट्रोप्लेटर	—	542
6. फिटर	—	53287
7. मैकेनिक (इन्सट्रूमेंट)	—	4664
8. मशीनिस्ट (कम्पोजिट)	—	26435
9. मशीनिस्ट (ग्राईंडर)	—	1712
10. मशीनिस्ट (मिलर)	—	834
11. मशीनिस्ट (शेपर, स्लोटर प्लेनर)	—	६79
12. मैकेनिक (रेडियो तथा टेलीविजन	—	5120
13. पेटर्न मेकर	—	65
14. सर्वेक्षक	—	1422
15. टर्नर	—	36937
16. घड़ी तथा क्लोक मेकर	—	181
17. वायरमेन	—	20292
18. लुहार	—	6810
19. बढ़ई	—	11204
20. मेकेनिक (डीजल)	—	7692
21. मेकेनिक (मोटर गाड़ी)	—	23729
22. मैकेनिक (ट्रैक्टर)	—	4380
23. मोल्डर	—	11262

24. पेन्टर	—	1083
25. नल-साज	—	3718
26 प्रशीतन तथा वातानुकूल मैकेनिक	—	3547
27. शीट मेटल वर्कर	—	7808
28. सोफासीजी	—	28
29. वेल्डर (गैस तथा बिजली)	—	4002
30. वायरलैस आपरेटर	—	170
31. टूल एण्ड डाई मेकर	—	1206
32. इलेक्ट्रानिक्स	—	1242
योग (इन्जीनियरी व्यवसाय)	—	331382
ख. गैर-इंजीनियरी व्यवसाय		
1. जिल्दसाजी	—	683
2. हैंड कम्पोजीशन तथा प्रूफ रीडिंग	—	1352
3. प्रिंटिंग मशीन आपरेटर	—	484
4. कटिंग तथा टेलरिंग	—	7082
5. आशुलिपि (अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी	—	10008
6. अन्य गैर-इन्जीनियरी व्यवसाय	—	311
योग (गैर-इन्जीनियरी व्यवसाय	19920	19920
कुल योग	—	351302

पश्चिमी रेलवे बस्तियों में पानी की कमी

3644. **श्री बी. आर. नहाटा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के मीटर लाइन के चित्तोड़गढ़ और रतलाम सेक्शन और बड़ी लाइन के नागदा-कोटा सेक्शन के बीच मीटर लाइन और बड़ी लाइन के विभिन्न स्टेशनों की रेलवे बस्तियों को पानी की कमी अथवा पानी को सप्लाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे और रेलवे बस्तियों में पानी की उचित सप्लाई के लिए क्या प्रबंध किये जाने की संभावना है ताकि इस समस्या का स्थाई समाधान हो सके ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन : (क) और (ख) नागदा-कोटा (बड़ी लाइन) एण्ड शामगढ़ में तथा चित्तौड़गढ़-रतलाम (मीटर लाइन) एण्ड पर केवल गर्मियों के दौरान विशेष रूप से अपर्याप्त वर्षा वाले वर्षों में जब कुएं या तो सूख जाते हैं या उनमें पानी कम हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है । किन्तु शामगढ़ स्टेशन पर पानी की कमी की समस्या के स्थाई रुप से हल करने के लिये हाल ही में 40 फुट व्यास के एक कुएं की व्यवस्था की गई है । जहाँ तक चित्तौड़-रतलाम खण्ड का सम्बन्ध है, वहाँ गर्मियों के दौरान पानी की

(नौ) सा० सां० नि० 661 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 30-1-79 में प्रकाशित हुए थे तथा हज यात्रा करने वाले माता-पिता को उनके दो वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को विदेशी तीर्थ यात्रा कर की अदायगी से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० सां० नि० 685 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 7-12-79 में प्रकाशित हुए थे तथा आई० ए० ई० ए० और यू० एन० आई० डी० ओ० सम्मेलनों के सम्बन्ध में भारत आने वाले आई० ए० ई० ए० और यू० एन० आई० डी० ओ० के क्रमशः 140 और 300 सचिवालयी कर्मचारियों को सम्मेलन की समाप्ति पर भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के सम्बन्ध में छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 92/80]

(7) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 282 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मई, 1979 को प्रकाशित हुए थे जिसमें वाणिज्य पोत परिवहन के क्षेत्र में जर्मन मणवादी लोकतन्त्र और भारत के गणतन्त्र की सरकारों के बीच सहयोग करार दिया गया है ।

(दो) सा० सां० नि० संख्या 584 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 1979 में प्रकाशित हुए थे जो आय के दुहरे कराधान से बचने के सम्बन्ध में भारत सरकार और फिनलैंड सरकार के बीच हुए करार के अनुच्छेद छः के पैराग्राफ (4) के लोप के बारे में है जिस पर 23 जून, 1961 को दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 93/80]

(8) स्वर्ण-नियंत्रण अधिनियम, 1968 की धारा 114 (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) स्वर्ण-नियंत्रण (प्रपत्र, फीस और प्रकीर्ण मामले) संशोधन नियम, 1979 के बारे में सांविधिक आदेश संख्या 446 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1979 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) स्वर्ण-नियंत्रण, (प्रपत्र, फीस और प्रकीर्ण मामले) संशोधन नियमं, 1979 के बारे में सांविधिक आदेश संख्या 878 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित हुआ था [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 94/80]

(9) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13(2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 721 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा पुराने प्रपत्रों को एक वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण और कुल बिक्री) नियम, 1957 के नियम 12 का और संशोधन किया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 95/80]

(10) औषधीय और प्रशाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 530 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 सितम्बर, 1979 में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा भेषज नियंत्रक, मुख्य कैमिस्ट या भारतीय चिकित्सा पद्धति के सलाहकार को उनके

1	2
4. परिवार कल्याण उप-केन्द्रों को दवा सम्बन्धी अनुदान देना आरम्भ करना	6·39
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र को दवा संबंधी अनुदान देना आरम्भ करना	23·60
6. सफाई निरीक्षकों/स्वास्थ्य सहायकों के लिये अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।	3·15
संचारी रोगों का नियंत्रण	
7. फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	0 90
8. क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	5·50
9. रति रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0·40
अस्पताल और औषधालय	
10. जिला मुख्यालय अस्पतालों को सुदृढ़ करना।	11 77
11. जिला मुख्यालय अस्पतालों तथा क्षयरोग अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवा।	1·17
12. उप प्रभागीय अस्पतालों को सुदृढ़ करना।	10·68
13. उप प्रभागीय अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवा।	1·35
14. उप-चर्या परिचर्या में सुधार	1·00
15. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा रेफरल अस्पतालों में प्रयोगशाला सेवाओं की व्यवस्था	0·44
16. ग्रामीण क्षेत्रों में पलगों वाले अस्पतालों को जारी रखना।	2·50
17. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना।	11 50
18. रुड़केला अस्पताल को सुदृढ़ करना।	4·50
19. राजगंगापुर अस्पताल को सुदृढ़ करना।	0·40
20. जिला मुख्यालय अस्पतालों में जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला सेवाओं का विस्तार।	0·50
21. वर्तमान अस्पतालों में सफाई में सुधार।	2·00
अन्य कार्यक्रम	
22. औषधि पैरीफेरल सगठन का विस्तार	0·25
23. जन स्वास्थ्य रक्षक को सुदृढ़ करना	0·44
24. क्षेत्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना।	1·50
25. स्कूली स्वास्थ्य सेवा।	1 00
26. होम्योपैथी तथा आयुर्वेदिक औषधालय खोलना तथा उनमें सुधार करना।	6·24
योग :	213·33

बोकारो एक्सप्रेस में रांची से एक बोगी जोड़ना

3646. **श्री के.टी. कोसलराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बोकारो एक्सप्रेस में रांची से मद्रास के लिए एक बोगी लगाने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस तारीख से लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रांची और राऊरकेला के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाकर मद्रास और रांची को जोड़ने का सिद्धान्त रूप से निर्णय कर लिया गया है। इसके लिए इस गाड़ी को 89/90 मद्रास-बोकारो एक्सप्रेस में मिला दिया जायेगा। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 89/90 एक्सप्रेस डीजल रेल इंजनों से चलने लगेगी जोकि फिलहाल फालतू डीजल रेल इंजन उपलब्ध न होने के कारण व्यवहारिक नहीं है।

जामनगर न्यू बेदी पोर्ट रेल लाइन

3647. **श्री डी.पी. जदेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर को न्यू बेदी पोर्ट (रोजों) से बड़ी रेल लाइन द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) कार्य पूरा करने के लिये कौन सी लक्ष्य-तिथि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकानर्जुन) : (क) से (ग) बेदी पोर्ट के सेवार्थ, विडमिल तक विस्तार सहित, बड़े आमान के एकमाल स्पर की व्यवस्था वीरमगाम से ओखा/पोरबन्दर तक मुख्य आमान परिवर्तन परियोजना के चरण-1 के भाग के रूप में की गयी है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजना

3648. **श्री डा. एम. पुत्ते गौडा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की योजनाओं सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार केन्द्र प्रायोजित योजनाएं पहली अप्रैल, 1979 से तीन वर्गों में बांट दी गई हैं। केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं की वर्ग-वार एक सूची संलग्न है।

जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति/होम्योपैथिक औषधालय खोलने के लिए एक योजना तैयार की गई थी परन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार अब यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई इसकी विशेष योजना नहीं चलाई जा रही है क्योंकि सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र भी आ जाते हैं।

विवरण

वर्ग 1. वे योजनाएं जो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में जारी रहेंगी तथा जिनको सम्बद्ध उपकरणों के लिए पूर्ववत: शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती रहेगी।

1. स्नातकोत्तर विभागों (भारतीय चिकित्सा पद्धति) का सहायता ।
2. भारतीय चिकित्सा पद्धति फार्मेसियों की स्थापना ।

वर्ग : 2 वे योजनाएं जो केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में जारी रहेंगी, परन्तु जिनके लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)
2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी)
3. फाईलेरिया नियंत्रण
4. कुष्ट रोग
5. क्षयरोग
6. सम्भोग जन्य रोग
7. हैजा
8. दृष्टिहीनता निवारण
9. जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण
10. चिकित्सा शिक्षा की स्थिति अनुकूल बनाना और उसका ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना ।
11. बहुधंधी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा रोजगार ।

वर्ग 3 वे योजनाएं जो अब केन्द्र प्रायोजित नहीं रहीं ।

1. स्कूल स्वास्थ्य
2. खाद्य तथा औषधि की संयुक्त प्रयोगशालाएं ।
3. राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो को सुदृढ़ करना ।
4. राज्यों के औषधि निरीक्षणालयों को सुदृढ़ करना ।
5. भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के स्नातकपूर्व कालेज ।
6. देहाती चिकित्सकों तथा वैद्यों आदि का प्रशिक्षण ।
7. जनजातीय ब्लाकों में भारतीय चिकित्सा पद्धति/होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना ।
8. प्राकृतिक चिकित्सा ।

गंगापुर सिटी-धोलपुर लाइन

3649. श्री राम कुमार मीणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या गंगापुर सिटी से करौली होकर धोलपुर तक नई रेल लाइन बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भट्ठा उद्योगों को कोयले की सप्लाई

3650. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 1978 1979 और 1980 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ईंटों के भट्ठों और उद्योगों की 'स्लेक' और 'स्टीम' कोयले के कितने रेक (गाड़ियां) सप्लाई किये गये;

(ख) निम्नलिखित को कितने वैगन कोयला सप्लाई किया गया;

(एक) राजस्थान लघु उद्योग,

(दो) आर०सी०पी०, सी०ए०डी० और अन्य सरकारी विभाग,

(तीन) अन्य प्राइवेट पार्टियां, और

(ग) उपरोक्त पार्टियों ने पिछले तीन वर्षों में वर्षवार, कितने वैगनों की मांग की और क्या उनकी मांग पूरी की गई है ?

रेल मंत्रायय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिम बंगाल-बिहार कोयला खानों से श्री गंगानगर के उद्योगों के लिए ईंट पकाने हेतु जले हुए कोयले और भाप कोयले के लदान के लिए आवंटित रेकों की संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ष	आवंटित रेकों की संख्या	
	ईंट पकाने के लिए जला हुआ कोयला	उद्योगों के लिए भाप कोयला
1978	6	3.3
1979	—	3
1980 (जून तक)	—	—

(ख) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान राजस्थान राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए पश्चिम बंगाल-बिहार कोयला खानों से कोयले के लदान के लिए आवंटित माल डिब्बों की वर्षवार संख्या इस प्रकार थी :—

	आवंटित माल डिब्बों की संख्या		
	1978	1979	1980 (जून तक)
(i) राजस्थान लघु उद्योग	5673	2009	555
(ii) आर.सी.पी.सी.ए.डी. तथा अन्य सरकारी विभाग	5257	1787	2236
(iii) अन्य प्राइवेट पार्टियां	7760	7605	2175

(ग) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान राजस्थान राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए पश्चिम बंगाल-बिहार कोयला खानों से संचलन के लिए कार्यक्रमबद्ध माल डिब्बों की कुल संख्या इस प्रकार थी :—

	1978	1979	1980 (जून तक)
(i) राजस्थान लघु उद्योग	11335	12858	5947
(ii) आर.सी.पी.सी.ए.डी. तथा	12440	8668	4992

अन्य सरकारी विभाग

(iii) अन्य प्राइवेट पार्टियाँ 18039 15318 8268

बहरहाल, माल डिब्बों का कार्यक्रम हमेशा आवश्यकता से काफी अधिक ही रहा है।

बस रुट संख्या 390 और 780 पर न लगाये गये फेरे।

3651. **श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः महीनों (जनवरी-जून, 1980) के दौरान रुट संख्या 390 और 780 पर चल रही दिल्ली परिवहन निगम की बसों ने औसतन कितने फेरे नहीं लगाये थे; और

(ख) इन सेवाओं में सुधार लाने के लिए, जो दूर-राज क्षेत्रों को जाती है, क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

रुट नं० 390

माह, 1980	ट्रिपों की संख्या			परिचालन अनुपात
	निर्धारित	चलाए गए	मिस किए गए	
जनवरी	4617	3991	626	86%
फरवरी,	4336	3655	681	84%
मार्च	4429	4067	362	92%
अप्रैल	4505	3993	512	89%
मई	4799	4036	763	84%
जून(29-6-80 तक)	4054	3334	720	82%
	26740	26076	3664	86%
रुट नं० 780				
जनवरी	2180	2107	73	97%
फरवरी	2028	1954	74	96%
मार्च	2156	2098	58	97%
अप्रैल	2130	1990	140	93%
मई	2201	2109	102	96%
जून(27-6-80 तक)	1917	1814	103	95%
	12612	12072	540	96%

(ख) दिल्ली परिवहन निगम अपनी बस सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है जिस में बसों का ठीक तरह से रखरखाव करना ताकि यात्रियों को अधिक से अधिक बसे उपलब्ध हो सकें, नई बसें लगाना और समय की पाबंदी का कड़ाई से पालन करने जैसे विभिन्न उपाए शामिल हैं।

गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास की फार्मेस्यूटिकल फैक्ट्री का आधुनिकीकरण

3652. श्री थाझाई एम. करूणानिधि : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से सम्बद्ध फार्मेस्यूटिकल फैक्ट्री का आधुनिकीकरण करने के बारे में अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वह कब नियुक्त की गई थी और उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ;

(ग) सरकार ने इस समिति पर कितनी धनराशि खर्च की है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार इस रिपोर्ट को चालू वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित नहीं करना चाहती, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स संगठन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां । गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से सम्बद्ध फामस्यूटिकल फैक्टरी का आधुनिकीकरण करने के बारे में अध्ययन करने के लिए एक "विशेषज्ञों की समिति" जुलाई, 1978 में गठित की थी । उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1978 में प्रस्तुत कर दी थी ।

(ग) सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर हुए खर्च के सिवाय समिति पर कोई खर्च नहीं किया गया ।

(घ) इस रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है ।

(ङ) जी हां, इस प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है ।

वास्को मिराज लाइन को परिवर्तित करना

3653. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने गोआ प्रशासन की उस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है कि वास्को मिराज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) : होसपेट-मार्मागाओ मिरज-लौंडा और अलनावर-डांडिली खंडों के आमान-परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन बनाने का कार्य 1980-81 के बजट में सम्मिलित कर लिया गया है । सर्वेक्षण पूरा होने पर तथा रिपोर्ट की जांच के बाद आगे कार्यवाई की जायेगी ।

डाक्टरी पेशा करने वालों में मदिरा-सेवी

3654. श्री वी.के. नायर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक्टरी पेशा करने वालों में, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, मदिरा सेवन करने वालों की संख्या में हो रही वृद्धि के बारे में अखबारी समाचार देखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम के मजदूरों की मजूरी का भुगतान

3655. श्री इन्द्रजीत गुप्त क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी शिलांग में अपने गोदाम मजदूरों को अधिसूचित न्यूनतम मजूरी भी नहीं देते;

(ख) क्या यह भी सच है कि मेघालय सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजूरी 8/- रुपये प्रति दिन है जबकि भारतीय खाद्य निगम 6/-रुपये से कम देता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है । और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

पालनपुर और डीसा के बीच चलने वाली गाड़ियों को फिर से प्रारंभ करना

3656. श्री मोती भाई आर. चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालनपुर और डीसा (गाँधी धाम-पालनपुर) के बीच की रेलवे लाइन पर चलने वाली एक मात्र गाड़ी को बन्द कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से बन्द कर किया गया है और कब से इसे फिर से चलाना प्रारम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) लगातार कम यातायात होने के कारण 1-4-80 से 63/64 पालनपुर-डीसा मिश्रित गाड़ियों को स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था । इस खण्ड पर अभी भी 3 जोड़ी यात्री गाड़ियां चल रही हैं, जो वर्तमान स्तर के यातायात को संतोषजनक ढंग से सम्हालने के लिए सामान्यत: यथेष्ठ पायी गई है । इसलिए 63/64 पालनपुर-डीसा गाड़ी को फिर से चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

फिलिपाइन को भेजे गये रेल अधिकारी

3657. श्री एन. डेनिस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के दौरान जोनल रेलवे में काम करने वाले अधिकारियों को फिलिपाइन भेजा गया था;

(ख) इन अधिकारियों को रेलवे के किन विभागों से भेजा गया था;

(ग) क्या इस प्रकार के कार्यों के लिए अधिकारियों का चयन करते समय वारिष्ठता का ध्यान रखा जाता है; और

(घ) किस आधार पर चयन किया गया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां ।

(ख) यांत्रिक इंजीनियरी ।

(ग) और (घ) : ऐसी नियुक्तियों के लिए अधिकारियों का चयन काम की अपेक्षाओं तथा इसके लिये अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम

3658. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या स्वास्थ्य मंत्री सुचेता कृपालानी अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमों के बारे में 22 मार्च, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के ग्रूप "सी" और "डी" श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए चयन-ग्रेड बनाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) समूह "घ" पदों की 28 श्रेणियों के भर्ती नियमों को, जिनमें 542 पद आते हैं अंतिम रूप दे दिया गया है और उन्हें अधिसूचित कर दिया गया है। समूह "ग" पदो की 39 श्रेणियों के भर्ती नियमों पर जिनमें पर जिनमें 395 पद आते हैं, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी हाँ।

भोपाल से प्रकाशित होने वाले "दी हितवद" द्वारा भविष्य निधि की राशि जमा कराया जाना

3659. **श्री एन. के. शेजवलकर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक, "दी हितवद" के कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की राशि कब से जमा नहीं कराई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त राशि कितनी है और उसे वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि नौ राज्यों की विधान-सभाओं को भंग किये जाने से पूर्व डी. आई. पी. भुगतानों से काटी जाने के बाद भविष्य निधि की राशि इंदौर स्थित डिवीजनल कार्यालय को भेजी जाती थी परन्तु नौ विधान-सभाओं के भंग होने के बाद ये आदेश रद्द कर दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इन आदेशों को रद्द करने के क्या कारण हैं; उनको किस प्राधिकारी ने रद्द किया और इन आदेशों को रद्द करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) (क) भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि प्रतिष्ठान ने मार्च, 1979 से कर्मचारियों के वेतन से काटे गए भविष्य निधि अंशदानों को जमा नहीं कराया है।

(ख) अप्रैल, 1980 के अन्त तक उनकी ओर भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा सबद्ध बीमा अंशदानों के 59573/-रुपये बकाया थे। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध

अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अक्तूबर, 1979 तक की बकाया राशियों के लिये अभियोजन मामले दायर किये गए हैं। अनुवर्ती अवधि के लिए अभियोजना चलाने की मंजूरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने की सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक को भी दे दी गई। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 1980 तक की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 8 के आधीन राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। अधिनियत की धारा 14-ख के अधीन हर्जाने भी लगाए है।

(ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

फर्टलाइजर एन्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर के अध्यापन-कार्य करने वाले तथा अध्यापन कार्य न करने वाले कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

3660. **श्री विनेन भट्टाचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फर्टलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर स्कूल कर्मचारी संघ, उद्योग मंडल की ओर से दिनांक 14-3-1980 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रस्तावित बोनस सदाय अधिनियम में उचित संशोधन करने की माँग की गई है ताकि उसकी परिधि में शिक्षा संस्थानों के अध्यापन कार्य करने वाले कथा अध्यापन कार्य न करने वाले कर्मचारी भी शामिल किये जा सकें, जहाँ की ऐसे संस्थान औद्योगिक उपक्रम की निधि से कल्याणकारी कार्यों के अग के रूप में स्थापित किए जाते हैं और प्राथमिक रूप से ऐसे उपक्रमों के कर्मचारियों को सुविधाए प्रदान करने के लिए होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी माँगों को स्वीकार करने की दृष्टि से विचार कर रही ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन करने के लिए फर्टलाइजर एन्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर स्कूल कर्मचारी संघ के सुझाव तथा अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

लापता पोत एम. वी. कैराली

3661. **श्री रामबिलास पासवान** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. वी. कैराली नामक पोत अपने 51 चालक कर्मचारियों सहित 30 जून, 1979 को बम्बई से गोआ के रास्ते रोस्टोक (पश्चिम जर्मनी) के लिए रवाना हुआ था;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पोत 3-7-1979 से लापता है,

(ग) क्या लापता पोत और उसके चालक कर्मचारियों का पता लगा लिया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में न्यायिक जाँच करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी हाँ। लेकिन जहाज पर 49 कर्मीदल और इसके अलावा एक इन्जीनियर की पत्नी और बच्चा सवार थे। यह जहाज बिजवोति होते हुए रोस्ताक को मार्मुगाओ से 30 जून 1979 को रवाना हुआ था।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय सरकार मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 361 के तहत इस घटना की

औपचारिक जांच करने के लिए एर्नाकुलम के चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को नियुक्त कर चुकी है ।

बिहार में टी. बी. से पीड़ित लोग

3662. **श्रीमती कृष्ण साही** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में टी. बी. से लगभग छः लाख लोग पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ ।

(ख) राज्य सरकार ने क्षय रोगियों का पता लगाने, उपचार रोग निवारक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए 13 जिला क्षयरोग केन्द्र और क्षयरोग से पीड़ित बाह्य रोगियों का इलाज करने के लिए 22 क्षयरोग केन्द्र, रेफरल, प्रशिक्षण तथा उपचार केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए 2 क्षयरोग प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए हैं, और गंभीर रूप से बीमार तथा विषाक्त रोगियों को अस्पताल में भर्ती करके इलाज करने के लिए लगभग 1600 क्षयरोग पलंग लगाये हैं । उनका आगे राज्य में शीघ्र ही और 9 जिला क्षयरोग केन्द्र स्थापित करने का विचार था । 18 बी. सी. जी. दल बी. सी. जी. का टीका लगाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बी. सी. जी का टीका लगाने की तकनीक का प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं ।

केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

3663. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** :

श्री के. लकप्पा : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भी केन्द्र सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को ऐसी चिकित्सा सुविधाए प्रदान करने और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को ऐसा ही करने की सलाह देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस समय सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पहले ही सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत जहां यह योजना चल रही है, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं । राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के सेवानिवृत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के मामले पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को विचार करना है ।

रेलवे प्रादेशिक सेना यूनिट

3664. **श्री नाथूराम शक्यवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में तैनात 988 रेलवे प्रादेशिक सेना यूनिट को वहाँ से जून, 1980 में रिलीव किया जाना था,

(ख) यदि हां, तो क्या उसे 'रिलीव' कर दिया गया है और अब वहां किसी अन्य यूनिट को तैनात किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उस यूनिट को कब तक वहां से 'रिलीव' किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (ख) से (ग) संचार सम्पर्क को बनाये रखने के लिए, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, सिविल शासन की सहायता में प्रादेशिक सेना यूनिटों को संघटित और तैनात किया जाता है। आपात्त स्थिति को देखते हुए संघटित यूनिटों को तैनात करने और उन्हें भंग करने के बारे में निश्चित किया जाता है। प्रादेशिक सेना की यूनिटें खड़ी करने, उन्हें लगाने और भंग करने से संबंधित सूचना गुप्त है और खेद है, जनहित में उसे उद्घाटित नहीं किया जा सकता है।

गोदी श्रमिक बोर्ड के पास जमा भविष्य निधि

3665. **श्री के. ए. राजन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 को प्रत्येक गोदी श्रमिक बोर्ड के पास जमा भविष्य निधि की राशि कितनी है,

(ख) क्या ये राशियां बैंकों के पास जमा कराई गई हैं, और

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में प्रत्येक गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा श्रमिकों/कर्मचारियों को दिया जाने वाला घोषित पृथक-पृथक ब्याज कितना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) हर डाक लेबर बोर्ड के पास 31-3-80 तक जमा भविष्य निधि धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

डाक लेबर बोर्ड	धनराशि
(1) बम्बई	11,64,25,000/-
(2) कलकत्ता	14,33,46,000/-
(3) कोचीन	1,45,67,309/-
(4) काण्डला	57,82,000/-
(5) मद्रास	4,24,69,325/-
(6) मार्मुगाओ	3,27,90,100/-
(7) विशाखापत्तनम्	3,23,00,000/-

(ख) कोचीन, विशाखापत्तनम् और काण्डला डाक लेबर बोर्डों ने अपने-अपने यहां की भविष्य निधि धनराशि को बैंकों में जमा कर दिया है। बम्बई मद्रास, मार्मुगाओ डाक लेबर बोर्डों ने इस धनराशि को बैंकों में और सरकारी सिक्यूरिटियों व डाकखानों के डिपाजिटों में रख दिया है। कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड ने इस धनराशि को केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रामिसरी नोटों, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के ऋणपत्रों, राज्य बिजली बोर्ड के बान्डों और डाकखाने के सावधिक जमा खाते में जमा कर दिया है।

(ग) हर डाक लेबर बोर्ड द्वारा 1977-78 और 1978-79 के लिए घोषित ब्याज का ब्योरा इस प्रकार है :

डाक लेबर बोर्ड	1977-78 में दिया गया ब्याज	197879
(1) बम्बई	6%	6%
(2) कलकत्ता	8.75%	9%
(3) कोचीन	8%	8%
(4) काण्डला	10.2%	10.4%
(5) मद्रास		
(1) रजिस्टर्ड कामगार	7-1/2%	9-1/2%
(2) लिस्टेड कामगार	5-3/4%	8-1/2%
(6) मामुंगाओ	9%	9%
(7) विशाखापत्तनम्	10%	10%

श्रीमती मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा रोक

3666. **श्री एन. ई. होरो :**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री ए. ए. रहीम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने श्री नेलसन मंडेला की पत्नी के इस अनुरोध को ठुकरा दिया है कि उन्हें अपने पति की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ के लिए मिले जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार को लेने के लिए भारत की यात्रा करने दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) जी हां।

(ख) श्रीमती विनी मंडेला को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद से अपने पति श्री नेल्सन मंडेला की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार, 1979 प्राप्त करने के लिए भारत आने का निमंत्रण मिला था उस समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों से भारत यात्रा करने के सम्बन्ध में पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया। बाद में मई 1980 के अन्त में दक्षिण अफ्रीकी प्रेस में एक समाचार छपा जिसमें बताया गया था कि श्रीमती मंडेला के आवेदन को दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया है। श्रीमती मंडेला के अभिवक्ता ने दक्षिण अफ्रीका के प्राधिकारियों से इसकी पुष्टि करने को कहा है। सरकार भी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से सपर्क बनाये हुए है।

कड़डालोर में उपरिपुल

3667. **श्री आर. मुथुकुमारन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कड्डालोर न्यू टाउन में जिला न्यायालय में उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव पिछले एक दशक से अधिक समय से लम्बित है;

(ख) यदि हाँ, तो मामला किस अवस्था पर है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरिपुल के निर्माण कार्य को आरम्भ करने के लिये तत्काल कदम उठाने का है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मरूधर एक्सप्रेस को जोधपुर और जयपुर के बीच रोजाना चलाने का प्रस्ताव

3668. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मई, 1980 में जोधपुर और जयपुर के बीच मरूधर एक्सप्रेस गाड़ी आरम्भ करके उस क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह एक्सप्रेस गाड़ी बुधवार को नहीं चलाई जाती है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस गाड़ी को रोजाना चलाने के लिये कदम उठाएगी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यह गाड़ी समय पर फुलेरा स्टेशन पहुँचने के बाद एक घन्टा या इससे भी अधिक लेट हो जाती है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ । गाड़ियों की समय अनुसूची में रात के समय यात्री डिब्बों के आरक्षण की व्यवस्था है । सभी यात्री डिब्बों के दिन में अनुरक्षण के लिये सप्ताह में एक दिन आवश्यक समझा जाता है ।

(ग) जी नहीं । 504 डाउन मरूधर एक्सप्रेस का समय पालन अधिकतर बहुत सतोषजनक रहा है ।

"पुल एण्ड प्रेशर केसीज इन टी. बी. हास्पीटल्स" शीर्षक से समाचार

3669. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1980 के स्थानीय दैनिक में "पुल एण्ड प्रेशर केसीज इन टी. बी. हास्पीटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार का राजधानी में एक और टी. बी. अस्पताल खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ ।

(ख) दिल्ली में क्षयरोग के इलाज की काफी सतोषजनक व्यवस्था है । क्षयरोगियों का घरों पर ही इलाज करने के लिये विभिन्न संगठनों द्वारा संचालित 11 क्षयरोग क्लिनिक दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के विभिन्न इलाकों/जोनों में कार्य कर रहे हैं । राजधानी में क्षयरोग के दो अस्पताल हैं । पहला लालाराम स्वरूप टी. बी. अस्पताल है जो टी. बी. संघ द्वारा महरोली में चलाया जा रहा है जिसकी स्वीकृत पलंग संख्या 306 है तथा दूसरा किंग्जवे कैम्प में राजन बाबू टी. बी. अस्पताल है जिसे दिल्ली नगर निगम चलाता है । इनकी स्वीकृति पलंग संख्या 111

है। इसके आलावा राजधानी के अन्य टी. बी. क्लिनिको में ऐसे रोगियों के लिए 74 टी. बी. पलंग हैं जिन्हें निगरानी में रखा जाना होता है।

चूंकि दिल्ली स्थित क्षयरोग की संस्थायें काफी प्रतिष्ठित हैं, इसलिए निकटवर्ती राज्यों से काफी संख्या में रोगी उपचार कराने के लिए आते हैं। बाहर से आने वाले ये रोगी लम्बे समय तक घर पर इलाज कराने की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि दिल्ली में उनके पास ठहरने का स्थान नहीं होता है और यही कारण है कि टी. बी. अस्पतालों में भर्ती होने के लिये वे विभिन्न अधिकारियों से मिलते हैं। अस्पताल के अधिकारियों को ऐसे बहुत से रोगियों को अनुकम्पा के आधार पर भर्ती करना पड़ता है क्योंकि उनका सामान्य स्वास्थ्य बहुत खराब होता है और उन्हें तुरन्त अन्तरंग रोगी उपचार की आवश्यकता होती है।

आशा है कि जब कभी यथा-समय निकटवर्ती राज्यों में टी. बी. उपचार की सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो उस समय इन राज्यों से दिल्ली में उपचार के लिए आने वाले अधिकांश रोगी इलाज के लिए स्थानीय संस्थाओं में जाने लगेंगे।

(ग) राजधानी में एक और टी. बी. अस्पताल खोलने के लिए भारत सरकार किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

अनाजों का लाया ले जाया जाना

3670. **श्री सुभाष बोस अल्लूरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने देश के सभी भागों में रबी की भरपूर फसल होने के कारण अनाजों के तेजी से लाये-ले जाये जाने के लिए एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। किन्तु भारतीय खाद्य निगम तथा रेलवे द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श से प्रत्येक मास संचलन की योजनाएं बनाई जाती है।

राज्यों में पीलिया के मामले

3671. **श्री ओस्कर फर्नान्डोस** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में पीलिया के मामलों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने राज्यों को इस बारे में अपना सहयोग देने हेतु क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत को इस सम्बन्ध में कोई सहायता दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से पीलिया से होने वाली घटनाओं तथा मौतों के सम्बन्ध में आँकड़े इकट्ठे करता है। 1977, 1978, तथा 1979 के वर्षों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना संलग्न है।

(ग) यदि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र चाहें तो केन्द्रीय सरकार इस रोग की प्रभावकारी रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है :

(i) जब यह रोग फैल जाता है तो राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य सस्थान, कलकत्ता तथा अन्य संस्थाओं से दल भेजकर महामारी विज्ञान सम्बन्धी जाँच पड़ताल के लिए सहायता करना ऐसे दल रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकलापों में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की भी सहायता करते हैं।

(ii) औषधियाँ तथा निदान के लिए रिएजेन्ट और अन्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करती है।

(घ) अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता नहीं माँगी गई है।

विवरण

वर्ष 1977 से 1979 के दौरान सीलिया सक्रामक (यकृत शोथ) के कारण रुके मामले एवं मौतें जिनके बारे में राज्यों सघ शासित क्षेत्रों द्वारा बताया गया

क्र० सं०	1977		1978		1979	
राज्य संघ राज्य क्षेत्र	म.	मौं	मै	मौ	कें	मौं
1. आन्ध्र प्रदेश	7058	152	13024	10	8796	27
2. आसाम	7651	35	+	+	+	+
3. बिहार	+	+	+	+	+	+
4. गुजरात	1718	1	1626	4	2010	87
5. हरियाणा	2945	15	4691	24	2210	10
6. हिमाचल प्रदेश	2124	9	2372	12	2273	14
7. जम्मू तथा काश्मीर	+	+	+	+	+	+
8. कर्नाटक	26009	139	21087	225	18268	245
9. केरल	20611	34	15972	12	16453	44
10. मध्य प्रदेश	16945	136	24698	192	33758	268
11. महाराष्ट्र	3983	398	17812	852	40465	894
12. मणिपुर	+	+	4	—	+	+
13. मेघालय	73	—	1844	—	+	+
14. नागालैंड	3600	—	4369	3	+	+
15. उड़ीसा	8610	161	5857	63	12851	157
16. पंजाब	1629	13	1948	2	2362	8
17. राजस्थान	4037	44	4528	61	687	3
18. सिक्किम	+	+	174	4	1063	4
19. तमिलनाडु	7801	83	152	10	928	25

20. त्रिपुरा	260	3	422	4	680	—
21. उत्तर प्रदेश	5290	20	+	+	3267	238
22. पश्चिम बंगाल	17240	80	+	+	+	+
संघ शासित क्षेत्र						
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	+	+	433	6	907	6
24. अरुणाचल प्रदेश	810	2	+	÷	+	+
25. चण्डीगढ़	421	2	2059	5	1810	—
26. दादरा नागर हवेली	—	—	48	—	108	1
27. दिल्ली	3228	9	4659	145	2078	27
28. गोवा दमन तथा दिव	93	—	156	—	500	2
29. लक्षद्वीप	91	—	259	—	38	—
30. मिजोरम	+	+	1460	2	2046	20
31. पाण्डिचेरी	1781	—	2175	—	3597	3
	149339	1350	132899	1799	15113	2083

अखिल भारत स्रोत/सी. बी, एम. आई. (डी. जी. एच.एस,)

×आंकड़े अपूर्ण एवं अन्तरिम हैं

म=मामले मौ=मौतें = जनवरी से जून, 1977 तक संबंधित

कोचीन में रोजगार कार्यालय की मांग

3672. **श्री एम.एम. लारेंस :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अनेक नाविकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फारवर्ड सीमैन्स यूनियन ने कोचीन में नाविक पंजीकरण और रोजगार कार्यालय खोले जाने की मांग की है,

(ख) क्या यह सच है कि कोचीन में सुविधाओं के अभाव के कारण केरल के नाविकों को बम्बई में बहुत सी कठिनाइयों तथा अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ता है, और

(ग) कोचीन में रोजगार कार्यालय न खोले जाने का क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। देश के अन्य भागों के नाविकों की तरह केरल के नाविकों को भी नेशनल मैरिटाईम बोर्ड एग्रीमेन्ट के अनुसार, उनके चयन के बाद, उनके घर से लेकर नौकरी वाले पत्तन तक नौवहन कम्पनी द्वारा रेल और बस भाड़ा दिया जाता है। जहाज के लिए चुने गए प्रत्येक नाविक को, उस तारीख से जिस दिन कम्पनी का डाक्टर उसकी डाक्टरी जांच करके स्वस्थ उसे घोषित कर दे, उसके वेतन चालू होने की तारीख तक निर्वाह भत्ता भी दिया जाता है।

(ग) एक अलक नाविक रोजगार कार्यालय खोलने के लिए कोचीन पत्तन अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं करता। वे शर्तें हैं— (i) पत्तन पर पर्याप्त संख्या में जहाज आते हों, (ii) वहां सभी

श्रेणियों के नाविक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, (iii) जहाज मालिकों की उस पत्तन से कर्मीदल लेने की मांग हो।

देश से कुष्ट रोग का उन्मूलन करना

3673. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री देश से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के बारे में 12 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सरकारी अस्पतालों/स्वेच्छिक संगठनों द्वारा संचालित अस्पतालों एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सचालित अस्पतालों में भर्ती हो कर कितने रोगी इलाज करवा रहे हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में उपरोक्त अस्पतालों में प्रति बिस्तर (बैड) कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में उपरोक्त अस्पतालों में बहिरंग रोगियों के रूप में कितने रोगी इलाज करवा रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सवारी गाड़ियों का देरी से चलना

3674. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कितनी सवारी गाड़ियाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँची और वहाँ से रवाना हुई,

(ख) कितनी गाड़ियाँ देरी से आई और देरी से रवाना हुई,

(ग) क्या यह सच है कि गाड़ियाँ पहले के मुकाबले अब ज्यादा देरी से चल रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो गाड़ियाँ समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अप्रैल, 1979 से मार्च 1980 तक की अवधि में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 23725 यात्री गाड़ियाँ पहुँची और वहाँ से 23725 गाड़ियां रवाना हुई, जिनमें से 10961 यात्री गाड़ियाँ देर से पहुँची और 9358 यात्री गाड़ियाँ देर से रवाना हुई।

(ग) और (घ) जी नहीं। इसके अलावा, उनके निष्पादन में और अधिक सुधार लाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

बोक्साईट, फायर-क्ले तथा चायना-क्ले खानों में श्रमिकों की मजूरी

3675. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या श्रम मंत्री 27 मार्च, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोक्साईट, फायर-क्ले तथा चायना-क्ले खानों में श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि के लिए कोई आदेश जारी किए गये हैं; तो यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार तथ्य की दृष्टि से कि अन्य खानों के श्रमिकों को दी जा रही

न्यूनतम मजूरी कई गुना बढ़ गई है, इन श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी बढ़ाने के आदेश तुरन्त जारी करने का है; और यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अजैया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न खानों में, जिनमें बोक्साइट, फायर-क्ले तथा चायना-क्ले खानें शामिल हैं, नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों को संशोधन करने के प्रस्तावों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। इन खानों में विभिन्न वर्गों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान और प्रस्तावित दरें निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	श्रमिकों का वर्ग	वर्तमान दर प्रतिदिन	प्रस्तावित दर प्रतिदिन
1.	अकुशल	5.80 रु.	6.65 रु.
2.	अर्ध-कुशल	7.25 रु.	8.35 रु.
3.	कुशल/लिपकीय	8.70 रु.	10.00 रु.

आशा है कि मजदूरी-दरों में संशोधन के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी।

मध्य रेलवे में लिपिक संवर्ग में रिक्त स्थान

3676. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के रोकड़ तथा वेतन विभाग के लिपिक संवर्ग में रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान रिक्त स्थानों सम्बन्धी अतिरिक्त काम करने के लिए वर्तमान लिपिक कर्मचारियों को मुआवाजा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 9 रिक्तियाँ।

(ख) और (ग) जब भी कर्मचारियों को समयोपरि पर रोकना होता है तो उसके लिए उन्हें समयोपरि भत्ता देकर प्रतिपूर्ति की जाती है।

हुसैनीवाला सीमा का खोला जाना

3677. **श्री कृष्ण पाडे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान की यात्रा करने वाले यात्रियों और इन दोनों देशों के बीच माल के यातायात के लिए हुसैनीवाला सीमा चौकी शीघ्र ही खोले जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और उससे देश को क्या लाभ मिलेगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों में नये राजमार्ग जोड़ना

3678. **श्री अमरसिंह बी. राघवा** : क्या नौहवन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों में नये राजमार्ग जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) अगली पंचवर्षीय योजना (1980-85) को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और न अभी यही मालूम है कि मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की सख्या में वृद्धि करने के लिए उक्त योजना में क्या कोई धनराशि नियत भी की जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

पारादीप पत्तन में उलटाऊ वैगन पद्धति

श्री कृपासिंध भोई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन में उलटाऊ वैगन पद्धति कब लागू। किये जाने की सम्भावना है,

(ख) इस उपकरण को स्थापित करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं और,

(ग) पारादीप पत्तन में क्रोम अयस्य के शीघ्र लदान के लिए क्या सुविधायें दिए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) लगभग फरवरी 1982 तक।

(ख) इस उपकरण के स्थापित करने में देरी निम्नलिखित कारणों से हुई हैं :

(i) इस्पात और ढांचे आदि का समय पर उपलब्ध न होना,

(ii) 1977 में अत्याधिक वर्षा जिसकी वजह से डम्पर हाउस के लिए पिट को फिर से खोदना,

(iii) 9.25 मीटर गहरे एक पाताल फोड़ कुएँ का निकल आना और

(i) निर्माण कार्य को सशोधित अनुमानों के अनुमोदन तक जो नवम्बर, 1979 में प्राप्त हुआ, स्थगित करना।

(ग) क्रोम और हाई कैपेसिटी की 13 टन वाली क्रेनों को कुशलतापूर्वक चढ़ाने के लिए पे-लोडर और डम्परों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों का आचरण।

3680. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत अनुबंध पर चल रही प्राइवेट बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को इस बात का प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है या की जा रही है कि वे यात्रियों के साथ अच्छे ढंग से पेश आयें और प्रत्येक बस स्टाप पर रोकने तथा बच्चों, महिलाओं और बूढ़े यात्रियों के बस में चढ़ जाने तक बसों को न चलाने आदि के नियमों का पालन करें,

क्या दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों को पता है कि जब कोई बस किसी बस स्टाप

पर रुकती है तो उससे अगली अन्य स्थानों की जाने वाली वहां बिना रुके आगे निकल जाती हैं और वहां खड़े यात्रियों को बस में चढ़ाय बिना वह आगे चल देती है, और

(ग) दिल्ली के बस स्टापों पर अनुशासन बद्ध ढंग से पक्ति लगाने की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली परिवहन के ड्राइवरों और कंन्डटरों को इस संबंध में 2 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। दिल्ली परिवहन निगम के नियंत्रण में चलने वाली प्राइवेट बसों के ड्राइवरों को भी हिदायतें दी गई हैं कि वे अपने व्यवहार में नम्रता लाए और यात्रियों के साथ अच्छे ढंग से पेश आएं और सभी यात्रियों खासकर महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों की सहायता करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे सभी बस स्टैण्ड पर बसें रोकें। इस बात की जांच करने के लिए भीड़ भाड़ के समय कुछ खास-खास स्टापों पर निरक्षकों को भी भेजा जाता है।

(ख) यह सही नहीं है कि जब एक बस पहले से बस स्टाप पर खड़ी हो तो उसके साथ की दूसरी बस उसे बाइपास कर ले। ड्राइवरों को कड़ी हिदायतें दी गयी हैं कि वे हर बस स्टाप पर जहाँ कहीं भी यात्री बस की इंतजार में खड़े हों, बसों को रोकें। हाँ, कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि जब किसी स्टाफ पर एक ही रुट की बस पहले से यात्रियों को ले रही हो तो पीछे से आने वाली उसी रुट की दूसरी बस का ड्राइवर पहली बस को बाई पास कर जाता है।

(ग) हर सुबह और दोपहर बाद बसों की भीड़ के समय कुछ खास-खास बस स्टाप पर निरीक्षकों को भेजा जाता है कि ताकि वे यातायात का सुव्यवस्थित रूप से संचालन करें और यात्रियों की लाइनों का ख्याल रखें।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की संख्या

3681 **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब अमीरात में आज तक कुल कितने भारतीय रह रहे हैं;

(ख) कितने भारतीयों को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने 21-6-80 तक वह देश छोड़ देने का आदेश दिया है;

(ग) क्या संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारतीयों की नये सिरे से भर्ती आरम्भ की है;

(घ) यदि हाँ, तो इस वर्ष और आगमी वर्षों में, वर्षवार कितने भारतीय भर्ती किये जायेंगे और भर्ती की पद्धति क्या होगी तथा उसके लिए एजेंसिया कोन-कौन सी होंगी; और

(ङ) क्या किसी करार के आधीन भर्ती की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) चूकि विदेश में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को भारतीय राजदूतावास में अपने को पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं होता, अतः संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या मालूम नहीं है। लेकिन उनकी अनुमानित संख्या लगभग 200,00 है।

(ख) संयुक्त अरब अमीरात द्वारा घोषित नवीन उपायों के अनुसार अनेक ऐसे भारतीय

राष्ट्रिक जिनके पास संयुक्त अरब अमीरात में रहने के लिए उचित प्राधिकार नहीं था, वहां से जा चुके है।

(ग) संयुक्त अरब अमीरात के नियोक्ता भारत से नये कामगारों की भर्ती कर रहे हैं।

(घ) संयुक्त अरब अमीरात में नियुक्ति के लिए कामगारों की भर्ती भारत सरकार के माध्यम से नहीं की जाती। संयुक्त अरब अमीरात के नियोक्ता सामान्यत: अपने विधिवत् नियुक्त भर्ती एजेंटों के माध्यम से भारत में खुले बाजार से कामगारों की भर्ती करते हैं। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि भविष्य में कितने भारतीय कामगार भर्ती किये जायेंगे।

(ङ) सयुक्त अरब अमीरात में नियुक्ति के लिए भारतीय कामगारों की भर्ती के लिए दोनों देशों के बीच कोई करार नहीं है।

दुर्गाचौक पर 'फ्लैग' स्टेशन

3682. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के पाँसकुरा-हटीबेरिया (हल्दिया) सेक्शन में दुर्गाचौक (तमलूम-हल्दिया बस लाइन के निकट) पर एक फ्लैग स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे ने दुर्गाचौक और हल्दिया स्टेशनों के बीच सित्पा प्रवेश में एक यात्री हाल्ट खोलने का विनिश्चय किया है। इस खंड पर खुलने वाले एक यात्री हाल्ट को दृष्टिगत रखते हुए इतने निकट एक और फ्लैग स्टेशन खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

करुर रेलवे स्टेशन के निकट उपरि पुल

3683. **श्री एस. ए. दोराई सेबस्तियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के करुर-सेलम हाईवे पर करुर रेलवे स्टेशन के निकट उपरि-पुल का निर्माण कार्य, जिसके लिये सर्वेक्षण पूरा हो गया है, कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ख) विलम्ब के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) यह एक नये उपरी सड़क पुल का प्रस्ताव है, जिसका प्रारम्भिक और आवर्ती खर्च पूर्णत: राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। जून 1977 में, रेलवे ने इसकी लागत के सम्बंध में राज्य सरकार को सूचना दे दी थी। अभी तक राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है रेलवे इस काम को तभी शुरू कर सकती है जब राज्य सरकार इसका प्रारम्भिक और आवर्ती खर्च देने के लिए सहमत हो जाय और अपेक्षित राशि जमा करा दे।

कोथागुडेम-कोवुर रेल लाइन

3684. **श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोथागुडेम और कोवुर के बीच एक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रस्तावित नई रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) भद्राचलम रोड (कोथागुडेम) से कोव्वूर के बीच बड़ी लाइन के लिए कुछ समय पहले किये गये व्यवहारिकता एवं लागत अध्ययन से पता चला था कि यह परियोजना अर्थक्षम नहीं होगी। इस समय उपर्युक्त लाइन के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रम सचिवों के सम्मेलन की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3685. **श्री चित्त बसु :**

डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले अप्रैल में विभिन्न राज्य सरकारों के श्रम-सचिवों के दिल्ली में हुए सम्मेलन में की गई सिफारिशों को मान लिया है; और

(ख) क्या समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रवर्तन तंत्र तथा समन्वय प्रकिया बनाई गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया) (क) और (ख) : 18 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम सचिवों के साथ हुये विचार विमर्श कतिपय श्रम कानूनों के कार्यावन्वयन में महसूस की जा रही समस्याओं के बारे में विचारों के आदान-प्रदान के रूप में थे। केन्द्रीय सरकार ने निष्कर्षों को नोट कर लिया है और इन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

बेरोजगार खेतिहर मजदूर तथा उनके लिए प्रशिक्षता योजना

डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 तक देश में बेरोजगार तथा आंशिक रूप से रोजगार पर लगे खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या कितनी थी;

क्या सरकार द्वारा ग्रामीण मजदूरों के लिए प्रशिक्षता प्रशिक्षण की एक नई योजना चलाई गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया) : (क) 31 मार्च, 1980 को देश में बेरोजगार तथा आंशिक रूप से रोजगार में लगे खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, "डेली एक्टीविटी" स्टेटस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 15-59 वर्ष की आयु के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 12.8 मिलियन थी जैसा कि 1977-78 के दौरान दिये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32वें दौर के परिणामों से पता चलता है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशिक्षण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षा अधिनियम, 1961 के अधीन, कृषि मैकेनिक, मैकेनिक (ट्रेक्टर) इत्यादि के व्यवसायों में शिक्षुता प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जनसंख्या में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि

3687. **श्री जी. वाई. कृष्णन :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत की जनसंख्या 62 या 63 करोड़ से अधिक हो गई है; और

(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या में चिन्ताजनक वृद्धि को देखते हुए हाल ही में छठी पंचवर्षीय योजना बनाते समय कुछ कदम उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां। जनसंख्या प्रोजेक्शन की विशेषज्ञ समिति (भारत के महापंजीयक की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित) के अनुमान के अनुसार पहली मार्च 1980 तक भारत की जनसंख्या 65.9 करोड़ थी।

सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता की अत्यधिक महत्व देती है तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये सरकार की नीति यह है कि लोगों को प्रेरणा और शिक्षा देकर उन्हें छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाने के लिए राजी किया जाये। इस कार्यक्रम की बहुत कुछ सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाने के लिए किस हद तक अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। यह बात आगे अन्य सामाजिक एवं आर्थिक बातों से भी जुड़ी हुई है। सरकार को आशा है कि लोगों को समझा-बुझाकर और समुचित शिक्षा देकर उनमें छोटे परिवार के सिद्धान्त के लाभों के प्रति विश्वास पैदा किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है और यह उस विस्तृत नीति का एक अभिन्न अंग है जिनके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, जच्चा, बच्चा देखरेख परिवार कल्याण, महिलाओं के अधिकार और पोषण आ जाते हैं। जच्चा बच्चा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाता है।

इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जन प्रचार के सभी साधनों को प्रयोग में लाया जा रहा है। प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रेरित और शिक्षित करने के लिए देश भर में अनेक ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी बात बात का लोग सम्मान करते हैं, शिविर लगाये जा रहे हैं। चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये एक काफी बड़ा आधारभूत ढांचा बना लिया गया है और लोगों को अपने परिवार को छोटा रखने के लिए स्वेच्छा से अपनी पसन्द का कोई सा भी तरीका अपनाने की छूट दे दी गई है। इस कार्यक्रम के लाभकारी पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिये इस वर्ष के दौरान समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाये गये हैं। आशा है कि इन सभी उपायों से जनसंख्या की वृद्धि में कमी आने लगेगी।

पूर्वी रेलवे के बर्नीपुरम में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा हमला

3688. श्री अहमद एम. पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के बर्नीपुरम में 14 मई, 1980 को एक घटना घटित हुई जिसमें रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने हावड़ा-बर्दवान लोकल रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले कई यात्रियों के साथ जिनमें एक महिला भी थी, दुर्व्यवहार किया;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 14-5-1980 को रेलवे सुरक्षा विशेष बल के चार कर्मचारी लिलुआ और बैलूर के बीच अपनी गश्त ड्यूटी पूरी करके गाड़ी नं. सी-245 अप से बरुईपाड़ा कैम्प को लौट रहे थे। लगभग 8-30 बजे बेगमपुर रेलवे स्टेशन पर अन्य यात्रियों के साथ दो यात्री महिलाएं दूसरे दर्जे के उस सवारी डिब्बे में चढ़ीं जिसमें रे. सु. वि. ब. के कर्मचारी भी यात्रा कर रहे थे। चूंकि यह प्रातःकालीन भीड़-भाड़ का

समय था, रे. सु. वि. ब. के दो कर्मचारी सवारी डिब्बे के दरवाजे के निकट खड़े थे । इनमें से एक महिला यात्री की साड़ी रे. सु. वि. ब. के कर्मचारी के कन्धे के बेज में फंस गई और इसका परिणाम यह हुआ कि महिला गिर गई। डिब्बे में बैठे यात्री रे. सु. वि ब. के कर्मचारियों को दोषी ठहराने लगे और परिणामस्वरूप गर्मागर्मी हो गई । जब गाड़ी बरुईपाड़ा स्टेशन पर पहुँची तो, कुछ और यात्री तथा फेरी वाले डिब्बे में घुसने के लिए दौड़े और रे. सु. वि. ब. के कर्मचारियों तथा यात्रियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई । स्थिति को गम्भीर होते देख रे. सु. वि. ब के कर्मचारियों ने आत्मरक्षा तथा अपने जीवन, हथियार, गोला बारूद की सुरक्षा के लिये गोली चलाई जिससे महिलाओं सहित चार व्यक्ति घायल हो गये। उसके बाद रे. सु. वि. ब. के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन के निकट अपनी बैरिकों में शरण ली जहां रे. सु. वि. ब. के 14 कर्मचारी पहले से ही मौजूद थे । भीड़ ने उनका पीछा किया और भारी पत्थरबाजी शुरू कर दी। बैरिक के अस्थाई रसोईघर और पहले दर्जे के प्रतिक्षालय में जो कि रे. सु. वि. ब. के कर्मचारियों के अधिकार में था, लाग लगा दी । भीड़ ने बैरिकों की खिड़कियों में से चलती हुई समाग्री भी फेंकी । जब बेरिकों में मौजूद रे. सु. वि. ब. कर्मचारियों ने अपना जीवन खतरे में पाया तो उन्हें दुबारा गोली चलानी पड़ी । हुगली के पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचे तथा स्थिति को सम्हाला और रे, सु. वि. ब. के कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा के लिये सेरामपुर ले गये । जब पुलिस रे. सु. वि. व. के कर्मचारियों को अपनी गाड़ियों में ले जा रही थी तो, भीड़ ने जो कि संख्या में 5000 से 6000 के बीच थी, पत्थर फेंके जिससे हुगली के पुलिस अधीक्षक और अन्य को चोटें लगीं । भीड़ को तितरबितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी ।

सरकारी रेलवे पुलिस, हावड़ा, पश्चिम बंगाल ने रे. सु. वि. ब. के 4 कर्मचारियों के विरूद्ध भा. दं. सं. की धारा 354/307 के अन्तर्गत 14-5-80 को अपराध का एक मामला सं. 73 दर्ज किया है । सरकारी रेलवे पुलिस ने रे. सु. वि. ब. के इन 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया । उनको निलम्बित कर दिया गया है और आगे जाँच-पड़ताल की जा रही है । जो दोषी पाये जायेंगे उनके विरूद्ध सक्त कार्रवाही की जायेगी । स्टेशन मास्टर बरुईपाड़ा की शिकायत पर स्थानीय पुलिस स्टेशन, सेरामपुर ने भीड़ के खिलाफ भा. दं. सं. की धारा 147/426/323/337 के अन्तर्गत तारीख 14-5-80 को एक मामला स. 16 अलग से दर्ज किया है ।

अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

राष्ट्रीय रेल शीर्ष स्थान

3689 श्री के. पी. सिंह देव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्या सच है कि उड़ीसा सरकार ने रेल मन्त्रालय से आग्रह किया है कि वह 244 खन्ड मुख्यालयों को राज्य के भीतरी हिस्से में उर्वरक का परिवहन सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय रेल शीर्ष स्थानों के रूप में घोषित करे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे क्या में निर्णय किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखंड क्षेत्र में नई रेल लाइन

3690. श्री प्रभु नारायण टण्डन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखड क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और क्या हातापन्ना (मध्य प्रदेश) रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : बुन्देलखड क्षेत्र झांसी-मानिकपुर-कटनी, कटनी-बीना और बीना-झाँसी रेलवे लाइनों द्वारा सेवित है। विगत 50 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में अनेक रेलवे लाइनों के बारे में सर्वेक्षण किये गये हैं लेकिन अर्थक्षम न पाये जाने के कारण इन लाइनों का निर्माण नहीं किया गया।

बहरहाल, दिसम्बर 1978 में ललितपुर से सिंगरौली बरास्ता खजुराहो, सतना और रीवाँ 455 कि. मी. लम्बी एक नई लाइन के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण का काम प्रारम्भ किया गया था और आशा है कि यह काम मार्च, 1981 तक पूरा कर लिया जायेगा।

भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग

3691. श्री गुफरान आजम : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्धारित की गई सड़कों की क्या प्रतिशतता है,

(ग) सड़कों पर दो तरफा यातायात की व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है,

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित धन बढ़ाने का प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) 57.

(ख) 6 प्रतिशत।

(ग) वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुए इस बात की कोशिश की जाती है कि जहाँ-कहीं यातायात के लिये जरूरी समझा जाए, वहाँ दो लेन वाले यानमार्ग की व्यवस्था की जाये। चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में और 1978-83 पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में जो निर्माणकार्य स्वीकृत किए गए थे, उनके पूरे हो जाने के बाद लगभग 21,500 कि. मी. लम्बे सड़क-मार्ग में (जो सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 73% है) दो लेन वाले यानमार्ग हो जाएंगे।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धी मूल सुधार कार्यों के लिए बजट अनुमान 1980-81 में 90 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है और इस धनराशि में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार संशोधित अनुमान 1980-81 के समय पर ही किया जा सकता है जो राज्यों की वास्तविक आवश्यकताओं और उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करता है।

जीव-रासायनिक लवणों के मूल्यों में वृद्धि

3692. श्री पीयूष तिरकी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीव-रासायनिक लवणों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह वृद्धि दूध से बनी चीनी जो कि रासायनिक लवणों के बनाने के लिए आधारभूत अवयव है, के आयात के कारण हो रही है;

(ग) सरकार द्वारा दूध से बनी चीनी का विकल्प ढूंढने के लिए क्या प्रयास किये जा चुके हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इसके मूल्य तथा किस्म पर क्या नियत्रण लगाया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान घटिया किस्म का माल बेचने के आरोप में कितनी कम्पनियों को पकड़ा गया है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) डा० सशुरूपलर ने, जिन्होंने 'दि ट्रवैल्व टिशु रिमेडीज' तैयार की है, 'दी ट्रवैल्व टिशु रिमेडीज' के योग (प्रेपरेशन) में दूध से बनी चीनी का इस्तेमाल करना स्पष्टत: आवश्यक निर्धारित किया है। अत: इसका विकल्प खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ऐसी होम्योपैथिक औषधियों पर जिनमें बायोकेमिक रिमेडीज शामिल हैं, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 को लागू करने से छूट दे दी गई है। जहां तक उनकी गुणवत्ता नियंत्रण का सम्बन्ध है, अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मिले उत्तरों में बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी कम्पनी को नहीं पकड़ा गया है।

लखनऊ-बरौनी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3693. प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-बरौनी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) लखनऊ-बरौनी रेल लाइन को कब तक बड़ी रेल लाइन में बदल दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) लखनऊ से बाराबंकी पहले ही बड़ी लाइन से जुड़ा है। गोंडा और गोरखपुर के रास्ते बाराबंकी-सोनपुर मी. ला. खंड का आमान परिवर्तन किया जा रहा है और इसके 1981-82 तक पूरा हो जाने की संभावना है। सोनपुर हाजीपुर से बड़ी लाइन द्वारा जुड़ा है। हाजीपुर-बछवारा मी. ला. खंड को ब. ला. में बदलने के लिए सर्वेक्षण का का 1980-81 के बजट में शामिल है। बछवारा और बरौनी पहले ही ब. ला. से जुड़े हैं। जब बाराबकी-समस्तीपुर खंड के आमान परिवर्तन का काम पूरा हो जायेगा तो बरौनी-कटिहार आमान परिवर्तन परियोजना के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किया जायेगा।

कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण करने की पद्धति आरम्भ करना

3694. प्रो. मधु दण्डवते : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ जोनों अथवा डिविजनों में प्रायोगिक आधार पर कम्प्यूटरों द्वारा आरक्षण करने की पद्धति आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर आरक्षण के संगणकीकरण के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और एक बार बृहत स्तरीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तो, पायलट योजनायें, जो समग्र योजना में फिर बैठेंगी, कुछ क्षेत्रों और/अथवा मंडलों में शुरू की जायेंगी ।

पूर्वी रेलवे में क्योल-साहेबगंज-बरहरवा लूप लाइन पर गाड़ियों का देरी से चलना

3695. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में क्योल-साहेबगंज बरहरवा लूप लाइन पर गाड़ियां औसत से अधिक देरी से चल रही हैं;

यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन गाड़ियों को समय पर चलाने के सभी प्रयास छोड़ दिये हैं और यदि नहीं, तो 330 डाउन मुजफ्फरपुर-हावड़ा पैसेंजर गाड़ी, 328 डाउन दानापुर-हावड़ा तेज पैसेंजर गाड़ी और 331 अप सियालदहगया पैसेंजर गाड़ी गत 5-6 महीनों में एक बार भी भागलपुर समय पर किस कारण से नहीं पहुँची; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बिना और आगे विलम्ब के इस अनियमितता को दूर किया जाए ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख) और (ग) किऊल-साहिबगंज-बड़हरवा (लूप लाइन) खंड पर चलने वाली गाड़ियों का समय पालन पिछले छः महीनों के दौरान संतोषजनक नहीं रहा है - इस असंतोषजनक स्थिति का मुख्य कारण यह है कि 331 अप हावड़ा-गया पार्सल सवारी गाड़ी पूर्णतया बी. ए. के. लूप लाइन पर चलती है जबकि 330 डाउन मुजफ्फरपुर-हावड़ा सवारी गाड़ी और 328 डाउन दानापुर तेज सवारी गाड़ी साहिबगंज लूप लाइन पर चलती है और इन दोनों को काफी दूर तक इकहरी लाइन वाले खंडों पर चलना पड़ता है । 331 अप और 330 डाउन गाड़ियां पार्सल यातायात भी ले जाती है और इसलिए अन्य कारणों के अतिरिक्त स्टेशनों पर पार्सल लादने-उतारने के लिए भी इन्हें रुकना पड़ता है । इकहरी लाइन वाले इस खंड पर यदि कभी किसी गाड़ी को रोकना पड़ जाता है तो निर्धारित स्थान से भिन्न स्थान पर क्रासिंग की व्यवस्था करने और रास्ते में दूसरी गाड़ियों को आगे निकालने के कारण इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि उस कमी को पूरा किया जा सके ।

फिर भी, इस खण्ड पर चलने वाली गाड़ियों के समय पालन में सुधार के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं और गाड़ियों के रुकने के परिहार्य मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

परियोजना चेतना (प्रोजेक्ट कान्शससंन)

3696. **डा० कर्णसिंह** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका-विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बंगलौर

में 'परियोजना चेतना' (प्रोजेक्ट कान्शसनैस) नामक परियोजना को प्रारम्भ किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके पश्चात् इस अनोखी परियोजना को बन्द क्यों होने दिया गया ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस परियोजना पर कार्य चल रहा है।

अमरावती-नारखेड लाइन

3697. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला अमरावती के लोगों द्वारा अमरावती-नारखेड लाइन के निर्माण के लिये अनेक अभ्यावेदन किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अमरावती से नारखेड़े तक एक नई लाइन के निर्माण के लिये विगत में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। चूँकि वित्तीय संसाधनों की गंभीर तंगी है और भारी मात्रा में पहले से किये हुए वायदों को पहले पूरा करना होगा, इसलिए इस लाइन पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है।

चार सीट वाले आटोरिक्शा का चलाया जाना

3698. **श्री के. मालन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में चार सीट वाले आटोरिक्शा चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, हाँ। दिल्ली प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है।

(ख) योजना की कुछ खास-खास विशेषताएँ इस प्रकार हैं :—

(i) योजना को शुरू करने के लिहाज से यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित 6/4 सीटी वाले विक्रम आटोरिक्शाओं को फिलहाल 50 परमिट जारी किए जाएँ।

(ii) विक्रम आटोरिक्शा आरंभ में 10 रुटों पर चलाए जाएंगे और हर रुट की औसत दूरी 6 कि०मी० से अधिक नहीं होगी।

(iii) जो यात्री इन रुटों पर जिनकी औसत दूरी 6 कि०मी० होगी, एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करेंगे, उनसे अधिक किराया 60 पैसे और जो यात्री रुट के बीच में पड़ने वाले स्थानों से चढ़ेंगे या उतरेंगे, उनसे किराया 40 पैसे वसूल किया जाएगा।

(iv) परमिटों के आवंटन का फैसला दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण करेगा।

इन गाड़ियों के निर्माताओं ने प्रशासन को आश्वासन दिया है कि इन गाड़ियों को

उपलब्ध कराने की व्यवस्था वे स्वय कर देंगे । परमिट आवंटित करने के लिए आवेदन पत्र मंगाने के लिए राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया। आवेदन पत्र प्राप्त होने की आखिरी तारीख 27 जून, 1980 थी । विक्रम आटोरिक्शा के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों की सख्या 126 है ।

नीलांचल एक्सप्रेस और डिलक्स रेलगाड़ियों का कोडरमा स्टेशन पर रुकना

3699. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के स्टेशनों और जंक्शनों के नाम क्या है, और इनसे कितना मासिक/वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है;

(ख) क्या हजारी बाग कमिश्नरी (58 कि.मी. की दूरी पर), कोडरमा सब डिवीजन और झुमरितलैया के लिए. जो एक अन्तर्राष्ट्रीय अबरक बाजार भी है, केवल कोडरमा ही एक मात्र स्टेशन है;

(ग) क्या लोगों ने 81 अप, 82 डाउन डिलक्स और नीलांचल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के इस स्टेशन पर रुकने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाने के विचार से दो बार सभी गाड़ियों को 8-10 घण्टे तक रोके रखा था ;

(घ) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान रेल में चढ़ने की जल्दबाजी के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी; और

(ङ) यदि भाग (क) से (घ) तक का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार लोकहित में कोडरमा स्टेशन पर डीलक्स रेलगाड़ी के 5 मिनट तक रुकने की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति से ज्ञापन

3700. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति से 25 मार्च, 1980 को कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.अंजैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ज्ञापन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा ।

(ii) ठेका श्रमिक और महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी न देना ।

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को सख्ती से लागू करना ।

(iv) समान पारिश्रमिक अधिनियम को कार्यान्वित करना ।

(v) कार्य स्थल पर जहाँ कहीं महिलाओं की जरूरत हो, या कर्मचारियों की कोलोनियों में शिशु-सदनों की व्यवस्था करना ।

(vi) नर्सों के कार्य घन्टों को कम करके सात घन्टें करना, और अस्पतालों में नर्सों की संख्या में वृद्धि करना ।

(ग) इस ज्ञापन पर सरकार विचार कर रही है।

जनकादिरपुर रेलवे स्टेशन की हालत में सुधार

3701. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुरी जिले में जनकादिरपुर रेलवे स्टेशन की हालत में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार ने इस स्टेशन पर पान के पत्तों की बुकिंग पर रोक लगा दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनकादिरपुर केवल हाल्ट स्टेशन है । इस समय इसका दर्जा ऊँचा करने और इस स्टेशन पर वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) केवल हाल्ट स्टेशन होने के कारण इस स्टेशन पर माल या पार्सलों की बुकिंग नहीं की जाती है । इसलिए पानों की बुकिंग पर रोक लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भावनगर तारापुर लाइन

3702. **श्री नवीन रवाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर-तारापुर बड़ी रेल लाइन सम्बन्धी मामला इस समय किस चरण में है;

(ख) इसके बारे में कितनी बार भिन्न-भिन्न सर्वेक्षण किये गये और उन पर कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस क्षेत्र के लोग, 30 वर्ष से माँगी जा रही इस योजना को अस्वीकार करके भावनगर जिला व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को रेलवे द्वारा किये गये व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भावनगर से तारापुर तक बड़ी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी तक 1953, 1957-58 1968 और 1977 में चार सर्वेक्षण किये गये हैं जिनकी क्रमशः लागत 13,559 रु० 31,000 रु०, 71,652 रु० और 5,06195 रु० थी । 1977 में किये गये अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण से पता चला कि इस 149 कि०मी० लम्बी लाइन पर 33.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे और दूरी के किरायों में 100% वृद्धि होने पर भी इससे केवल 1.77% (डी. सी. एफ.) प्रतिफल होगा । अतः इस पर कार्यवाई नहीं की गयी ।

मीनाक्षी ट्रेन का चलना

3703. **श्री गिरधारी लाल व्यास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीनाक्षी ट्रेन सप्ताह में केवल दो बार ही अजमेर (राजस्थान) से आती-जाती है;

(ख) क्या अजमेर और खंडवा के बीच कोई तेज रेलगाड़ी नहीं चलती है; और

(ग) क्या अजमेर से आने-जाने के लिए मीनाक्षी ट्रेन प्रतिदिन चलाने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकानार्जुन) : (क) 69/70 अजमेर-कांचगुडा एक्सप्रैस एक तेज अनुसूची के अनुसार, सप्ताह में दो बार अजमेर से आती-जाती है।

(ख) सप्ताह में दो बार चलने वाली 69/70 अजमेर-काचेगुडा एक्सप्रैस के अतिरिक्त, अजमेर-खण्डवा खंड पर 71/72 फास्ट पैसेंजर चलती है।

(ग) मार्गवर्ती खडों पर जो प्राय: संतृप्ति विन्दु तक काम कर रहे हैं, लाइन क्षमता की तंगी होने के कारण, वर्तमान में, 69/70 अजमेर-काचेगुडा एक्सप्रैस के चक्कर बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के नाम विलम्ब शुल्क

3704. श्री गदाधर साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून 1980 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम के नाम में प्रति दिन औसतन 16, 000 रु० की विलम्ब शुल्क की राशि डाली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) माल को उठाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ गेहूँ खराब हो गया है और यदि हाँ, तो क्या इसमें रेलवे सुरक्षा बल की किसी साठ-गाँठ को पाया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) रायबरेली में लदे हुए माल डिब्बों के रुके रहने का कारण यह था कि 14-6-80 को माल डिब्बों से माल उतारने के लिए माल गोदाम साइडिंग में खड़े करने के बाद अनुमत छूट समय के अन्दर भारतीय खाद्य निगम को माल डिब्बों से माल उतारने में कठिनाई हुई। उनकी मांग के अनुसार इन माल डिब्बों को पुन: मालशेड में खड़े करने के बाद भारतीय खाद्य निगम ने 17-6-80 को इन्हें खाली किया।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने 52, 386, 60 रुपये का विलम्ब शुल्क देने के बाद 19-61980 को इन परेषणों की सुपुर्दगी ले ली थी और इस माल को हटा लिया था।

(घ) और (ङ) परेषणों को कोई क्षति नहीं हुई लेकिन रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत 15-6.1930 को रेलवे बल की संदिग्ध मिली भगत से उठाई गिरी का एक मामला दर्ज किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के सम्बन्धित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और उन्हें रायबरेली से स्थानान्तरित कर दिया गया है। मामले की छान बीन की जा रही है।

दरभंगा जयनगर रेल लाइन

3705. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा तक की मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने के काम को पूरा कर

लिये जाने के बाद दरभंगा से जय नगर तक की लाइन को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने का विचार है;

(ख) क्या दरभगा से सीतामढ़ी होते हुए रानोल तक की लाइन को मीटर गेज से ब्राडगेज में बदला जायेगा;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा एवं समयावलि क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) : दरभंगा-जयनगर खंड को मीटर आमान में बदलने के लिए सर्वेक्षण को नियमित बजट (1980-81) में शामिल कर लिया गया है और अनुमान स्वीकृत कर लिए जाने के बाद इसे शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा सीतामढ़ी के रास्ते दरभंगा से रक्सौल तक के खड का आमान परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन संगौली के रास्ते मुजफ्फरपुर-रक्सौल खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक सर्वेक्षण प्रगति पर है।

गाजियाबाद, गुड़गाँव और फरीदाबाद मार्गों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसें।

3706. **श्री भीखा भाई :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी दिल्ली के आस-पास स्थित उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों में बसों द्वारा अपने कार्यालयों में आते हैं,

(ख) क्या कार्यालयों में आने वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए गाजियाबाद, गुड़गाँव, और फरीदाबाद आदि मार्गों पर सुविधाजनक समयान्तर से दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अन्तर्राज्यीय रुटों पर बसें चलाने के प्रश्न पर विचार सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिसके लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रशासन की सरकारों द्वारा परस्पर एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय करार करना जरुरी होता है। इस समय दिल्ली परिवहन निगम की दिल्ली और फरीदाबाद के बीच 26 बसें और दिल्ली व गाजियाबाद के बीच 12 बसें चल रही हैं। इसके आलावा, इन दोनों शहरों में हरियाणा रोडवेज और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें भी हर दस मिनट के बाद आती-जाती है। इसके साथ-साथ, कुछ प्राइवेट बसें भी इन रुटों पर चलती हैं। इस समय गुड़गाँव में विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों और प्राइवेट चालकों की जो बसें चल रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी है। जयपुर, रेवाड़ी, खेतरी और अलवर जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसें भी गुड़गाँव से होकर जाती हैं। यात्री रेलों का भी इस्तेमाल करते हैं।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पड़ौसी कस्बों से आने वाले यात्रियों की यातायात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपरोक्त बसें पर्याप्त हैं।

गर्मियों की भीड़भाड़ से निपटने के लिए पश्चिम रेलवे में विशेष गाड़ियां

3707. श्री आर० वी० गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मियों की भीड़-भाड़ से निपटने के लिए पश्चिम रेलवे में बम्बई से अहमदाबाद तथा सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के अन्य स्थानों के लिये कितनी विशेष गाड़ियां चलाई गई;

(ख) इन विशेष गाड़ियों में कितने यात्रियों ने यात्रा की; और

क्या रेलवे प्रशासन का विचार गर्मी के इस मौसम के दौरान प्राप्त किए गए अनुभव को ध्यान में रखते हुए गर्मी के अगले मौसम के दौरान यात्रियों को राहत देने के लिए और अधिक संख्या में विशेष गाड़ियां चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इन गर्मियों में गुजरात क्षेत्र तक आने-जाने के लिए कुल 266 विशेष गाड़ियां चलाई गयीं और इनका लगभग, 1,84 000 यात्रियों ने लाभ उठाया। इनमें से 182 विशेष गाड़ियां बम्बई सैन्ट्रल से अहमदाबाद और गांधीधाम तक और वहां से वापस बम्बई सैन्ट्रल तक चलाई गयीं जिनका लगभग 1,40,000 यात्रियों ने लाभ उठाया है।

(ग) गर्मी के अगले मौसम में किन मार्गों पर और कितनी विशेष गाड़ियां चलाई जायेंगी, इसका निर्णय होने वाले यातायात और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मौसम शुरू होने से पहले स्थानीय निकायों के परामर्श से किया जायेगा।

दिल्ली और गाजियाबाद के बीच और अधिक शटल गाड़ियों का चलाया जाना

3708. श्री चिन्तामणि जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी गाजियाबाद और गुड़गावां आदि निकटवर्ती शहरों से दिल्ली स्थित अपने कार्यालयों में पहुंचने के लिए रेलगाड़ियों से आते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि शटल गाड़ियों और विशेष रूप से गाजियाबाद से आने वाली गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है;

(ग) क्या इस मार्ग पर और अधिक कम्यूटर गाड़ियों को चलाये जाने की कोई योजना है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या गुड़गावां को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इस समय नहीं। रास्ते में अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी और टर्मिनल स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण गाजियाबाद और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच इस समय किसी नई गाड़ी का चलाया जाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

(घ) से (च) जी नहीं। किन्तु, दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-जयपुर-साबरमती मीटर लाइन के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य एक अनुमोदित कार्य है। यह काम 1977-78 के बजट अनुमान में सम्मिलित किया हुआ है। यह एक बड़ी योजना है जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपये लागत आएगी और जिसके लिए अभी योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होनी है।

इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन हो जाने पर गुड़गाँव और नई दिल्ली के बीच गाड़ियों का चालाया जाना व्यावहारिक हो पायेगा या नहीं, किन्तु ब्यौरेवार योजना को अंतिम रूप देते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

भावनगर पत्तन

3709. **श्री नवीन रवाणी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने गुजरात सरकार के अनुरोध पर भावनगर पत्तन के हाईड्रोग्रेफिक सर्वेक्षण के लिये कोई जहाज भेजा था और यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का प्रतिवेदन क्या है;

(ख) क्या उन्हें धार में कोई लंगर स्थान या दोष मिला था,

(ग) क्या यह सच है कि उन्हें किसी विदेशी स्टीमर के लिये कोई अन्य लंगर-स्थान नहीं बनाया था,

(घ) क्या यह सच है कि विदेशी स्टीमरों ने कोई परिपत्र जारी किया है कि भावनगर पत्तन को होकर न जाया जाये क्योंकि कुछ स्टीमरों का लंगर बदलती हुई धाराओं के कारण टूट गया था, और

(ङ) भावनगर पत्तन को पुनः सक्रिय बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) गुजरात सरकार के अनुरोध पर भावनगर का जलीय सर्वेक्षण करने के लिए 'दर्शक' नामक सर्वेक्षण पोत नियत किया गया था। सर्वेक्षण के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि इस क्षेत्र में समुद्र में तल पर काफी परिवर्तन हो गये हैं और जहाजों को लाकर मौजूदा स्थिति में खड़ा करना सुरक्षित नहीं है और इससे जहाजों को खतरा हो गया है।

(ग) नहीं।

(घ) गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विदेशी जहाजों ने ऐसा कोई परिपत्र जारी किया है कि वह भावनगर नहीं आया-जाया करेंगे।

(ङ) भावगनर पोर्ट काम कर रहा है।

भारत तथा सोवियत संघ के अधिकारियों में वाणज्यिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों से सम्बन्धित वार्ता

3710. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक औद्योगिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सोवियत सघ के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए सहयोग करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच हाल ही में बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी नहीं। भारत और सोवियत

समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम के अतिरिक्त, जिस पर 14 मार्च, 1979 को हस्ताक्षर हुए थे, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए सहयोग का कोई अन्य प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कटिहार रेलवे कालोनी में घरों की पुताई के लिए ठेका

3711. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार में न्यू कालोनी तथा ड्राइवर टोला कालोनी है;

यदि हां, तो क्या इन कालोनियों में मरम्मत तथा पुताई का कार्य गत बीस वर्षों से किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो कहां, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मरम्मत तथा पुताई का काम ठेका प्रणाली से कराया जाता है;

(ङ) क्या कटिहार में हर बार उसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है;

(च) क्या जिस ठेकेदार ने ठेका लिया था वह गत वर्ष से लापता है;

(छ) यदि हां, तो इस काम को पूरा करने तथा ठेकेदार को पकड़ने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) क्वार्टरों की मरम्मत और सफेदी आवश्यकता और इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार सतत आधार पर की जाती है।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी हां।

(छ) ठेकेदार लापता है। उसको डाक द्वारा भेजे गये कई पत्र बिना सुपुर्दगी के वापस लौट आये हैं। ठेके में विहित प्रावधानों और शर्तों के अनुसार उससे काम शुरु न करने के लिये क्षति की रकम वसूल की जायेगी। मानसून समाप्त होने पर किसी अन्य एजेंसी (ठेकेदार और/अथवा विभागीय तौर पर) द्वारा काम शुरु और पूरा कराया जायेगा।

सिजवा रेलवे स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर का कत्ल

3712. **श्री ए. के. राय:** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के धनबाद जिले के सिजवा रेलवे स्टेशन पर दिनांक 21 अप्रैल, 1980 को ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर की नृशंस हत्या से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ख) ड्यूटी पर तैनात एक रेल अधिकारी को सुनियोजित तरीके से हत्या करने वालों को पकड़ने में सरकारी रेलवे पुलिस के असफल हो जाने तथा पूरे रेलवे स्टाफ में असन्तोष फैलने

पर भी इस मामले की जांच के आदेश केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों की न दिये जाने के क्या कारण हैं और

(ग) सरकार द्वारा बस्ती से दूर के स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों की जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) राज्य पुलिस प्राधिकारियों से मिली सूचना के अनुसार, 21-4-1980 को लगभग 21-30 बजे जब सिजुआ (धनबाद मण्डल) के सहायक स्टेशन मास्टर श्री ए. के. बेरा अपने कार्यालय में अक्ले स्टेशन से प्राप्त आमदनी गिन रहे थे, तो तीन बदमाश वहाँ आ धमके और उन्होंने उन पर बम फैंका । वह बुरी तरह घायल हो गये विस्फोट की आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन पोर्टर वहाँ आया और उसने स्टेशन मास्टर सिजूआ को इसकी सूचना दी । सूचना मिलने पर सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन धनबाद के के प्रभारी अधिकारी. स्थानीय पुलिस के प्रभारी अधिकारी. सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारी, कटरास और अन्य रेलवे अधिकारी वहां पहुंच गये । चिकित्सा अधिकारी ने सहायक स्टेशन मास्टर की जाँच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया । रेलवे सुरक्षा बल का कुत्ता मंगवाया गया और उसे खोजने के काम पर लगा दिया । सरकारी रेलवे पुलिस धनबाद ने भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302/394 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत मामला सं. 5 दिनाँक 22-4-80 दर्ज कर लिया है और वह प्रभावशाली ढंग से मामले की जांच-पड़ताल कर रही है और इस मामले में सुराग का पता लगाने का प्रयास कर रही है । राज्य पुलिस प्राधिकारियों के अनुसार वे इस मामले का पता लगाने में पूर्णतः सक्षम हैं और इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की आवश्यकता नहीं है ।

निवारक उपाय के रूप में सरकारी रेलवे पुलिस उस क्षेत्र में गश्त लगा रही है । धनबाद और झरिया कोयला शेत्रों में रेलवे स्टेशनों के आस-पास स्थानीय पुलिस द्वारा भी गश्त लगाई जा रही है । इसके अलावा, सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस को भी अपराधियों का सुराग लगाने और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सतर्क कर दिया गया है ।

फिरोजपुर में ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर पर हमला

3713. **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 फरवरी, 1980 को उत्तर रेलवे के फिरोजपुर स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर पर कातिलाना हमला किये जाने के बारे में ब्यौरा क्या है जिसके परिणाम-स्वरूप पीड़ित रेल कर्मचारियों द्वारा फिरोजपुर और दिल्ली डिवीजन में रेलगाड़ियों का आना जाना निलम्बित कर दिया गया था; और

(ख) सरकार ने आक्रमणकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) 27 और 28 फरवरी 1980 को फिरोजपुर में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के साथ मन्डल स्तर पर स्थाई वार्तातन्त्र की बैठक तय की गई थी । यूनियन के प्रतिनिधियों के ठहरने हेतु इन दो दिनों के लिए एक सवारी डिब्बा आवंटित किया गया था । किन्तु, 27-2-80 को जब ये प्रतिनिधि सवारी डिब्बे के आवंटन के लिए

सहायक स्टेशन मास्टर के पास पहुँचे, तो दोनों पार्टियों में कहा सुनी हो गई। यूनियन के प्रतिनिधियों ने सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा अभद्र व्यवहार और अश्लील भाषा का प्रयोग किये जाने की शिकायत की जबकि सहायक स्टेशन मास्टर की शिकायत थी कि यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनसे हाथा-पाई की। इस कहा सुनी के फलस्वरूप, 28-2-80 को 14.30 बजे फिरोजपुर के शंटिंग और केबिन के कर्मचारियों ने अपना आन्दोलन शुरू कर दिया जो बाद में मण्डल के अमृतसर और लुधियाना जैसे अन्य स्थानों पर फैल गया। बहरहाल, बातचीत के बाद 28-2-80 को 20-40 बजे सामान्य कार्य फिर रे शुरू हो गया।

इस घटना की जाँच की गई और तथ्य निरुपण जांच समिति द्वारा दोषी पाये गये कर्मचारियों को कड़े दण्ड के लिए आरोप पत्र जारी किए गये हैं। जिन कर्मचारियों ने अनधिकृत रूप से कार्य रोको आन्दोलन में भाग लिया था, उन पर 'काम नहीं वेतन नहीं' का सिद्धान्त लागू किया है।

एम. वी. केदारनाथ

3714. **श्री एम. एम. कृष्ण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल की खाड़ी में 6 जून, 1980 की रात को 'एम. वी केदारनाथ' नामक पोत डूब गया था,

(ख) यदि हां, तो इस पोत के मालिक का नाम क्या है तथा पोत के डूबने से कितनी हानि हुई है,

(ग) क्या पोत को निकाल पाना सम्भव हो सका है,

(घ) क्या इस दुर्घटना की जाँच का आदेश दे दिया गया है और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या रक्षात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) एम. वी. 'केदारनाथ' बंगाल की खाड़ी में नहीं डूबा था बल्कि वह अण्डमान द्वीप समूह के उत्तर में प्रीपेरिस द्वीप की चट्टानों पर रात को 1.20 बजे 7-6-1980 को जमीन में धँस गया था।

(ख) इस जहाज की मालिक मेसर्ज हिमालय शिपिंग कम्पनी है। इस जहाज पर कोई भी माल नहीं था। इस जहाज की कर्मीदल ने छोड़ दिया था और इसे पूर्णतः नष्ट हुआ समझा जाय। इसमें कोई भी जान नहीं गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट 1958 के अधीन वाणिज्य नौचालन विभाग, कलकत्ता के प्रधान अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच की जा रही है।

(ङ) इन घटनाओं को भविष्य में न होने देने के लिए उपाय और कार्रवाही, अगर, कोई हुई तो वह जाँच के परिणामों पर निर्भर करती है।

पूर्वोत्तर रेलवे के कारपुर-अचनेरा सेक्शन में वर्ष 1979 के दौरान दुर्घटनाएं

3715. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के कानपुर-अचनेरा सेक्शन पर 1979 के दौरान हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में जान और माल का कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) रेलवे प्रशासन ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के कानपुर-अछनेरा खण्ड पर 1-1-79 से 31-12-79 तक गाड़ियों के पटरी से उतरने की 10 दुर्घटनाएं और एक समपार दुर्घटना हुई थी।

(ख) इन 11 दुर्घटनाओं में से, 8 दुर्घटनायें रेल कर्मचारियों की गलती से और 2 दुर्घटनायें रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों के कारण और एक दुर्घटना यांत्रिक उपस्कर की खराबी से हुई ।

(ग) इन घटनाओं में हुई जीवन हानि तथा रेल सम्पत्ति की क्षति की लागत नीचे दी गयी है :

दुर्घटना की कोटि	मारे गये व्यक्ति	रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की अनुमानित लागत
पटरी से उतरना	1	1,94,500
समपार दुर्घटना	1	10,050

(क) चूंकि दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा एक मात्र कारण मानवीय भूल है, इसलिए रेलवेसुरक्षा संगठन गाड़ियों के चालन से सम्बद्ध कर्मचारियों के बीच संरक्षा के प्रति अधिक चेतना उत्पन्न करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें और ऐसी लाघव विधियाँ न अपनायें जिनसे दुर्घटनाएं होने की सम्भावना हो, रेलों पर नियंत्रण अभियान चला आ रहा है । गाड़ियों की जाँच और सवारी और माल डिब्बा डिपुओ में मौके पर जांच के काम में तेजी लायी गई है और रेलपथ के समुचित अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कर्मचारियों पर निर्भरता को कम करने के लिये पहियों, धुरों और पटरियों के लिए पराश्रव्य पटरी दोष संसूचक (अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टर्स), रेल पथ परिपथन, आदि जैसी परिष्कृत युक्तियों को उत्तरोंत्तर व्यवहार में लाया जा रहा है ।

चूंकि अधिकतर समपार दुर्घटनायें सडक उपयोगकर्ताओं के उतावलेपन और लापरवाही की वजह से होती हैं, रेल उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए रेलें शैक्षणिक अभियान चला रही हैं जिनमें उन्हें समपारों से गुजरते समय अधिक सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है । सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अचानक छापे भी मारे जाते हैं ।

पठानकोट-जोगिन्दर नगर सेक्शन पर छोटी लाइन पर चलने वाले अतिरिक्त डीजल इंजन

3716. **श्री नरायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी लाइन पर चलने वाले दो अतिरिक्त नैरो-गेज डीजल इन्जन उपलब्ध न होने के कारण पठानकोट जोगिन्दर नगर सेक्शन पर रेल सेवायें जनता के लिए आंशिक रूप से लाभदायक रह गयी हैं क्योंकि 29-12-1979 से यात्री यातायात के लिए इस सेक्शन को पुनः चालू किये जाने के बाद 4 गाड़ियों में से केवल एक रेलगाड़ी जोगिन्दर नगर पहुँचती है और

बैजनाथ, पपरोला केवल 2 गाड़ियां पहुँचती हैं जबकि पहले दो गाड़ियां जोगिन्दर नगर तक जाती थीं और चारों गाड़ियां बैजनाथ पपरोला तक जाती थीं; और

(ख) यदि हाँ, तो छोटी लाइन पर चलने वाले 2 अतिरिक्त एन. जी, डीजल इंजन कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे 3 गाड़ियां बैजनाथ, पपरोला और एक जोगिन्दर नगर तक पहुँच सके जैसाकि इस सेक्शन को बन्द किये जाने से पहले होता था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

अवं छोटी लाइन के डीजल रेल इंजनों के निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है और जोगिन्दर नगर पठानकोट खन्ड को उच्चतर प्राथमिकता दी जा रही है ताकि इस खन्ड पर अतिरिक्त सेवाओं की योजना बनाई जा सके।

उत्तर रेलवे लोक सेवा आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय

3717. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिमला, जालन्धर अथवा पठानकोट में उत्तर रेलवे लोक सेवा आयोग के एक क्षेत्रीय कार्यालय के खोले जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर में कोई निर्णय ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न की जांच की जा रही है।

देश के बेरोजगार डाक्टर

3718. श्री के० प्रधानी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1979 को बेरोजगार डाक्टरों की संख्या कितनी थी,

(ख) गत दो वर्षों में विदेश जाने वाले डाक्टरों की संख्या कितनी है;

(ग) बेरोजगार डाक्टरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सुयोग्य डाक्टरों के उच्चतर प्रशिक्षण के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 31-12-79 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में चिकित्सा तथा स्नातकोत्तरों की संख्या 13,847 है।

(ख) सरकार विदेश जाने वाले डाक्टरों की संख्या के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रख रही है। इसलिए कोई सही अनुमान लागाना सम्भव नहीं है। तथापि, 1-1-79 तथा 1-1-80 की स्थिति के अनुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के राष्ट्रीय रजिस्टर के भारतीय विदेश अनुभाग में जितने डाक्टरों के नाम दर्ज है, उनका एक विवरण संलग्न है।

(ग) जनस्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक अतिरिक्त तीसरा डाक्टर नियुक्त करने की व्यवस्था है जहाँ पर यह योजना लागू की जा रही है। तीसरा डाक्टर किसी भी चिकित्सा पद्धति का हो सकता है जो उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में लोकप्रिय हो तथा इस सम्बन्ध में निर्णय करना संबंधित राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इसलिए राज्य सरकारें यदि आवश्यक समझें तो संबंधित केन्द्रीय सरकारी संगठनों के परामर्श से उपयुक्त रोजगार योजनाएं बना सकती है।

(घ) भारत की विभिन्न संस्थाओं में आयुर्विज्ञान के विभिन्न स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में जो सुविधाएं उपलब्ध है, उनसे सम्बन्धित विस्तृत सूचना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत में स्नानतकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (1977) की निर्देशिका में मिल सकती है।

विवरण

जनवरी, 1979 तथा पहली जनवरी, 1980 की स्थिति के अनुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के राष्ट्रीय रजिस्टर के भारतीय विदेश अनुभाग में दर्ज डाक्टरों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

देश का नाम	1-1-79 की स्थिति के अनुसार		1-1-80 की स्थिति के अनुसार	
	कुल	वापस आए	कुल	वापस आए
1. यू एस. ए.	956	489	971	494
2. कनाडा	163	65	164	66
3. यू. के.	2967	1614	3045	1630
4. जर्मनी	62	22	64	24
5. ओ. ई. सी.	126	58	143	63
6. ए. एन. जेड.	32	3	32	3
7. अन्य	83	16	91	21
योग	4389	2267	4510	2301

नोट : ओ० ई० सी०= अन्य यूरोपीय देश

ए. एन. जेड.= आस्ट्रेलिया तथा न्युजीलैंड

छठी योजना के दौरान उड़ीसा में सड़क संचार

3719. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में सड़कों का जाल बिछाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार की गयी तथा उनके मंत्रालय को अनुदान स्वीकार करने के लिए भेजी गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

(ख) राज्य की जनजातीय उपयोजना में सड़कों का जाल बिछाने के लिए पांचवी योजना में कितना लक्ष्य रखा गया था और कितना कार्य पूर्ण किया गया तथा छठी योजना के लिए क्या लक्ष्य बनाया गया है, और

(ग) क्या यह सच है कि उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण राज्य के दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा कम हुआ है और राज्य के जनजातीय तथा दूसरे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करने हेतु उस राज्य ने तथा उनके मंत्रालए ने क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) : उड़ीसा सरकार ने इस तरह का कोई पत्र नहीं लिखा है। वास्तव में छठी योजना (1980-85) को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और उड़ीसा राज्य सहित विभिन्न राज्यों ने जनजाति क्षेत्र की उपयोजनाओं के लिए इस योजना के अन्तर्गत नियत की जाने वाली धनराशि के बारे में अभी तक कोई जानकाही नहीं है, परन्तु, पाँचवी योजना काल से तैयार की गयी विधि के अनुसार जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने नया तरीका निकाला है और तदनुसार उन सभी इलाकों को जहां 50% से अधिक जनजाति के लोग रहते है संबन्धित राज्यों की जनजाति उपयाजनाओं में शामिल कर लिया गया है। ये जनजाति उपयोजनाएँ विभिन्न राज्यों जिनमें उड़ीसा का राज्य भी शामिल है और संघ राज्य क्षेत्रों में बनाई गयी हैं। जनजाति उपयोजना में सभी तरह के विकास कार्य आते हैं जिनमें सड़क संचार साधनों का विकास भी आता है। उड़ीसा सरकार, जो उपयोजनाएं बनाने के कार्य से मुख्यतः संबन्धित है, उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों और राज्य के अन्य क्षेत्रों के बीच संचार संपर्क स्थापित करने के लिए निस्संदेह ऐसी आवश्यक व्यवस्था करेगी जिस तरह योजना आयोग समय-समय पर इस कार्य के लिए मागदर्शी सिद्धांत बनाएगा। राज्य सरकार ने इस संबन्ध में भी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखे हैं।

पांचवी योजना (1974-78) में उड़ीसा के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 415 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गयीं, 90 किलोमीटर दूर तक सड़क पर तारकोल बिछाई गयी और 123 किलोमीटर कच्ची सड़क को पक्का किया गया।

वाल्टेयर और टिटलागढ़ लाइन के बीच उपरि-पुल

3720. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों ने वाल्टेयर और टिटलागढ़ के बीच रेल लाइन पर वर्तमान फाटकों की जगह उपरि-पुल बनाने की योजनाएँ तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरि-पुलों के निर्माण के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और उपरि-पुलों को मंजूरी देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निर्माण कार्य में अपने भाग के रूप में उक्त पुलों को अपने-अपने राज्य बजट में शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) समाचारों के बदले उपरी सड़क पुलों के लिए चुने गये स्थान रायगडा, केसिंग और टिटलागढ़ है। इनके बारे में अपनी स्वीकृति देने तथा अपने बजट में समतुल्य धन की व्यवस्था करने के लिए रेल विभाग द्वारा उड़ीसा सरकार को प्रस्ताव भेजे गये थे।

(ग) रायगडा पर प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के मामले में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि धन की कठिनाई के कारण इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है। जहां तक केसिंग और टिटलागढ़ में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का प्रश्न है, राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम का संशोधन

3721. **श्री रामलाल राही** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली ट्रेड एम्पलाईज एसोसिएशन (पंजीकृत) ने मार्च, 1980 को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें वर्तमान दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम में कुछ परिवर्तन की मांग की गई है जिससे उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा उनकी माँगो को मंजूर किए जाने की स्थिति में कुल कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे, और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबन्ध में सरकार अन्तिम निर्णय कब तक लेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ हैं और न ही दिल्ली प्रशासन को, जो दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के कार्यान्वयन से संबन्धित है, ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में कतिपय माँगें शामिल हैं, जो कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि, मंहगाई भत्ते को निर्वाह खर्च सूचकांक के साथ जोड़ने, आदि के बारे में हैं। इन माँगों पर यथार्थ रूप से तभी विचार किया जा सकता है, यदि औद्योगिक विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उठाया जाता है। अन्य कुछ माँगें विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन करने के बारे में हैं, जिन पर केवल दिल्ली के लिए ही अलग से विचार नहीं किया जा सकता। इस संबन्ध में सभी संबन्धित पक्षों से परामर्श करने के बाद व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल धनबाद

3722. **श्री ए.के. राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, भूली, धनबाद में जनवरी, 1979 से दिसम्बर, 1979 तक प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रश्न पत्रों का पता चल जाने तथा उन्हें रिश्वत लेकर पास दिये जाने के विरुद्ध रेलवे सतर्कता विभाग ने को मामला दर्ज किया है उसका ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जोनल ट्रेनिंग स्कूल टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन, धनबाद की ओर से केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रशिक्षुओं से धन ऐंठने और प्रश्न पत्रों के पकटन के आरोप सम्मिलित हैं।

(ख) शिकायत की जाँच की जा रही है। जांच-पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया में कुछ कमियां है : क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल में परीक्षा लेने की प्रणाली को

परिभाषित करने वाली उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करके अमल में ले आयी गयी। प्रश्न पत्रों के प्रकट हो जाने और प्रशिक्षुओं से धन ऐंठने के बारे में कार्रवाई, जांच-पड़ताल पूरी होने पर, उसके परिणामों के आधार पर की जायेगी।

भारत में नसबन्दी कार्यक्रम के लिए स्वीडन का योगदान

3723. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में नसबन्दी कार्यक्रम में सहायता करने के अपने योगदान से स्वीडन पीछे हट गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं। भारत में नसबन्दी कार्यक्रम में सहायता करने के लिये स्वीडन का कोई योगदान या प्रस्ताव नहीं मिला था। अत: इस प्रयोजन के लिये ऐसे किसी योगदान से पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

सामदरी और पालनपुर के बीच चलाई जाने वाली रेल को फिर से प्रारंभ करना

3724. **श्री मोतीभाई आर. चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामदरी और पालनपुर उत्तरी रेलवे के बीच चलने वाली गाड़ी को रद्द कब किया गया था;

(ख) क्या उपरोक्त दोनों स्टेशनों के बीच चलने वाली यही एक मात्र गाड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो इस गाड़ी को फिर से चालू किये जाने की सम्भावना कब तक है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 13-6-80 से 239/240 पालनपुर-समदड़ी सवारी गाड़ियाँ रद्द कर दी गयीं। किन्तु 23-6-80 से इन गाड़ियों को फिर से चालू कर दिया गया। इसके आलावा, 265/266 सवारी गाड़ी तथा 65 ए/66 ए भुज फास्ट पैसेंजर के साथ जोधपुर और अहमदाबाद के बीच 4 थ्रू यान भी चल रहे हैं, जिनसे समदड़ी और पालनपुर के बीच एक अन्य सीधी सेवा की व्यवस्था उपलब्ध है।

पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग पर बकाया भविष्य निधि की राशि

3725. **श्री आर. पी. यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जूट उद्योग में कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि नहीं चुकाई जा रही है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, पश्चिम बंगाल में जूट कारखाने में देय राशि कितनी है; और

(ख) जूट उद्योगों में बाकीदारी समाप्त करने और अधिनियम की धारा 14 ख के अधीन दाण्डिक क्षतिपूर्ति लागू करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अन्जैया) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 16 जूट मिलें, आन्ध्र प्रदेश में तीन जूट मिलें और बिहार में दो जूट मिलें भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी न करने की

दोषी हैं। पश्चिम बंगाल की दोषी 16 जूट मिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं। इनमें से 15 जूट मिलें 'छूट प्राप्त' हैं और उनका दोष भविष्य निधि अंशदानों को उनके अपने न्यासी बोर्डों में अंतरित न करने का है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :—

1. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाना;

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्टें दायर करना;

3. दोषों को कर्मचारियों और नियोजकों के संगठनों के ध्यान में लाना;

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन न्यायालयों में जाना ताकि दोषी नियोजकों को अच्छे आचरण के लिए बाध्य किया जा सके;

5. छूटों को रद्द करना; और

6. सजा में वृद्धि कराने के लिए अपीलें दायर करना।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उपर्युक्त कार्यवाही कर रहा है। जहां तक एक छूट प्राप्त जूट मिल का संबंध है, यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही की गई है।

विवरण

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	क्या छूट प्राप्त है या छूट प्राप्त नहीं है	बकाया राशि अर्थात् प्रबन्धतंत्र द्वारा न्यासी बोर्ड को अंतरित की गई राशि।
			(रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स अलेजेंड्रा जूट मिल कं. लि.।	छूट प्राप्त	26·06
2.	,, कैलविन जूट क. लि.।	यथोक्त	80·26
3.	,, किनिसन जूट कं. लि.।	,,	98·16
4.	,, खरदाह कं. लि.।	,,	19·16
5.	,, मेग्ना मिल्स लि.।	,,	113·72
6.	,, नेशनल कं. लि.।	,,	51·66
7.	,, श्री अम्बिका जूट कं. लि.।	,,	54·69
8.	,, यूनियन जूट कं. लि.।	,,	6·35
9.	,, डलहौजी जूट क. लि.।	,,	12·46
10.	,, इस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कं. लि. :	,,	32·74

11 ,,	नोर्थ ब्रुक जूट कं. लि.।	,,	32·92
12. ,,	एम्पायर जूट कं. लि.।	,,	62·42
13. ,,	नस्करपारा जूट कं. लि.।	,,	15·41
14. ,,	शंकर जूट मिल।	,,	34·09
15. ,,	बड़े जूट एन्ड एक्सपोर्ट लि.।	,,	2·26
16. ,,	भारत जूट मिल्स।	छूट न प्राप्त	8·42

दिल्ली के आस पास की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए उपाय

3726. **श्री भीकू राम जैन** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) दिल्ली नगर के आस पास की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए और कई बस्तियों और क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक मूत्रालयों, शौचालय तथा बरसाती पानी के निकास की नालियाँ नहीं हैं इन्हें सुलभ करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञों की कोई ऐसी समिति गठित करने का है जो सरकार को अस्वास्थ्य कर हालत में सुधार के लिए तथा नगर के सभी भागों में न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक सलाह दे सके; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले इलाकों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है :–

(1) पुराने आबादी वाले इलाके उदाहरणार्थ : शहरी जोन, सदर बाजार जोन, करोल बाग के जोन का भाग और सिविल लाइन जोन,

(2) पुनर्वास कालोनिया,

(3) अनुमोदित कालोनिया,

(4) अनधिकृत नियमित कालोनिया.

(5) अनधिकृत कालोनिया,

(6) जे. जे और पुनर्वास कालोनिया।

सफाई के प्रबन्ध में सुधार लाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने कूड़ा करकट हटाने तथा एकत्र करने के कार्य का यंत्रीकरण करने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना तैयार की है। भारत सरकार ने इस मार्गदर्शी परियोजना को स्वीकृत कर दिया है और विभिन्न उपकरण आदि प्राप्त किए जा रहे हैं। कूड़ा करकट प्रबन्ध से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों का यंत्रीकरण करने का विचार है। इस समय कूड़ा करकट का निपटान सेनेटरी लैण्ड फिल पद्धति द्वारा वैज्ञानिक आधार पर किया जा रहा है और कूड़े-करकट को खाद में बदलने के लिए एक संयंत्र की भी स्थापना की जा रही है। उपयुक्त (1), (2) (3) के इलाकों में सार्वजिन मूत्रालय, शौचालय तथा बरसाती पानी के निकास की नालियां बनी हुई है। तथापि (4) और (5) के इलाकों से इन्हें अभी बनाया जाना है। झुग्गी झोपड़ी और पुनर्वास कालोनियों की देखभाल दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है जहां पर स्वीकृत नक्शों के अनुसार सार्वजनिक मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था की गई है। इनमें से अधिकांश कालोनियों में बरसाती पानी के निकास की नालियां

भी बनाई जा चुकी है। जहाँ कहीं ये अभी बनाई जानी है वहाँ पर बाढ़ से बचने के लिए कच्ची नालियां खोद दी गई है अथवा खोदी जा रही हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में जन सुविधाएं काफी हैं और पानी के निकास की व्यवस्था भी संतोषजनक है।

(ख) और (ग) ऐसी समिति गठित करने का स्वास्थ्य मन्त्रालय का अभी तक कोई विचार नहीं है

बीमा चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा हड़ताल

3727. **श्री आर. के. महालगो :**

श्री मधु दण्डवते : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में बीमा चिकित्सा व्यवसायियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए। मई, 1980 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी है;

(ख) क्या यह सच भी है कि इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी धमकी दी है कि यदि इन व्यवसायियों की समस्याओं को शीघ्र दूर नहीं किया तो वे देशव्यापी हड़ताल कर देंगे;

(ग) यदि हां, तो हड़ताली व्यवसायियों की मांगें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा निकट भविष्य में किए जाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया) (क) जी हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) मुख्य मांगें ये हैं :—

(i) प्रति व्यक्ति शुल्क में वृद्धि;

(ii) चिकित्सा लाभों के लिये बीमा शुदा व्यक्तियों को अनधिकृत करने की प्रक्रिया में परिवर्तन

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदि में बीमा चिकित्सा व्यवसायियों की एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व।

(iv) सेवा की शर्तों में सुधार।

(घ) श्रम मन्त्री द्वारा की गई अपील के अनुसरण में हड़ताल 17 जून, 1980 को समाप्त कर दी गई और कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थायी समिति की बैठक 11 जुलाई, 1980 को बुलाई जाई जा रही है जिनमें प्रति व्यक्ति शुल्क का भुगतान करने, अनिकृत करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने और बीमा चिकित्सा व्यवसायियों की अन्य शिकायतों पर विचार किया जाएगा।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का आधुनिकीकरण कार्यक्रम

3728. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकीमोटिव वर्क्स ने बड़े पैमाने पर एक ऐसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसे 1980 के दौरान पूरा होना है,

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है,

(ग) इस प्रस्तावित योजना से डीजल इंजन बनाने की अवधि किस सीमा तक कम हो जाएगी, और

(घ) इससे क्या-क्या अन्य लाभ होंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन) (क) चित्तारजन रेल इंजन कारखाने के आधुनिकरण की परियोजना को 1979-80 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था और यह काम प्रगति पर है। आशा है, यह काम 1982-83 तक पूरा हो जायेगा बशर्ते कि आने वाले वर्षों में इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध रहे।

(ख) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए 7.33 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया है। अधिकतम निवेश नयी मशीनों की खरीद और स्थापन में किया जायेगा। 150 मशीनों की खरीद की योजना बनायी गयी है जिनमें से विशेष प्रयोजना की 40 मशीनें आयात की जायेगी।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के पूरा हो जाने के पश्चात डीजल रेल इंजन कारखाने के निर्माण में लगाने वाले स्वायतक में लगभग15% की कमी आने की आशा है।

(घ) बिजली रेल इजनों के निर्माण में लगाने वाले समय चक्र में भी लगभग 15% की कमी आने की आशा है। इसके अतिरिक्त मशीनी प्रक्रिया में सुधारों तथा बेहतर आन्तरिक गति के कारण कर्षण मोटरों, सिलेन्डर हेड्स और सिलेन्डर लाइनरों के उत्पादन में भी 10% वृद्धि होने की प्रत्याशा है।

बिजली की कमी से इन्जन का उत्पादन प्रभावित

3729. **श्री आर. के. महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि बिजली की वर्तमान कमी से रेल इन्जन का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो गत छ महीनों के दौरान रेल इन्जनों का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या सरकार ने इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं ?

रेल मत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) देश के विभिन्न भागों में बिजली की कमी के कारण, सरकारी, निजी क्षेत्र के विक्रेताओं द्वारा चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाने (चि. रे. का.) को महत्वपूर्ण पुर्जों की सप्लाई किए जाने पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। मई, 1979 से चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाने को दामोदर घाटी निगम (दा. घा, नि.) से अपनी बिजली की सप्लाई कम हो जाने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई।

इसी प्रकार, बिजली की सप्लाई पर कथित प्रतिबन्धों के कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि./भोपाल, द्वारा कर्षण उपस्करों की अपर्याप्त सप्लाई की वजह से डीजल रेल इन्जन कारखाना वाराणसी (डी. रे. का.) के डीजल रेल इन्जनों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) 1879-80 में चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाने में 51 बिजली रेल इन्जनों के उत्पादन हुआ जबकि लक्ष्य 60 रेल इंजनों का था। इस तरह वार्षिक उत्पादन 9 रेल इन्जन कम रहा इसी प्रकार, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बिजली उपस्करों की कम सप्लाई और

अन्य तित सन्तुलन उपस्कर के जहाज पर लादे जाने में विलम्ब के कारण 1979-80 में डीजल रेल इन्जन कारखाने से 37 डीजल रेल इन्जन तैयार करके भेजे नहीं जा सके।

पिछले 6 महीनों में अर्थात जनवरी से जून 1980 तक चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में 50 और डीजल रेल इन्जन कारखाने में 70 रेल इन्जनों का उत्पादन हुआ है।

(ग) पन बिजली के उत्पादन में वृद्धि से आशा है कि आने वाले महीनों में बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और अन्य विक्रेताओं से अधिक उपस्कर प्राप्त होने पर रेल इंजनों के उत्पादन में 1979-80 की कमियों को चालू वर्ष (1980 81) के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है। रेलवे कारखानों को पूरी बिजली सप्लाई करने के लिए संबंधित बिजली सप्लाई प्राधिकारियों से सभी स्तरों पर अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, कारखानों के लिए सहायक जनित्र सेटों की व्यवस्था की जा रही है।

मैसर्स विनोद मिल्स लिमिटेड और मैसर्स विमल टैक्सटाइल मिल्स, लिमिटेड, उज्जैन द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि का जमा कराया जाना

3730. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री मैसर्स विनोद मिल्स लिमिटेड और मैसर्स विमल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, उज्जैन द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि जमा कराये जाने के बारे में 20 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स विनोद मिल्स लिमिटेड और विमल टैक्सटाइल मिल लिमिटेड, उज्जैन (मध्य प्रदेश) पर भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) : जैसाकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है, बकाया राशि को वसूल करने के लिए की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है :

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन :

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनिय, 1952 की धारा 14 (2) के अधीन नियोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन प्रबन्ध तंत्र के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अधिनियम की धारा 17 (1) (क) के अधीन छूट प्रदान करने के जो रद्द दी गयी थी, प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम :

(i) मैसर्स विनोद मिल्स लिमिटेड, उज्जैन

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 45-ख के अधीन मई, 1979 से सितम्बर 1979 तक की अवधि के लिए बकाया अंशदानों और कुछ पिछली अवधि के लिए अंशदानों की देरी से अदायगी हेतु ब्याज के लिए वसूली कार्यवाही की गई है। नवम्बर, 1979 और मार्च, 1980 को समाप्त हुई अवधियों के लिए अंशदानों की अदायगी न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गये हैं। इस अधि-

नियम की धारा 85 के अधीन नियोजक के विरूद्ध अभियोजन मामला भी दायर किया जा रहा है।

(ii) मैसर्स विमल टैक्सटाइल लि., उज्जैन — कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45-ख के अधीन मई, 1979 से मार्च, 1980 तक की अवधि के लिये बकाया अंशदानों, इसमें जनवरी 1980 का अंशदान शामिल नहीं है जिसके लिए पहले ही अन्शदानों का भुगतान किया जा चुका है, और अंशदानों की देरी से अदायगी हेतु ब्याज के लिए वसूली कार्यवाही शुरू की गई है। अधिनियम की धारा 85 के अधीन नियोजक के विरूद्ध अभियोजन मामला भी दायर किया जा रहा है।

रायल पेपर स्टोर, बम्बई पर बकाया भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि

3731. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत रायल पेपर स्टोर, 187 अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई-2 द्वारा कितनी राशि जमा कराई गई थी और इसकी कितनी राशि अभी बकाया है; और

(ख) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सूचित किया है कि यह प्रतिष्ठान क्रमशः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि उनके द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या बीस से कम है। अतः बकाया राशि वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन मैडिसन्स फर्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश द्वारा जमा कराई गई भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशियां

3732. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इंडियन मैडिसन्ज फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा भविष्य निधि के अन्तर्गत कितनी धन राशियां जमा करायी गयी हैं और कितनी धनराशि अभी जमा कराई जानी है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) : जैसाकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सूचित किया गया है, मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ऋषिकेश (इन्डियन मेडिसन्ज फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश नाम का कोई प्रतिष्ठान नहीं है) से देय राशियों की वसूली सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार है :

कर्मचारी राज्य बीमा निगम :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना 25 नवम्बर, 1979 से उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में इस प्रतिष्ठान के चार एकक हैं। नियोजक ने इन यूनिटों के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबन्धों का अनुपालन करने के बारे में अभी तक सूचित नहीं किया है। अतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम चार यूनिटों के रिकार्डों के निरीक्षण की व्यवस्था कर रहा है, जिसके पश्चात् अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन :

इस प्रतिष्ठान को तब तक के लिए छूट दी गई है जब तक कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17 (1) के अधीन छूट प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठान के अनुरोध पर निर्णय ले नहीं लिया जाता। यह प्रतिष्ठान न्यासी बोर्ड को, जो भविष्य निधियों की व्यवस्था करता है, भविष्य निधि अंशदानों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन नियमित रूप से कर रहा है।

वस्त्र

3733. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 65 करोड़ मूल्य के कपड़े एवं एश्वर्य वस्तुएं सीमा पर भारतीय रेल के अन्तिम छोर, रक्सौल पर पड़ी है, क्योंकि नैपाली आयातकों ने इनको अभी छुड़ाया नहीं है;

(ख) यदि हां, तो माल डिब्बों के परिवहन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जाने हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रक्सौल-नेपाल साइडिंग में नेपाली आयातकर्ताओं द्वारा सुपर्दगी लिए जाने की प्रतीक्षा में बहुत से पैकिंग रुके पड़े हैं। ऐसे माल के समग्र मूल्य का आकलन नहीं किया जा सका।

(ख) इसके परिणामस्वरूप स्थान की कमी के कारण कभी-कभी लदे माल डिब्बों की उतराई के लिए रोके रखना भी पड़ता है और परिणामस्वरूप रक्सौल के लिये यातायात को विनियमित करना पड़ता है।

(ग) रक्सौल में माल की शीघ्र निकासी के लिए निम्नलिखित कदम उपाय किये गये हैं :

(i) 15-5-80 से स्थान शुल्क की विशेष ऊंची दरें लागू करना अर्थात प्रतिदिन या दिन के किसी भाग के लिए प्रति 50 कि. ग्राम. या उसके किसी भाग पर 1.50 रुपये।

(ii) छः मास से अधिक समय तक जिन पैकिजों की सुपुर्दगी न हुई हो उन्हें सभी औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् समय-समय पर नीलाम कर देना।

(iii) शीघ्र सुपुर्दगी में सहायता के लिये महाराजा नेपाल की सरकार के सीमा शुल्क अधिकारियों/प्रेषितियों तथा अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना।

मद्रास के बाह्य बन्दरगाह पर सामान लादने सम्बन्धी सुविधायें

3734. **श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी. एम. सईद :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास बाह्य बन्दरगाह में लौह-अयस्क को पोतों पर चढ़ाने की सुविधाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सम्मुख्य है,

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या जापानी विशेषज्ञों के एक दल, जिसने कि इस सम्बन्ध में अध्ययन किया था, ने इससे सम्बन्धित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और

(घ) यदि हाँ, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और अन्तिम निर्णय के कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जापानी स्टील मिलों ने खनिज और धातु व्यापार निगम को आउटर हारबर को गहरा करने के लिए एक सुझाव भेजा है जिससे कि अधिक बड़े आकार वाले जहाजों में माल लादा जा सके। अगर खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा इस सुझाव की सिफारिश की गई तब इसके ऊपर इसके गुणों के आधार पर विचार किया जायगा।

रेलवे अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति

3735. **श्री रामलाल राही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की विभिन्न अस्पतालों/औषधालयों में डाक्टरों की नियुक्ति के मामले में उपेक्षा की गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम स्वरूप अस्पतालों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के डाक्टरों की संख्या इस संबन्ध में उनके आरक्षित कोटे से कम है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर सहायक मडल चिकित्सा अधिकारियों (श्रेणी-I) की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर की जाती है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की भर्ती में जो नाम-मात्र की कमी है, उसका कारण यह है कि इस कोटि के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए। बहरहाल, रिक्तियों को अग्रेषित कर लिया जाता है और जैसे ही अतिरिक्त उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं, उन्हें समय समय पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया जाता है।

औषध लेबलों के ब्रांड नाम का दर्जा कम किया जाना

3736. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री पी. एम. सईद :

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चिकित्सा व्यवसायियों ने औषध लेवलों के ब्रांड नाम का दर्जा कम किये जाने संबधी सरकार के प्रस्ताव पर भारी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने उक्त प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसमें उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं? और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) और (ग) फिलहाल सरकार का यह विचार है कि दवा के व्यापारिक नाम यदि कोई हो, की अपेक्षा उसका उचित नाम और अधिक स्पष्ट ढंग से छापना या लिखना होगा और इसके व्यापारिक नाम को उचित नाम के फोरन बाद अथवा नीचे लिखा जाएगा। चिकित्सा व्यवसाय में लगे लोगों से सरकार के प्रस्ताव के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन मिल चुके हैं जिनकी जाँच की जा रही है।

अमरीकी बंधकों को मुक्त कराना

3337. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री पी. एम. सईद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ईरान में बंधकों को मुक्त कराने के लिए अमरीका सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अब अमरीका ने घोषणा की है कि अमरीका बंधकों को मुक्त कराने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेगा;

(ग) यदि हाँ, तो क्या अमरीका के इस परिवर्तित रुख को देखते हुए भारत ईरान से उन बंधकों को मुक्त कराने में सहायता करने के लिए सहमत हो गया है;

(घ) क्या अमरीका ने इसके लिए भारत से कहा है; और

(ङ) इस बारे में भारत ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि वह राजनैतिक उन्मुक्तियों के उल्लंघन के विरुद्ध है और इस बात को भी ठीक नहीं समझती कि राजनयिकों की सुरक्षा और उनके जीवन को कोई खतरा पैदा करे। इसके साथ ही, अमरीका ने अपने बंधकों को निकालने के लिए जो सैनिक प्रयत्न किए हैं उस पर भी सरकार को खेद और चिंता हुई है और उसने अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की है कि अमरीकी बंधकों से सम्बद्ध स्थिति से निपटने के लिए अमरीका किसी भी प्रकार के सैनिक तरीकों का सहारा नहीं लेगा और सम्बद्ध पक्ष शान्तिपूर्ण बातचीत की अनिवार्य आवश्यकता का सम्मान करेंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं मानवता की अपेक्षाओं के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका ने हमें सूचित किया है कि वह शांतिपूर्ण और राजनयिक तरीकों से बंधकों के मसले के समाधान के प्रयत्न जारी रखेगा।

(ग) (घ) एवं (ङ) भारत से इस बारे में सम्पर्क किया गया था और हमने उन्हें अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है।

पचवर्षीय योजनाओं में नई लाइनों के लिये कुल आवंटन

3738. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर रेलवे की विभिन्न 5 वर्षीय योजनाओं में नई रेल लाईनों के निर्माण हेतु कुल कितने आवंटन किये गये;

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना मे रेलवे के कुल बजट की तुलना में नई रेल लाइनों पर व्यय का अनुपात क्या था;

(ग) क्या देश के बड़े आकार एवं भारी जनसंख्या को देखते हुये भारतीय रेल प्रणाली के अन्तर्गत तुलनात्मक रूप से कम लम्बाई के कारण और विशेष रूप से रेल यातायात समिति द्वारा की गई इस टिप्पणी को देखते हुये कि भारतीय रेलवे की किलोमीटर लम्बाई न केवल उन्नत देशों की तुलना में अपितु मलेशिया अल्जीरिया तथा श्रीलंका की तुलना में भी असंतोषजनक है छठी पचवर्षीय योजना में नई लाईनों के लिये अधिक आवंटन किया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो रेलवे ने छठी पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाईनों के निर्माण के लिये व्यय हेतु कितनी धनराशि का योजना आयोग को प्रस्ताव किया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) पहली योजना और उस के बाद निर्धारित कुल परिव्यय, नयी लाइनों के लिए की गयी व्यवस्था और उन पर किया गया खर्च और कुल परिव्यय से उसका प्रतिशत इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

योजना	कुल परिव्यय	नई लाईनें व्यवस्था	किया गया खर्च	कुल परिव्यय से खर्च का प्रतिशत
(i) (1951-56)	400	33*	33*	8.3
(ii) (1956-61)	1125	66	78	6.9
(iii) (1961-66)	1581.5	206	212	13.4
(iv) (1969-74)	1400	86	67	4.8
(v) (1974-79)	2152	97	80£	3.7

(ग) और (घ) रेल दर सूची जांच समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर यथोचित विचार किया जायेगा और योजना आयोग के परामर्श से रेलों की छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85 को अन्तिम रूप देते समय उन्हें ध्यान में रखा जायेगा। भारतीय रेलों का जाल विस्तृत भारतीय-उप-महाद्वीप में फैला हुआ है और मलेशिया, अल्जीरिया और श्री लंका जैसे देशों की तुलना में यहाँ की समस्याएँ गहनता और आधार में भिन्न हैं।

दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड में विद्यमान रिक्त स्थान

3739. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*विद्युतीकरण भी शामिल है।

†पाँचवी योजना एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गयी।

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड में गत 8-9 महीनों से सदस्यों के दो स्थान रिक्त पड़े हैं,

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान सांसदों ने उक्त बोर्ड में अन्तर्राज्यीय, शैक्षिक और अनुसूचित जनजाति संगठनों को प्रतिनीधित्व देने के लिए बार-बार अनुरोध किया है,

(ग) क्या वर्ष 1975 76 और 1976-77 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम परामर्शदात्री परिषद् में अन्तर्राज्यीय हित को और शिक्षा आदि के हितों को भी, प्रतिनिधित्व प्राप्त था,

(घ) क्या यह सच है कि बोर्ड की लगभग आधी अवधि गुजर चुकी है,

(ङ) इन हितों को सरकार कब तक प्रतिनिधित्व प्रदान कर देगी, और

(च) क्या सरकार उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देगी, जिन्हें दिल्ली परिवहन निगम परामर्शदात्री परिषद् की सदस्यता का अनुभव है ?

नौवहन और परिहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) जी नहीं। पिछली बार बार बोर्ड का पुनर्गठन 1 मई 1979 से तीन साल की अवधि के लिए हुआ था।

(ङ) सरकार दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही दो व्यक्तियों को नामजद करने वाली है। अन्तर्राज्यीय स्टोपर दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाएं काफी सीमित है, इसलिए अन्तर्राज्यीय हितों को भी दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड में प्रतिनिधित्व देना जरूरी नहीं समझा गया। दिल्ली परिवहन निगम परामर्शदात्री परिषद् के सदस्य के कार्य भी काफी सीमित होते हैं और इसीलिए, सदस्यता के रूप में उसके अनुभव को दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए एक कसौटी स्वीकार नहीं की जा सकती। उक्त बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारी

3740. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में खोले गये विभिन्न उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय को आनुपातिक प्रतिशतता में सीनियर हेड क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या काफी कम है जिसके परिणाम स्वरूप भुगतानों और अग्रिम राशियों के तुरन्त निपटान के माध्यम से गरीब श्रमिकों को मदद करने का उद्देश्य ही विफल हो गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार दावों, अग्रिम राशियों के आवेदन पत्रों पर तुरन्त कार्यवाही करने और लेखों के वार्षिक विवरणों को तुरन्त जारी करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से सीनियर हेड क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों का उप-क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानान्तरण करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) बढ़ते हुए कार्यकलापों और कार्य-

भार को पूरा करने के लिये उप-क्षेत्रीय केन्द्रों में पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनेके प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को अनुदेश दिए हैं कि उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की स्थिति की पुनरीक्षा की जाए और जहां तक सम्भव हो, असंतुलन ठीक किए जाएं।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 470-750 रुपये के वेतन-मान में स्पेशल हैड क्लर्कों के 53 पद हैं। स्पेशल हैड क्लर्कों और उच्च श्रेणी लिपिकों के पद सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके कार्यभार के आधार पर आवंटित किए जाते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को सवारी भत्ता

3741. **श्री आर. पी. यादव :**

श्री पी. जे. कुरियन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निरीक्षकों, सहायक, आयुक्तों तथा क्षेत्रीय आयुक्तों को सवारी भत्ता सुविधा देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव कुछ समय से विचाराधीन है यद्यपि इस प्रस्ताव को लागू करने से कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यकुशलता काफी बढ़ गई होती;

(ग) क्या प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

(घ) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, मेकोन तथा अन्य इसी प्रकार के सरकारी उपक्रमों जैसे अन्य संगठनों के संदर्भ में इस प्रस्ताव की जांच की गई है; और

(ङ) यदि इसको कार्यान्वित करने के लिये क्या तत्काल कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को सवारी भत्ता देने की सिफारिश केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा गठित उप-समिति की अन्तरिम रिपोर्ट में की गई है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) उप-समिति की उपर्युक्त सिफारिश और कुछ अन्य सिफारिशों पर उनके वित्तीय पहलुओं तथा कुछ अन्य उपक्रमों में व्याप्त पद्धति के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। अनुमान है कि सवारी भत्ते की अदायी से सम्बन्धित सिफारिशों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 28 लाख रुपये खर्च होंगे।

कोलगोंग (भागलपुर) में रखे गये पोत

3742. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलगोंग (भागलपुर) बन्दरगाह पर रखे गये पोतों की संख्या कितनी है;

(ख) कोलगोंग में इस समय वास्तविक रूप में कितने पोत कार्यरत हैं;

(ग) शेष पोतों को बेकार खड़े रखने के तथा खराब पोतों की मरम्मत न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) समस्त पोतों के उचित तथा ठीक रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) 12 जलयान (5 पावरयुक्त और 7 बगैर पावरयुक्त)।

(ख) 10 जलयान (3 पावर युक्त और 7 बगैर पावरयुक्त)।

(ग) पावरयुक्त दो जलयानों को सूखी गोदी में लाकर उनकी मरम्मत की जानी है। चूंकि फरक्का से धारा की ऊपर की ओर कोई अन्य सूखी गोदी नहीं है और नदी का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण इन जलयानों को पानी के अन्दर मरम्मत करने के लिए ले जाना सम्भव नहीं है इसलिए इनकी मरम्मत तभी हो सकती है जब मोकामा में रेलवे की सूखी गोदी में आवश्यकतानुसार जगह खाली रहे।

(घ) अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के जलयानों को मोकामा की सूखी गोदी में लाकर मरम्मत करने के लिए रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) से 18-3-80 को कहा गया था। रेलवे बोर्ड ने नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के अनुरोध को महाप्रबन्धक उत्तर-पूर्व रेलवे, गोरखपुर को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 15-4-1980 को अग्रेषित कर दिया था। इसलिए जो जलयान मरम्मत के लिए रुके पड़े हैं उन्हें जल्दी ही सूखी गोदी में लाये जाने की सम्भावना है। जलयानों को मरम्मत के लिए अधिक समय तक रोके नहीं जाने देने के लिये यह सुझाव है कि पावरयुक्त दो जलयानों में से एक जलयान को किनारे पर लाकर उसकी न्यूनतम आवश्यक मरम्मत की जाय और पानी में रहने वाले उसके पुर्जों आदि को बदल कर उनके स्थान पर नये पुर्जे आदि लगा दिए जाएं। बाकी दूसरे पावरयुक्त जलयान की मरम्मत मोकामा में रेलवे की सूखी गोदी में लाकर ही की जा सकती है।

आई. डब्ल्यू. टी. पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में पद

3743. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मन्त्रालय के सामान्य आदेशों के अनुसार दो वर्षों से अधिक विद्यमान सभी पद, जिनके बने रहने की सम्भावना है, कुल पदों (स्थायी और अस्थायी) के केवल दस प्रतिशत के अंतर को छोड़कर, स्थायी किये जायेंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि आई. डब्ल्यू. टी. पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकांश पद अभी तक अस्थाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। इस विषय पर आदेशों के अनुसार जो अस्थाई पद लगातार कम से कम 3 वर्षों से जारी हैं और जो स्थाई तरह के काम के लिये जरूरी हैं उनमें से 90% पदों को स्थाई बना दिया जाना चाहिए।

(ख) जी, नहीं। अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में चारों ग्रुपों के कुल 136 पद अस्थाई हैं।

इन 136 अस्थाई पदों में से 59 पद कार्य-प्रभारित और बाकी 77 नियमित अस्थाई पद हैं।

(ग) इन कार्य प्रभारित/अस्थाई पदों को स्थाई करना अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय पटना द्वारा संचालित नदी सेवाओं लैंडिंग ऑफट टैंकर फेरी सर्विस को नियमित जारी रखने निर्णय पर निर्भर है क्योंकि यह अभी प्रयोग व प्रोत्साहन के आधार पर चल रही है।

आई. डब्ल्यू. टी. डायरेक्टरेट के भर्ती नियम

3744. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डब्ल्यू० टी० डायरेक्टरेट तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों, सहायक यातायात अधिकारियों, सहायक नदी सर्वेक्षण आदि पदों पर भर्ती के लिए भर्ती नियमों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष विचार किया गया था,

(ख) क्या यह सच है कि कार्यकारी अधिकारियों के पदों संबंधी भर्ती नियमों को इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि असिस्टेंट मैरिन इंजीनियर, सहायक नदी सर्वेक्षक तथा ड्रैजिंग मास्टर आदि जैसे आई. डब्ल्यू. टी. संगठन के कार्य कर रहे अधीनस्थ अधिकारियों को लाभ दिया जा सके, और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सहायक यातायात अधिकारियों, सहायक नदी सर्वेक्षकों तथा अन्य पदों पर भर्ती के लिए भर्ती नियमों का उसी आधार पर पुनरीक्षण न करने के क्या कारण हैं और जैसा कि कार्यकारियों के मामले में किया जाता है और उक्त पुनरीक्षण अनुमानतः कब तक किये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सहायक यातायात अधिकारी, सहायक नदी सर्वेक्षक और अन्य पदों के भर्ती नियमों में संशोधन उसी रीति से किया जा रहा है जिस तरह कार्यकारी अधिकारी के भर्ती नियमों के मामले में किया गया था जिससे कि सहायक ग्रेड के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को पदोन्नीति के के अवसर मिल सकें। इन संशोधित नियमों को जल्दी अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वीकृत धनराशि

3745. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी,

(ख) कौन-कौन से राजमार्गों का सुधार और विकास किया गया तथा भिन्न-भिन्न वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया गया, और

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए क्या कार्यक्रम है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 1978-79 और 1979-80 में क्रमशः 392.40 लाख रुपये और 370 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इस धनराशि का उपयोग उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5,5 क,6, 23, 42 और 43 का सुधार/विकास करने में किया गया। वर्ष 1978-79 और 1979-80 में क्रमशः 392.01 लाख रुपये और 370.31 लाख रुपये खर्च किए गए।

वर्ष 1980-81 के लिए उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अस्थायी रूप से 370 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

परादीप बंदरगाह पर हिंसक संघर्ष

3746. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परादीप बंदरगाह पर 26 मार्च, 1980 को दिन में हिंसक संघर्ष हुआ था जिसमें तीन हत्याएं हुई और गोदो श्रमिकों के घर जला दिए गए थे, और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कामगरों के दो दलों के बीच 26 मार्च 1980 को खासतौर से पोर्ट एरिया में और बाद में पोर्ट टाउनशिप में जबरदस्त झड़पें हुई। इन झड़पों में कुछ झोपड़ियाँ भी जला दी गई। तीन कामगर हताहत हुए और 42 घायल हुए।

परादीप पोर्ट अधिकारियों ने सूचित किया है कि राज्य की पुलिस द्वारा 69 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन इन पर मुकदमा चलाया गया। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 पोर्ट टाउनशिप में लागू कर दी गई पुलिस दल में भी वृद्धि की गई। इसलिए कामगरों की झोपड़ियाँ जला दी गई थीं उनको राज्य की सरकार ने वित्तीय सहायता दी। पोर्ट ट्रस्ट ने पीड़ित कामगारों और उनके परिवारों को भोजन आदि की आर्थिक सहायता भी दी।

हड़तालें और जन-दिवसों की हानि

3747- **श्री पी. राजगोपाल नायडू :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 के दौरान कितनी हड़तालें हुई; और

(ख) इन हड़तालों के कारण कितने जन-दिवसों की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) वर्ष 1979 और जनवरी मार्च, 1980 के दौरान हुई हड़तालों की संख्या और उनके नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1979 और जनवरी-मार्च, 1980 के दौरान हुई हड़तालों की संख्या और उनके कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या संबंधी विवरण

अवधि	हड़तालों की संख्या	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (लाखों में)
1	2	3
1979 (अ)	2714	351.2
जनवरी मार्च, 1980 (अ)	525	11.9

(अ) = अनंतिम

वर्ष 1979-80 के दौरान रेल दुर्घटनाएं

3748. श्री पी. राजगोपाल नायडू :

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान कितनी रेल दुर्घटनायें हुई; और

(ख) उनमें कितने व्यक्ति मारे गये और रेलवे सपत्ति को कुल कितनी हानि हुई और मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979-80 में भारतीय सरकारी रेलों पर टक्कर, पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाएं और गाड़ियों में आग लगाने की कोटियों के अन्तर्गत 900 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 282 व्यक्ति मारे गये और इनसे रेल सम्पत्ति को लगभग 5, 82 27, 000 रुपये की क्षति होने का अनुमान है । भारतीय रेल अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत इन दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को अब तक 3, 97, 650 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है ।

रेल लाइनों को बदलना

3749. श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण मध्य रेलवे में 1979-80 के दौरान कितनी लम्बी रेल लाइनें बदली गई ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री (मल्लिकार्जुन) 1979-80) दौरान दक्षिण मध्य रेलवे पर निम्नलिखित लम्बाई में रेलपथ बदला गया था :—

(आंकड़े कि० मी० में)

पूरे रेलपथ का नवीकरण	थ्रू पटरी का नवीकरण	थ्रू स्लीपर का नवीकरण
25. 31	103.50	57.87

हैदराबाद बंगलौर लाईन का बड़ी लाईन में बदला जाना

37. 0. श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद से बंगलौर तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बेंगलूर-गुन्तकल्लु लाइन के आमान-परिवर्तन का काम पहले से ही चालू है और आशा है कि यदि धन उपलब्ध हुआ तो यह काम 1981-82 तक पूरा हो जाएगा । गुन्तकल्लु से सिकन्दराबाद तक पहले ही बड़ी लाइन मौजूद है । गुन्तकल्लु और सिकन्दराबाद को जोड़ने वाली वर्तमान मीटर लाइन का आमान-परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । मीटर लाइन की यह ही मुख्य कड़ी है जो उत्तरी और दक्षिणी मीटर लाइनों को जोड़ती है ।

नेल्लूर और प्रकासम जिलों में कर्मचारियों को चक्रवात/बाढ़ की अग्रिम राशि की अदायगी।

3751. श्री के. ए. राजन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मई, 1980 में विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड को यह अनुदेश जारी किए हैं कि वे नेल्लूर और प्रकासम जिलों में श्रमिकों/कर्मचारियों को चक्रवात/बाढ़ की अग्रिम राशि का भुगतान करें;

(ख) क्या अग्रिम राशि की अदायगी की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास बोर्ड के अलग-अलग कितने श्रमिकों/कर्मचारियों को अग्रिम राशि की अदायगी की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि मई 1979 में आंध्र प्रदेश के प्रकासम और नेल्लूर जिलों में चक्रवात आया था/बाढ़ आई थी;

(ङ) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम से प्रकासम और नेल्लूर जिलों के बीच लगभग 400 मील का फासला है; और

(च) जिस मजदूर संघ ने इस सम्बन्ध में सरकार से अभ्यावेदन किया उसका नाम क्या है और वह किस पार्टी से सम्बद्ध है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) विशाखापत्तनम डाक लेबर बोर्ड को 25-4-80 को यह परामर्श दिया गया था कि वह भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (व्यय विभाग) द्वारा उन गैर राजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेशगी ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में 1-6-79 को जारी किए गये निर्देशों को अपने यहां भी लागू कर दें जिनकी चल या अचल सम्पत्ति को आंध्र प्रदेश के नेल्लूर और प्रकाशम जिले में आये तूफान से काफी क्षति हुई है या जो काफी नष्ट हो गई है और उक्त प्रकार के पेशगी ऋण के लिये जो पात्र कर्मचारी हों उन्हें तुरन्त पेशगी ऋण मंजूर कर दें।

(ख) जी, हां।

(ग) विशाखापत्तनम डाक लेबर बोर्ड के 3400 कर्मचारियों और कामगारों तथा विशाखापत्तन पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के 9300 कर्मचारियों और कामगरों को पेशगी ऋण का भुगतान किया गया।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध पोर्ट खलासी यूनियन।

मंजूरी पुनरीक्षण समिति की सिफारिश की क्रियान्विति

3752. **श्री के. ए. राजन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंजूरी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को जिन्हें 14 जुलाई 1977 के समझौते के अनुसार संशोधित किया गया था, किन तारीखों को न्यू टूटीकोरिन पत्तन न्यास और न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के कर्मचारियों/श्रमिकों पर क्रियान्वित किया गया था;

(ख) क्या इन दो बन्दरगाहों में तट पर और जहाज पर माल चढ़ाने-उतारने वाले श्रमिकों में उक्त सिफारिशों को लागू किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे; और

(घ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) बड़े पत्तनों के पत्तन और गोदी कर्मचारियों के लिए मजदूरी संशोधन समिति ने मजदूरी का जो फारमूला तय किया था वह टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में पहली अप्रैल 1979 से अर्थात् जब टूटीकोरिन में मेजर पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड स्थापित हुआ, लागू किया जा चुका है। न्यू मंगलौर में मंजूर पोर्ट ट्रस्ट पहली अप्रैल 1980 को स्थापित हुआ था। मदजूरी का जो फारमूला अन्य महा-पत्तन न्यासों में लागू है, उसे पहली अप्रैल 1980 से न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट में भी लागू कर देने का विचार है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) टूटीकोरिन और न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्टों में माल को चढ़ाने-उतारने वाले कर्मचारी पत्तन के कर्मचारी नहीं हैं और वह प्राइवेट कर्मचारी होते हैं।

(घ) सरकार इस मामले की जांच सम्बन्धित पत्तन अधिकारियों के परामर्श से भी की जा रही है।

उड़ीसा सरकार को चिकित्सा एककों तथा अस्पतालों के लिए केन्द्रीय सहायता

3753. **श्री के. प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को राज्य में राजकीय चिकित्सा एककों तथा अस्पतालों के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय उस राज्य में राजकीय चिकित्सा एककों तथा अस्पतालों से आबादी के कितने प्रतिगत भाग को सुविधायें मिल रही हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राज्य को केन्द्रीय सहायता दो तरह से दी जाती है—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य स्कीमों के लिए और (ii) राज्य स्वास्थ्य प्लान स्कीमों के लिए। यह सहायता प्रति वर्ष सभी इकट्ठे सैक्टरों के वार्षिक प्लानों के लिए सहमति प्राप्त समग्र परिव्ययों के आधार पर प्रचुर मात्रा में दी जाती है और यह अलग-अलग सैक्टरल कार्यक्रमों के लिए आबंटित नहीं की जाती है। उड़ीसा राज्य को राज्य स्वास्थ्य प्लान स्कीमों के लिए स्वीकृत किया गया परिव्यय तथा अस्पतालों और औषधालयों के लिए आबंटित की गई धनराशि इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	स्वीकृत किया गया परिव्यय	कुल स्वास्थ्य आबंटन में से अस्पतालों और औषधालयों के लिए आबंटित की गई धन-राशि
1977-78	302·00	58·36
1978-79	368·00	75·64
1979-80	469·45	78·49

(ख) उड़ीसा राज्य के सरकारी चिकित्सा एकक और अस्पताल द्वारा जितने लोगों को सेवाएं प्रदान की जा रही है उसकी सारणी नीचे दी गई है :—

	1-1-79 की संख्या	एक एकक जितने लोगों को सेवाएं प्रदान करता है।
(i) सरकारी अस्पताल	239	107439
(ii) सरकारी औषधालय	269	95457
(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	314	81777
योग	822	

पाक अधिकृत काश्मीर में दावानल का भारत की ओर फैलना

3754. **श्री निहाल सिंह :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाक अधिकृत काश्मीर के जंगल में 5/6 जून, 1980 को आग लग गई थी और अब यह आग काश्मीर के भारतीय क्षेत्र में फैल गई है तथा आग को बुझाने के कोई प्रयास नहीं किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के विचार से पड़ौसी देश के साथ बातचीत आरम्भ की है और इसके परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) 5 और 6 जून, 1980 के बीच की अवधि में पाक अधिकृत काश्मीर की ओर से आग भारतीय क्षेत्र के पुंछ जिले के मेन्धर वन क्षेत्र की ओर फैल गई । वन विभाग, पुलिस, सेना, सीमा सुरक्षा बल और वहां की जनता ने मिलकर तीन दिन के अन्दर इस आग पर काबू पा लिया था। यह आग जमीन पर लगी थी इसलिए जंगल के पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है।

(ख) पाकिस्तान की सरकार ने हमें सूचित किया है कि मई और जून के महीनों में प्रश्नगत क्षेत्र में जंगल में आग लगना एक सामान्य बात है और जब भी इस प्रकार की आग लगती है तो वन प्राधिकारी इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाते हैं कि आग और न फैले।

मद्राश और विलूपुरम के बीच दोहरी लाइन

3755. **श्री आर. मुथ कुमारन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास और विलूपुरम के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ताकि रेलगाड़ियों के मेल होने के कारण चलन-समय में होने वाला विलम्ब न हो;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है; और

(ग) क्या वर्ष 19 0-81 के दौरन इस कार्य के लिये कुछ धनराशि नियत की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जे. पी. अस्पताल की दयनीय और शोचनीय हालत

3756. श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जे. पी. अस्पताल की दयनीय और शोचनीय हालत के बारे में पता है; और

(ख) यदि हाँ, तो अस्पताल की हालत में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) यह माना जाता है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित इस अस्पताल की हालत बहुत संतोषजनक नहीं है लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि यह अस्पताल सीमित सुविधाओं के साथ एक पुरानी इमारत में चल रहा है। इस इमारत में इस समय सरकारी तौर पर 1175 पलंग लगे हैं और औसत बेड-आकुपेंसी 1325 पलंग प्रतिदिन है।

(ख) इस अस्पताल की हालत में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

1. 210 पलंगों वाला गुरुनानक नेत्र केन्द्र बन रहा है।
2. 380 पलंगों वाला एक वार्ड लगभग तैयार होने वाला है।
3. एक नया कैजुल्टी तथा इमरजेंसी सेंटर बनाने का विचार है।
4. वर्तमान पुराने अस्पताल में अतिरिक्त शौचालयों की सुविधाएं सुलभ करने का विचार है।
5. बाह्य रोगी विभाग में स्थान बढ़ाने के लिए वर्तमान बाह्य रोगी विभाग के भवन में तीसरी मंजिल बनाने का प्रस्ताव है।
6. कैजुएल्टी तथा इमरजेंसी विभाग के लिए अतिरिक्त स्टाफ मंजूर किया जा चुका है।
7. क्रय और भंडार संगठन, लेखा विभाग, नर्सिंग सेवा-तथा अन्य सहायक सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्टाफ मंजूर करने के प्रस्तावों पर दिल्ली प्रशासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

व्यावसायिक रक्त दान कर्त्ता

3757. श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 'बायोकेमिस्ट्री' विभाग ने व्यवसायिक रक्तदान कर्त्ता भर्ती किये हैं जो हर तीसरे दिन रक्त बेचने आ जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अनैतिक प्रथा को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

गैंगमैनों की छंटनी

4758. श्री ए. के. राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद आसनसोल डिवीजन में काफी बड़ी संख्या में गैंगमैंनों की छंटनी कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने गैंगमैंनों की छंटनी की गई है, किस तारीख को छंटनी की गई और उन्होंने औसतन कितनी अवधि तक काम किया; और

(ग) शहरों में रोजगार की विकट समस्या और गांवों में सूखे की स्थिति को देखते हुए इस अवधि में इतनी अधिक छंटनी किए जाने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) आसनसोल मंडल के विभिन्न स्थानों पर इंजीनियर विभाग में 26-3-80 से लगभग 300 नैमित्तिक गैंगमैंनों को काम पर लगाया गया था। स्वीकृति समाप्त हो जाने और उस कार्य के पूरा हो जाने पर, जिसके लिए स्वीकृति ली गयी थी, इन सभी गैंगमैंनों को 15-5-1980 को निकाल दिया गया था। इन गैंगमैंनों को नये स्वीकृति कार्यों के लिए 16-6-1980 से दोबारा काम पर लगा लिया गया है।

तटीय जहाजरानी द्वारा ढोये जाने वाले नौभार में कमी

3759. **श्री वी. के. नायर** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान तटीय जहाजरानी द्वारा ढोये जाने वाले कोयले सहित नौभार में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या है; और

(ग) इस परिस्थिति से उभरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

सस्ती लागत पर जहाजों का निर्माण

3760. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सस्ती लागत पर जहाजों का निर्माण करने संबन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने जहाजों की लागत को कम करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के सभी बड़े-बड़े शिपयार्डों को यह निदेश दिया है कि वे विशेष किस्म के जहाज बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त करें और ऐसा करने में जिससे कि वे उपलब्ध साधनों का अभीष्ट तौर पर इस्तेमाल कर सकें। शिपयार्डों ने इस आधार पर काफी काम कर लिया है। जहाजों के निर्माण की लागत को कम करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं जैसे निर्माण की प्रक्रिया में सुधार, उन्नत आउटफिटिंग और संघटकों का मानकीकरण, अधिक तेजी से उत्पादन और उत्पादन में वृद्धि जिससे कि थोड़े श्रम घंटे खर्च हों और ऊपरि खर्च भी कम हो आदि-आदि।

असम में बैगनों का आना जाना

3761. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम में आन्दोलनकारियों को इस बात के लिए मनाने के कोई प्रयास कर रही है कि वे माल से लदे उन 1000 रेल वैगनों को चलाने की अनुमति दे दें, जिन्हें वहाँ रोक लिया गया बताते है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)। (क) और (ख) यह मामला असम सरकार के ध्यान में लाया गया है। रुके हुए माल डिब्बों की गाड़ियों के संचलन के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कुछ उपाय किये गये थे। लेकिन पुलिस और सिविल प्राधिकारियों की सहायता के बावजूद उपाय अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

गैर-सरकारी पार्सल परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3762. **श्री एम.एम. लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी पार्सल परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है,

(ख) गैर-सरकारी पार्सल परिवहन उद्योग में कितनी कंपनियाँ लगी हुई है;

(ग) ये फर्म प्रति वर्ष कितने परिणाम में और कितने टन भार माल की ढुलाई करती है,

(घ) ये फर्म कुल माल यातायात के कितने अनुपात में यातायात करती हैं, और

(ङ) रेल और सड़क के माध्यम से माल यातायात के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) राज्य सरकारों को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वे इस प्रकार के आँकड़े नहीं रखती।

(ङ) रेल और सड़क परिवहन द्वारा जो माल लाय-ले जाया गया, उसके आँकड़े उपलब्ध है और स्थिति इस प्रकार है :—

रेल और सड़क परिवहन का हिस्सा

वर्ष	रेल	सड़क	कुल
	माल का यातायात (बिलियन टन कि० मी० में)		
1975-76	148	73	221
1976-77	157	76	233
1977-78	163	77	240

प्राईवेट पार्सल परिवहन कंपनियों के कर्मचारी

3763. **श्री एम.एम. लारेन्स** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्राइवेट पार्सल परिवहन कंपनियों के कर्मचारियों को कोई सेवा संरक्षण प्राप्त नहीं है और वे बहुत कम वेतन पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने और उन्हें अच्छा वेतन आदि दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अन्जैया) : (क) और (ख) मोटर परिवहन उद्योग में नियोजित कर्मकारों की दशाएं और कर्मचारियों का कल्याण मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 द्वारा विनियमित किया जाता है। यह अधिनियम राज्यों। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जाता है। इस अधिनियम में कार्य-घंटे दैनिक विश्राम अन्तराल, साप्ताहिक छुट्टी आदि निर्धारित की गई है और इसमें समयोपरित के लिये अतिरिक्त मजदूरी, मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी, आदि की व्यवस्था है। राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के निरीक्षणालय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करते हैं कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। निजी मोटर परिवहन कम्पनियों में मजदूरी के संशोधन के प्रश्न पर संबन्धित राज्य सरकार या प्रशासन द्वारा विचार किया जा सकता है, यदि यह मामला उनके साथ उठाया जाता है।

(ग) पाकेट बुक आफ लेबर स्टेटिस्टिक्स 1980 के अनुसार, 1977 में मोटर परिवहन उपक्रमों में अनुमानित औसत प्रतिदिन रोजगार लगभग 3.62 लाख था।

राज्य में कोढ़ के रोगियों के इलाज के लिए धन

3764. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कोढ़ के इनडोर और आउटडोर रोगियों के इलाज के लिए धन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त अवधि में बिहार राज्य के गैर सरकारी संगठनों को कोढ़ के इनडोर या आउटडोर रोगियों के इलाज के लिए कोई धन नहीं दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) गैर सरकारी संगठनों के नामों का तथा गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें वर्षवार, राज्यवार स्वीकृति की गई धनराशि का एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कुष्ट रोगियों के उपचार के लिए प्राप्त हुई धनराशि का विवरण

1977-78

क्रम संख्या	राज्यों तथा संस्थाओं का नाम	स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, हाजूराबाद, करीम नगर	45,396
2.	आंध्र केसरी युवाजन समिति, राजमुंदरी	3,493.92

1	2	3
3.	फिलाडल्फया कुष्ठरोग अस्पताल, सलूर	7,075
	असम	
1.	मिकिर हिल्स सेवा केन्द्र. जिला मिकिर हिल्स	17,600
	बिहार	
1.	सथाल पहाड़िया सेवा मंडल वैद्यनाथ	3,70,463.52
2.	राजेन्द्र सेवा आश्रम, मैरवा	2,77,142.00
3.	गांधी कुष्ठ निवारण प्रतिष्ठान, भवुआ जिला रोहतास	3,03,449.00
4.	कुष्ठ सेवा समिति, कपासिया	70,335
	गुजरात	
1.	बड़ोदा जिला कुष्ठ रोग रोधी संघ, रावपुरा	3,516.00
	महाराष्ट्र	
1.	कोथारा कुष्ठ रोग अस्पताल, कुष्ठरोग मिशन जिला अमरावती	67,189.00
2.	गांधी मेमोरियल, लेपरासी फाऊडेशन, वर्धा	80,500
	केरल	
1.	होली क्रास कान्वेट, कोटीयम, क्विलन	7,000
2.	दमियन संस्थान, कोजुकुली, त्रिचूर	66,960
	तमिलनाडु	
1.	दीनबन्धु मेडिकल मिशन, जिला आर. के. पेट	28,300
2.	सेकरेड हाट लेपरासी अस्पताल, कुम्बाकोनम	5,400
3.	लेपरासी मिशन वेदथारावसलूर	5,275
4,	क्रिश्चियन फेलोशिप अस्पताल, अश्वीलीकाए	8,325
	पश्चिमी बंगाल	
1.	वन्कुरा कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम, वन्कुरा	91,975.00
	उत्तर प्रदेश	
1.	वी. आर. डी. कुष्ठ सेवा आश्रम, देवरिया	27,650.00
2.	कुष्ठ सेवा आश्रम, गोरखपुर	58,400
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, हजूराबाद, करीम नगर	50,950
2.	फिलडिलाफिया कुष्ठ अस्पताल, सलूर	33,300
3.	श्री गोथमी जीवनकरुणा संगम, राजमुंदरी	21,100
	असम	
1.	श्रीमत संकर मिशन, नवगांग	26,100

1	2	3
	बिहार	
	1. गाँधी कुष्ठ निवारण प्रतिष्ठान, जिला रोहतास	1,31,250
	2. संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, वैद्यनाथ	2,19037
	3. कुष्ठ सेवा समिति, कपासिया	68,037.58
	4. राजेन्द्र सेवा आश्रम, मैरवा	6,20,623
	गुजरात	
	1. जिला बड़ौदा कुष्ठ रोधी संघ, रावपुरा ।	51,097
	केरल	
	1. होली क्रास कानवैंट, कोट्टियम, क्विलोर	28,375
	महाराष्ट्र	
	1. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, बम्बई	19,900
	केथरा कुष्ठ अस्पताल, कुष्ठ मिशन, अमरावती	17,150
	तमिलनाडु	
	1. दयापुरम कुष्ठ अस्पताल, मानामदुरै	61,000
	2. दीनबंधु मेडिकल मिशन, जिला आर. के. पेट	28,300
	3. कुष्ठ मिशन वैदथारावसैलूर	7,075
	उत्तर प्रदेश	
	1. बी. आर. डी. कुष्ठ सेवाश्रम, देवारिया	2,75,450
	2. कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर	27,950
	3. कुष्ठ मिशन फरीदाबाद फैजाबाद	1,13,100
	4. पूर्वांचल सेवा संस्थान, देवरिया	90,533.30
	पश्चिम बंगाल	
	बंकुरा कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	16,650

विवरण

1979-80

क्रम संख्या	राज्यों तथा संस्थालों का नाम	स्वीकृत अनुदान की रकम
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, हजूराबाग, करीमनगर	68,600
2.	श्री गोधामी जीवनाकनाया संगम, राजामुन्दी	21,100
3.	फिलडिल्फिया लेप्रोसी अस्पताल, सैरूर	32,470

1	2	3
	असम	
	1. श्रीमंथा शंकर मिशन, नौगाँव	24,147.88
	बिहार	
	1. गांधी कुष्ठ निवारण प्रतिष्ठान, जिला रोहतास	2,70,396
	2. कुष्ठ सेवा समिति, कपासिया	1,01,776
	3. राजेन्द्र सेवाश्रम, मेरवा	1,42,470
	गुजरात	
	1. वड़ौदा ज़िला एंटी लेप्रोसी एसोसिएशन, रावपुर	15,736.60
	केरल	
1.	पुअर लेप्रोसी अस्पताल, ग्रीन गार्डन थेरटल्ली	56,600
	2. होली क्रास कान्वेंट, कोटियाम, क्विलन	32,600
	3. डेमियन इन्टीचयूट, कोजिकुल्लि, त्रिचूर	17,519
	मध्य प्रदेश	
	बिसर्जन आश्रम, इंदौर	12,197.88
	माहाराष्ट्र	
	1. कठोरा लेप्रोसी अस्पताल, लेप्रोसी मिशन, अमरावती	1,31,070
	2. रिचर्डसन लेप्रोसी अस्पताल, मिराज	67,100
	3. गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउडेशन वर्धा	21,714.93
	4. वडाला लेप्रोसी कन्ट्रोल यूनिट, वडाला क्षिशन, अहमद नगर	1,00,541.57
	5. हिन्दी कुष्ठ निवाण संघ, बम्बई	13,761.38
	तमिलनाडु	
	1. दयापुरम लेप्रोसी मनमादुराई	49,567.75
	2. रत्नाकुप्पम हेम्नजेनस रूरल सेट्रल	68,250
	3. लेप्रोसी मिशन वेदाथारोसल्लुर	44,250
	4. क्रिश्चियन फैलोशिप अस्पताल अम्बिलिकई	50,460.76
	उत्तर प्रदेश	
	1. बी. आर डी. कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया	2,09,452.50
	2. कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर	93,410
	3. पूर्वांचल सेवा संस्थान, देवरिया	28,800
	4. लेप्रोसी मिशन फैजाबाद	
	पश्चिमी बंगाल	
	1. बाँकुरा लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम, बाँकुरा	77,260
	2. महाकुर्मा कुष्ठ निवारण समिति	97,250

बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि

3765. **श्री भीखा भाई :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में शिक्षित और अशिक्षित लोगों की संख्या अलग-अलग क्या है;

(ख) क्या पांचवी पंचर्षीय योजना काल में बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी और कितनी वृद्धि या कमी हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को सहायता देने को है जिससे वह बेरोजगारी की समस्या का हल कर सकें; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अन्जैया) : (क) शिक्षा के स्तर से जनसंख्या के वितरण सम्बन्धी उपलब्ध आँकड़े 1971 की जनगणना से सम्बन्धित हैं । ये विवरण में दिए गये हैं ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि और कमी के ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, राजस्थान में रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत रोजगार चाहने वाले (यह जरूरी नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों) व्यक्तियों की संख्या 31-3-1974 में 1.67 लाख से बढ़कर 31-3-1978 को 2.87 लाख हो गयी, जबकि पाँचवी पववर्षीय योजना समाप्त हुई ।

(ख) और (ग) नयी योजना 1980-85 सूत्रीकरण सी अवस्था में है तथा रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के तत्व तथा सम्बद्ध नीति पहलुओं को इस सूत्रीकरण प्रकिया के भाग के रूप में जाँच की जायेगी ।

विवरण

राजस्थान में शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1971

व्यक्तियों के वर्ग अशिक्षित/पढ़े लिखे /प्राप्त शिक्षा स्तर	व्यक्तियों की संख्या लाखों में
1. अशिक्षित	208.52
2- पढ़े लिखे तथा शिक्षित व्यक्ति	49.14
*(i) पढ़े-लिखे (शिक्षिक स्तर के बिना)	22.77
(iii) प्राथमिक स्तर शिक्षा	13.24
(iii) माध्यमिक स्तर शिक्षा	6-01
(iv) मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेन्डरी और समकक्ष तथा शिक्षा के उच्च स्तर	7.12

*ऐसे शैक्षक स्तर क आँकड़े शामिल हैं जा वर्गीकरणीय नहीं हैं ।

हज यात्रा के लिए आवेदन पत्रों की संख्या

3766. **श्री भीखा भाई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुसलमानों को हज यात्रा के लिए अनुमति प्राप्त करनी होती है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1979-80 के दौरान सरकार को कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए

जिनमें यात्रा करने की अनुमति माँगी गयी थी और कितने व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति दी गयी थी; और

(ग) शेष आवेदन-पत्रों पर कब तक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

विदेश मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव (क) जी, नहीं।

(ख) हज के लिए आवेदन-पत्र हज समिति, बम्बई द्वारा मांगे जाते हैं जो हज समिति अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है और जिसे हज तथा जियारत के लिए प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आवेदन के लिए पहले सार्वजनिक घोषणा की जाती है जिसमें तीर्थयात्रियों की संख्या बताई जाती है जिनके लिए, सरकार यथोचित विचार के बाद, अपेक्षित विदेशी-मुद्रा देने का निर्णय करती है। चूंकि आवेदन-पत्रों की संख्या उन व्यक्तियों की संख्या से सामान्यतः अधिक होती है जिनके लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायी जाती है, इसलिए राज्यवार कुर्रा (लाटरी) निकाला जाता है। सीटों का राज्यवार आवंटन इनकी वहां की विगत जनगणना में दिखायी गयी मुस्लिम आबादी के अनुपात में किया जाता है।

हज वर्ष 1979-80 के दौरान हज समिति को 37,854 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 19,975 व्यक्तियों का कुर्रा के आधार पर चयन किया गया जो हज करने चले गये।

(ग) 1979-80 के लिये कुर्रा मई, 1979 में निकाला गया था और उसी वर्ष अक्टूबर में ये लोग हज करने के लिए चले गये थे। इसलिए पिछले वर्ष के असफल आवेदकों के मामले पर इस समय विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इन व्यक्तियों को 1980 के हज के लिए बम्बई में 5 जून को हुये कुर्रे में भाग लेने का अवसर दिया गया था।

रांची-लोहारडांगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3767. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची-लोहारडांगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और लाइन को कब तक बदल दिया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रांची-लोहारडांगा छोटी लाइन (69 कि. मी.) को बड़ी लाइन में बदलने के लिये जुलाई, 1975 में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण से पता लगा था कि यह परियोजना अर्थक्षम नहीं होगी क्योंकि इस पर 4.84 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश अपेक्षित है, केवल 6.96% (डी.सी.एफ.) वित्तीय प्रतिपल प्राप्त होगा जबकि न्यूनतम प्रतिपल 10% निर्धारित है।

इस समय इस छोटी लाइन के आमान- परिवर्तन पर लगभग 7 करोड़ रुपये लागत आयेगी। इस परियोजना के अलाभप्रद होने तथा संसाधनों की तंगी के कारण इसके बारे में आगे कार्रवाही नहीं की गयी।

कन्टेनर उतारने-बढ़ाने के उपकरणों की खरीद के लिए मद्रास पत्तन न्यास का टेन्डर

3768. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** :

श्री के. लकप्पा : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन न्याय ने हाल ही में कन्टेनर उतारने-चढ़ाने के उपकरणों की खरीद के लिये टेन्डर सं. टी. एस. के. 3/80 ई. एम. ई. जारी किया गया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि टेन्डर नोटिस में सीलैंड कम्पनी का नाम दिया गया है जिसके सीलैंड कन्टेनर हैं,

(ग) यदि हां, तो क्या केवल उनके ब्रान्ड के ही उद्धरण आमन्त्रित करने से एक प्राइवेट कम्पनी के उत्पादन का प्रचार नहीं होता है और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) हां। टाप लिफ्ट ट्रकों और टायर माउन्टेड ट्रान्स्टेनर्स के लिए विश्व व्यापी टेण्डर मंगाये गए थे जिनमें विज्ञापित किया गया था कि यह उपकरण आई. एस. ओ. 20 आई. एस. ओ. 40 और सीलैंड कन्टेनरों को रखने चढ़ाने योग्य होने चाहिए।

(ग) नहीं। सीलैंड कम्पनी कंटेनरों को रखने-चढ़ाने वाले उपकरण नहीं मैनुफैक्चर कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

बिना भर्ती नियम वाले पदों के नाम और उनकी संख्या

3769. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा) :**

श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में ऐसे कौन-कौन से और कितने पद हैं जिनके लिए अभी तक भरती नियम नहीं बनाये गए हैं; और

(ख) इनमें से कितने पद बिना भर्ती नियमों के भर लिए गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जन-जातीय उप-योजना क्षेत्रों में सड़क संचार योजनाएं और कार्यक्रम

3770. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने राज्य-वार जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में छठी योजना में सड़क संचार योजनाओं तथा कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा तैयार की है,

(ख) उनके मन्त्रालय ने छठी योजना में जन-जातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की है और राज्यों को जन जातीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रमों के लिए 'रिलीज' की है, और

(ग) उनके मन्त्रालय ने जन-जातीय क्षेत्रों के लिए यदि कोई सड़क संचार नीति अपनाई है, तो वह क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) नौवहन और परिवहन मन्त्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की सड़कों के लिए कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य सड़क योजनाएं शामिल हैं। उदाहरणार्थ :— आर्थिक और अन्तर्राज्यीय महत्व की राज्य सड़कों, सामरिक सड़कों और सीमावर्ती सामरिक

क्षेत्रों की सड़कों के लिये बनाई गयी योजनायें इत्यादि। इस कार्यक्रम के अधीन, कई सड़कें ऐसी बनायी गयी हैं, जो जन-जातीय क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं और, 1-4-1969 से 31-3-1980 तक इन सभी सड़कों पर 38 करोड़ रुपये खर्च किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 85 को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इसीलिए स्थिति स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है।

पांचवी योजना से भारत सरकार ने जन-जातीय क्षेत्रों के विकास के लिये एक नई योजना तैयार की गई है और उसके अनुसार, उन सभी क्षेत्रों को जहां पर विभिन्न जन-जाति के 50% से अधिक लोग रहते हैं, सम्बन्धित राज्यों की जन-जातीय उप-योजनाओं में शामिल कर लिया गया है। ऐसी योजनायें फिलहाल आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में और अंडमान व निकोबार द्वीप समुह तथा गोआ, दमन व दिऊ के संघ-शासित क्षेत्रों में बनाई गई है। इन जन जातीय उप-योजनाओं में सड़क विकास के लगभग सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है जिसमें सड़क संचार का विकास भी शामिल है। वर्ष 1979-80 के लिए, जन-जातीय उप-योजना क्षेत्रों में परिवहन और सड़क संचार कार्यक्रम चालू करने के लिए राज्यों ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत 43.87 करोड़ रुपये आवंटित किये थे और गृह मन्त्रालय ने भी इस कार्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी थी।

विदेशी नागरिकता प्राप्त डाक्टरों और इन्जीनियरों की संख्या

3771. श्री छोतूभाई गामित : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय यूरोप और अमरीका में ऐसे भारतीय व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो इन्जीनियर, डाक्टर और अन्य व्यवसायों में कार्यरत हैं और जिन्होंने गत तीन वर्षों में वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है;

(ख) क्या यह सच है कि यूरोप और अमरीका में भारतीय नर्सों की सेवाओं की बहुत अधिक सराहना की गई है और यदि हां, तो इस समय पश्चिमी देशों में कितनी भारतीय नर्सें कार्यरत हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में ऐसी कितनी नर्सों ने वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना के सहज उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। लेकिन विदेश स्थित भारतीय मिशनों से इसे एकत्र करने की कोशिश की जा रही है। प्राप्त होते ही इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

रोजगार के लिए विदेश गए व्यक्तियों की संख्या

3772. **श्री छोतूभाई गामित** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों के न होने के कारण आजकल लोगों में विदेश जाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत छः महीनों के दौरान कितने तकनीकी तथा दूसरे व्यक्ति विदेश गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंहराव) : (क) काफी बड़ी संख्या में कामगार रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं।

(ख) नवम्बर 1979 से अप्रैल 1980 के बीच डिप्लोमाधारी 1,18,297 कुशल तथा

अर्धकुशल कामगारों ने, जिन्हें उत्प्रवासी संरक्षक के पास अपने को पंजीकृत कराना था भारत में उत्प्रवासी संरक्षक के पास विदेश में रोजगार के अपने करारों को पंजीकृत कराया ।

बरेली-बदायूं रोड पर भूमिगत पुल

3773. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर-गाड़ियों के यातायात और पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे के फाटकों पर से ही होकर जाने वाले बरेली बदायूं मार्ग पर बरेली के निकट एक भूमिगत पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले पुलों का निर्माण रेलवे और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और इनका खर्च भी उनके द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाता है । अतः वर्तमान नियमों के अनुसार इसका प्रस्ताव राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा इस आश्वासन के साथ प्रायोजित किया जाना अपेक्षित है कि वे अपने हिस्से का खर्च वहन करेंगे । अभी तक राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से इन समपारों के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

गर्भ निरोधों पर अन्वेषण कार्यों में संलग्न संस्थानों के नाम

3774. **श्री भीकूराम जैन :**

श्री छोटू-भाई गामित :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थानों के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ गैर-हार्मोनल खाने वाले तथा अन्य मार्ग निरोधकों को तैयार करने की अनुसन्धान परियोजनाओं में संलग्न हैं;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या उनके वास्तविक उपयोग की प्रभावोत्पादकता एवं उपयुक्तका की भी जांच की गई है; और

(घ) इन गर्भ निरोधकों को लोकप्रिय बनाने एवं जनता को उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और आयुर्वेद एवं सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद को गैर-हार्मोनल गर्भ-रोधकों का विकास करने के लिए केन्दीय वित्तीय सहायता मिल रही है । इसके अतिरिक्त गर्भ-रोधक सम्बन्धी अनुसंधान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् नई दिल्ली तथा आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों को भी सहायता दी जाती है ।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक क्लिनिकल परीक्षणों के उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं

और परीक्षण भी चल रहे हैं। केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा विकसित सेंटक्रीमन—एक गैर-हार्मोनल गोली के क्लिनिकल परीक्षण काफी आगे तक पहुँच चुके हैं और अन्तिम रिपोर्ट के शीघ्र मिलने की सम्भावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क परिवहन करों की बहुलता

3775. **श्री भीकूराम जैन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन करों की बहुलता कम करने, दर ढाँचे को तर्कसंगत बनाने, मूल्यांकन के तरीके को आसान बनाने और सहज अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन के लिए एक ही केन्द्र पर धनराशि जमा करने के लिए सरकार का क्या ठोस उपाय करने का विचार है;

(ख) राज्यों में कर ढाँचे की मूल दरों में एकरुपता लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) भारत सरकार ने इस उद्देश्य से कि सड़क परिवहन क्षेत्र में एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ियाँ आसानी से आ-जा सकें, दो स्कीमें अर्थात् राष्ट्रीय परमिट स्कीम (माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए) और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (मोटर गाड़ियों और पर्यटक गाड़ियों के लिए) स्कीम शुरू की है जिसके अधीन मोटर गाड़ी कर केवल मूल राज्य में ही देना होता है। इस तरह की सुविधा क्षेत्रीय परमिट स्कीमों के अधीन चलने वाली परिवहन गाड़ियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

इन स्कीमों के अंतर्गत कम्पोजिट टैक्स की दर एक सी है।

(ख) और (ग) मोटर गाड़ियों पर टैक्स लगाने का अधिकार संविधान में दी गई व्यवस्था के अधीन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

रेलवे का कुल और शुद्ध लाभ

3776. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सभी रेलवे जोनों को कितना कुल और कितना शुद्ध लाभ हुआ है और कितनी कुल और शुद्ध हानि हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों में रेलवे लाइनों का विस्तार करने के लिए विभिन्न रेलवे जोनों पर कितना विकास व्यय किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों में अजमेर-खण्डवा मीटर गेज सेक्शन पर कितना व्यय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकानर्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-I)

(ख) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-II) (क) से (ग)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अजमेर-खंडवा मीटर लाइन खंड पर विविध निर्माण-कार्यों पर किया गया कुल खर्च नीचे दिया है :—

वर्ष	(लाखों रुपयों में) किया गया खर्च
1977-78	70·62
1978-79	83·86
1979-80	67·54 (ये आँकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि इस वर्ष के लेखे अभी अंतिम रूप से बन्द होने हैं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1087/86)

मनापराई पर ऊपरि पुल

3777. **श्री एस.ए. दोराई सेवस्तियन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ-45 पर मनापराई रेलवे फाटक (दक्षिण रेलवे) पर एक उपरि पुल बनाने के लिये दिये गये अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 45 पर खण्डवार में समपार के बदले ऊपरि पुल की व्यवस्था करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान

3778. **श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकेन्द्रीकरण की नीति और अन्तिम भुगतान के मामलों का शीघ्र निपटान करने के विचार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनेक-उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं और इनमें उसी राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुपात में श्रेणीवार और प्रतिशततावार कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में अठारह उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। उप-क्षेत्रीय कार्यालयों और तैनात किए गए कर्मचारियों के नामों का विवरण संलग्न है। उप-क्षेत्रीय कार्यालय लेखों के रख रखाव, लेखों की वार्षिक विवरण जारी करने, ऋण। पेशगियाँ मंजूर करने और दावों के निपटाने का काम करते हैं। कर्मचारियों की संख्या लेखों की संख्या पर निर्भर करती है। लेखों की संख्या प्रत्येक कार्यालय में भिन्न-भिन्न होती है। उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए स्टाफ की तुलना क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय अनेक अन्य कार्य भी करते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाते हैं कि उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को अपना काम पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाफ मिले।

विवरण

कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	क्षेत्र	स्थान, जहाँ उप-क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं	*उप आर. सी.	*ए.सी. प्रभारी अधिकारी	×ए.ओ.	*स्पेशल एच.सी.	*एच.सी.	*यू.डी. सी.	*जे एस.	*एल.डी. सी.	*चपरासी चौकीदार महतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. कुडापह	—	1	—	1	—	5	16	—	23	6
		2. गुंटूर	1	—	—	2	—	13	49	—	48	9
		3. विशाखापतनम्	—	1	—	2	—	8	16	1	32	7
2.	असम (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	4. शिलांग	—	—	1	1	—	2	17	—	2	6
3.	बिहार	5. रांची	1	—	—	2	—	4	6	—	62	8
4.	गुजरात	6. सूरत	—	1	—	1	—	8	25	1	29	7
		7. राजकोट	—	1	=	1	—	4	15	—	22	4
5.	कर्नाटक	8. मंगलौर	—	1	—	1	—	8	14	1	68	9

×उप क्षेत्रीय आयुक्त ×सहायक भविष्य निधि आयुक्त ×लेखा अधिकारी ×विशेष प्रधान लिपिक ×प्रधान लिपिक ×उच्च श्रेणी लिपिक ×कनिष्ठ आशु लिपिक ×अवर श्रेणी लिपिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	केरल	9. कोजीकोड	1	—	—	3	1	16	48	1	77	16
7.	महाराष्ट्र	10. नागपुर	—	1	—	2	—	11	64	1	32	13
		11. पूणे	1	—	—	3	—	13	44	1	68	11
8.	पंजाब और	12. अमृतसर	—	1	—	2	—	8	57	1	31	9
	हरियाणा	13. फरीदाबाद	—	1	—	2	—	8	61	1	33	10
9.	उत्तर प्रदेश	14. मेरठ	—	1	—	2	2	7	11	—	82	8
		15. वाराणसी	1	—	—	—	1	1	8	—	6	1
10.	तमिलनाडु	16. कोयम्बतूर	1	—	—	5	—	23	30	1	188	15
		17. मदुरै	—	1	—	2	—	10	32	1	57	10
11.	पश्चिम बंगाल	18. सिलीगुड़ी	—	1	—	1	—	7	17	1	40	11

अमरीकी चिकित्सा अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा कोढ़ ग्रस्त व्यक्तियों के टीके का विकास

3779. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी चिकित्सा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने कोढ़-ग्रस्त व्यक्तियों के लिये प्रथम टीके का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त टीके की भारत में उपयोगिता का पता लगाया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व भर में वैज्ञानिकों के बहुत से दल यह वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं।

(ख) फिलहाल कुष्ठ रोग के उपचार के लिए कोई कारगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और इसलिए भारत में इसकी उपयोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण पूर्व रेलवे के डिविजनल कार्यालय का स्थानान्तरण

3780. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के डिवीजनल कार्यालय को नागपुर से नयनपुर स्थानान्तरित करने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या यह सच है कि सतपुड़ा डिवीजन का डिवीजनल कार्यालय 1963 से नागपुर में कार्य कर रहा है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंडल कार्यालय वस्तुतः 1963 से नागपुर में काम कर रहा है।

हल्दी के परिवहन के लिए वैगन

3781. श्री एस. एम. कृष्ण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दी की इरोड से उत्तरीय भारतीय केन्द्रों तक लाने के लिये अप्रैल और मई, 1980 में वैगन उपलब्ध नहीं कराये गये थे;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप 5 करोड़ रुपये मूल्य की हल्दी के ढेर लग गये थे; और

(ग) यदि हां, तो हल्दी के परिवहन के लिए इरोड को और अधिक वैगन आबंटित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। अप्रैल और मई, 1980 के दौरान ईरोड स्टेशन पर हल्दी के लदान के लिए कुल 172 माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे जब कि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 100 माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे।

(ख) रेलवे को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बंधुआ श्रमिकों के रूप में पत्थर काटने वाले मजदूर

3782. श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में पत्थर काटने वाले मजदूर अभी तक बंधुआ श्रमिकों के रूप में काम करते हैं; और

(ख) बंधुआ मजूरी उन्मूलन के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी.अंजैया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक विशेषज्ञों की नियुक्ति

3783. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए नियमित पूर्णकालिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं।

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अवैतनिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है और यदि हाँ, तो दिल्ली में उनकी संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक पर मासिक कितना व्यय किया जाता है;

(घ) यदि नियमित नियुक्ति की जाती है तो प्रत्येक विशेषज्ञ पर सरकार को कितना कम व्यय करना पड़ेगा; और

(ङ) क्या सरकार इन पदों पर नियमित नियुक्ति करेगी और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत 3-2-1979 से तदर्थ आधार पर दो पूर्णकालिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) 1-2-1969 से एक अवैतनिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। अवैतनिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को हर महीने 930/-रु० की समेकित राशि दी जा रही है और नियमित विशेषज्ञ को वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर 1885/-रु० का भुगतान किया जाता है।

(ङ) सरकार ने इन पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

रोगियों के सम्बन्धियों द्वारा रक्तदान

3784. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा डा. राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में दाखिल रोगियों के सम्बन्धियों से रोगियों के आपरेशनों के बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने से पहले ही रक्त दान करने के लिए कहा जाता है;

(ख) जनवरी, 1980 से ऐसे रोगियों/व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके लिए उनके सम्बन्धियों से रक्त लिया गया था लेकिन बाद में बिना आपरेशन किए डिसचार्ज कर दिया गया था।

(ग) ऐसे रोगियों की संख्या कितनी है जिन्हें बिना आपरेशन के डिसचार्ज कर दिया था। क्योंकि वे उस अवधि में रक्त की व्यवस्था न कर सके;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि जब तक रक्त दान न किया जाये तब तक रोगियों का आपरेशन न किया जाये; और

(ङ) ऐसे रोगियों के बारे में रक्त की क्या व्यवस्था है जिसके सम्बन्धी रक्त देने के योग्य नहीं हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) सफदरजंग अस्पताल तथा डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किसी को ऐसा नहीं कहा गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दो व्यक्तियों को कहा गया जिनमें से एक की भर्ती होने के थोड़े समय बाद मृत्यु हो गई तथा दूसरे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी और उसकी अभी भी अनुवर्ती जाँच की जा रही है उसे आपरेशन के वक्त रक्त की व्यवस्था करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

(ग) शून्य।

(घ) जी नहीं।

(ङ) रिश्तेदारों की गैरमौजूदगी अथवा रिश्तेदारों को स्वस्थता की दृष्टि से अयोग्य पाये जाने की सूरत में रोगियों को रक्त निःशुल्क दिया जाता है।

रेल दुर्घटनाओं पर सीकरी समिति का प्रतिवेदन

3785. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सीकरी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों तथा तथ्यों पर विचार कर लिया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या सिफारिशों को लागू कर दिया गया है, और

(ख) रेल दुर्घटाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा दूसरे क्या ऐतिहाती उपाय किये गये हैं और क्या सरकार दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कठोर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था करेगी ताकि लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घनाओं से बचा जा सके ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सीकरी समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31-5-1980 को प्रस्तुत कर दी है जिसकी सरकार द्वारा जाँच की जा रही है। स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(ख) दुर्घटनाओं में अधिक से अधिक कमी करने के लिए नियमित रूप से एहतिहाती उपाय किये जा रहे हैं। पहियों, धुरों और पटरियों के लिए अल्ट्रासनिक फ़ला डिटेक्टर, रेल इंजनों में सतर्कत्ता नियंत्रण उपाय, रेल परिपथन, धुरा काउन्टर, स्वचल सिगनल प्रणाली, पटरियों की झलाई, बहुसंकेती अपर क्वाड्रेंट/रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की व्यवस्था, रुट रिले अन्तर्यातिन, स्वचल चेतावनी प्रणाली जैसी तकनीकी किस्म की विभिन्न प्रौद्योगिक युक्तियाँ आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हे उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है। दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध बड़ी अनुशासनिक कार्रवाही की जाती है।

तलचेर में रक्षित तापीय संयत्र

3786. **श्री के. पी. सिंह देव :**

श्री बृज मोहन महन्तो : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने मैसर्स वाल्कों तलचेल में एक रक्षित तापीय संयत्र की स्थापना में सहायता देने के लिए कि विडेले-कोट्टाबस्लासा रेल लाइन की फालतू क्षमता के प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए केन्द्र से स्वीकृति माँगी है,

(ख) यदि हाँ तो क्या अनुमति दे दी गयी है, और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई पत्तन के घाट पर जहाज लगने के लिए औसत प्रतीक्षा समय

3787. **श्री आर. के महालगी : नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में बम्बई पत्तन के घाट पर जहाज लगने के लिए औसत समय सूची क्या है,

(ख) क्या पत्तन में अधिकांश उपकरण पुराने पड़ गए हैं और गत पाँच वर्षों में उनमें वृद्धि नहीं हुई है,

(ग) क्या सरकार परिवहन शेडों से माल अन्तरित करने की प्रक्रिया का मशीनीकरण करने के लिए पत्तन न्यास अधिकारियों को अनुमति देने पर विचार कर रही है,

(घ) इस समय पत्तन न्यास भान्डागारों में कितने पैकेज और अन्य भारी वस्तुयें बिना निपटाये पड़ी हुई हैं,

(ङ) (एक) भारतीय व्यापार निगम, (दो) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, (तीन) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (चार) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और अन्य बड़े सरकारी उपक्रमों के भाण्डागारों में कितने मौट्रिक टन और कितने मूल्य की सामग्री पड़ी हुई है और यह सामग्री कब से पड़ी हुई है,

(च) बम्बई पत्तन में जहाजों के घाट पर ठहरने की क्षमता कितनी है और वहां पर अधिकतम क्षमता कितनी होनी चाहिए, और

(छ) इस स्थिति में सुधार के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) बम्बई पत्तन पर पिछले तीन महीनों में औसत प्रतीक्षा समय इस प्रकार रहा :—

माह	उर्वरक जहाज दिनों में	अन्य जहाज
मार्च 1980	4.7	1.3
अप्रैल 1980	2.9	0.5
मई 1980	4.5	0.1

जहाजों के घाट पर लगने के लिये प्रतीक्षा में खड़े रहने से हुए औसत नुकसान का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) 3-7-1980 को बम्बई पत्तन में 3,51,727 पैकेज बिना निपटाए पड़े थे।

(ङ) पिछले दो महीनों से पत्तन के गोदामों में बिना निपटाये जो माल पड़ा था उसका माल-वार ब्यौरा नहीं रखा गया है। इस प्रकार के माल की कीमत की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि बम्बई पत्तन न्यास ने इस सम्बन्ध में कोई रजिस्टर इत्यादि नहीं बनाया है।

(च) बम्बई पत्तन में जहाजों के घाट पर ठहरने की क्षमता इस प्रकार है :—

माह	इन्दिरा डाक	प्रिंसेज डाक	विक्टोरिया डाक
मार्च 1980	85·84 %	84.35 %	91:72 %
अप्रैल 1980	83.34 %	86.90 %	75.51 %
मई 1980	83.62 %	93.45. %	83.30 %

जहाजों के घाट पर ठहरने की अधिकतम क्षमता 60% और 65% के बीच आंकी गई है।

(छ) सरकार द्वारा अन्तर-मन्त्रालयी स्थाई समिति उर्वरक, सीमेंट, खाने का तेल जैसी भारी वस्तुओं के यातायात की नियमित रूप से समीक्षा करती है ताकि बम्बई सहित सभी बड़े पत्तनों के बीच माल का समुचित रूप से बटवारा किया जा सके। इसके अलावा, बम्बई पत्तन पर आवश्यक सुविधायें जुटाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

खेतिहर मजदूरों में बेरोजगारी

3788. **श्री जयोतिर्मय बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान राज्य वार, कितने खेतिहर मजदूर बेरोजगार रहे और कितनों को अल्प रोजगार मिला;

(ख) क्या ऐसे खेतिहर मजदूरों की संख्या काफी है जिन्हें बेरोजगार कहा जा सकता है अथवा यह कहा जा सकता है कि उन्हें बहुत अल्प रोजगार मिला हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) खेतिहर श्रमिकों के बीच बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 27वें दौर के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1978 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 206.00 लाख थी, जिसमें से 165.,00 लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में थे।

(ख) और (ग) : ग्रामीण श्रमिक जाँच (1974-75) के निष्कर्षों के अनुसार अधिकांश खेतिहर श्रमिकों को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता। अत : उन्हें अल्प नियोजित समझा जा सकता है

चिकित्सा महाविद्यालयों में योग्यता के आधार पर प्रवेश

3789. **श्री के. मालन्ना** :क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1980-81 के दौरान प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालयों (मेडिकल कालेजों) में योग्यता के आधार पर दिये जाने वाले मुफ्त स्थानों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से इन मुफ्त स्थानों (सीटों) की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हाँ तो उस पर राज्यों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) और (ग) कर्नाटक के कुछेक प्राइवेट मेडिकल कालेज ही कैपिटेशन फीस लेते हैं। इन मेडिकल कालेजों में कुल सीटों की 65 प्रतिशत सीटें योग्यता के आधार पर निःशुल्क आवंटित की जाती हैं। भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को लिखा है कि वे राज्य में कैपिटेशन फीस लेने की प्रथा को समाप्त कर दें। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि यह मामला उनके समीक्षाधीन है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

3790. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिदिन 12 घन्टे काम करना पड़ता है हालांकि एक सरकारी कर्मचारी के लिए प्रतिदिन 8 गन्टे कार्य करना निर्धारित है

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर तथा खवेड़ा डिवीजनों में विशेषरूप से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए व्याप्त उक्त विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कार्य घन्टा विनियमों के अनुसार रेल कर्मचारियों के काम के घंटे उनके कार्यभार के आधार पर किये गये वर्गीकरण अर्थात् गहन, सतत, अनिवार्यतः सविरामी और अपवर्जित के अनुसार अलग-अलग हैं। तदानुसार जिन रेल कर्मचारियों का कार्यभार अपेक्षाकृत कम है और जो अनिवार्यतः सविरामी वर्गीकरण के निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं, उन्हें सामान्यतः 12 घन्टे के दैनिक रोस्टर पर लगाया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रूपसा बाँगरीपोसी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3791. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे में रुपसा-बागरीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है,

(ख) यदि हां. तो उक्त सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा और क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है,

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा, और

(घ) उक्त सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए कितना समय दिया गया था और यह सर्वेक्षण कब आरम्भ हुआ था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रूपसा बाँगरीपोसी छोटी लाइन (89 कि. मी.) को बड़ी लाइन में बदलने तथा उसके चकुलिया/गुरुमहिसानी तक अथवा किसी अन्य उपक्युत स्थल तक विस्तार (लगभग 44 कि. मी.) करने के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण जिसे जुलाई, 1978 में स्वीकृत किया गया था, पूरा कर लिया गया है और इंजीनियरी एवं यातायात रिपोर्ट को दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है और ये रिपोर्टों शीघ्र प्राप्त हो जायेंगी। इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा उसका आगे विस्तार करने के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस परियोजना की वित्तीय अर्थक्षमता और धनराशि की उपलब्धता पर विचार करते हुए कोई निर्णय किया जायेगा।

सर्वेक्षण रिपोर्ट केवल रेलों के प्रशासनिक प्रयोग के लिये होती हैं और इसलिए इन रिपोर्टों को सभा पटल पर नहीं रखा जाता है।

भावनगर स्थित डिवीजनल मुख्यालय का स्थानान्तरण

3792. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर पश्चिम रेलवे का डिवीजनल मुख्यालय किसी अन्य जिले में स्थानान्तरित किया जाना है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिम रेलवे को भावनगर के वाणिज्य मंडल तथा अन्य संगठनों से इस बारे में कोई विरोध ज्ञापन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या अंतिम निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ।

(घ) सौराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स को उत्तर दे दिया गया है कि भावनगर मंडल का मुख्यालय बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

1 अप और 2 डाउन कालका मेल में यात्रियों को दिया जाने वाला भोजन

3793. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में पेट्री कारों में यात्रियों को दिया जाने वाला खाना "वेस किचन" का बना होता है,

(ख) क्या 'वेस किचन' का बना खाना आसानी से पच जाता है और पोषक होता है तथा कालका मेल में प्रति दिन मुगलसराय, इलाहाबाद और टुंडला पर दिया जाता है,

(ग) क्या 1 अप और 2 डाउन कालका मेल में पैंट्री कार 'वेस किचन' से खाना नहीं दिया जाता है और घटिया किस्म का खाना गंदे और जंक लगे एल्यूमीनियम के बर्तनों में दिया जाता है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियमों का उल्लंघन करने के कारण ठेकेदार का एकाधिकार समाप्त करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे में 2 गाड़ियां हैं जिनमें पेंटरी कार सेवा की व्यवस्था है। इनमें से एक मुगलसराय और दिल्ली के बीच चलने वाली हावड़ा-दिल्ली कालका मेल और दूसरी गोमती एक्सप्रेस है। इन गाड़ियों में किसी में भी खाना आधार रसोइघरों से नहीं लिया जाता है।

(ख) और (ग) आधार रसोइघरों में तैयार किया गया खाना बढ़िया किस्म का होता है। 1 अप/2 डाऊन कालका मेल में लगायी जाने वाली पेंटरी कार में पहले से पका खाना इलाहाबाद और टूंडला में स्थित आधार रसोइघरों से सप्लाई किया जाता था। 1-4-80 से पेंटरी कार के ठेकेदार को पेंटरी कार में ही स्वास्थ्यकर खाना बनाने की अनुमति दे दी गयी है। पहले, जुलाई 1977 में उत्तर रेलवे ने 1.70 रुपये प्रति थाली दर से जनता खाना शुरू किया था और पेंटरी कार के ठेकेदार को भी 1 अप/2डाऊन कालका मेल में जनता खाना बेचने की अनुमति दे दी गयी थी। तब से, इलाहाबाद और टूंडला में स्थित आधार रसोइघरों से पहले से पका खाना उठाने के अतिरिक्त, ठेकेदार पेंटरी कार में ही खाना पकाता चला आ रहा है। परिणाम स्वरूप आधार रसोइघरों से थाली खाना उठाने की मांग घट गयी। आधार रसोइघरों से खाना उठाने और गाड़ी में इन्हें परोसने की ठेकेदार की मिश्रित पद्धति संतोष जनक नहीं थी और खाने की असंतोषप्रद सेवा के लिए किसी की जिम्मेवारी जिम्मेदारी निर्धारित करना संभव नहीं था। 1 अप/2 डाऊन कालका मेल में खान-पान सेवा में सुधार करने के लिए 1.4.80 से पेंटरी कार में ही खाना बनाने और कुछ अन्य मदों को भी बेचने की पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार को देने का निर्णय किया गया था। यद्यपि 1 अप/2 डाऊन कालका मेल में खाने की मांग की पूर्ति पेंटरी कार से की जाती है, फिर भी आर्डर देने पर अल्पाहार गृहों से भी खाना सप्लाई किया जाता है। यद्यपि सुधार की गुंजाईश है, फिर भी 1 अप/2 डाऊन कालका मेल की पेंटरी कार से सप्लाई किये जाने वाले खाने की किस्म संतोषजनक है और खाना स्टेनलेस स्टील और डिन्डोलियम की थालियों में दिया जाता है जिसमें जंग नहीं लगाता है और जो गंदी नहीं होती हैं।

(घ) इस खान-पान ठेकेदार का रेलों पर कोई एकाधिकार नहीं है। नियम का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाई की जा सकती है।

चिकमंगलूर तक रेल लाइन

3794. **श्री डी. एम. पुत्ते गोडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकमंगलूर जिला मुख्यालय रेल से जुड़ा हुआ नहीं है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि चिकमंगलूर जिले के लोग गत पच्चीस वर्षों से इस मांग पर जोर देते रहें हैं,

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि चिकमगलूर में रेल लाइन न होने के कारण वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अब वहां रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : कडूर से चिकमंगलूर तक रेल लाइन के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संसाधनों की कठिन स्थिति को देखते हुए इस समय इस प्रस्ताव पर कार्यवाई करना संभव नहीं है।

रेलवे फाटक

3795. श्री मोतीभाई आर. चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने रेल फाटक हैं जिनको बंद करने एवं खोलने के लिए कोई रेल कर्मचारी नियुक्त नहीं है;

(ख) ऐसे फाटकों पर रेल कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है;

(ग) इन सभी फाटकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर कुल कितना वार्षिक व्यय होगा;

(घ) क्या देश में बिना कर्मचारी वाले इतने अधिक रेल फाटक होते हुए जब नए फाटक की मांग की जाती है तो मंत्रालय वहां वर्षों तक कर्मचारी रखने के अनुमानित व्यय की लोगों तथा राज्य सरकारों से मांग करता है; और

(ङ) क्या फाटक बनाने की सुविधा उपलब्ध कराने का खर्चा जनता से मांगने की प्रथा बंद की जाएगी और महत्वपूर्ण स्थानों पर नए फाटक बनाए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों पर 31-3-1979 को बिना चौकीदार वाले 'ग' श्रेणी के समपारों की संख्या 21595 थी।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करना एक सतत प्रक्रिया है। यातायात संगणना द्वारा कुल समपारों के पांचवे भाग की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है और बिना चौकीदार वाले जिन समपारों पर चौकीदार रखने का औचित्य पाया जाता है, उनके लिए धन उपलब्ध होने पर राज्य सरकार के परमर्श से एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्था की जाती है। बहरहाल, बिना चौकीदार वाले जिन समपारों पर अधिक दुर्घनाएं होने की सम्भावना रहती है, वहां चौकीदार की व्यवस्था करने की प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) यदि इन सब समपारों पर चौकीदार रखे जाते हैं तो निर्माण की प्रारंभिक लागत के रूप में लगभग 150 करोड़ रुपये और वार्षिक अनुरक्षण तथा परिचालन प्रभार के रूप में प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

(घ) भारतीय रेल अधिनियम के अनुसार, रेल प्रशासनों को अपनी लागत पर उन समपारों का प्रबन्ध और अनुरक्षण करना होता है। जिन्हें राज्य सरकारें रेलवे लाइन के निर्माण के समय या उसे यातायात के लिए खोल दिये जाने के बाद 10 वर्षों के भीतर रेल लाइन के निर्माण से हुए व्यवधान को दूर करने के लिए आवश्यक समझती हैं। रेलवे लाइन को यातायात के लिए खोल दिये जाने के 10 वर्ष बाद किसी भी नये समपार की लागत सुविधा की अपेक्षा रखने वाली राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन की जानी अपेक्षित है अत. रेलवे लाइन को यातायात के लिए खोल दिये जाने के 10 वर्ष बाद जो नये समपार अपेक्षित होते हैं, उनके प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं जिन्हें

उनके निर्माण और अनुरक्षण की लागत वहन करने का वहन देना होता है। समपार पर चौकीदार रखा जाये या नहीं, यह रेल और सड़क यातायात के घनत्व दृश्यता और अन्य स्थानीय कारणों पर निर्भर करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सकरी-हसनपुर रेलवे लाइन

3796. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत सकरी-हसनपुर नई रेल लाइन के निर्माण कार्य के लिए समय सूची सहित क्या ब्यौरा है; और

(ख) वर्ष के अंत तक निर्माण कार्य पूरा करने के रास्ते में क्या बाधाएं हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सकरी और हसनपुर के बीच नयी मीटर लाइन के निर्माण का कार्य एक अनुमोदित कार्य है और आशा है कि इस पर 1980-81 में काम शुरू हो जायेगा। इस परियोजना के लिए 1980-81 के बजट में 17.99 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इस समय इसको पूरा करने की कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं जा सकती है।

जाली पारपत्र के साथ यात्रा करने वाले दिल्ली विमान पत्तन पर पकड़े गये व्यक्ति

3797. **श्री भीखाभाई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान जाली भारतीय पारपत्र के साथ यात्रा करने वाले कितने यात्री अब तक दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़े जा चुके हैं ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जाली पारपत्रों को सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की संख्या और उनकी तारीख क्या है ?

विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव (क), (ख), (ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान अभी तक दिल्ली के हवाई अड्डे पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है जो जाली भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा है।

आगरा-कानपुर यात्री गाड़ी की दुर्घटना

3798. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'नवभारत टाइम्स' दिनांक 30 मई, 1980 में छपे इस समाचार का पता है कि आगरा-कानपुर यात्री गाड़ी आगरा में यमुना पुल पर दुर्घटना-ग्रस्त हो गई थी और महिलाओं एवं बच्चों सहित कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो मरने वालों की संख्या क्या है;

(ग) क्या रेल मन्त्रालय ने दुर्घटना की जांच की है और यदि 'हां' तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार मरने वालों के परिवारों को कुछ धनराशि अदा करने पर विचार कर

रही है और यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। 28-5-1980 को यमुना पुल पर अनधिकृत रूप से लाइन पार करते हुए चार व्यक्ति जिनमें तीन महिलायें और एक बच्चा था 116 डाउन आगरा-कानपुर सवारी गाड़ी के नीचे आ गये। इनमें से दो घटना स्थल पर ही मर गये और बाकी दो अस्पताल में भर्ती होने के बाद मर गये।

(ग) चूंकि यह मामला अनधिकृत रूप से लाइन पार करने वालों के गाड़ी के नीचे आ जाने का है, इसलिए पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल कर रही है।

(घ) और (ङ) वर्तमान नियमों के अंतर्गत रेल पथ को अनधिकृत रूप से पार करना एक दंडनीय अपराध है। अतः 28-5-80 को 116 डाउन सवारी गाड़ी के नीचे आकर मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को कोई वित्तीय सहायता स्वीकार्य नहीं है।

त्रिवेन्द्रम सैन्ट्रल में रेल सेवा का अस्त व्यस्त होना

3799. **श्री बी. के. नायर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 अप्रैल, 1980 को त्रिवेन्द्रम सैन्ट्रल स्टेशन में रेलगाड़ियों का आना-जाना गंभीर रूप से अस्त-व्यस्त होने की क्या परिस्थितियां थीं;

(ख) क्या 30 अप्रैल, 1980 को आपात स्थिति घोषित की गई थी और यह त्रिवेन्द्रम तथा कुछ अन्य स्टेशनों पर लगाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो इससे और ओपरेटरों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(घ) इस बारे में रेलवे कर्मचारियों के एक विशेष कार्मिकसंघ के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की गई दण्डात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उनका विचार पूरे मामले की जांच का आदेश देने और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही वापस लेने का है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 29-4-1980 को एक व्यक्ति को ड्यूटी पर तैनात रक्षक द्वारा उस समय रोका गया था, जिस समय वह सैन्ट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 1 पर स्कूटर पर सवार था। स्कूटर चालक जिसके बारे में, बाद में पता चला कि वह तिरुवनन्तपुरम सैंट्रल स्टेशन का बुकिंग क्लर्क था, की पहचान आदि जानने पर रक्षक द्वारा जोर दिये जाने के कारण दोनों में हाथापाई हो गई। इसके फलस्वरूप वाणिज्यिक कर्मचारियों ने अचानक काम रोको हड़ताल कर दी जिसके कारण गाड़ियों के संचलन में गड़बड़ी आ गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ (मान्यता प्राप्त) से सम्बन्धित एक वाणिज्यिक क्लर्क जो आन्दोलनकारियों का मुख्य उकसाने वाला था, तथा स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर एसोसियेशन से सम्बन्धित एक स्टेशन मास्टर जिसने कुछ अन्य स्टेशन मास्टरों के कन्ट्रोल

टेलीफोन के माध्यम से लाइन क्लियर न देने की सलाह दी थी और पाँच स्टेशन मास्टरों के विरुद्ध जिन्होंने लाइन क्लियर देने को मना किया था, अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत बड़ा दण्ड दिये जाने की कार्रवाई की गई है।

(ङ) जी नहीं. लेकिन संयुक्त प्राथमिक जांच से पता चला है कि पद्मपि स्कूटर चालक की पहचान प्राप्त करने का रक्षक का अनुरोध सही था, किन्तु इसके लिए उसने कुछ बल प्रयोग किया था। इसलिए, रक्षक को ड्यूटी से निलम्बित कर दिया गया और बाद में उसे बहाल करके तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल स्टेशन से बाहर तैनात कर दिया गया। इसी प्रकार, बुकिंग क्लर्क को भी वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने अचानक गाड़ियों को रोका था, के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है तथा कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा भग का भी आदेश दिया गया है। अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत एक नियमित जाँच की जायेगी।

टैक्सी और स्कूटरों के थोड़ी दूरी तक जाने वाले यात्री

3800. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पेट्रोल की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण दिल्ली प्रशिसान ने स्कूटर और टैक्सी चालकों को यह अनुमति दी है कि वे पहले लिए जा रहे अधिभार के अतिरिक्त यात्रियों से क्रमश: 45 और 90 पैसे अधिभार के रूप में लें।

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस वृद्धि के कारण थोड़ी दूरी तक जाने वाले यात्रियों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो थोड़ी दूर तक जाने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार को अभी तक कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ? लेकिन, यह सच है कि इसमें थोड़ी दूरी तक जाने वाले यात्रियों को थोड़ा-सा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उन्हें हर बार जब भी वे स्कूटर या टैक्सी में यात्रा करते हैं अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है। परन्तु, यह मुमकिन नहीं है कि थोड़ी और अधिक दूरी के लिए अधिभार की अलग-अलग दरें तय की जायें।

दीगो गार्सिया की वापसी के लिए मारीशस की मांग

3801. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सूचित किया गया है कि विस्तृत सैनिक सुविधाओं के लिए अमरीकी योजनाओं से विक्षुब्ध होकर दीगो गार्सिया के भूतपूर्व स्वामियों ने उस छोटे द्वीप को वापस मांगा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मारीशस सरकार ने ब्रिटेन से उक्त द्वीप वापस लेने में सहायता के लिए भारत से कहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारत ने उसे वापस दिलाने में मारीशस की सहायता करने का निर्णय किया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) सरकार ने ब्रिटेन से दिएगो गार्शिया वापिस लेने की मारीशस की मांग के बारे में अखबारों में छपी खबरें देखी हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि फ्रीटाऊन में हाल ही में हुए अफ्रीकी एकता संगठन के शिवर-सम्मेलन में मारीशस की पहल पर यह मांग की गई कि दिएगो गार्शिया बिना किसी शर्त के मारीशस को वापिस कर दिया जाये और इसके शांतिपूर्ण स्वरूप को बनाये रखा जाये। यह भी ज्ञात हुआ है कि मारीशस के प्रधान मंत्री ने इस सप्ताह लन्दन की अपनी यात्रा के दौरान इस विषय को ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। लेकिन भारत सरकार ने आरम्भ से ही मारीशस से चागोस अर्चिपलागों (जिसमें दिएगो गार्शिया भी शामिल है) को अलग करने का विरोध किया था। भारत 1971 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुसार हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र स्थापित करने के लिए विश्व भर में तथा विशेष रूप से तटवर्ती राज्यों में, जनमत तैयार करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहा है। दिएगो गार्शिया में सैनिक अड्डों की स्थापना उक्त घोषणा के लक्ष्यों के प्रतिकूल है।

घोघा-दहेज फैरी सेवा के लिए टर्मिनल बिन्दुओं का निर्माण

3802. **श्री नवीन रवाणी** : क्या नौवहन और परिवन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोघा-दहेज फैरी सेवा के लिए, जिस हेतु एक कंपनी पहले ही पंजीकृत की जा चुकी है, टर्मिनल बिन्दुओं के निर्माण के लिए गुजरात सरकार से वित्त-पोषण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) इस समुद्री परिवहन के लिए नौवहन मन्त्रालय गुजरात को नकद तथा किस्त के रूप में क्या सहायता देगा जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल तथा डीजल की बचत होगी, जैसा कि टाटा अनुसंधान संस्थान ने सर्वेक्षण करके बताया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) यह गुजरात सरकार के प्रस्ताव के गुणों पर निर्भर है।

बीस सप्ताह से अधिक की अवधि के गर्भपात के मामले

3803. **श्री छोटूभाई गामित :**

श्री बृज मोहन मोहंती :

श्री जी. एस. रेड्डी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति वार्ड के डाक्टरों ने 2 अप्रैल, 1980 को एक जीवित शिशु का गर्भपात किया था;

(ख) दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में बीस सप्ताह से अधिक की अवधि के गर्भपात के कितने मामले नोट किए गये हैं; और

(ग) इस बारे में कानून को सख्ती से लागू करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

(ख) दिल्ली के बारे में चिकित्सा से गर्भ समाप्ति की जो सूचना मिली है उसके अनुसार गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम के अंतर्गत 20 सप्ताह से अधिक की अवधि के किसी भी गर्भ समाप्ति के मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों और विनियमों का पालन हो, जिस कार्रवाई को आवश्यक समझते हैं, उसे करते हैं । दिल्ली में, निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि संस्थायें कानूनी उपबन्धों का सख्ती से पालन करें ।

जहाजों के फालतू पुर्जों की सप्लाई के लिए एक जापानी फर्म को दिया गया ठेका

3804. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स निचिन मैरीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड टोकियों, जापान को फरवरी, 1978 के भारतीय नौवहन निगम द्वारा बड़ी मात्रा में जहाजों के फालतू पुर्जों की सप्लाई के लिए एक ठेका दिया गया था, यदि हां, तो उसकी राशि कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त कंपनी ने इस ठेके की शर्तों का पालन नहीं किया और जुलाई-अगस्त 1978 में कब सप्लाई की थी, यदि हाँ, तो कितनी कम सप्लाई की थी;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त कंपनी को ठेके की शर्तों से अधिक राशि अदा की गई थी!

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) क्या इन खामियों के लिए भारतीय नौवहन निगम के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हाँ । मूल रूप में मैसर्स निचिन मैरीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, टोकियो के साथ हुए करार की शर्तों के आधार पर भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाजों के स्पेयर पुर्जों के लिए जुलाई, 1978 तक कुल 276·93 मिलियन येन (90·28 लाख रुपये) के आर्डर दिए जाने का अनुमान किया गया था लेकिन समय-समय पर निगम ने जून 1979 (आखिरी सप्लाई) तक जितने माल की सप्लाई के लिए आर्डर दिया उसकी वास्तविक कीमत 445·07 मिलियन येन (145·09 लाख रुपये) है ।

(ख) और (ग) करार की शर्तों के अनुसार उक्त कंपनी द्वारा उतने स्पेयर पुर्जों की सप्लाई की जानी थी जिनके लिए निगम ने जुलाई 1978 तक आर्डर दिया था लेकिन निगम के अनुरोध पर उक्त कंपनी ने दरों में वृद्धि किये बिना अधिक मात्रा में स्पेयर पुर्जों की सप्लाई

की। भारतीय नौवहन निगम के जहाजों के अधिकारियों से माल की प्राप्ति के चालानों की जांच के दौरान उक्त कंपनी द्वारा दिसम्बर 1978 से सप्लाई किए गए माल में कुछ अंतर अर्थात् कुछ मदों के 'कम' सप्लाई किए जाने की जानकारी जून 1979 के आस-पास मिली। कम सप्लाई किए गए माल की कीमत 125·72 मिलियन येन (40.98 लाख रुपये) है।

(घ) भारतीय नौवहन निगम ने सप्लायरों से इस मामले में लिखा पढ़ी की जिन्होंने माल की कम सप्लाई के लिए खेद व्यक्त किया। कम सप्लाई किए गए माल की पूरी कीमत उक्त कंपनी से वसूल कर ली गई है।

(ङ) इसमें किसी अधिकारी का हाथ नहीं था क्योंकि यह घटना प्रक्रिया में कुछ कमियां होने के कारण हुई जिन्हें दूर किया जा चुका है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1308 दिनांक 19-6-1980 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विदेश मंत्री (श्री नरसिंह राव) : दिनांक 19-6-80 के अतारांकित प्रश्न सं० 1308 के उत्तर में मैंने अन्य बातों के अलावा यह भी कहा था कि प्रधान मंत्री ने 21 मार्च, 1980 को देवबन्द में दारुल उलूम के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।

2. मुझे अब यह बताया गया है कि उपर्युक्त सूचना कुछ गलतफहमी के कारण दी गई थी।

3. सही स्थिति यह है कि उद्घाटन समारोह में प्रधान मंत्री ने सम्माननीय अतिथि के रूप में भाग लिया था।

तथा

विशेषाधिकार के प्रश्नों के स्थगन प्रस्तावों के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं निवेदन करना चाहता·····।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ टिप्पणियां करनी है। आप पहले मुझे सुनिये और उसके बाद कहियेगा। (व्यवधान) मैं कुछ टिप्पणियां करने जा रहा हूँ। श्री फैलीरो आप बैठ जाइये। नहीं, नहीं, मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा। आप कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान) श्री फैलीरो, आप पहले मेरी बात सुनिये। मैं आपको कहने की अनुमति नहीं देता। (व्यवधान) अनुमति नहीं दी जाती। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आपको पहले मेरी बात सुननी होगी। श्री लकप्पा मैं किसी को कुछ कहने की अनुमति नहीं दे रहा। (व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं? आप सदन को सही ढंग से क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? (व्यवधान) मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ** (व्यवधान)।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : इन्होंने कुछ असंसदीय टिप्पणी की है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्या कहा है? ···(व्यवधान)।

श्री जगदीश टाईटलर : उन्हें अपनी टिप्पणी वापिस लेने के लिए कहा जाना चाहिये ··· (व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री के. लकप्पा (टुमकुर) : क्या आप इसकी अनुमति दे सकती हैं** सदस्य ने कहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने कोई असंसदीय शब्द कहा है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये । नहीं, नहीं, वह असंसदीय है । किसी को भी इसे कहने की अनुमति नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री लकप्पा को मंत्री बना दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सिफारिश भेज दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : 9 जुलाई, 1980 को कोयला तथा ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी. खान चौधरी के विरुद्ध अन्तर्राज्यीय कोयला तस्करों द्वारा लाखों रुपये के घोटाले का पता चलने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करते समय श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा कुछ आरोप लगाये गये थे अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि कोयले के लिए जारी किये गये परमिटों के लिए गैर कानूनी तरीके से धनराशि एकत्रित की जा रही है । मंत्री महोदय ने इन आरोपों का सदन में ही खंडन किया था और कल रात उन्होंने इस सम्बन्ध में मेरे पास एक विस्तृत पत्र भी भेजा है ।

सदस्यों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए मैंने कहा था कि मैं कार्यवाही को पढूँगा ।

मैंने मामले की जांच कर ली है । यह एक सामान्य रूप से स्वीकार की गई परम्परा है कि यदि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य या मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है और सदस्य या मन्त्री उसका खडन करता है, तो मामला वहीं समाप्त कर दिया जाना चाहिए। फिर भी यदि कोई मामले को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डालता है, तो उसे प्रस्ताव के लिए उचित सूचना देनी चाहिये ।

मुझे श्री ज्योतिर्मय बसु से 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक तो पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कोयला तथा ऊर्जा मन्त्री द्वारा लगाये गये निराकार आरोपों सम्बन्धी विशेषाधिकार का उल्लघंन करने के बारे में है, दूसरा संकल्प मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में सर्व दलीय संसदीय समिति के गठन के बारे में है, और तीसरा श्री गनी खान चौधरी को मन्त्रि-परिषद से हटाये जाने के बारे में है । इनमें से प्रत्येक सूचना की जाँच नियमों तथा पूर्व दृष्टांतों के सन्दर्भ में दी जा चुकी है ।

जहाँ तक विशेषाधिकार सम्बन्धी सूचना का प्रश्न है, उसे मैंने ऊर्जा तथा कोयला मंत्री को भेज दिया है, ताकि वह यह बता सकें कि उन्हें मामले में क्या कहना है और उनसे अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मैं इस मामले में निर्णय करूंगा ।

जहाँ तक सर्व दलीय संसदीय समिति के गठन सम्बन्धी सूचना का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में सदस्य से अनुरोध किया गया है कि वह उसे स्वत: पूर्ण बना दें ।

जहाँ तक निंदा प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैंने वह प्रधान मंत्री को तथा संबंधित मंत्री को भेज दिया है और उनका उत्तर प्राप्त हो जाने पर मामले पर आगे विचार किया जायेगा । श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने स्थगन प्रस्ताव में माननीय ऊर्जा तथा कोयला मंत्री द्वारा कल ध्याना कर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध की गई आरोपात्मक टिप्पणी का उल्लेख किया है ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

एक अन्य सदस्य श्री मनीराम बागड़ी ने भी मन्त्री महोदय की इस टिप्पणी की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और सुझाव दिया है कि उसे कार्यवाही वृत्तांत में से निकालने पर विचार किया जाना चाहिये।

मैंने स्थिति पर पुनः विचार कर लिया है और मुझे मालूम हुआ है कि ये आरोप भी ऊर्जा तथा कोयला मंत्री पर पहले लगाये गये आरोपों से परस्पर सम्बन्ध ही है। एक अन्य सदस्य ने भी टिप्पणी की है कि राज्य सरकार के विरुद्ध की गई टिप्पणी भी असत्य है। यह एक विवादास्पद विषय है कि क्या इस समय उसे लोकसभा की कार्यवाही से निकाला जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये मामले निश्चय ही गम्भीर हैं और मैं शीघ्र ही इन पर विचार करने के लिए सभी दलों के नेताओं तथा ग्रुपों की बैठक बुलाना चाहता हूँ जिसमें इस बात पर विचार किया जायेगा कि इस प्रकार की स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सर्व श्री के. लकप्पा, ए. आर्डो फैलीरो तथा जगदीश टाईटलर ने श्री ज्योतिर्मय बसु के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि श्री बसु ने 9 जुलाई, 1980 को सदन में अन्तर्राज्यीय कोयला तस्करों क षडयंत्र का पता चलने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी चर्चा के दौरान ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला विभाग में मन्त्री श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी तथा उनके निजी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाये हैं।

मान्य परम्परा के अनुसार, मैं ये सूचनायें टिप्पणी हेतु श्री ज्योतिर्मय वसु को भेज रहा हूं और उनका उत्तर आ जाने पर ही मैं अपना निर्णय दूंगा।

मुझे सर्व श्री ज्योतिर्मय वसु, मनीराम बागड़ी तथा राम विलास पासवान से ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला विभाग में मंत्री श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी, के विरुद्ध 9 जुलाई, 1980 को तस्करों के अन्तर्राज्यीय गिरोहों का पता चलने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान की गई टिप्पणियों के संबन्ध में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैं पहले ये नोटिस टिप्पणी हेतु श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी को भेज रहा हूं···व्यवधान

श्री ज्योतिर्मय बसु : ·····**

श्री के. लकप्पा : ·····**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जायेगा, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं किसी को कुछ कहने की अनुमति नही दे रहा हूं और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों की हड़ताल

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें भी प्राप्त हुई हैं-एक तो श्री जयपाल सिंह कश्यप से दिल्ली के अस्पतालों के डाक्टरों की हड़ताल के बारे में। इस मामले पर

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदन में 8 जुलाई. 1980 को पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा की जा चुकी है। इसलिए मैं इस पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

सदस्य को गिरफ्तारी(श्री रशीद मसूद

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचना देनी है कि मुझे मेरठ (उत्तर प्रदेश) के न्यायिक मजिस्ट्रेट का दिनांक 9 जुलाई, 1980 का निम्नलिखित वेतार संदेश 10 जुलाई, 1980 को प्राप्त हुआ है—

"श्री रशीद मसूद, संसदस दस्य को मेरठ जिले के बागपत पुलिस थाने से भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन आज जेल भेज दिया गया और 10-7-1980 तक उनका रिमांड ले लिया गया।" (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चण्डी गढ़ के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखे तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : मैं स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समापटल पर रख सकता हूं [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1049/80]

प्रकाशस्तम्भों के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति (प्रक्रिया सम्बन्धी) संशोधन नियम* 1979 को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (बूटा सिंह) : मैं प्रकाशस्तम्भों के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति (प्रक्रिया सम्बन्धी) संशोधन *नियम, 1979, जो दिनांक 23 जून 1979 की अधिसूचना संख्या सा. सां नि. 867 में प्रकाशित हुये थे, को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1050/80] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन के समक्ष कौन सा मामला है ? सदन के समक्ष कोई भी मामला नहीं है। पत्र सभा पटल पर रख गये हैं। (व्यावधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : अधिकरियों की गिरफ्तारी के बारे में मैं कहना·····।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह बात समाप्त हो चुकी है। (व्यवधान) नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। आप इस मामले को नहीं उठा सकते। यह बात समाप्त हो चुकी है···व्यावधान

अध्यक्ष महोदय : आपको सूचना देनी पड़ेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सदस्य को किस जेल में रखा गया है···(व्यवधान)

---

* नियम 3 जुलाई, 1980 को समापटल पर रखे गये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस कानून के अन्तर्गत ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें 10-7-1980 तक रिमांड में लिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें किस जेल में रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 229 में कहा गया है—"जब कोई सदस्य किसी आपराधिक आरोप या, किसी दण्डापराध के लिये बन्दी किया जाय या किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय तो, यथा-स्थिति,दंड देने वाला न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तृतीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा"

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें किस जेल में भेजा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियम 229 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं उस जेल का नाम जानना चाहूंगा जिसमें उन्हें रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक वायरलेस संदेश था। हम इसकी पुष्टि करेंगे और आपको बतलाएंगे। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपत्ति करता हूं। जब एक संसद सदस्य को गिरफ्तार किया गया है तो यह सदन के विशेषाधिकार का एक बड़ा मामला है कि सदन को उस जेल के बारे में बताया जाय जिसमें उस सदस्य को रखा है। यदि यह जानकारी नहीं दी गई है तो यह सदन का प्रत्यक्ष अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना वायरलेस पर मिली थी। मैंने सदन को बता दिया।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : वायरलेस से दिए जाने वाले संदेश में कम से कम सदन को यह बता दिया जाना चाहिए था कि संसद सदस्य को किस जेल में रखा गया है। यह एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। यह सदन के सदस्य का एक विशेषाधिकार है कि अधिकारियों को यह न्यूनतम जानकारी अवश्य देनी चाहिए कि उसे कहां रखा गया है, किन स्थितियों में उसे रखा गया है; क्या वह पुलिस की हिरासत में है, क्या वह इस जेल में है अथवा उस जेल में है। इस सदन के सदस्यों को हिरासत में लिए गए सदस्य के परिवारी जनों को, उसके दल के सदस्यों तथा सदन को इस बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अभी ज्यों ही मुझे यह सन्देश मिला तो मैंने सदन के प्रति अपने प्रथम कर्तव्य के रूप में यथाशीघ्र सदन को सूचित किया और मैं इसके बारे में छानबीन करूंगा तथा स्थिति का पता लगाऊंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह पता लगाने का सवाल नहीं है। यह एक गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप नियमों से इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आपको यथा शीघ्र सदन को अवश्य सूचना देनी चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि प्राधिकारी ने एकदम लापरवाही दिखाई है। आपको हमेशा यह बताया गया है कि मेरठ के प्राधिकारी लापरवाह हैं। उसका यह

एक प्रमाण है। वहाँ के मजिस्ट्रेट का रवैया प्रतिशोधात्मक और लापरवाही का है। उसने आपको जानकारी नहीं दी। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी के लिए नियम 229 में यह आदेशात्मक बनाया गया है। इसमें प्रयुक्त किया गया शब्द है 'देगा'। यह कहता है—

"···· तृतीया अनुसूची में दिए गए समुचित प्रपत्र में, यथा स्थिति बन्दी करण, निरोध या दोष सिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा।"

अब तृतीय अनुसूची क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने भी पढ़ा है। निर्धारित सूचना मिलने वाली है। (व्यवधान) मैं इस बारे में विचार करूंगा।

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : सदस्य को गिरफ्तार हुए 24 घंटे हो गए हैं। जहां सदस्य को गिरफ्तार किया गया है वह स्थान यहाँ से 40 मील से भी कम दूरी पर है और वे तार देकर सूचना भेज रहे हैं। यह क्या है ? वे सदन की उपेक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में विचार करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा, मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमें यह बताइए कि यह सूचना किसने भेजी है।

अध्यक्ष महोदय : हम आपको उसकी एक प्रति दे देंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : जब किसी नियम का अतिक्रमण होता है और सदन का विशेषाधिकार भंग होता है तो हम आपके अलावा और किसके पास जाएंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना न्यायिक न्यायाधीश (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) से मीली है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह 10 जुलाई का मेरठ के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से मिला संदेश है इसमें कहा गया है ?

"संसद सदस्य श्री रसीद मसूद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत मेरठ जिले के बागपत पुलिस स्टेशन, से आज जेल भेजा गया और उन्हें 10-7-80 तक हिरासत में रखा जाएगा।"

नियम 229 कहता है :

"जब कोई सदस्य किसी आपराधिक आरोप, किसी दंडावराध के लिए बन्दी किया जाए या किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाए, तो, यथास्थिति, दण्ड देने वाला न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी,··· यथास्थिति बन्दीकरण, निरोध या दोष सिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध पर कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य कीसूचना अध्यक्ष को देगा।"

इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बताया गया है कि अमुक धारा के अन्तर्गत :

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें निरोध के ख्याल के साथ, गिरफ्तार, निरोध या दोष सिद्धि, जैसा भी मामला हो, के कारण बताने हैं। इस संदेश में निरोध के स्थान का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संबन्ध में विचार करूंगा। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : यह तृतीय अनुसूची में दिए गए समुचित प्रपत्र में होनी चाहिए। तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी पूर्णतया नदारत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा और अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सदन के विशेषाधिकार भंग का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र श्री लास्कर।

सभा पटल पर रखे गए पत्र - ऊरी

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : महोदय, औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत, औषधि और प्रसाधन (पहला संशोधन) नियम 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 अप्रैल 1980, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां.नि. 430 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1051/80]

राज्य सभा का संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन, नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश प्राप्त हुआ है कि राज्य सभा 8 जुलाई 1980 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 जुलाई 1980 को पास किए गए नेहानल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गईहै।"

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण — श्री चन्द्रजीत यादव।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, नियम 376 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था संबन्धी प्रश्न है। खारी बावली में···

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कल के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। श्री चन्द्रजीत यादव।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इस के सम्बन्ध में मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर

×× कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। हम लोगों का कालिंग अटेंशन है और इसका स्टेमेंट हिन्दी में नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि आप के यहां कार्यालय में कांस्टीच्यूशन आफ इंडिया हिन्दी में अभी तक नहीं तैयार किया गया है। जो सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते हैं उन के सामने कितनी दिक्कत है ? आप के कार्यालय में हिन्दी में कांस्टीच्यूशन नहीं है। स्टेटमेंट यहां अंग्रेजी में आता है, हिन्दी में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। यदि यह नहीं आया है तो ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। ··· मैं इसे गंभीर मामला मानता हूं। (व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : जरा सा इस बात को दोबारा इन को कह दें।

श्री राम विलास पासवान : कांस्टीच्यूशन आफ इंडिया के बारे में मैंने दफ्तर में पता लगाया है। हिन्दी में अभी वह ट्रांसलेट नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही उनको चेतावनी दे दी है। यह बड़ी बुरी बात है।

अखिल भारतीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

"देश के महानगरों में गंदी बस्तियों की दशा सुधारने के लिए योजनाएं"

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं। और मैं अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"देश के महानगरों में गंदी बस्तियों की दशा सुधारने के लिए सरकार की कथित योजनाएं।"

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी. सी. सेठी) : यह प्रश्न रात देर से हमें भेजा गया था। और त्रुटि के लिए मुझे अफसोस है। हम बात का ध्यान रखेंगे कि दोबारा ऐसी बात न हो। मूलतः यह प्रश्न योजना आयोग को भेजा गया था परन्तु रात देर से हमारे पास भेजा गया।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि, गन्दी बस्ती उन्मूलन। सुधार योजना मई, 1956 में केन्द्रीय क्षेत्र में आरम्भ की गई थी और अब अप्रैल, 1969 से यह योजना राज्य क्षेत्र योजना के रूप में चलाई जा रही है, गन्दी बस्तियों के बारे में सरकारी नीति का सुझाव अब इन्हें दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरण की बजाए मौजूदा गन्दी बस्तियों में ही सुधार करना हो गया है। इस में लाये गये परिवर्तन को ठोस रूप तब दिया गया जब ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार की योजना को अप्रैल, 1972 में एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में आरम्भ किया गया। इस योजना को 20 नगरों, में चालू किया जाना था. जिन में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी 9 महानगर शामिल हैं। इस योजना में ऐसे गन्दी बस्ती क्षेत्रों की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार लाने की

×× कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवस्था है जिन्हें आगामी कम से कम 10 वर्षों में हटाया नहीं जाना है। योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पर्यावरणीय सुधार की व्यवस्था है (i) पेय जल की व्यवस्था जिसमें नलों से जल पूर्ति शामिल है, (ii) सीवर, (iii) बरसाती पानी की नालियां, (iv) सामुदायिक स्नानगृह और शौचालय, (v) मौजुदा गलियों को चौड़ा करना और पक्का करना, (vi) सड़कों की रोशनी की व्यवस्था गुणावगुण के आधार पर सुधार की अन्य पद पर भी विचार किया जा सकता है। इन सुविधाओं को देने के लिये अधिकतम लागत 120 रुपये प्रति व्यक्ति थी।

पाँचवीं योजना अर्थात् 1-4-1974 के आरम्भ से इस योजना को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अग के रूप में राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया गया था। 3 लाख और उस से ऊपर की जन संख्या वाले सभी नगरों और उन राज्यों के कम से कम ऐसे एक कस्बे में जहाँ इस आकार का कोई नगर नहीं है, में इस योजना को लागू करने के लिये इसका कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया था। 1-4-1978 से जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखे विना, योजना को सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू करने के लिये इसका कार्यक्षेत्र और बढ़ा दिया गया और इसकी लागत भी बढ़ा कर अधिकतम 150 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है।

हाल ही में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने देश की गन्दी बस्ती समस्या का अनुमान लगाया था। इन अनुमानों के अनुसार, नगरीय क्षेत्रों में कुल गन्दी बस्तियों की जन संख्या का लगभग 40 प्र.श. जिनकी आबादी 10 लाख और उससे अधिक है, वाले 9 महानगरों में बसी हुई है। 1979 में इन महानगरों में गन्दी बस्तियों की अनुमानित जन संख्या 99,75,000 है। शहर की आबादी की प्रतिशतता के अनुसार, गन्दी बस्ती की आबादी बंगलौर में लगभग 10 प्र.श. से कानपुर में लगभग 37 प्र.श. तक भिन्न भिन्न है।

सरकार 10 लाख और इससे अधिक की आबादी वाले 9 महानगरों की गन्दी बस्तियों की समस्या के ही प्रति सचेत नहीं है, बल्कि निम्नतर श्रेणी के शहरों और कस्बों की गन्दी बस्तियों की समस्या के प्रति भी सजग है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग के रूप में नगरीय गन्दी बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना को समावेश करना और सभी नगरीय क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार करना उसे वह महत्व देने का सूचक है, जिसे सरकार इस कार्यक्रम को दे रही है। इस योजना के अतिरिक्त, कुछ महानगरों में, गन्दी बस्ती सुधार कार्य विश्व बैंक की सहायता से बहु-क्षेत्रीय नगर परियोजनाओं के अंग के रूप में आरम्भ किया गया है।

1878-83 की अवधि के लिए देश में 90 लाख गन्दी बस्ती निवासियों की अनुमानित प्रगति के साथ साथ, राज्य योजनाओं की परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

1980-85 की अवधि के लिए पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस ओर से एक ठोस वचनबद्धता के बगैर तथा निधियों की उपलब्धता की अवस्था में हमारा प्रयत्न गन्दी बस्ती सुधार कार्यान्वयन को इस तरीके से गतिशील बनाने का होगा कि इस अवधि के अन्त तक सभी गन्दी बस्तियों का सुधार हो जाए।

श्री चरणजीत यादव : श्रीमान देश में गन्दी बस्तियों की इस समय जो स्थिति है बहुत

ही हानिकारक है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि हमारे देश की 25 प्रतिशत जनसंख्या जो शहरी क्षेत्रों में रह रही है वे प्रतिदिन के जीवन की मूलभूत और न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित हैं। मैं समझता हूँ कि इस समस्या के प्रति जिसे हमारे राष्ट्रीय विकास में बहुत महत्व दिया गया है। सदा ही उपेक्षा का रवैया अपनाया गया है। कभी इसे केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी माना जाता है तो कभी राज्यों को इसका भार सौंपा जाता है। कभी कहा जाता है कि इस समस्या का बहुत महत्व है। परन्तु यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग गन्दी बस्तियों में रहता है। विभिन्न गन्दी बस्तियों के लिए आवंटित धन का भी उचित उपयोग नहीं लिया गया गम्भीर बात तो यह है कि जो धन गन्दी वस्तुओं को हटाने, उनमें सुधार करने, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध किया गया उसका भी उचित उपयोग नहीं किया गया। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया गया तो उसके बुरे परिणाम होंगे। श्रीमान, 2001 ईसवीं तक शहरी आबादी 27.8 करोड़ हो जायेगी। दूसरे शब्दों में 2001 तक 27.8 करोड़ लोग शहरों में रह रहें होंगे इस तथ्य को ध्यान में रखकर 1975 में राष्ट्रीय नगरीकरण नीति संकल्प पास किया गया था। इसका आशय यह था कि एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जायेगी जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय विकास अधिकरण परस्पर सहयोग से समन्वित कार्य कर सकेंगे तथा उसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सकेगा। गन्दीबस्तियों में लोग जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। यदि कोई बम्बई, दिल्ली अथवा किसी भी नगर की गन्दी बस्तियों में जायें···

अध्यक्ष महोदय : न केवल बड़े नगरों अपितु छोटे शहरों में भी।

श्री चरणजीत यादव : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सैंकड़ों गन्दी बस्तियाँ उभर रही हैं और उनकी हालात बहुत खराब हैं। न वहाँ पर अच्छी नालिया हैं, न बिजली है और न ही सड़कें बनाई गई हैं। सरकार की न्यूनतम आवश्यकता स्कीम के अन्तर्गत भी इन बस्तियों में अस्पताल, बच्चों के स्कूल, पार्क आदि उपलब्ध नहीं हैं, मानों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, सुविधाओं तथा न्यूनतम मनोरंजन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है जोकि देश के भाग्यशाली वर्ग के बच्चों को उपलब्ध हैं।

शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 10 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों की संख्या दो-तीन गुणा बढ़ गई है और कई मामलों में यह वृद्धि पाँच छह गुणा है जो समिति इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है वह कुछ परिणामों पर पहुँची है। इस समस्या का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए उन्होंने कुछ कानूनी, प्रशासनिक तथा तकनीकी और वित्तीय उपबन्धों का सुझाव दिया है। जबतक इन उपायों को अमल में नहीं लाया जायेगा तथा उचित समन्वय नहीं होगा। तबतक यह समस्या भयानक रूप धारण कर लेगी। यह पहले ही भयानक रूप से हमारे देश की गन्दी बस्तियों में लोग बहुत ही दयनीय दशा में रह रहे हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से इस पर गम्भीरता से विचार करने तथा इस नीति में परिवर्तन करने का निवेदन करता हूँ। न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत इस सारी समस्या का दायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। प्रारम्भ में यह काम केन्द्र के

पास था। 1971 में इसे फिर केन्द्र ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अब इसे पुनः राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है इसमें गंदी बस्तियों के सुधार और उनकी सफाई काम शामिल नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम केवल उन क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जायेंगे जहां इस वर्ष तक गंदी बस्तियों के हटाये जाने की सम्भावना नहीं है। दस वर्ष पश्चात् क्या होगा ? वे कहां जायेंगे ? क्या उन्हें स्थाई रूप से बसाने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

विवरण के अनुसार इस देश में 25 करोड़ लोग गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। यह बहुत ही कम अनुमान है विश्व की विभिन्न एजेन्सियों ने जो अध्ययन किया है उसके अनुसार 10 करोड़ लोग गंदी बस्तियों में रह रहे हैं।

आप सिर हिला रहे हैं। पर यह निर्धारित करने का क्या मापदंड है कि अमुक बस्ती गंदी बस्ती है। आधुनिक देशों में न्यूनतम जिन क्षेत्रों में सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं उन्हें गन्दी बस्तियाँ माना जाता था, यूरोपीय देशों में यदि वातानुकूलन नहीं है, आधुनिक शिक्षा सुविधायें नहीं हैं अच्छी सड़कें नहीं हैं। चाहे मकान कितने ही अच्छे हों, ऐसे क्षेत्रों को गंदी बस्तियाँ माना जाता है। हमारे देश में केवल वही क्षेत्र जो शहरों के आस-पास बसे हुये हैं जिनमें लोग झोपड़ियों में रहते हैं गंदी बस्तियां कहलाते हैं। परन्तु बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, और दिल्ली में भी ऐसे लाखों लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनके रहने वालों को सदा यह भय लगा रहता है कि कभी भी भारी वर्षा से उनका मकान ढह सकता है तथा उनके परिवारों को समाप्त कर सकता है। ऐसी घटनाएं हर वर्ष होती हैं। ऐसे हालात में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या करोड़ों में है। इसलिए सरकार को गंदी बस्तियों के सुधार की नीति को बदलना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को पूरा दायित्व लेना चाहिए तथा योजना आयोग को इसे अग्रता प्रदान करनी चाहिए।

विवरण वक्तव्य का अन्तिम भाग भ्रामक है। मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय ऐसा वक्तव्य देने को तैयार हो गए। मैं उनकी कठिनाई समझता हूं, उन्हें यह पिछली रात ही मिला तथा योजना आयोग ने अपने क्रिया कलापों की पूरी जानकारी उन्हें नहीं दी। वह कोई पक्का वचन देने की स्थिति में नहीं हैं। मैं उनकी विवशता को समझता हूं।

"इस बारे में कोई पक्का वचन दिये बिना तथा धन के उपलब्ध होने की दशा में हमारा प्रयत्न है कि गंदी बस्तियों के सुधार का कार्य इस ढंग से किया जाये कि इस अवधि की समाप्ति पर सभी गंदी बस्तियाँ सुधर जायें।"

यह वक्तव्य वास्तविकता पर आधारित नहीं है। आप इसे अगले पांच वर्ष में किस प्रकार कर पायेंगे जब कि आपको यह भी पता नहीं है कि कितना धन आवंटित किया जा रहा है। परिस्थिति कितनी गम्भीर है। योजना आयोग ने आप को विश्वास में नहीं लिया है और आयोग आपको सभा में यह वचन देने के लिए कह रहा है कि आने वाले पाँच वर्षों में यह कार्य किया जा सकेगा। यदि मंत्री महोदय सच्चे हैं तथा वास्तव में यह चाहते हैं कि आने वाले पाँच वर्ष में सारी गंदी बस्तियाँ हटा दी जायें तो उन्हें न केवल न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए अपितु गंदी बस्तियों में सुधार उनमें बसने वालों के लिए विकल्पी आवास की व्यवस्था इन गरीब और पददलित लोगों के लिए की जानी चाहिए-तथा शहरी विकास के लिए पूरी नीति पर विचार किया जाना चाहिए। यदि आप दिल्ली के इर्द-गिर्द जायें तो आप

पायेंगे कि आलीशान बस्तियां बढ़ती जा रहीं है, लोगों के पास दर्जनों मकान हैं। परन्तु लाखों करोड़ों लोग जो वास्तव में कार्मिक हैं जो इस देश का निर्माण करने के लिए खून पसीना बहाते हैं, उन्हें स्वतंत्रता के 33 वर्ष बाद भी अत्यन्त घृणित देशों में रहने को मजबूर किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने दस वर्ष में यह कार्य करने का वचन दिया है कि अगामी पाँच वर्ष में यह कार्य कर दिया है। परन्तु पिछले 33 वर्ष में स्थिति बिगड़ती रही है तथा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की सख्या हर वर्ष बढ़ रही है। उनके रहने के लिए कोई विकल्पीय व्यवस्था नहीं की गई है। मंत्री महोदय से मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कानपुर जैसे नगर में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां की 37 प्रतिशत जन संख्या- मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत जन-संख्या-गदी बस्तियों में रह रही है। यदि आप किसी भी सुन्दर नगर में जाये, लखनऊ तथा बगलौर जैसे नगरों में भी दस प्रतिशत लोग गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। दिल्ली की स्थिति से आप परिचित हैं। मैं आपकी भावनाओं को जानता हूं। मुझे पता है कि निर्माण में अवास मंत्री के रूप में आपने कई गदी बस्तियों का दौरा किया, आपने वहाँ के हालात देखे होंगे। (व्यवधान) ** बड़े और सुन्दर नगरों में भी जन संख्या का काफी बड़ा भाग गंदी वस्तियों में रहता है (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान न पैदा करें। इसे कार्यवाही वृत्तान्न में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय सभा को विश्वास में लेकर यह बताएंगे कि समस्त गंदी बस्तियों को हटाने और उनमें सुधार लाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है। क्या इसका अनुमान लगाया गया है ? और क्या मंत्री महोदय सभा में कोई पक्का वचन देंगे कि न केवल आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम को लागू किया जायेगा यह कार्यक्रम कुछ नहीं है कोटा और है अपितु जो लोग दस वर्ष तक इसी हालत में रहते रहेंगे जिन्हें प्रति वर्ष बाहर निकाल दिया जाता है उन्हें वैकल्पिक आवास दिये जायेगें ताकि वे देश में भाई बहनों की तरह सुन्दर ढंग से रह सकें तथा उन्हें शिक्षा, चिकित्सा आवास बिजली तथा अन्य सुविधाएं दी जा सकें।

आपने कहा है कि अब विश्व बैंक सहायता कर रहा है। विश्व बैंक खतरनाक ढंग से कार्य करता है तथा आपको यह बात याद रखनी चाहिए। विश्व बैंक ने गंदी बस्तियां हटाने के लिए ऋण नहीं दिया अपितु आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम में सहायया करने की बात कही है। ऐसा लगता है कि वे वहीं बने रहेंगे। दस वर्ष बाद कुछ सुविधाएं दी जायेंगी तथा उन्हें निकाल कर कहीं भी फैंक दिया जायेगा। क्या आप हमें बतायेंगे कि विश्व बैंक ने कितना ऋण दिया है। क्या उसकी कुछ शर्तें हैं। यदि उन्होंने कोई योजनाएं बतायी हैं तो ऐसी योजनाएं कौनसी है जिन्हें आप क्रियान्वित करना चाहते हैं।

अंतिम प्रश्न मैं श्री सेठी पूछना चाहता हूं।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : (निजामाबाद) मंत्री महोदय :

श्री चन्द्रजीत यादव : हां, मंत्री महोदय, मैं पूरे सन्मान के साथ कह रहा हूं।

** कार्यवाही वृत्तान्त में समिलित नहीं किया गया।

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीम नगर) : सेठी से क्या अभियाप्र है। सभा में बहुत से सेठी हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कहता हूं मंत्री महोदय श्री सेठी। यह ठीक है। आप संतुष्ट हैं;

अध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव को मान लिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्री मान, मैं सदा इसका स्वागत करता हूं।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चहता हूं। जब 1975 में राष्ट्रीय संगठन नीति संकल्प पारित हुआ, तब उन्होने अत्यन्त स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी। कि एक राष्ट्रीय विकास नीति अवश्य तैयार की जाये तथा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के सहयोग के साथ इस समस्या के समाधान के लिए दायित्व हाथ में लिया जाए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि 2001 तक यह 27.8 लोगों से संबन्धी मुख्य समस्या होगी तब तक अधीक से अधिक जन संख्या गंदी बस्तियों में रहने वाली होगी उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में सरकार क्या करने जा रही है। जिस धन राशि की सरकार आज व्यवस्था कर रही है क्या उससे इस समस्या का समाधान हो जायेगा;

श्री पी. सी. सेठी : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर ड्रिलाया, जिस पर हम पहले ही सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने उतनी गन्दी बस्तियों का दौरा नहीं किया है जितना मैंने साढ़े चार मास की अवधि में किया है। अतः मैं गन्दी बस्तियों में रहने वाली जनता की स्थिति को उनसे अधिक जानता हूँ। किन्तु वह मामले को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इससे केवल 6 प्रकार की सुविधाओं की ही व्यवस्था हो सकती है जिसका उल्लेख मैंने अपने वक्तव्य में किया है और मैं सदन की सूचना के लिए उन सुविधाओं को दोहराता हूँ;

(i) पीने के पानी के नलों के साथ-साथ जल सप्लाई की व्यवस्था (ii) नालियों की व्यवस्था (iii) शौचाल्यों की व्यवस्था (iv) समुदायिक स्नानगृह तथा (v) वर्तमान लेनों को चोड़ा करना तथा पैदल पथ बनाना। और गलियों में बिजली की व्यवस्था। अब प्रश्न यह है कि विश्व बैंक भी हमें ऋण दे रहा है, यह ऋण किसी कार्यक्रम के आधार पर नहीं दिया जा रहा है बल्कि यह ऋण राज्य सरकारों द्वारा विश्व बैंक को भेजी गई योजनाओं की स्वीकृति के आधार पर दिया जा रहा है। उसके पश्चात विश्व बैंक का एक दल यहां आता है, वह उसकी जांच करता है और जब वह योजना को स्वीकार करते हैं तो वह उसके लिए ऋण देते हैं। हमारी भी यही राय है कि हमें विश्व बैंक से यह कहना चाहिए कि उन्हें हमें कार्यक्रम ऋण देना चाहिए ताकि हम अपने संसाधनों तथा इस ऋण से भारत की सभी गन्दी बस्तियों का सुधार कर सकें।

अब यह कार्यक्रम केवल शहरी गन्दी बस्तियों के लिए ही नहीं, न ही केवल 9 प्रमुख महानगरों की गन्दी बस्तियों के लिए ही है, बल्कि यह भारत की सभी गन्दी बस्तियों के लिए होगा। माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये अनुमान और हमारे अनुमान में अन्तर है। सरकारी अनुमानों के अनुसार आज कुल गन्दी बस्तियों में रहने वाली जनता की संख्या 2·5 करोड़ है।

1985 तक यह जन संख्या 3 करोड़ हो जाने की सम्भावना है क्योंकि यद्यपि हम वर्तमान गन्दी बस्तियों में सुधार कर रहे हैं फिर भी अधिक से अधिक जनता शहरों की ओर आ रही है। इसलिए यह जन संख्या बढ़ रही । वह सही कह रहे हैं कि यदि उचित कदम न उठाये गये तो 2000 तक गन्दी बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि होगी । इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही प्रति व्यक्ति व्यय 1·20 रुपये से बढ़ा कर 150 रुपये कर दिया गया है ।—

श्री चन्द्रजीत यादव : इतना बिल्कुल पर्याप्त नहीं है ।

श्री पी. सी. सेठी : कृपया मेरी बात सुनिये। अब मैं सभी राज्यों की राजधानियों का दौरा करूंगा । मैंने महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई का दौरा किया है--और महाराष्ट्र सरकार की राय यह है कि मूल्य वृद्धि के कारण 150 रु. प्रति व्यक्ति का व्यय कम है। प्रति व्यक्ति व्यय 200 रु. तक हो सकता है और जब हम इसे 300 करोड़ से गुणा करें तो यह राशि 600 करोड़ रुपये हो जाती है । यदि इतनी धनराशि की व्यवस्था की जाये तो मुझे विश्वास है कि हम ऐसी कोई गन्दी बस्ती नहीं रहने देंगे जिनमें इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होगी । गन्दी बस्तियों का पुनर्वास एक बिलकुल पृथक मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : यह 6,000 करोड़ रुपया बनता है ।

श्री प्रकाश चन्द महोदय : नहीं जी, जब आप 200 को 3 करोड़ से गुणा करें तो यह 600 करोड़ होता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सही कह रहे हैं ।

श्री पी. सी. सेठी : अतः यह राशि 600 करोड़ रुपये की बनती है । यह बात भी संभव है कि जैसे कि श्री यादव ने कहा है कि हमारी समिति द्वारा जितनी जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है वह लगभग 3·5 करोड़ होगी । और 1985 के अन्त में यह जनसंख्या बढ़कर 4 करोड़ हो सकती है । इस बात के लिए मैं श्री यादव से सहमत हूं ।

अतः मैं वास्तव में योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय से प्रार्थना कर रहा हूं कि यदि गन्दी बस्तियों में सुधार करने हैं तो 800 करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा । इसके अतिरिक्त जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है कि इस जनसंख्या के लिए आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है । यदि उन्हें छोटे सामुदायिक भवनों जैसी सुविधा नहीं चाहिये तो हम स्कूल के साथ उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं । हमें उनके लिये पीने के पानी तथा सी. जी. एच. एस. सुविधायें भी उपलब्ध करनी हैं । मुख्य प्रश्न यह है कि यह जनता जो कि बड़ी शोचनीय अवस्था में जीवन व्यतीत कर रही है, जिनका जीवन पशु से भी बदतर है, उन्हें हमें यह सुविधाएं उपलब्ध करना चाहिए ताकि वह सफाई से रह सकें, इन्सानों की तरह जी सकें । गन्दी बस्तियों का पुनर्वास-अर्थात् वहां की जनता को वैकल्पिक आवास देना —यह बहुत बड़ा कार्य है । इसका व्यय भी बहुत अधिक होगा । यदि मुझे दिल्ली की गन्दी बस्तियों के नागरीकों को ही वैकल्पिक आवास देने पड़े तो मुझे 1100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । उसे इस दृष्टिकोण से भी मै यह कह सकता हूँ कि यह व्यय भी बढ़ सकता है । श्री यादव मलेशिया अथवा सिंगापुर नहीं गये होंगे । मैंने इन देशों की यात्रा की है । मैंने अन्य अविकसित देशों की भी यात्रा की है अतः मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि भारत उन

अविकसित देशों में अग्रणी है जो इस सम्बन्ध में कुछ कार्य कर रहे हैं। अतः मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है और गन्दी बस्तियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। पिछली सरकार ने पांचवीं पंच-वर्षीय योजना, 1978-83 में इसके लिये 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। किन्तु 1978-79 तथा 1979-80 में उन्होंने राज्य सरकारों को केवल 27 करोड़ रुपये ही दिये थे। यह बड़ी दुर्भाग्य-पूर्ण बात थी।

राज्य सरकारों को दी गई इस राशि में से उन्हें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की लागत के लिए भी कुछ राशि चाहिये थी। उन्होंने कुछ धनराशि प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी दी थी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए व्यय की गई धनराशि का क्या हुआ ? मेरे विचार से श्री यादव इस सम्बन्ध में बेहतर जानते हैं क्योंकि पिछले शासन के दौरान यह धनराशि प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय न कर अन्य उद्देश्यों के लिए व्यय की गई। दूसरे शब्दों में जो धनराशि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों पर व्यय होनी चाहिए थी वह आर. आर. एस. के लोगों की जेबों में पहुँच गई। इस कहानी का यह सबसे बड़ा दुखान्त भाग है। अतः जो बात श्री यादव ने कही उसमें कुछ बल है। 1974 में राष्ट्रीय आयोग स्तर पर योजना आयोग की बहस के पश्चात इस विषय को राज्य का विषय बना दिया गया। मैं इस सम्बन्ध में सोच रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व्यय पर नियंत्रण करने के लिए योजना आयोग में हमारा कुछ प्रभाव होना चाहिए। इस विषय को केन्द्रीय क्षेत्र में वापस लाया जाना चाहिए। इस मामले पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय को विचार करना होगा। निश्चित रूप से जहाँ तक सदन से माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, यदि वह सभी इसके लिए कहें तो तब मेरा कार्य बहुत सुगम हो सकता है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि मैंने पिछले तीन-चार महीनों में बहुत जगह जाकर स्लम्स और गंदी बस्तियाँ देखी हैं। लेकिन देखना और उस पर अमल करना ये दोनों दो चीजें हैं। मैं एक रिपोर्ट को देख रहा था। एक बार जवाहर लाल नेहरू जी भी कानपुर की एक गन्दी बस्ती को देखने गये थे। उन्होंने उस बस्ती को देखने के बाद कहा—इसे तुरन्त जला दो। लेकिन आज हम 30-32 सालों के बाद भी देख रहे हैं कि कोई भी गन्दी बस्ती नहीं जल पाई है। मन्त्री महोदय ने कहा कि उन्होने जाकर देखा देखा है। मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से देखना चाहिए था उस तरह से उन्होंने नहीं देखा है वह बतायें कि देखने के बाद उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई है। वह उन लोगों को बिना वैकल्पिक स्थान दिए हुए नहीं हटाते अगर उन पर प्रतिक्रिया न हुई होती। मैं पेपर्ज के कटिंग्ज देख रहा था। दो वर्शन हैं। एक ओर तो आपने कहा है बिना वैकल्पि व्यवस्था हुए किसी को नहीं हटाया जायेगा और दूसरी तरफ मई और जून के महीनों में आपने सेलमपुर में झुग्गियां और झोपाड़ियाँ गिरवा दीं। बिना उन लोगों के लिए कोई वैकाल्पिक व्यवस्था किये आपने उनको वहां से हटा दिया।

यह बहुत ही गहन विषय है। हम लोग एयर कंडिशंड मकानों में बैठकर इन लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं मंत्री जी वहाँ गए होंगे, सरकार में आने के पहले और सरकार में आने के बाद और मन्त्री बन जाने के बाद गए होंगे। जिस प्रकार की व्यवस्था मंत्री बनने के बाद कर दी जाती है उस प्रकार की व्यवस्था पहले नहीं की गई होगी। अगर वह पहले गए होंगे और बाद में गये होंगे तो दोनों में उन्होंने

अन्तर जरूर पाया होगा बिना गंदी बस्तियों में गये और वहां जाकर रहे, उनके दुख दर्द को समझा नहीं जा सकता है । जिसने वहाँ जाकर कम से कम रात वहाँ गुजार ली हो वही उनके दुःख दर्द को समझ सकता है । असली माहौल का उसको तभी ज्ञान होता है। असली माहौल वहाँ शाम को बनता है जब एक तरफ तो मच्छर काटना शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ नाले की बदबू आनी शुरू हो जाती है, तीसरी तरफ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, चौथी तरफ महिलायें, बच्चे बूढ़े पाखाना जाने के लिए लाइन लगाना शुरू कर देते हैं । ये जो अभागे लोग हैं इनको 25 गज के प्लाट आवंटित किये जाते हैं । उनके मकानों में न तो खिड़की होती है और न कहीं किवाड़ । जब आप उसमें बन्द हो जाते हैं तब यह सत्य आपके सामने आ कर खड़ा होता है । यातायात की उनको जो कठिनाई होती है उसको आप देखें । कितनी दूर से उनको मजदूरी करने के लिये आना पड़ता है, यह भी सभी जानते हैं । खटिया सड़क पर लाकर और बिछा कर सड़क के किनारे वे सोते हैं । इन सब चीजों का अनुमान वहां जाकर और रह कर ही लगाया जा सकता है ।

एक तरफ देश में बड़ी बड़ी अट्टालिकायें हैं, बड़े बड़े भवन हैं और दूसरी तरफ यह कलंक है । गाँधी जी ने भी इसको 1947 और 1948 में कलंक की संज्ञा दी थी । उन्होंने कहा था कि जिस देश में एक तरफ अट्टालिकायें रहेंगी और दूसरी तरफ ये झुग्गियाँ और झोपड़ियाँ रहेंगी या गंदी बस्तिया रहेंगी वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता । मंत्री महोदय अभी विदेश की बात कर रहे थे । एत बार हमें भी पिछली बार विदेश जाने का मौका मिला था । विदेशों के पैमाने पर सोचें तो हम पायेंगे कि सारा भारत ही स्लम है । कुछ लोगों को निकाल दें तो पूरा हिन्दुस्तान एक गंदी बस्ती है जबकि लोग कहते हैं कि भारत स्वर्ग भूमि है ।

यह 1977 की रिपोर्ट है । इसके मुताबिक दिल्ली में 7 लाख पापुलेशन गन्दी बस्तियों में रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, कलकत्ता में 11 लाख, बम्बई में 300 गंदी बस्यितां हैं जिनमें दस लाख लोग रहते हैं···

एक माननीय सदस्य : इससे ज्यादा ।

श्री रामविलास पासवान : आप ठीक कहते हैं । रिपोर्ट कितनी सही होती है यह आप भी जानते हैं ।

मद्रास में 1 लाख बंगलौर में जिस को सिटी आफ गार्डेज कहा जाता है एक लाख रहते हैं । इस तरह से रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे भारत में 38 लाख परिवार बेघरबार हैं । 80 प्रतिशत लोग हैं जिनके पास टूटे फूटे छप्पर हैं । चूंकि योजना मंत्रालय से भी सम्बन्ध है इसलिए मैंने योजना मंत्री से भी सवाल इसके बारे में किया था । बीस प्रतिशत परिवार भारत के ऐसे हैं जो दस मीटर से कम जमीन में रहते हैं । 51 से 55 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन के पास 20 वर्ग मीटर से नीचे जमीन है । मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि दिल्ली में जानवरों के रहने के लिये एक भैंस के रहने के लिये, दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि 20 मीटर से ज्यादा पक्की जगह चाहिए आदमी के परिवार के लिए जिसमें 5 आदमी का पूरा परिवार रहता है, उसके लिए आप साढ़े 22 गज जगह देते हैं । प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन आपकी योजना के मुताबिक आवास के लिए राशि घटती जा रही है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह राशि कुल सार्वजनिक क्षेत्रीय

विनियोग का 16 प्रतिशत थी, द्वितीय योजना में 8 परसेंट हो गयी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 7 परसेंट हो गयी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 4 परसेंट हो गयी। अब पचम पंचवर्षीय योजना में कितनी है, यह आप बतायेंगे।

श्री पी. सी. सेठी : आपको ज्यादा मालूम होग।

श्री राम विलास पासवान : 1978-83 की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें दिखाया गया है यह पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है, इतनी मोटी किताब है और इसमें गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में केवल 2 लाइनें हैं। इसके पेज 206 पर यह लिखा गया है—

यह अनुमान है कि शहरी जनसंख्या का पाँचवाँ हिस्सा गन्दी बस्तियों में रहता है। इस प्रकार गन्दी बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या 1988 में लगभग 360 लाख हो जायेगी, जिसकी ओर ध्यान देना होगा। इसमें से केवल 50 लाख लोग ही कुछ स्कीमों के अन्तर्गत अब तक आ पाये हैं।

यह पचवर्षीय योजना के प्रारूप की इतनी मोटी किताब है, इसमें गन्दी बस्तियों के बारे में और कुछ नहीं है। पुनर्वास मंत्रालय की रिपोर्ट है, इसमें भी कुछ नहीं है और समाज कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, इसमें भी गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं है।

श्री जगदीश टाईटलर : काम देखोगे कि रिपोर्ट देखोगे ?

श्री राम विलास पासवान काम टाइलर साहब, आप बतला दीजिये।

श्री जगदीश टाईटलर : अपने 3 साल का काम देखिये।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, हमने देखा है 1975 से 76 तक किस तरह से बुलडोजर से उड़ाया गया है। फिर देखेंगे कि किस तरह से उड़ाया जायेगा। इसलिये काम के सम्बन्ध में मत कहिये।

मैं यह कह रहा था कि गन्दी बस्ती दो प्रकार की होती हैं। एक गन्दी बस्ती का सुधार हो सकता है और दूसरी का सुधार असंभव है। सर्वप्रथम मंत्री महोदय को इस बुनियादी सवाल पर सोचना होगा कि गन्दी बस्तियों का जन्म कहाँ से होता है। आज हमारे गांव मर चुके हैं, गाँव में लोगों के पास कोई उद्योग धन्धे का साधान नहीं है, उनकी कोई पर्चेजिंग कैपेसिटी नहीं है नतीजा यह है कि गाँव का गरीब, गूर्वा, नौजवान शहर की तरफ भागता है चाहे वह दिल्ली हो बंगलौर, मद्रास, कानपुर, बम्बई कुछ हो। नतीजा यह होता है कि पूरे का पूरा सैंट्रलाइजेशन हो जाता है, जहां शहर है। इसलिए जब तक गाँव में अधिक से अधिक संख्या में छोटे-छोटे उद्योग नहीं लगेंगे और जब तक वहाँ लोगों की पर्चेजिंग कैपेसिटी रहीं होगी तब तक यह शहरों में जो गन्दी बस्तियां हैं, उनकी वृद्धि को आप रोक नहीं सकते हैं।

मैं मंत्री जी से कहना चहूंगा कि एक का निदान आप कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि जमना के पार चले जाइये, वहाँ एक जे. जे. कालोनी है जो सरकार की तरफ से अधिकृति है। वहां एक अधिकृत है और एक अनधिकृत है। वहाँ मंगोलपेरी एशिया की सबसे बड़ी जे. जे. कालोनी है, इसकी पापूलेशन करीब 3 लाख से ऊपर होगी। इसी प्रकार मादीपुर है, नाँगलोई, सुल्तानपुरी, खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, नन्द नगरी, जहाँगीरपुर, इन्द्रपुरी, त्रिलोकपुरी, पंखारोड, न्यू सीमापुरी, गोकुलपुरी हिम्मतपुरी वगैरा। यह सब दिल्ली का है। एक तो इस तरह की हैं और दूसरी अनिधकृत हैं जहां जे. जे. कालोनी में आपने कहा है आप व्यवस्था कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इन पुरियों को आप उल्हास पुरी बनाना चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सीधा प्रश्न पूछता हूं। आपने कहा कि कि यह सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से आप भी जरूर परिचित होंगे। जिस तरह की समास्यएं हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही भयावह हैं, दिल्ली में जब ये समस्याएं हैं तो गांव और दूसरे नगरों की समस्याएं इससे भी ज्यादा जटिल हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अगर ज्यादा जटिल नहीं है, तो कम से कम उतनी जरूर है। मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकारें भी इसमें इनवाल्व्ड है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक इस विषय को केन्द्रीय सूची में नहीं रखा जाता है, क्या तब तक वह राज्यों के आवास मंत्रियों की एक बैठक बुला कर इस बारे में विशद रूप से चर्चा करेंगे। क्या वह इस समस्या को हल करने के लिए दीर्घकालीन और तात्कालिक योजनायें चलायेंगे ? क्या वह बतायेंगे कि इस समय पूरे हिन्दुस्तान में कितने लोग बेघरबार हैं, उनमें से कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरबार हैं, कितने लोग शहरों की गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं और कितने लोगों को गन्दी बस्तियों में भी जगह नहीं मिली है? इस बारे में वह कौन सी योजना चलाने जा रहें हैं ?

श्री पी. सी. सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री पासवान, का बहुत ऋणी हूं कि उन्होंने अपनी जबानी सुना दी है। जितने डाकुमेंट्स उन्होंने पेश किये हैं, वे सब 1978-83 की प्लान के हैं, जो उनकी सरकार ने ही बनाई थी। चौधरी साहब शहरों और गाँवों का बंटवारा करना चाहते थे और शहरों तथा गाँवों के बीच दरार डालना चाहते थे, यह सब उसी का परिणाम है।

श्री राम विलास पासवान : यह ठीक नहीं है।

श्री पी. सी. सेठी : इसी लिए इन डाकुमेंट्स में इस विषय का कोई जिक्र नहीं है। उसीका परिणाम है कि इस प्लान में इस काम के लिए 140 करोड़ रुपये रखे गये थे और अनफार्चुनेट्ली सिर्फ 37 करोड़ रुपये राज्यों को दिये गये, जबकि यह योजना 600 से 800 करोड़ रुपये में भी पूरा नहीं हो सकती थी।

स्लम क्लीयरेंस का प्रोग्राम 1972, 1974 और 1975 में बहुत तेजी से चला था। माननीय सदस्य ने पंडित जी के इस वाक्य का जिक्र किया कि स्लम्ज को जला देना चाहिए। उनका मतलब यह नहीं था गन्दी बस्तियों को जला दिया जाये, बल्कि उनका मतलब था कि इस प्रकार की गन्दी बस्तियाँ नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को कोई आल्टरनेटिव स्थान देना चाहिए। यह आल्टरनेटिव स्थान देने का प्रोग्राम शुरू किया गया और तुर्कमान गेट में इस प्रकार का प्रोग्राम शुरू हुआ; तब इन जैसे माननीय सदस्यों ने उस प्रोग्राम में खलल डालने की पूरी कोशिश की। उन्हें यह जान कर खुशी होगी कि इस प्रकार की जो गन्दी बस्ती उस समय तोड़ी गई थी उसके लिए आल्टरनेटिव हाउसिंग स्कीम बन चुकी है, वे लोग बसाये जा रहे हैं और वे खुशी से वहा आ रहे हैं। उन्हें यह भी जान कर खुशी होगी कि उन लोगों के वोट भी उन्हें नहीं मिल रहे हैं।

माननीय सदस्य ने मुझ पर जोर डाला कि मैं गन्दी बस्ती में एक रात रहा हूं। वह जहां कहें, वहाँ मैं उनके साथ जितनी रात कहें, उतनी रात रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर

केवल गन्दी बस्ती में रात बितानी थी, तो इस एयर-कन्डीशन्ड हाउस में आने की तकलीफ उन्होंने क्यों की ? (व्यवधान) मुझे माननीय सदस्य का सुझाव बिल्कुल मन्जूर है। मैं हर स्टेट कैपिटल में जा कर गन्दी बस्तियों, ड्रिंकिंग वाटर और हाउसिंग के इस साल के प्लान के बारे में बात करूंगा : यह सब पूरा करना है। बेघरबार लोग कितने है, यह इस सवाल में नहीं आता है। वह सवाल दूसरा है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल हम करीब करीब 40,000 मकान बनाने जा रहे हैं, जिसमें अकेले ए.बी.सी. क्लास के लिए 15 हजार मकान दिल्ली में बन रहे हैं। इस प्रकार हाउसिंग का भी एक बड़ा प्रोग्राम है लेकिन वह इस सवाल के अन्दर नहीं आता। यह केवल मेट्रोपोलिटन सिटीज के स्लम-क्लीअरेंस का सवाल था लेकिन मैंने इस में आप को बताया कि स्लम क्लीअरेंस या स्लम इम्प्रूवमेंट का जहां तक सवाल है, हमारी पूरी कोशिश इस बात की है कि 1985 तक का जो प्लान-फार्मुलेशन हो रहा है उस में इसका समावेश हो जाय। उस के लिए निधि हम को यहां से, भारत सरकार से भी मिल सकती है और उसके लिए वर्ल्ड बैंक से भी हम कहना चाहते हैं कि बजाय इस के कि हम एक स्कीम उनको सबमिट करें और उन के आफिसर्स आ कर उस को पास करें, हम उन से एक प्रोग्राम मांगे और उस में हम स रा ही लेना चाहते हैं कि च.र साढ़े चार साल में इम्प्रोवाइज्ड होम बनाना चाहते हैं सब जगह इस के अलावा नये स्लम बनेंगे उस का भी हम ख्याल करेंगे। हम ने जो तारीखें दी हैं 2 फरवरी 1977 कमर्शियल एरिया के लिए और जून 1977 रेजीडेंशियल एरियाज के लिए यह भी पिछली सरकार ने तय की थी और रेकग्नाइज किया था कि यह कट-आउट ईयर होगा। इस तारीख के पहले जो यहां आ गए हैं उन को नहीं हटाया जाएगा और इस तारीख के बाद जो आए हैं उनको हटाएंगे। लेकिन हम इस पर भी पुनर्विचार कर रहे हैं कि क्या कट-आउट डेट जो उन्होंने तय की थी उसी को रहने दें या इस को अप-डेट करें और मैं आप को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम ने इस बात का ध्यान रखा है, जैसा मैंने खुद कहा कि 2 करोड़ 50 लाख लोगों के बजाय 3 करोड़ के लिए कर रहे हैं क्यों कि बावजूद इसके कि हम स्लम क्लीअरेंस का काम अभी जिस स्पीड से कर रहे हैं उसी स्पीड से करते रहें वह संख्या 3 करोड़ की 1985 में हो जायगी। इसलिए नये स्लम न बनें इस के लिए हम ने साइट ऐंड सर्विसेज का प्रोग्राम रखा और राज्य सरकारों को इस बात के लिए कहा जा रहा है कि हर जगह सिटीज में, डिफेरेंट एरियाज में देखें क्योंकि लोग जहां काम करने के लिए आते हैं वहीं झोपड़ा ठोक लेते हैं। तो यह संभव नहीं है कि लोगों को जमुनापार मैं केवल साइट ऐंड सर्विसेज डेवलप करके फेंक दिया जाय और कहा जाय कि आप लोग यहां बस जायें। हमें शहर में डी.डी.ए. के पास जो जमीन है, चाहे म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास जमीन है, चाहे एन.डी.एम.सी. के पास जमीन है या लैंड डेवलपमेंट के पास जमीन है, चाहे जिस भी विभाग के पास जमीन है उस जमीन में साइट ऐंट सर्विसेज के ऐसे डेवलप करने हैं ताकि जो कोई आइंदा स्लम या झोपड़ा बना कर काम की वजह से दिल्ली में और शहरों में रहने को आएगा उस को केवल उसी स्थान पर रहने दिया जाएगा अगर एक स्थान के अलावा किसी दूसरे पर स्लम या अन-एथोराइज्ड कालोनी बनाने की कोशिश करेगा तो हम उस को वहां नही रहने देंगे।

मैं यह भी आप को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को अब झुग्गी झोंपड़ी से हटाया जायगा तो या तो साइट ऐंड सर्विसेज डेवलप्ड एक प्लान के अन्दर बसाया जायगा या आलटर-

नेटिरली रिसेटीलमेंट की किसी स्कीम के अन्तर्गत उसको हटाया जायगा। झोपड़ियाँ तोड़ने का कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है। जहां कहीं से भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं उस को हम देखते हैं। हम ने राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसा न करें। मगर कुछ राज्य सरकारों ने बदनाम करने के लिए कि फिर से इन्दिरा गाँधी की सरकार आ गई है, इसलिए झोपड़ी तोड़ना फिर से शुरू हो गया है, इस लिए जानबूझ कर ऐसा किया है। इस प्रकार के कुछ आफिसर लोगों ने बिठा रखे हैं जो इस प्रकार की कार्यवाही करते रहते हैं हम को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम पूरी नजर रख रहे हैं और इस प्रकार की कार्यवाही को रोक रहे हैं।··· (व्यवधान) ··

मुझे माननीय सदस्य का वह सुझाव स्वीकार है लेकिन अभी तो मैं स्टेट कैपिटल्स में जा रहा हूं। मगर उसके बाद केवल आवास मंत्रियों की नहीं बल्कि सब आवास मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की कान्फरेंस यहां बुला रहा हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में जानकारी दी कि अगली पंचवर्षीय योजना में या आने वाले वर्षों में इन गन्दी बस्तियों के सुधार एव उन के उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है और कितनी जागरूक है। निश्चित रूप से वह इस कार्यवाही के लिए बधाई के पात्र हैं, विशेषकर इसलिए कि वे स्वयं गन्दी बस्तियों में जा कर उनका आकलन कर रहे हैं और स्वयं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे देश में यह समस्या कितनी विकट बनी हुई हैं, खास तौर पर ऐसे बड़े नगरों में, महानगरों में जो कि हमारे देश की प्रगति के सूचक माने जाते हैं चाहे वह दिल्ली हो, चाहे बाम्बे हो या कलकत्ता या मद्रास हो, हम ने वहाँ पर देखा है कि एक तरफ जहां इन नगरों में बड़ी बड़ी इमारतें, बहु-मंजिली बिल्डिगें बनी हुई हैं वहीं इन इमारतों से ज्यादा संख्या गन्दी बस्तियों की दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है जहाँ पर न सफाई है न पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। और न सैनिटरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई व्यवस्था है। इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले करीब 95 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो देश के निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। वे इन बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में अपनी कार्यकुशलता और श्रम का योगदान दे सकते हैं। वे लोग दूसरों के लिए सब कुछ बना सकते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं परन्तु स्वय के लिए कुछ भी करने की क्षमता उन में आर्थिक सामर्थ्य न होने के कारण नहीं है। यह सब हमारे शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, जो स्वय काम करने की क्षमता रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, उनकी प्रगति के लिए मन्त्री जी जागरूक रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि गन्दी बस्तियों के विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारी सरकार अपने हाथ में ले। छठी पचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट प्लान हमारे सामने है और मन्त्री जी ने बताया है कि उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उसमें करीब 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखने का विचार है। निश्चित रूप से इस बात के लिए मन्त्री महोदय बधायी के पात्र हैं। 600 करोड़ का प्रावधान जो मन्त्री जी रखवाना चाहते हैं वह इसलिए भी आवश्यक हैं कि पिछली योजना में, 1978-83 के लिए सम्भवत: 140 करोड़ का ही प्रावधान किया गया था और व पैसा भी, उनकी जानकारी के अनुसार इस कार्य में न लगाकर दूसरे कार्यों पर लगा दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप गन्दी

बस्तियों की समस्या जो हल होनी चाहिए थी वह और बढ़ती गई। उस रुपए का दुरुपयोग किया गया और जिस काम में वह लगा उसकी जानकारी भी दी गई। ऐसी स्थिति में हमारे मन्त्री जी को जैसी काम करने की क्षमता है, किसी भी काम को वे दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, समयबद्ध योजना को वे प्राथमिकता देते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आने वाले 5 वर्षों के लिए 600 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा गया है इसके अन्तर्गत समयबद्ध योजनाओं को हाथ में लेकर ही गन्दी बस्तियों के उन्मूलन की योजना को मूर्तरूप प्रदान किया जा सकता है। जैसा कि आपने बताया गन्दी बस्तियों की 40 फीसदी आबादी 9 बड़े-बड़े महानगरों में रहती है इसलिए इन शहरों के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करनी होगी। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले 5 वर्षों के समय के लिए वे एक मास्टर-प्लान बनायें जिसको 9 महानगरों में पूरी सक्षमता से, समक्ष अधिकारियों के द्वारा चाहे विकास प्राधिकरण या म्युनिसिपल कार्पोरेशन के माध्यम से लागू किया जाए। यदि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उनको लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में कम से कम 9 महानगरों में, जहां पर 40 फीसदी आबादी गन्दी बस्तियों में रहती है वहां पर एक प्रतिशत भी कहने के लिए गन्दी बस्ती नहीं रह जायेगी। माननीय मन्त्री जी ने जो जानकारी दी है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि जो दिलचस्पी मन्त्री जी स्वय गन्दी बस्तियों के उन्मूलन में ले रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न राजधानियों में जाकर स्वयं देखते हैं, वे अवश्य इस दिशा में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।

श्री पी. सी. सेठी : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ। उन्होंने दो बातें कही हैं। समयबद्ध कार्यक्रम की बात तो मैंने स्वयं कही है। अगले प्लान पीरियड में इस समस्या के निराकरण की बात कही गई है इसलिए यह समयबद्ध कार्यक्रम बन जाता है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि 600 करोड़ रुपये रखने का प्रावधान कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन है कि 600 करोड़ रुपया हम रखवाना चाहते हैं लेकिन हम स्वयं प्रावधान करने वाले नहीं हैं। Rule

15 अप्रैल, 1980 को राष्ट्रीयकृत किये गये बैंकों को धनराशि की अदायगी करने के लिए आकस्मिकता निधि में से धन निकालने के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है भारत सरकार ने छः बैंकों अर्थात् दी आन्ध्र बैंक लिमिटेड, कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड, दी न्यू बैंक आफइण्डिया लिमिटेड, दी ओरियटल बैंक आफकामर्स लिमिटेड, दी पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड और विजया बैंक लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने का एक अध्यादेश 15 अप्रैल, 1980 को जारी किया था। इस सदन ने कुछ ही दिन पहले वह विधेयक पास कर दिया है जो उक्त अध्यादेश का स्थान लेगा। राज्य सभा ने भी बाद में उस विधेयक को पास कर दिया है।

राष्ट्रीयकरण की इस योजना में इन छः भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों को 18·5 करोड़ रुपये की धनराशि की अदायगी का प्रावधान है और इन्हें धनराशि लेने के नकद राशि (तीन बराबर वार्षिक किस्तों में) अथवा 10 या 30 वर्षों के बाद परिपक्व होने वाली केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा उपर्युक्त एक या एक से अधिक प्रकार से धनराशि प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। इस योजना में प्रत्येक बैंक की चुकता पूंजी के 75 प्रतिशत तक अंतरित अदायगी

का भी प्रावधान है। धनराशि/अंतरिम अदायगी का भुगतान विकल्प प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर किया जाना है।

इस प्रयोजन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों में से कुछ ने अपना विकल्प दे दिया है और अनन्तिम भुगतान भी माँगा है। इन विकल्पों के आधार पर जुलाई, 1980 में न्यू बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड को (56·29 लाख रुपये नकद) और विजया बैंक लिमिटेड को (240 लाख रुपये जिसमें से 88·17 लाख रुपये नकद और 151·83 लाख रुपये प्रतिभूतियों के रूप में) धनराशि के भुगतान की व्यवस्था की जानी है।

क्योंकि अभी अनुदानों की मांगें सदन ने पास नहीं की हैं अतः यह प्रस्ताव है कि इन भुगतानों की व्यवस्था के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से 296·29 लाख रुपये का अग्रिम निकाला जाए। विनियोग विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने और उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के तुरन्त बाद इस अग्रिम की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

377

नियम (३७७) के अधीन मामले

(एक) आई. आई. टी. बम्बई से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को निष्कासन से रोकने के लिए कार्यवाही

श्री ए. के. बालन (ओट्टापालम) : मैं सरकार का ध्यान छात्रों की, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमान्, पिछले कुछ वर्षों से आई. आई. टी. बम्बई से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को निकाले जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रति वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को शिक्षण में संतोषजनक प्रगति न होने के कारण संस्था छोड़ने को कहा जाता है। संस्था ने इन छात्रों के स्तर सुधार के लिए कोई यत्न नहीं किया। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि उन्हें सस्था छोड़ने को कहने के स्थान पर उन्हें पर्याप्त सुविधायें, प्रोत्साहन तथा मार्ग दर्शन दिया जाये ताकि वे आम छात्रों के साथ मुकाबिले में पूरे उतर सकें, जैसा कि आई. आई. टी. के अन्य संस्थानों में किया जाता है।

संक्षेप में इस संस्था द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के छात्रों की वास्तविक शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए मैं दृढ़ता पूर्वक अनुभव करता हूँ कि छात्रों के इस प्रकार निकाले जाने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए तथा इन छात्रों को सभी सुविधाएं, सहायता, मार्ग दर्शन दिया जाना चाहिए ताकि वे खुली दुनियाँ में विश्वास के साथ प्रवेश कर सकें।

मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सही माँग के मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप करें।

(दो) इलाहाबाद में भारतीय खाद्य निगम के भंडागारों में गेहूँ के भंडारण की बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के इलाबाद जनपद के अन्तर्गत इरादतगज स्थित भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण में हजारों बोरा गेहूं भरी बरसात में सड़ रहा है। सड़ा हुआ गेहूँ पशुओं तक के खाने लायक नहीं रह गया है। खाद्य निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की यह अक्षम्य लापरवाही लगभग प्रत्येक वर्ष देखने में आती है, परन्तु खेद है कि केन्द्रीय सरकार इस दिशा में कोई सख्त कायवाही नहीं करती। भयंकर सूखे की चपेट से ग्रस्त प्रदेश के करोड़ों लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं और खाद्य निगम की इस प्रकार की लापवाही से लाखों रुपये का गेहूँ नष्ट हो रहा है। एक ओर तो सरकार एवं खाद्य निगम के द्वारा किसानों की गाढ़ी कमाई की लूट होती है और दूसरी ओर खाद्यान्न को बरबाद करके गरीब उपभोक्ताओं की जेब काटी जा रही है। क्या सरकार का ध्यान इस ओर है कि करोड़ो लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुँचाने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम की है। सरकार को इस सम्बन्ध में गहराई से छानबीन करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी एवं कर्मचारीगण अपने निजी स्वार्थ-पूर्ति के लिए इस प्रकार की स्थिति जानबूझ कर पैदा करते हैं ?

इरादतगंज में हजारों बोरा गेहूँ खुले वातावरण में रखा गया है। इस पर न तो कोई छाजन है और न तिरपाल से ही ढकने का कष्ट उठाया गया है। इस प्रकार भन्डारण के स्थानों एव स्टेशनों पर खाद्यान्न की इतनी बड़ी मात्रा में जो बरबादी खाद्य निगम द्वारा की जा रही है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? माननीय कृषि मंत्री इस सम्बन्ध में कृपया एक वक्तव्य दें।

(तीन) बिहार के पश्चिमी चम्पारन जिले में बूढ़ी गंडक नदी से होने वाले भूमि के कटाव को रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पश्चिमी चम्पारण में बूढ़ी गंडक नदी के कटाव से बगहा बाजार को भयंकर खतरा उपस्थित हो चला है। अगर समय पर उसके रोकथाम का प्रयत्न नहीं किया गया तो पूरा बाजार नदी के गर्भ में चला जाएगा, जिससे हजारों-हजार लोग बेघर हो जाएंगे तथा करोड़ों की सम्पत्ति की बर्बादी होगी।

अस्तु, मैं सिंचाई मंत्री से आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित कर अविलम्ब कटाव प्रतिरोधक कार्यवाही करे कि बगहा को बचाया जा सके।

(चार) कोयले की कमी के कारण केरल में सरकारी गाड़ियों को रद्द किये जाने का समाचार

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : केरल में बार-बार कोयले की कमी के कारण गाड़ियाँ रद्द कर दी जाती हैं। पिछले रविवार से बहुत सी गाड़ियां रद्द की गई हैं। केरल राज्य कोयला क्षेत्र से बहुत दूर है। रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने अथवा डीजल इंजन सप्लाई करने के स्थान पर रेल विभाग पुराने बेकार इंजन केरल को दे रहा है। पुराने भाप-इंजनों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोलला भी नहीं दिया जाता है। केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसमें

फालतू बिजली है तथा ऊर्जा अन्य राज्यों को देता है। स्थाई समाधान के लिए रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जाये। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि या तो कोयला जल्दी सप्लाई किया जाये अथवा डीजल इंजन भेजे जाएं ताकि केरल में रद्द की गई गाड़ियों को शीघ्र ही पुनः चलाया जा सके।

(पांच) राजस्थान से अच्छी नस्ल के पशुओं को वध के लिए बम्बई ले जाये जाने से रोकने की आवश्यकता

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम सं० 377 के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

'राजस्थान की अच्छी नस्ल के पशुओं को बम्बई बूचड़खाने में भेजने के समाचार से सम्पूर्ण राजस्थान के निवासियों में भयंकर रोष है और अशांति होने का खतरा पैदा हो गया है। अतः मंत्री महोदय का इस सन्दर्भ में ध्यान देना आवश्यक है।'

(छः) कोटा परमाणु बिजली संयंत्र के लगातार बन्द रहने के समाचार

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह से कोटा के निकट राजस्थान प्रमाणु बिजली घर पुनः बन्द हो गया है। पहले भी यह कई बार बन्द हो गया था। संयंत्र में वर्तमान दोष के कारण राज्यों में बिजली की उपलब्धता में प्रतिदिन लगभग 80 लाख यूनिटकी कमी हुई है संयंत्र के बार-बार बद हो जाने के कारणों की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति गठित किये जाने की आवश्यकता है। मैं ऊर्जा मन्त्री महोदय से निवेदन हूं कि वह राजस्थान प्रमाणु बिजली घर के बंद होने के बारे में एक वक्तव्य दें और हमें यह भी बताएं कि संयंत्र बार-बार काम करना बन्द न करें। इसके लिए कदम उठाये गये हैं अथवा क्या उठाने का विचार है।

(सात) लक्षद्वीप और भारत के बीच हर मौसम में चलने वाले जहाजों को कोचीन बन्दरगाह में रोक लिया जाना

श्री पी. एम सईद (लक्षद्वीप) : मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय लक्षद्वीप तथा मुख्य भूमि के भीतर वर्ष भर चलने वाले एम. वी. अमीन दीवी पोत के मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह जलपोत कोचीन पत्तन पर है तथा इस महीने की आठ तारीख को रवाना होना था। द्वीप समूह के जाने वाले यात्री जहाज पर बैठ गये थे तथा चलने को तैयार थे। इस बीच कुछ व्यक्ति जो नाविक संघ के सदस्य होने का दावा करते थे मुख्य स्थलों पर बैठ गये तथा उन्होंने जलपोत को तब तक चलने नहीं दिया जब तक चालक वर्ग ने पोत खाली नहीं कर दिया। ये चालकगण लक्षद्वीप के थे। यात्रियों में पुरूष, स्त्रियां एव बच्चे भी हैं जो भूखे मर रहे हैं। क्योंकि पोत के दोनों केन्टीनें कार्य करने से रोक दी गई हैं। मैंने उन यात्रियों में से एक के साथ कल शाम टेलीफोन पर बातचीत की थी जोकि बदमाशों के चुंगल से बच आये थे। इससे पूर्व चालकों को अन्य अनुकूल मौसम वाले पोत ए. वी. लक्षद्वीप में जाने को विवश कर किया गया। एम. वी. अमीन दीवी की सेवा के लिए उपलब्ध एक मांग है क्योंकि दूसरा छोटा पोत सूखी गोदी सेवा के लिए भेजा गया है सभी द्वपों में पहले ही अनिवार्य वस्तुओं की बहुत कमी है। इसलिए परिस्थिति और भी गम्भीर है लक्षद्वीप के चालको

पर इस प्रकार के हमले से आम लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और केरल तथा लक्षयद्वीप के लोगों में शत्रुता पैदा हो जायेगी। इसलिए मैं सरकार से, परिवहन तथा नौवहन और गृह मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करें ताकि लक्षद्वीप में भरती किए गये चालकों को दोनों पोतों में कार्य करने दिया जाये तथा लोगों को भूखे मरने से बचाया जाये। मुझे पता चला है कि अंडमान तथा निकोबार तथा मुख्यभूमि की बीच वही व्यवस्था चालू है।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81-जारी

ऊर्जा मंत्रालय और कोयला विभाग (इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में ऊर्जा मंत्रालय और कोयला विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जायेगी श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय अपना भाषण जारी रखें वह 15 मिनट पहले ले चुके हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) मुझे 20 मिनट और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको दस मिनट और दूंगा। आपकी पार्टी के ही कुछ अन्य सदस्य भी भाग लेना चाहते है, अधिक समय लेकर आप उनका ही समय लेंगे।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : श्रीमान, शुरू में ही मैं कहना चाहता हूँ कि विद्युत तथा ऊर्जा दोनों का महत्व है। ये मांगें अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश उनके विकास में रुचि रखता है। सरकार इन दो पहलुओं के बारे में क्या कर रही है। हमारी दृष्टि इस पर लगी हुई है।

कल जब मैंने अपना भाषण समाप्त किया था तो मैं यह सिद्ध कर रहा था कि राज्य बिजली बोर्ड बिजली के उत्पादन तथा वितरण के बारे में अपना दायित्व निभाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख करूंगा जिन्हें वर्षों पहले मन्जूरी दी गई थी। कालाघाट परियोजना को ही लें। इस परियोजना को जून 1973 में मंजूरी दी गई थी। इसे 1978 में चालू होना था। आज उसकी क्या स्थिति है ? यदि सभा के सदस्य उक्त स्थल पर जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा जो मशीनें उन्हें दी गई थी, वे खुले मैदान में पड़ी हुई हैं। वहां झाड़ियां उग आयीं हैं। मशीनों में जंग लग गया है तथा निकट भविष्य में परियोजना के चालू होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसको 1978 में पूरा होने की उम्मीद थी। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि यह 1982-83 में पूरी हो जायेगी। यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के अधीन है।

अब मैं बंदेल ताप बिजली घर के पाँचवे यूनिट ही को लेता हूं। इस परियोजना को 1972 में मंजूरी दी गई थी। इस यूनिट को 1978 में चालू होना था। हमें उस परियोजना को पूरा करने के लिए समय चाहिये। आज स्थिति क्या है ? आज स्थिति बहुत खराब है। इसमें कितनी प्रगति हुई है। अभी तक मैं कुछ समझ नहीं सका। मैं सभा को यह नहीं बता सकता कि पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड कब तक इसे पूरा कर लेगा।

इस सभा को यह बताने में मैं आश्वत नहीं हूँ कि राज्य विद्युत बोर्ड, प० बंगाल ददंल में पाँचवीं एकक को कब तक पूरा करने वाला है, क्या सभी मूलभूत सुविधायें वहां पर हैं।

बुनियाद तथा अन्य बातों समेत कोई सिविल इंजीनियरिंग कार्य अभी तक नहीं हुआ है। यह बिलम्ब क्यों है ?

मैं संथाल ढीही चौथी एकक पर आता हूं। चौथी एकक के चालू होने में विलम्ब हो रहा है। 1964 में इसे स्वीकृत मिली थी। 1977 में उपस्करों का आर्डर दिया गया था। 1977 में चालू होने की आशा थी। परन्तु इस चौथी एकक के निर्माण की प्रगति बहुत ही धीमी है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पतरातु विस्तार के क्षेत्र में 1974 में 110 मे० वा० क्षमता वाली एकए स्वीकृत की गई थी। चालू करने का मूल लक्ष्य 1977-78 था। प्रगति बड़ी धीमी हैं यदि 1983 में यह एकक पूरी हो जाती है तो यह वास्तव में प्रसन्नता की बात है कि उड़ीसा में तालचेयर विस्तार 110 मे. वा. एकक 472 में स्वीकृत हुई थी। 1978-79 में यह चालू की जानी वाली थी। अब नवीनतम जानकारी यह है कि एकक 1982-83 से पहले नहीं आयेगी।

यह सब बिलम्ब क्यों हैं ? मैं अन्य सभी राज्य बोर्डों में स्वीकृत संयंत्रों के प्रश्न की जांच नहीं कर रहा हूं। वहाँ पर भी वैसी स्थिति है। ये कारण है—प्रथमत: राज्य विद्युत बोर्ड अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं राज्य सरकार के संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण उस धनका चरणबद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता जो भारत सरकार से संयंत्र के निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ है।

स्थिति क्या है—क्या वे सक्षम है ? क्या उनके पास इन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए उनका रख-रखाव करने के किए तथा उचित रूप से बिद्युत उत्पादित करने के लिए उचित किस्म के कर्मिक है ? मूल्यांकन अनिवार्य तथा आवश्यक है। स्थिति के बारे में मेरा यह अनुभव है कि उन्हें अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों में इन परियोजनाओं के विकसित करने समय पर पूरा करने के लिए तथा इस क्षेत्र में विद्युत की अपेक्षित मात्रा का उत्पादन करने के लिये सही किस्म के व्यक्ति तथा गत्यात्मकता वाले व्यक्ति नहीं है इसमें बड़े ससाधनों की आवश्यकता है यदि आप आंकड़ों पर ध्यान दें तो प्रत्येक दिन लागत बढ़ती जा रही रही है।

1980-85 की अवधि के दौरान सरकार 20,000 मे. वा. तक विद्युत उत्पादन की वृद्धि करने वाली है और इसमें लगभग 25 000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपये तक की आवश्यकता होगी। यह संसाधन है जिससे भारत सरकार को एकत्र करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि सरकार कम से कम विद्युत की दिशा में आवश्यक संसाधनों को देने में तथा इसे उपलब्ध करने में बड़ी उत्सुक है। सरकार संभवत: इस मामले में विश्व बैंक तथा अन्य संगठनों में वार्ता मन्त्री महोदय इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे। ताकि यथा संभव शीघ्र विकास किया जा सकें।

जो आज अत्याधिक महत्वपूर्ण है वह राष्ट्रीय ग्रिड (विद्युत जाल) है। अभी तक हमारे पास राष्ट्रीय ग्रिड नहीं है। राष्ट्रीय (ग्रिड) जाल सम्पूर्ण राष्ट्र के अन्दर विकसित करना होगा ताकि विद्युत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक भेजी जा सके। अन्यथा जो रहा है वह है कि कुछ स्थानों पर आपको थोड़ी लचीली तथा थोड़ी फालतू विद्युत मिल सकती है। परन्तु इसका राष्ट्रीय जाल न होने के कारण अन्य स्थानों पर उपयोग नहीं हो सकता है। देश के कुछ भागों में हम मौज कर रहे हैं और देश के कुछ भागों में हम बड़े कष्ट सह रहे हैं सरकार को इस दिशा में

अतिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये, मुझे मालूम है कि इस बजट में उन्होंने इस देश में राष्ट्रीय ग्रिड (जाल) के विवरण की उत्सुकता व्यक्त की हैं जो सारी बात का एक अनिवार्य अंग है। परन्तु यह राष्ट्रीय जाल केन्द्र के अधीन होना चाहिए। देख भाल वितरण व्यवस्था तथा अन्य बातें केन्द्र के ऊपर होनी चाहिये। अन्यथा हम संकट के समय में यह देखते हैं कि जब विद्युत उत्तरी क्षेत्र से पूर्व क्षेत्र को भेजी जाती है तो न केवल वहाँ ट्रासमिशन का नुकसान है बल्कि वहाँ पर उत्पादित वह विद्युत की मात्रा जो पूर्वी भाग तथा अन्य किसी भाग को भेजी जानी हैं वास्तव में लाइन के नुकसान के कारण नहीं बल्कि उस क्षेत्र के प्रति सही सहानुभूति के कमी के कारण वहां पर नहीं पहुँचती है। इसीलिए यह केन्द्रीय प्रणाली के अधीन होना चाहिए।

जहां तक फालतू पुर्जों का सम्बन्ध है, यह बहुत नाजुक क्षेत्र है और यह सम्पूर्ण देश में विद्युत उत्पादन की पूर्ण योजना का भाग है। सरकारी क्षेत्र में हमारे पास भारत हैवी इलैक्ट्रिक लि. है। अधिकांश एककें उसी के द्वारा निर्मित की जा रही है। परन्तु उन फालतू पुर्जों की कुल मात्रा कितनी है जिनको वे निर्मित कर रहे हैं अथवा निर्मित करने की आशा है ? उन मशीनों में फालतू पुर्जों की आवश्यकता होती है जो इन्होंने सप्लाई की है।वे फालतू पुर्जे पर्याप्त नहीं हैं जिन्हें वे निर्मित कर रहे हैं। यदि मुझे अधिक समय दिया गया तो मैं विस्तार के साथ बता सकूंगा और इस बात को दिखा सकूंगा कि इतने फालतू पुर्जे बना सकना भारत हैवी इलैक्ट्रिक लि. की क्षमता से बाहर है। केवल यह नहीं है कि उन्होंने फालतू पुर्जों को निर्मित करने की अपनी क्षमता निर्धारित नहीं की है बल्कि यह उनकी क्षमता से बाहर है। इसलिये नवीनतम विचारधारा भारत हैवी इलैक्ट्रिक लि. को विकसित करने की है ताकि प्रत्येक वर्ष समय पर फालतू पुर्जों की सप्लाई करना उनके लिए सम्भव हो सके। पहले से योजना बनाना आवश्यक है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ कि सरकार 1980-85 के दौरान 20,000 मे. वाट. की क्षमता की वृद्धि करने की सोच रही है। उसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि 1985-90 की अवधि में लाभ देने के लिए उत्पादित करने वाली परियोजनों को बड़ी संख्या में स्वीकृत किया गया है परन्तु राज्य इस क्षेत्र में संसाधनों में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में वहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई है और हमें अभी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने में समय लगेगा। जैसा कि आप सब को मालूम है कि देश में 5.6 लाख गाँवों में से केवल 2·5 लाख गाँवों में अर्थात 43 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण किया गया है। हमें कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों तथा सबको एक साथ मिलकर विद्युतीकरण करने में बहुत अधिक समय लगेगा। हमारी सरकार का आगमी चार वर्षों में एक लाख गांवों में विद्युतीकरण करने का विचार है। वे इस अवधि के भीतर 25 लाख पैम्प सैटो को बिजली देना चाहते है। उन्हें संचालिता करने में न केवल ऊर्जा की आवश्यकता है बल्कि धन और ससाधनों की भी आवश्यकता है। इस दिशा में यहां पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है। उनके पास धन को सही ढंग से उपयोग करने को भी मूलभूत सुविधायें नहीं है। उन्हें एक अन्य परेशानी है। जो भी ग्रामीण विद्युतीकरण पर धन खर्च किया जाता है इसे ऋण के रूप में और भारत सरकार से अनुदान के रूप में लेना पड़ता है। परन्तु ऋण पर ब्याज की भारी दर देनी पड़ती है। ग्रामीण विद्युतीकरण पर खर्च कियाधन वापस करना राज्यों के लिये बड़ा मुश्किल है इसलिए जहां तक ग्रामीण

विद्युतीकरण का संबंध है ब्याज की दर कम करने के लिए कोई व्यवस्था तलाश की जानी चाहिए।

हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि कृषि पर काफी जोर नहीं दिया जा रहा है। परन्तु आँकड़ों को देखने पर मुझे यह मालूम हो सकता है कि कृषि में 50 से 60 प्रतिशत तक माँग पूरी की गई है।

केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत बोर्डों को यथा संभव सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

मैं केवल एक और प्रश्न को लूंगा और उसके बाद में कोयले के सम्बन्ध में बोलूंगा। यदि आप क्षेत्रवार आँकड़ों पर ध्यान देते हैं तो 31-3-80 तक संस्थापित क्षमता निम्न प्रकार है। मैं अलग-अलग आँकड़े नहीं दूंगा

उत्तरी क्षेत्र का जाड़	8284.22 मे० वाट है
पश्चिमी	7834.34 मे० वाट है
दक्षिणी	7207.11 मे० वाट है
पूर्वी	4865.76 मे० वाट है
उत्तरी-पूर्वी	334.28 मे० वाट है

हमें यह देखना चाहिए कि सापेक्ष महत्व की योजना बनाने में क्या है कि क्या वैसी ही असमानता रहती हैं या वैसा ही अन्तर रहता है यह पूरा हो गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भावी योजना बनाने के बारे में सुनने के लिए आकर्षित करना चाहता हूं।

1980-85 के दौरान अतिरिक्त क्षमता का अस्थाई कार्यक्रम निम्नलिखित है :

उत्तरी	इसके प्रति मुझे कोई अपत्ति नहीं है	5409 मे० वा०
पश्चिमी		5937 मे० वा०
दक्षिण		4565 मे० वा०
पूर्वी		3323 मे० वा०

यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूर्वी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में भी बड़ा अन्तर है। परन्तु भावी योजना बनाते समय मैंने सोचा कि अन्तर पूरा हो जाएगा।

परन्तु इस मांग का तथा अन्य बातों का हिसाब लगाते समय स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी आशा है कि इस पर पुनर्विचार किया जायेगा और कमी पूरी हो जायेगी।

अब मैं कोयला क्षेत्र पर आता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के लगभग 18 सदस्य हैं। यदि आप अधिक समय लेते हैं तो आपं अपने दल के माननीय सदस्यों का समय लेंगे।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : परन्तु श्रीमान् ··

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके दल के अन्य सदस्यों का समय लेने में आपकों अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : मैं केवल पाँच मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना भाषण एक मिनट में समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि

अन्यथा आपके दल के अन्य सदस्य बोल नहीं सकेंगे। मैं इसको आपके अच्छे निर्णय पर छोड़ दूंगा।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : अब कोयले के बारे में···

उपाध्यक्ष महोदय : कोयले की चर्चा मत करो, इस विषय से बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जायेगा।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : मैं वापस निकल आऊंगा में कोयले के क्षेत्र का आदमी हूं। मैं वहां पैदा हुआ था और वहीं पर मेरा पालन पोषण हुआ था। यदि आप 1975-76, 1976-77, 1977-78 1978-79 तथा 1979-80 के कोयले के उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आज इसका उत्पादन 1039.7 लाख टन है। इन कुछ महीनों के दौरान जब सरकार ने सत्ता संभाली तो मार्च तक उत्पादन में 30 लाख टन की वृद्धि हुई और उत्पादन में निश्चित वृद्धि हुई है। उत्पादन की प्रवृति बढ़ रही है। मैं इसका विश्लेषण कर सका और इसे सिद्ध कर सका। परन्तु कोयले के क्षेत्र में कुछ बधाये हैं जिनसे उत्पादन में आगे वृद्धि नहीं हो सकी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं एक विद्युत है जिसका अवश्य पता लगाया जाना चाहिए और पूर्वी कोयला क्षेत्रों में विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। ये अधिकांशत: गहरी खानें है जिनमें विद्युत आवश्यक है और जहां कोयला खुला पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिये।

आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : कोयला उद्योग में एक बड़ी बाधा है विधि और व्यवस्था की है आप को यह जानकर आश्चय होगा कि बिहार तथा प० बंगाल के कोयला क्षेत्रों में काननू और व्यवस्था की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकार सम्पति और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा दल रखने के बारे में विचार कर रही है। श्रीमान्, हमारे मित्र कोयले के बारे में बहुत बातें कर रहे थे तथा मंत्री महोदय पर आरोप भी लगा रहे थे। प० बगाल में पिछले 3 वर्षों से केवल 97 निजी खानों में ही कार्य हो रहा था। क्या मैं अपने विपक्षी मित्रों से यह पूछ सकता हूं कि उन्होंने उन लोगों से कितना राजस्व का नुकसान उठाया है और है और उन्होंने उनसे इस राजस्व की वसूली क्यों नहीं की है। प्रति मास 60000 से 70000 टन कोयला की राज्य से तस्करी की गई थी। कोयले की काला बाजारी भी होती है। कोयला नैपाल तथा अन्य देशों को भी भेजा जा रहा है। प० बंगाल सरकार ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भी इस पर रोक लगाई गई है। मंत्री महोदय यह प्रवर्तन करने के लिये दृढ़ता से प्रयास कर रहे हैं कि कोयला को अवैध रूप से खान न निकाला जाए। परन्तु श्रीमान्, क्या हो रहा है? यदि आप मेरे क्षेत्र का दौरा करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रत्येक रात में क्या हो रहा है। रात के समय अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाले बहुत से लोग कोयला निकाल कर ट्रकों में लाद देते हैं और पुलिस के मार्ग निर्देशन में कोयला राज्य से बाहर और अन्य कई क्षेत्रों में जाता है। भारतीय समाजवादी (मार्क्सवादी) दल तथा अन्य दलों के सदस्य अर्थात मेरे विरोधी दल के मित्रों को इससे क्या लाभ होता है? इस सभा का सदस्य होने के नाते में पूर्ण उत्तरदायित्व से यह कह सकता हूं कि राज्य को तीन वर्षों तक राज्यस्व की हानि हुई है परन्तु दल को 10 लाख रुपए प्रति मास का लाभ हुआ है केवल दल को ही नहीं अपितु पुलिस को भी 10 लाख रुपए प्रति मास मिले और कुछ नेताओं को 50,000

रुपए से 75,000 रुपए तक प्रति मास मिले। इस प्रकार कोयले की कुल हानि 50,000 से 70,000 टन तक प्रति मास हुई। इसके अलावा वे यह भी कह रहे हैं कि मंत्री महोदय ने अपने लोगों को परामिट दिए।

मैं इस समय कोयले से सम्बन्धित सभी समस्याओं को नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास समय कम है परन्तु मैं यह कहूँगा कि सरकार द्वारा इस मामले में काफी निर्देश दिए जा रहे हैं। खानों का विदेशों के सहयोग से विकास किया गया है और नई खानों का निर्माण भी हो रहा है ?

अब मैं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कल्याण गतिविधियों को लेता हूँ। मैं इसे अपने अन्य मित्रों के लिए छोड़ देता हूँ। मैं यह कहकर अब समाप्त करता हूँ कि सरकार सम्पूर्ण कोयला क्षेत्र में पीने का पानी सप्लाई करने पर विचार कर रही है। यह सरकार कोयला खानों में प्राथमिक विद्यालय और कोयला क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय तथा कोयला प्रदेश में महाविद्यालय खोलने का प्रयत्न कर रही है। यह सरकार कोयला क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय, कोयला खानों में सुरक्षात्मक उपाय और पूर्वी कोयला क्षेत्र में 50,000 नौकरियाँ तथा अन्य कोयला क्षेत्रों में नई खानों का विकास करके एक लाख और नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रही है। मुझे आशा है कि चौथे वर्ष के अन्त तक तथा इस वर्ष के अन्त तक कोयले से संबंधित स्थिति उज्ज्वल होगी।

श्री एस. बी. चह्वाण (नांदेड़) : मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभा में प्रस्तुत ऊर्जा और कोयला मंत्रालय की माँगों का समर्थन करता हूँ।

आरम्भ में मैं कुछ मामलों को, जो मेरे विचार में अत्यन्त महत्वपूर्ण और आधारभूत हैं, सभा के समक्ष रखता हूँ और माननीय मंत्री महोदय को छठी योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय इन पर ध्यान देना चाहिए। यदि सम्भव हो तो वाद-विवाद का उत्तर देते समय वह उन विषयों की हमें जानकारी दें जो मैं सभा के समक्ष रखने जा रहा हूं।

सर्वप्रथम, पिछले तीन या चार वर्षों में सभी जगह, चाहे हम किसी भी राज्य से संबंध क्यों न रखते हों, एक ही कहानी दोहराई गई अर्थात राज्य विद्युत मण्डलों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए और फिर किसी न किसी कारण से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के सम्बन्ध में भी यह हाल रहा। निस्सन्देह हमें स्वयं विचार करना होगा और लक्ष्य प्राप्त न कर सकने के ठीक कारणों का पता लगाना होगा। हमें इन कठिनाइयों को दूर करना है और ऐसे हालात उत्पन्न करने हैं जिसमें निष्पादन बजट और अधिक वास्तविक बन सके।

मुझे ऊर्जा मत्रालय द्वारा पिछले तीन या चार वर्षों में प्रस्तुत किए गए निष्पादन बजट देखने का अवसर मिला और मैं निर्भय होकर अपना यह मत व्यक्त करता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए ये रखे गए थे, उसे वे पूरा नहीं करते। केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन परियोजनाओं के मामले में वित्तीय आँकड़े रखे हैं। ऊर्जा विभाग से विद्युत उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों में तालमेल लाने की अपेक्षा की जाती है। राज्य विद्युत बोर्डों की केन्द्रीय सरकार द्वारा भी सहायता की जाती है। विभिन्न विद्युत मण्डलों के अधीन विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की

निगरानी भी इस सरकार द्वारा की जाती है। मैं यह बात मान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत मण्डलों के अधीन चल रही प्रत्येक परियोजना का विवरण देना सम्भव नहीं है परन्तु इसके साथ ही हमें विभिन्न विद्युत मण्डलों को दिए गए वित्तीय लक्ष्य और उनके अनुरूप विद्युत जिसके उत्पादन की उनसे अपेक्षा की जाती है, के बीच परस्पर संबंध अवश्य रखना चाहिए। यदि वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि क्या इसके लिए वे स्वयं उत्तरदाई हैं या भारत सरकार का कोई अभिकरण भी इसके लिए दोषी है।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था करें और अधिक वास्तविक निष्पादन बजट दें ताकि उस सभा का प्रत्येक सदस्य यह जान सके कि विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि दी गई है, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा हम किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं।

सबसे पहला मुद्दा जो मैं सम्मानित सभा तथा विशेषरूप से माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ रखना चाहता हूं वह सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई लदान भविष्यवाणी से संबंधित है। एक वार्षिक सर्वेक्षण समिति है। योजना-वार सर्वेक्षण भी किए जाते हैं तथा इस समिति द्वारा बिजली की आवश्यकता के संबंध में भविष्य वाणियां की जाती हैं। मैं नहीं जानता यह सारी प्रक्रिया कैसी चलती है।

मैं महाराष्ट्र के संबंध में अपना अनुभव बता सकता हूं। महाराष्ट्र के सम्बंध में हमने पांच वर्षों के लिए 6500 मैगावाट बिजली की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। मुझे अब यह बताया गया है कि इसमें अब ऊर्जा विभाग द्वारा काफी कटौती की जा रही है तथा योजना आयोग के कार्य-दल द्वारा भी मनमाने ढंग से कटौती की जा रही है। निस्सन्देह हम यह समझने में असमर्थ हैं कि किन आधारों पर ये कटौतियां की जा रही हैं। यह पिछले 8 या 10 वर्षों से निरन्तर ऐसा ही होता रहा है। मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक होता है और योजना आयोग के कार्य-दल द्वारा किया गया मूल्यांकन वास्तविकता से परे होता है। मैं यह समझने में असमर्थ रहा हूं कि लक्ष्यों में कमी क्यों की जा रही है और योजना आयोग के कार्य-दल द्वारा मनमाने ढंग से कटौती क्यों की जाती है।

अब यदि हम पांच वर्षों के लिए वास्तविक अनुमान लगाएं तो हमें तीन या चार बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले 'स्पिनिंग रिजर्व' और एक प्रकार की आपात्तकालिक क्षमता की व्यवस्था करनी होगी।

दूसरी बात यह है कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य 25 प्रतिशत बढ़ाकर निर्धारित करने होंगे। अन्यथा, हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। यदि हमें 6000 मैगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें 75,00 मैगावाट की योजना बनानी होगी। अन्यथा हम अगली योजना बिल्कुल नए सिरे से आरम्भ करने की बात नहीं सोच सकेंगे। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो निर्माण की आरम्भिक स्थिति में हैं और कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हो सकती हैं जिनका निर्माण पूरा होने वाला है और कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जो निर्धारित समय में पूरी हो

जाएंगी । हम इसी प्रकार योजना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । जब छठी योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित करते स· य मैंने इसीलिए कहा था कि हमें कम से कम 25 प्रतिशत अधिक क्षमता की योजना बनानी होगी ताकि हम निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकें ।

तीसरी बात, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं वह यह है कि देशी सेटों का जहां तक सम्बंध है भारत हैवी इलैक्ट्रिलल्स को एक प्रकार का एकाधिकार दे रखा है । यह एक लम्बी कहानी है । मैं इस दृष्टिकोण की सराहना करता हूं कि जो देश में उपलब्ध है उसके आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । यह बिल्कुल ठीक है । यह नीति सर्वथा ठीक है । परन्तु इसके साथ ही मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि 20 महीनों से 40 महीनों तक की देरी हुई है । ठेकेदारों को दण्ड का भुगतान करने के लिए कहा गया । परन्तु मेरे विचार में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स पर इस प्रकार का दण्ड नहीं लगाया जाता । अत: वे (भारतीय हैवी इलैक्ट्रीकल्स) मनमाने ढंग से चल सकते हैं और तत्पश्चात् पूरे सैट के निर्माण के पश्चात्, हमें डिजाइन सम्बधी कार्यचालन सम्बंधी और अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि नासिक भुसावल और कराडे में, जहां 210 मैगावाट के सैट लगाए गए हैं, इन सैटों को आरम्भ करने के पश्चात् इन्हें वाणिज्यिक स्तर पर लाने में 6 और 8 महीने लग गए । ऐसा क्यों हुआ ? छोटी-मोटी कठिनाई पन्द्रह दिन या तीन हफ्ते तक तो चल सकती है परन्तु 6 से 8 महीने तक नहीं । जब इंजीनियरी डिजाइन संबन्धी त्रुटियां भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स के ध्यान में लाई गई तो उन्होंने अपने परामर्शदाताओं को बुलाया । अमरीका और सोवियत रुस से विशेषज्ञ बुलाए गए । इस मामले में महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल के लोगों के साथ भी परामर्श किया गया । मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसके डिजाइन में ही 16 त्रुटियां हैं और यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है । जिन कुछ चीजों का डिजाइन तैयार किया गया था उनमें निर्माण के समय ही परिवर्तन कर दिया गया । निर्माण के समय तैयार किये गये डिजाइन और निर्मित च्वीज में दिन.रात का अन्तर था । अतः हमें इन गलतियों के लिए भी व्यवस्था करनी होगी । जब हम छठी पंच वर्षीय योजना की योजना बनाने हैं तो हमें चूंकि पूरी जानकारी है कि 30 महीनों की देरी होगी तो हमें उसके लिए व्यवस्था करनी होगी । अन्यथा सब कुछ बिगड़ जाएगा और देश के विभिन्न भागों में की जा रही बिजली की कटौती से जो वस्तुत: हमसे किसी के लिए भी सम्मानजनक नहीं है, शायद चलती रहे । मेरे विचार में हमें इस कठिनाई को दूर करना होगा और इस बात का ध्यान रखें कि हम उन गलतियों को फिर न करें जो हमने पहले की थी । हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों के साथ हमने सहयोग किया है क्या वे हम पर पुरानी प्रौद्योगिकी तो नहीं थोप रहे या क्या वे आधुनिकतम चीज हमें दे रहे हैं । इस पहलू की व्यापक जांच की जानी चाहिए । कभी-कभी हम बड़ी शीघ्रता से कार्य करते हैं और हमें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । मेरा अनुरोध केवल इतना ही है कि जब हम अगले पांच वर्षों के लिए योजना बनाएं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए ।

इसके पश्चात् हम मानसून के परिवर्तनों को लेते हैं । अधिकतम क्षमता ताप विद्युत क्षमता और जलविद्युत क्षमता पर निर्भर करती है । माननीय मंत्री ने सभा में यह ठीक ही कहा था कि

पिछले वर्ष चूंकि मानसून आने में देरी हो गई या कुछ क्षेत्रों में आई ही नहीं, इसलिए कुल उत्पादन क्षमता में काफी कमी आ गई। यह उन्होंने उचित ही कहा था। परन्तु जब आप 5 या 10 वर्षों की भावी योजना के बारे में विचार करते हैं तो आपको ऐसी बातों के लिए व्यवस्था करनी होगी। हम इस आधार पर योजना नहीं बना सकते कि प्रत्येक वर्ष मानसून अच्छा रहेगा हमारे सभी हाइडल-स्टेशन भरे रहेंगे और हम शत प्रतिशत विद्युत उत्पादन करेंगे। इस प्रकार का नियोजन अवास्तविक होगा। आपको इस प्रकार की बातों के लिए व्यवस्था करनी होगी कि मानसून किसी न किसी वर्ष अच्छी नहीं रहेगी।

मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि नई दिल्ली में विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमें कुल माँग से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की व्यवस्था करनी है। मैं वहां उपस्थित नहीं था परन्तु मैंने अगर वक्तव्य को ठीक से समझा है तो इसका अर्थ है कि मेरे द्वारा उल्लिखित बातों के अलावा इस बात का ध्यान रखा जाना होगा और हमें अधिक क्षमता के लिए व्यवस्था करनों होगी। केवल तभी हमारा मूल्याकन और भविष्यवाणी वास्तविक हो सकेगी। अब्यय मुझे इस बात पर पूर्ण सन्देह है कि क्या योजना आयोग और ऊर्जा मंत्रालय के इस प्रकार के कार्य वास्तविक हो सकेंगे और हमें किसी प्रकार की राहत मिल सकेगी।

महाराष्ट्र में कुछ उद्योगों में पिछले करीब पांच वर्षों से 50 से 60 प्रतिशत बिजली की कटौती लागू की गई है। हमने भारी कटौती लागू की है। निश्चित ही इस प्रकार की स्थिति को जारी रखने में हमारो कोई रूचि नहीं है। अस: मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे हमारी सहायता करें और महाराष्ट्र में राहत प्रदान करने की कोशिश करें जिसकी बड़ी आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं कोयले के बारे में कहूँगा। जब परियोजना प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया है तब यह स्पष्ट हो गया कि किस कोयला खान से, कितनी मात्रा में किसी विशेष परियोजना को कोयला भेजा गया है। एक विद्युत तापीय संयंत्र खड़ा करने एवं पूरा करने में पाँच से दस साल का समय लगता है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है, जो वास्तव में मेरी समझ के बाहर है, कि जिस चीज की दस वर्ष पहले योजना बनाई गई थी उसके बारे में लोग अचानक यह महसूस करने लगे हैं कि "नहीं, हमने कुछ गलती की है।" और प्रत्येक तीन महीने बाद सम्बन्धों में परिवर्तन होता चला गया। हर महीना हमें यह बताया जाता है कि इस समय आप इस क्षेत्र से कोयला प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं।" दूसरे समय हमें यह बताया जाता है कि आपको दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको कोयला प्राप्त हो।' मैं कोरडी के सम्बन्ध में अपना अनुभव बता सकता हूँ। कोरडी कोयले लादान करने का स्टेशन है और इसका निर्माण इस बात को ध्यान में रख कर ही किया गया है कि कामटी और सितिवाड़ा कोयला क्षेत्रों का विकास किया जायेगा। यहाँ एक रज्जुमार्ग है। यहां रेल लाईनें हैं। रज्जुमार्ग का निर्माण 800 टन कोयला प्रतिघटे ले जाने की क्षमता के लिये किया गया है। अब हम यह देखते हैं कि वहां कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है। इस रज्जुमार्ग से केवल 125 टन कोयला ही ढोया जा रहा है। बिजली परियोजना को इस ढंग से बनाया गया है कि वहां उसे रेल मार्ग से कोयले की सप्लाई की जा सके क्योंकि सड़क से ढोने में कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं।

अब कोयले की सप्लाई अनियमित है। इसकी पूर्णतः जांच करने की आवश्यकता है और जो भी कोयला क्षेत्र किसी परियोजना विशेष के लिये निर्धारित किया जाता है, वहां कोयले का निर्धारित मात्रा में उत्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जब कोई परियोजना पूरी हो जाती है तब उसे उसकी स्वीकृति के समय जितनी मात्रा में कोयला देने का वचन दिया गया है। उतनी मात्रा में कोयला दिया जाना चाहिये। मुझे कई प्रकार की कठिनाइयों की जानकारी मिलती रहती है। कभी रेलवे की है, कभी कोयले की किस्म की, कभी उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न होने की और कभी, मेरी जानकारी के अनुसार कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उस क्षेत्र से संभवतः कोयला प्राप्त करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। बहुत विचित्र प्रकार की व्याख्याएं दी जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि यह मेरे अधिकार में है या नहीं, परन्तु मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार, पश्चिमी कोयला क्षेत्रों में कोयला निकालना चाहती है। पूरक कार्य के रूप में उस क्षेत्र से कोयला निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनुमति दिए जाने में मुझे केवल यह आशंका है। जब महाराष्ट्र सरकार ने कोयला खनन की इच्छा जाहिर की है तो महाराष्ट्र सरकार की आवश्यकता उस सीमा तक कम नहीं की जानी चाहिये जिस सीमा तक वह खनन करती है। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये। निश्चय ही पश्चिमी कोयला क्षेत्र में हम कोयला खनन करने के लिये तैयार हैं। मुझे बताया गया है कि खान मंत्रालय द्वारा जारी की गई पुस्तिका के अनुसार वर्धा-चन्दा घाटी में 20000 लाख टन कोयला उपलब्ध हैं और पिछले 8-10 सालों से भी अधिक समय से हम और अधिक कोयला प्राप्त करने के लिये इन खानों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अधिकतम मात्रा में बिजली पैदा कर सकें जिसकी वास्तव में उस क्षेत्र में बड़ी आवश्यकता है।

कोयले के बारे में दूसरी बात की जो जानकारी मैं माननीय मंत्री को देना चाहूंगा वह केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में है केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के द्वारा बिजली बोर्डों को यह सूचित किया था कि "आप किलोवाट-घन्टा स्थापित क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक बिजली पैदा करें। निर्देश यह था कि उन्हें प्रतिकिलोवाट क्षमता से करीब 6000 किलोवाट घन्टा बिजली पैदा करनी चाहिय। मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार प्रति किलोवाट स्थापित क्षमता औसतन 6123 किलोवाट घण्टा बिजली पैदा करने में सफल रही है। मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हम ने जितनी बिजली पैदा की है उसमें यह सर्वोधिक है और इससे भी अधिक बिजली पैदा होने की सम्भावना है। परन्तु कठिनाई यह है कि इस उपलब्धि को भारत सरकार के स्तर पर स्वीकार करने की बजाय 5300 की औसत दर से ही कोयला उपलब्ध किया जा रहा है। हमें ज्यादा पैदा करने के लिए दण्डित किया जा रहा है। जो अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं उन्हें इस प्रकार से हतोत्साह किया जा रहा।

अगर इसे एक समान मानदन्ड मानकर लागू किया जाना है तो इससे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। यह निरूत्साह पैदा करता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस परिप्रेक्ष्य में विचार करें। उन्हें यह देखना चाहिए जो अधिक बिजली पैदा करते हैं और कुशलता का प्रदर्शन करते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। पिछले साल के आंकड़े के आधार पर जितनी भी कुशलता उन्होंने अर्जित की हैं उसी के आधार पर यदि उन्हें कोयला दिया जाता है तो बिजली बोर्ड को कोई परेशानी नहीं होगी। इन बिजली स्टेशनों के उष्मीय मानदन्ड परिभावित की गई है···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप भाषण समाप्त करिये ।

श्री एस. वी. चव्हाण : मुझे कुछ और समय दीजिये। जो भी हो, मैं केवल कुछेक बातें और कहूंगा ।

मैं मन्त्री महोदय से बिजली स्टेशनों को उनकी रचना के अनुरूप कोयला दिये जाने का अनुरोध करूंगा । वास्तव में इससे हमारे संशोधनों का ह्रास होता है । हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहें हैं हम उनका पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं । भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा गेनेरेटिंग सेट भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । परन्तु केवल यही कठिनाई है कि मेल द्वारा भेजे गये सैटों के आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप से नहीं दिखाया गया है । अगर आपको आंकड़े चाहिये तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ । उनके द्वारा पहले भेज गये कुल टन भार को देखिए । देखिये कि उनमें से कितनी मशीनों को स्थापित किया गया है और कितनी मशीनों को स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि उन पुर्जों की आवश्यकता नहीं थी । जो भी हो, मैं माननीय मन्त्री को इस विषय में जानकारी दूंगा ।

मैं कोरडो का उदाहरण दूंगा । भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड परिणामिक क्रम में माल नहीं भेज रहा था । 31-5-80 को भुसावल के लिये 6,137 टन वायलरों की सामग्री प्राप्त हुई थी । इसमें से 1,248 टन भार माल प्रयोग में लाया और 1814 टन भार माल का उपयोग किया जा सकता था । 3,075 टन भार माल ऐसा था जिसकी जरूरत नहीं थी । इसलिए जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है वे उन्हें भेजी जा रही हैं और वास्तव में जिन्हें पहले भेजा जाना चाहिए था । वे नहीं भेजी जा रही हैं । इसलिए हम देखते हैं कि यह बहुत भारी त्रुटि है । कृपया इसकी जांच करिये । कोटा इंस्ट्रमेंटेशन लिमिटेड द्वारा भेजे गए उपकरणों की टरबाइनवाए जाँच करने का अनुरोध करता हूँ , आयात लायसेंसों पर 8 से 10 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। हमने करीब 1.5 करोड़ रुपये जो कमी 2 करोड़ रुपये हो जाती है की रकम इन पर लगा रखी है । हम किसी चीज का आयात नहीं करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि वे यहाँ जो देशी माल उपलब्ध है केवल इसे खरीदें । हमारा यह अनुभव रहा है कि ये सब काम हो नहीं रहे हैं । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 11 सेटों में से 3 सेटों का ही आयात करने के बारे में सहमत हो गया था । वह शेष आठ सैटों का आयात न करने पर जोर दे रहा है । मेरा अनुरोध है कि आप इन देशी उपकरणों को 210 मेघावाट या 500 मेघावाट के सैटों में अजमाने के बदले छोटी परियोजनाओं में अजमायें । अन्यथा यह आत्मघाती होगा । अगर हम इस प्रकार की चीजों के लिए धनराशि खर्च करने पर जोर देंगे तो इससे केवल हम अपने संसाधनों का अपव्यय करेंगे और इन चीजों की निष्क्रयता के कारण बड़े खतरे में आयेंगे । विद्युतीकरण के विषय में मेरा विचार केवल यह है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अग के रूप में नई झोपड़ियां बनाई गई हैं इन क्षेत्रों में 100 से 200 तक झोपड़ियाँ बनाई गई हैं । परन्तु हरिजन बस्तियों के बारे में हमने नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है । मैं चाहता हूं कि झोपड़ियों में रहने वालों के बारे में भी उसी तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए । 20-सूत्रीय-कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन्होंने झोपड़ियां बनाई हैं उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए । मैं मन्त्री महोदय से यूचनी परियोजनाओं के निकासी के मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं । 500 मेगावाट क्षमता कों परियोजना के दो सैट 1978 से लम्बित पड़े हैं । 210 मेघावाट वाली परियोजना के एक सेट को

स्वीकृति अभी दी जानी है। चन्द्रपुर के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन सम्भवतः एक सप्ताह में भेज देंगे। कृपया इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करें। कापरखेड़ा और बलहारशा के प्रतिस्थापन के विषय में मुझे खेद है कि आपके 1979-80 के प्रतिवेदन में गलत आँकड़े दिये गए हैं इस प्रतिवेदन में क्षमता को घटाकर दिखाया गया है वह सही नहीं है। मैं माननीय मंत्री से इस मामले की जांच करने की प्रार्थना करता हूं।

महोदय एक और आखरी बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ। दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ बिजली स्टेशन में मुझे बताया गया है कि बड़ी घटना घटी है। यह विचित्र घटना है और हमें बड़ा आश्चर्य है जो लोग बम्बई से आते हैं। वे दिल्ली शहर में इस तरह के होने वाली बिजली की गडबड़ियों से परिचित नहीं हैं। जब मैंने इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर में चलाये जा रहे बिजली सैटों को देखा तब मैं यह समझने में असमर्थ रहा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। बदरपुर में 210 मेघावाट वाले चार सेट लगाये जाने हैं किन्तु यह काम पिछले दस वर्ष से लम्बित है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मुझे जानकारी मिली है कि इन्द्रप्रस्थ के दूसरे एकक में एक घटना घटी जिससे टरबाइन के ब्लेडों को बुरी तरह क्षति पहुँची है। जब मैंने आपके राज्य मंत्री श्री महाजन से मुलाकात कर जांच करने के लिये कहा तो मुझे जानकारी दी गई कि वह एक छोटी-सी घटना थी किन्तु मुझे बताया गया है कि वहाँ बड़ा भारी विस्फोट हुआ और ब्लेडें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। अगर ऐसी बात होती रहेगी और और हरदम बिजली में गड़बड़ी आती रहेगी तो मेरे विचार से इसे हमारी सरकार एव केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली की बड़ी बदनामी होगी। अगर ऐसी बात उन लोगों के बारे में होती है जिनका काम दूसरों को मार्गदर्शित करना है तो उनके कार्य का उन्हें श्रेय नहीं मिलेगा।

गैस टरबाइन के सम्बन्ध में बोलने के लिए मैं अपने कुछ मित्रों से अनुरोध करूंगा। महोदय आपने, मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो अवसर दिया है उसके लिये मैं बहुत आभारी हूं।

श्री विजय मोदक (आरामबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण ऊर्जा मन्त्रालय की भूमिका और कार्य-कलापों का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि यह मन्त्रालय वास्तव में उत्पादन की जीवन-रेखा है, इस मन्त्रालय के कार्य-निष्पादन से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की एक ऐसी धूमिल तस्वीर सामने आई है कि सभी प्रकार से यह राष्ट्रीय आलोचना का केन्द्रबिन्दु बन गई है। विद्युत्तोत्पादन के मामले, में इसकी अयोग्यता और इसकी निपट असफलता ने, सम्पूर्ण भारत में बिजली की ऐसी भारी कमी पैदा कर दी है कि यह एक अखिल भारतीय दृष्टि बन गया है। बिजली के उत्पादन में आई इस कमी ने, उन सभी सद्प्रयासों को असफल कर दिया है जो इस देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिये सभी दिशाओं से किये जा रहे हैं।

विगत की विफलताओं की किसी प्रकार की आलोचनात्मक समीक्षा न करके भी, मंत्रालय बड़े-बड़े वायदे करता जा रहा है। इस वर्ष भी यह वायदा किया गया कि उन्हें 22,000 मेंगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करना चाहिये। उन्होंने अपने विगत के निष्पादन की समीक्षा

नहीं की । गत योजना अवधि में, उन्होंने 25,000 मेगावाट और बिजली का उत्पादन करना चाहा । परन्तु वास्तव में, वे केवल 15,000 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन कर सके । इस प्रकार 10,000 मेगावाट की कमी रही । वे ऊंचे से ऊंचे वायदे करते जाते हैं जो कि उनकी आदत है । इसको बदलना होगा । आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वास्तविक बिजली-उत्पादन और माँग में खाई धीरे-धीरे फैलती जा रही है । मैं प्रतिवेदन से पढ़कर सुना रहा हूँ । 1976-77 में वास्तविक उत्पादन और मांग में केवल 5·8 प्रतिशत का अन्तर था । वर्ष 1977-78 में बढ़कर यह 10·3 प्रतिशत हो गया और वर्ष 1978-79 में यह 16·1 प्रतिशत तक पहुँच गया । बड़े ऊंचे-ऊंचे वायदों के बावजूद, निष्पादन अच्छा नहीं है और वास्तव में देश में बिजली की कमी बढ़ती जा रही है । इसके परिणामस्वरूप बहुत से उद्योगों में कार्य बन्द हो गया है और मजदूरो की अस्थाई छंटनी हुई है, तालाबन्दियाँ हुई, छंटनी हुई है । इन सब बातों से, हमें भारी राष्ट्रीय हानि हुई है । बड़ी भारी राष्ट्रीय हानि हुई है । एक पुर्वानुमान में बताया गया है कि गत वर्ष उत्पादन के क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये का घाटा रहा ।

महोदय, यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस विद्युत संकट को हल नहीं किया जा सकता है । मैं कहता हूं कि यह सरासर गलत है, क्योंकि यह सब त्रुटिमय प्रायोजना तथा योजना के प्रारम्भ से ही प्राथमिकता पर गलत बल देने के परिणामस्वरूप हुआ है । इस मूल भूल के कारण, भारत में बिजली उत्पादन और प्रति-व्यक्ति उपभोग, अन्य विकासशील राष्ट्रों से बहुत कम है । मैं उसके यहां आँकड़े प्रस्तुत करता हूं । भारत में, 1950 में प्रति व्यक्ति उपभोग 17·8 किलोवाट प्रति घंटा था । 1971-72 में यह 93 किलोवाट प्रति घंटा तक पहुँच गया । 200 किलोवाट प्रतिघंटा निर्धारित लक्ष्य को जिसे मूलत: 1979 में पा लिया जाना चाहिए था उसे 1983-84 तक के लिए फिर से निर्धारत किया गया, जबकि उसी के साथ-साथ 17 अन्य विकासशील राष्ट्रों ने पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन किया है । वास्तव में उनका बिजली उपभोग 200 किलोवाट प्रतिघंटा से कहीं अधिक है । छह ऐसे देश हैं जिनका बिजली उपभोग 1,000 किलोवाट प्रतिघंटा से अधिक है । मैं कुछ देशों के आँकड़े प्रस्तुत करता हूं : अलजीरिया, 200 किलोवाट प्रतिघंटा इराक, 297 किलोवाट प्रतिघंटा मिश्र 225 किलोवाट प्रतिघटा ये सभी आँकड़े वर्ष 1974-75 के हैं । उस वर्ष में भारत का उपभोग 108·8 किलोवाट प्रतिघंटा था जबकि पाकिस्तान का 137 किलोवाट प्रतिघंटा था । थाईलैण्ड में उपभोग 194 किलोवाट प्रतिघंट था । अब, प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि भारत केवल 133 किलोवाट प्रतिघंटा तक पहुंच पाया है । स्थिति बड़ी ही चिन्ताजनक है, और जब तक इसका हल नहीं ढूंढ़ा जाता, बिजली उत्पादन में सुधार नहीं किया जा सकता । सारे ही देश के विकास के लिए, असन्तुलन को हटाना और भारत के विकासशील राज्यों और प्रदेशों में बिजली का वितरण अत्याधिक आवश्यक है । इससे समग्ररूप में, देश में प्रति व्यक्ति उपभोग में, वृद्धि में भी सहायता मिलेगी । निम्नलिखित आँकड़ों से भी आपको भारत में असमान बिजली वितरण का पता लग सकता है :

1970-74 में पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक उपयोग 130 किलोवाट प्रतिघंटा था, दक्षिणी क्षेत्र ने 99·3 किलोवाट प्रतिघन्टा उपभोग किया और पूर्वोत्तर क्षेत्र ने 23·1 किलोवाट प्रतिघंटा बिजली का उपभोग किया । असम में यह 21·2 किलोवाट प्रतिघन्टा है बिजली की सप्लाई में

असन्तुलन के कारण उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक दुष्प्रभावित क्षेत्र हैं। अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मन्त्रालय को हाल ही के प्रतिवेदन में बताया गया है कि इसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है।

महोदय, प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग से किसी देश के आर्थिक विकास का पता चल सकता है। अतः देश में असन्तुलन को समाप्त करने के लिए, पिछड़े क्षेत्र में बिजली के प्रति व्यक्ति विकास में प्रगति पर ध्यान देना किसी भी मन्त्री का प्राथमिक कर्तव्य है। परन्तु यदि किसी प्रकार की लापरवाही या यों कहो कि राजनैतिक स्वार्थ परायणता के कारण वह इस मूल कार्य की ओर ध्यान नहीं देते तो उन्हें सारे पूर्वोत्तर प्रदेश के वर्तमान आन्दोलन की तरह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। निस्सन्देह, यह स्थिति उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में असंतुलन के कारण खड़ी हुई है। ऊर्जा मन्त्री अपने मन्त्रालय के मूल कार्य के प्रति पूर्णतया विमुख प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर प्रेस के माध्यम से वह अपने मन्त्रालय के कार्य और अपने विभाग से बाहर की बहुत सी अन्य बातों के ढोल पीट रहे हैं। यदि वह कुछ गम्भीरता से काम लेते तो, वह इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना बातें नहीं करते कि केन्द्र सरकार सारे देश के बिजली उत्पादन को अपने हाथ में लेने जा रही है। मैं नहीं जानता कि क्या उनके मन्त्रीमण्डल ने ऐसी बात कहने की उन्हें अनुमति दी है। इसमें मुझे पूरा सन्देह है। इस प्रकार की शेखी बघारने के बजाय यदि वह विद्युत आयोजना और इसके लिये प्राथमिकता निश्चित करने और उसे लागू करने के केन्द्रीय तन्त्र के कार्यकलाप में सुधार करने और उसे सही करने के अपने दायित्व को समझें तो कहीं अच्छा होगा, जिससे देश को वर्तमान बिजली-संकट से छुटकारा दिलाया जा सके।

इस विद्युत संकट के सम्बन्ध में सलाहकार समिति की हाल की बैठक में निम्नलिखित आँकड़े प्रस्तुत किए गए थे :

उत्तर प्रदेश में	—22·8%;
गोवा में	—24·4%;
दामोदर घाटी निगम में	—27·8%;
महाराष्ट्र में	—19·4%;
कर्नाटक में	—20%;
बिहार में	—31%;
उड़ीसा में	—17%;

आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अखिल भारतीय औसत 16·1% है।

पश्चिम-बंगाल में बिजली संकट वर्तमान ऊर्जा मन्त्री की ही देन है। पश्चिम बंगाल में बिजली का राशनिंग सबसे पहले 1973 में हुआ था जब वर्तमान ऊर्जा मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री थे। उनके शासन काल के दौरान 1973 में कोलाघाट संयंत्र की स्वीकृति दी गई थी। तथापि 1977 तक इस संयंत्र को लगाने का काम आरम्भ नहीं किया जा सका; यहाँ तक कि जमीन का अधिग्रहण भी नहीं किया जा सका था। केवल 1977 के बाद जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इस दिशा में कुछ करने का प्रयत्न किया। वास्तव में हुआ यह कि नेताजी अंतरंग स्टेडिम के निर्माण में सारे रुपये का दुरुपयोग किया गया। यह

प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है। पहले भी टीटागढ़ में एक संयत्र लगाने के कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम के प्रस्ताव पर उनके शासन काल में दो वर्ष तक स्वीकृति नहीं मिली थी और इस पर स्वीकृति वामपंथी सरकार के आने पर ही मिली। वर्तमान ऊर्जा मंत्री कई अन्य बातों के लिए जिम्मेदार हैं जिसके कारण विद्युत उत्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में बिजली घरों में अव्यवस्था रही और रखरखाव भी दोषपूर्ण रहा तथा इसे वामपंथी सरकार के सत्ता में आने के बाद ही सुधारा गया।

सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने बिजली की कमी को कम किया यद्यपि बहुत, बहुत कम परामर्शदायी समिति में दिये गये आंकड़े इस प्रकार है : 1977-78 में पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी 18·9 प्रतिशत रही। यह 1978-79 में घटकर 18·8 प्रतिशत तथा 1979-80 में और घटकर 16.4 प्रतिशत रह गई। यह आँकड़े अखिल भारतीय औसत के आंकड़ों के बराबर हैं जो 16·1 प्रतिशत है और उन बहुत से राज्यों से बहुत कम है जिनका मैंने उल्लेख किया है। इस स्थिति के बावजूद मंत्री महोदय केवल पश्चिम बगाल में बिजली की कमी के बारे में बार-बार वक्तव्य दे रहे हैं तथा देश के कई अन्य राज्यों की उपेक्षा कर रहे हैं जहां स्थिति अधिक बुरी है। इससे यह दिखाई देता है कि वह राजनीति चलाना चाहते हैं और विद्युत उत्पादन में उनकी रुचि नहीं है।

मैं यहां आसनसोल के माननीय सदस्य द्वारा कही गई कुछ बिल्कुल असत्य बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। कल उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त क्षमता के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योतिर्मयबसु के भाषण से कुछ आँकड़े देना चाहता हूं जिनसे मालूम पड़ेगा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पाँच परियोजनाएं चल रही हैं; एक परियोजना बन्दल में, एक संन्तालादेह में, एक कोलाघाट मे और अन्य दो टीटागढ़ तथा डी. पी. आई. अर्थात् दुर्गापुर में हैं। अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त इन पर काम चल रहा है। वामपंथी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इनको हाथ में लिया है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने बिजली मंत्रियों की बैठक में भी यह कहा है।

> "पश्चिम बंगाल में वर्तमान बिजली संकट का कारण पहले 1970-71 से योजना बनाने में विलम्ब होना तथा विद्युत परियोजनाओं में निवेश की कमी के कारण अपर्याप्त क्षमता का होना है।"

उन्होंने उन बहुत सी बातों को बाताया है जो पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान नहीं की गई थी जिसमें वर्तमान ऊर्जा मंत्री, बिजली और सिंचाई मंत्री थे। कोलाघाट परियोजना 1973 में स्वीकृत हुई थी किन्तु इसे वास्तव में तब तक लिया नहीं गया जब तक वामपथी मोर्चे की सरकार 1977 में सत्ता में आई। इन चार वर्षों तक ये मंत्री महोदय चुपचाप बैठे रहे और नेताजी अंतरंग स्टेडियम के निर्माण में धन व्यय करने में लगे रहे। संतालडिह के 2 एककों को चौथी योजना अवधि में धनराशि की कमी के कारण चालू नहीं किया जा सका। डी. पी. एल. के छठे एकक को जिसकी स्वीकृति 1976 में मिली थी, निधि की कमी के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। श्री ज्योतिबसु कहते हैं :

"डब्ल्यू. बी.एस. ई.बी. की परियोजनाओं में 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के तीन वर्षों में कुल निवेश 293 करोड़ रुपये का रहा। विद्युत क्षेत्र में औसत वार्षिक व्यय चौथी योजना के कुल व्यय से 3 गुना अधिक है (93 करोड़ रुपये है)।"

वास्तव में योजना अवधि अप्रैल, 1974 तक है। यह संयुक्त मोर्चे की सरकार की उपलब्धि है। इसके बावजूद भी आसनसोल के सदस्य सब झूठ बोल रहे हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं है।

जहाँ तक कोयले की स्थिति का सम्बन्ध है, विद्युत उत्पादन की बूरी दशा के लिए कोयला विभाग भी कम जिम्मेदार नहीं है। गत वर्ष विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत में 14·9 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु विद्युत उत्पादन में तदनुरूप में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है :

"कोयले की मात्रा में कमी से ताप विद्युत क्षमता में कमी आई और इसलिए कोयले की अधिक मात्रा अप्राप्त रही।"

वास्तव में यही बात आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है। इसके अतिरिक्त ताप बिजली घरों को कोयले के परिवहन के लिए वेगनों की सप्लाई से विद्युत संकट बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह सही कहा गया है।

"बिजली, कोयला और रेल परिवहन के अकुशल काम करने के कारण उत्पादन में भारी बाधा आई है।"

मैं कुछ चीजों को तेजी से पढ़ रहा हूं। कोयले के सम्बन्ध में गत वर्ष हमने एक करार किया था। करार में कई बातें थीं और इन बातों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। पीने के पानी, आवास और स्कूलों के कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किए गए हैं जिससे मजदूरों में काफी रोष है। ठेकेदारों और प्रबन्धकों के बीच एक नापाक गठबन्धन है। इसके कारण वे धन कमा रहे हैं जबकि कोल इण्डिया को हानि हो रही है। सुरक्षा यंत्र भी अच्छी हालत में नहीं हैं। श्रमिकों की दशा संतोषजनक नहीं है। श्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन वास्तव में प्रकाशित नहीं किया गया है। संसद को अंधेरे में रखा गया। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की अनुदान की माँगों का विरोध करता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : मैं बहुत लम्बा भाषण देना नहीं चाहता हूं किन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस तथ्य को कोई मानने से इन्कार नहीं कर सकता कि हम आर्थिक प्रगति चाहते हैं, हम कृषि में प्रगति चाहते हैं तथा उद्योग और हस्तशिल्प में प्रगति चाहते हैं। इसके लिए हमें बिजली की आवश्यकता है और बिजली एक ऐसी चीज है जिसमें हम पिछड़े हुए हैं। इसके दो तरीके हैं। या तो हम पन विद्युत शक्ति को अपनाएं या ताप विद्युत शक्ति को अपनाएं। मेरा सुझाव यह है कि जब ससाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि जल का जो दुरुपयोग होता है उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। जहां तक हमारे कोयला साधनों का सम्बन्ध है, हम अपनी भावी पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अतः कोयले का जो उपयोग हो जाता है उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। आप इसे फिर पैदा नहीं कर सकते। जहाँ तक उत्तरी भारत का सम्बन्ध है हमारे

पास काफी जल साधन हैं। मैं मंत्री महोदय का विशेषरूप से इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जहां तक झेलम, चिनाब और रावी नदियों का सम्बन्ध है, काफी बिजली का उत्पादन हो सकता है। इस बारे में कुछ सर्वेक्षण किया गया है किन्तु कुछ और सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। कुछ और स्थलों का पता लगाया जा सकता है। जो कुछ अब तक किया गया है उस पर पर्याप्त रूप से आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में पूरे दिल से उपाय नहीं किए जा रहे हैं।

सलाल परियोजना है। मैं कहूंगा कि इससे निराशा प्रकट होती है जो प्राधिकार इसके बारे में कार्यवाही कर रहा है उसने ऐसी तस्वीर दी है जिससे न तो कुशलता ही प्रकट होती है और न ही इससे तकनीकी जानकारी अथवा अच्छा प्रबन्ध ही दिखाई देता है। आरम्भ में हमें बताया गया कि यह 7-8 वर्ष में पूरा हो जाएगा। अब हमें बताया गया कि यह 1985 जक चलेगी। मुझे बताया गया कि वास्तव में यह 1990 तक पूरी होगी। हम जानते है कि हमें किस तरह से साधन सम्पन्न होना है। विज्ञान के इस युग में, प्रोद्योगिकी के इस युग में यदि हम अपनी उपलब्धियों को स्थगित करते जायें, यदि हम अपने कर्मचारियों पर अधिक तेजी से काम करने का जोर न दें तो हम कैसे वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं ? मैं नहीं जानता कि क्या प्रबन्ध में कुछ खराबी है अथवा प्रोद्योगिकी में खराबी है या तकनीशियन उचित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि जो लोग इन बातों के प्रभारी हैं वे उचित रूप स काम नहीं कर रहे हैं। वे समय बिता रहे हैं। कुछ तकनीकी अनुसंधान किए जाने की ओर उन्हें तेज किये जाने की आवश्यकता है। हमें बिजली की आवश्यकता है और बिजली का उत्पादन तभी हो सकता है जब हम साधनों का उचित उपयोग करेंगे। यह एक निश्चित तथ्य है कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों को उत्तरी भारत में दिल्ली तक दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस बात की कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है और हमें इसमें यथा सम्भव अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूँ यदि हमारे पास श्री गिल जैसे कुछ अन्य व्यक्ति होते तो क्या ही अच्छा होता। वह पजाब बिजली बोर्ड के अध्यक्ष थे। वह हमारे राज्य में आयुक्त भी थे। वह एक इंजीनियर हैं। वह कतिपय राज्यों के तकनीकी सलाहकार हैं। किन्तु वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मालूम है कि काम आगे कैसे बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें यह भी जानकारी है कि इसमें क्या खराबी है। उन्हें मालूम है कि इंजीनियर कहां गल्ती कर रहे हैं तथा मजदूर कहां काम कर रहे हैं। किसी को इन बातों की जाँच करनी चाहिए। यह कहा गया है कि बिजली के बन्द होने तथा बिजली की कमी के कारण कृषि को हानि हो रही है क्योंकि पम्प काम नहीं करते। उद्योगों के हानि हो रही है और उत्पादन घट रहा है। हम सबके लिए यह चिन्ता की बात होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक निश्चित समय के अंतर्गत बिजली का उत्पादन हो। पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर की एक संयुक्त परियोजना क्षेत्र बांध है जिसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। हमें इसे यथा सम्भव शीघ्र पूरा करना चाहिए क्योंकि इससे हमें पर्याप्त बिजली मिलेगी :

एक और दूहास्ती परियोजना है। इसका पूरी तरह से सर्वेक्षण हो चुका है और अनुसंधान किये जा चुके हैं। सम्भवत: राज्य सरकार विलम्ब कर रही है। मैं समझता हूँ इस पर आगे उचित कार्यवाही की जानी चाहिए और राज्य सरकार को इस पर विलम्ब नहीं करना चाहिए।

वे दूसरे स्थान पर कार्य करना अथवा उसका सर्वेक्षण करना चाहते हैं और यदि वे दूसरे स्थान पर भी बिजली उत्पादन करना चाहते हैं तो वे इसे अलग से केन्द्रीय सरकार के साथ उठा सकते हैं किन्तु उनका कोई भी अधिकार अथवा नैतिक आधार नहीं है कि वे जब तक कतिपय अन्य बातों पर सहमति नहीं होती है उसे हाथ में न लें। इस पर स्वीकृति दी जानी चाहिए और जितनी जल्दी इस पर स्वीकृति होती है और काम आरम्भ होता है उतना ही यह हमारे लिए अच्छा है।

ग्रामीण विद्युती करण के बारे में क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ गावों को लिया गया है किन्तु गरीब लोगों की उपेक्षा की गई है। गाँव के कुछ भागों में जहां हरिजन और गरीब लोग रहते हैं उनकी उपेक्षा की गई है। मेरे राज्य में तथा कुछ अन्य स्थानों में भी ग्रामीण विद्युती करण की यह स्थिति रही है। इस दोष को निश्चित रूप से दूर किया जाना है।

यदि आप सारे गाँव का विद्युतिकरण नहीं करते तो सारा का सारा पूंजी निवेश बेकार हो जाता है। बिजली देना ही महत्वपूर्ण बात नहीं है। बिजली पहुँचने से लोगों के सोचने के तरीके में आमूल परिवर्तन हो जाता है। हल और पशुओं से कार्य करने वाला आदमी जब बिजली और उसका प्रकाश देखता है तो वह मशीनों का प्रयोग करने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इस बात को हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरे राज्य में कृषि का सम्बन्ध है, मैं देखता हूं कि सभी ट्रांसफार्मरों पर पूरी तरह भार पड़ा हुआ है। और अधिक भार (लोड) की कमी के कारण कृषि की नुकसान हो रहा है। कृषि मंत्रालय एव ऊर्जा मत्रालय को विभिन्न राज्यों के हमारे लोगों के साथ इस मामले पर विचार करना चाहिए। वे राजनीतिक दबावों से राज्यों में जाते है। यह एक कमी है। भारत सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों में वे अमीर आदमियों और जमीदारों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर जाते हैं। वास्तव में जिन गरीब व्यक्तियों का ध्यान रखा जाना चाहिए उनकी वे अवहेलना करते हैं। इस बात की निगरानी रखने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार और मंत्रियों की है कि बिजली के मामले में विकास समान और समुचित एवं तेजी के साथ हो। कभी कभी मुझे इस बात से संदेह होता है कि क्या वे लोग जो इन परियोजनाओं को क्रियान्वीत कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के प्रति सहृदय हैं. क्या उनकी सहानुभूति हमारे साथ है, जब मैं यह देखता हूँ कि वे कुछ परियोजनाओं के कुछ कार्यान्वयन में विलम्ब करते हैं, मुझे इस बात की शंका होती है कि क्या वे हमारे प्रति सम्भावित नहीं हैं। इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। समुचित व्यवस्था आवश्यक है। मैं तकनीकी बातों में नहीं फसना चाहता परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि प्रशासन को कसना होगा और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को तेज किना जाना होगा। वह आवश्यक है। सलाल के मामले में और ज्यादा विलम्ब नहीं होने देना चाहिए। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि तेजी से और समुचित रूप से इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो तीन वर्ष की अवधि में इससे अच्छी मात्रा में बिजली मिल सकती है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सदन के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को सुना है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा बिजली की समुचित सप्लाइ हमारे मुख्य मामले हैं। इस स्थिति में. मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को तेज किए जाने की आवश्यकता और एक

ठोस ऊर्जा नीति के सवर्द्धन की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है ताकि देश के आर्थिक विकास का आधार मजबूत हो सके।

इसलिए, हमारा दृष्टिकोण, छोटी अवधि और दीर्घ अवधि दोनो ही प्रकार के उपायों की दिशा में है। अल्पकालीन उपायों में हम वर्तमान संस्थापित क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए संगठित प्रयास कर रहे हैं। निःसन्देह इसमें निवेश, विशेषज्ञों द्वारा संचालन और कोयले की सप्लाई आदि के समन्वय की आवश्यकता है। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि 1976-77 में हमारे तापीय संयंत्रों की क्षमता का उपयोग 56 प्रतिशत था। पिछले तीन वर्षों में हमारे तापीय संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में बराबर गिरावट आयी है और यह लगातार कम होता गया अर्थात 1979 के अन्त तक 45 प्रतिशत रह गया। इसलिए यह तीन सालों में 56 प्रतिशत से कम हो कर 1979 में यह कम हो कर 45 प्रतिशत रह गया और इस वर्ष के जनवरी से जून महीने तक अर्थात नई सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद, हम देखते हैं कि यह इतनी अल्प अवधि में बढ़ कर 48 प्रतिशत हो गया है। इसलिए, बिजली की सप्लाई को सुधारा जाना है और हम इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह, हम संस्थापित क्षमता को अत्याधिक तेज गति से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जितनी तेजी से पहले कभी नहीं किया गया। 1980-85 की अवधि के दौरान हमें लगभग 20,000 मेगावाट की वृद्धि की आशा है जो कि पाँचवीं योजना के दौरान हुई वृद्धि से लगभग दुगना है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

दीर्घकालीन उपाय के तौर पर हम 10 से 15 वर्ष तक के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय विद्युत योजना बना रहे हैं। प्रधान मंत्री ने यह पहले ही कह दिया है कि हमारी संस्थापित क्षमता, माँग से 10 प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए, जैसा कि माननीय सदस्य श्री चह्वान ने यह बात रखी है। इसे प्राप्त करने का हमारा इरादा है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम समूची योजना का पुनर्निर्धारन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम श्रमिकों, प्रचालकों (अपरेटर्स) और निरीक्षकों के प्रशिक्षण का राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने का भी प्रयास कर रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए यदि हमें विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना पड़ेगा तो हम यह भी करेंगे।

इसके साथ ही राज्य बिजली बोर्ड का कार्य निर्धारित लक्ष्य तक नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में बिजली सयंत्रों में बिजली का उपयोग 30 प्रतिशत तक कम हो गया है जबकि आज राष्ट्रीय औसत 48 प्रमिशत है। वे 30 से 35 प्रतिशत तक के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसको सुधारा जाना है। जैसा कि आप जानते हैं उनकी प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किए जाने, उनके वितीय कार्यकरण को करे जाने और उच्च स्तर पर उनके कार्यों के निरीक्षण की आवश्यकता है।

बिजली का अधिकांश उत्पादन राज्य क्षेत्र में होता है। इसलिए, यदि हमें बिजली के उत्पादन में सुधार करना है तो यह आवश्यक है कि राज्यों को अपने कार्य में सुधार अवश्य करना चाहिए और इस प्रयोजन से राज्यों को अपने बिजली संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके साथ ही, केन्द्रीय सरकार भी बिजली के उत्पादन और उसके ट्रांसमीशन में अपनी भूमिका को इस दृष्टिकोण से बढ़ा रही है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा

दिया जाए और उनको मजबूत किया जाए तथा ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक विकाश किया जाए ।

विद्युत उद्योग की पूंजीगत सघनता और लागत में वृद्धि के लिए वित्तीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की आवश्यकता है । इसलिए, अब हम निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं खासतौर पर केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की कड़ाई के साथ निगरानी कर रहे हैं । मैं यह बताना चाहूंगा कि जिन परियोजनाओं को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने शुरू किया है वे निर्धारित क्रम के अनुसार पूरी होती जा रही हैं ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिगृहीत किए गए पन बिजली संयंत्रों का सम्बन्ध है, डोगरा जी ने कुछ खामियों और कठिनाइयों के बारे में बताया है । मुझे इस बात का विश्वास है कि उनके सुझावों पर गभीरता से विचार किया जाएगा । अत्यधिक कार्य के समय में बिजली के भार को कम करने की भी आवश्यकता है क्योंकि मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई पर्याप्त नहीं है । जैसा कि मैंने बताया, गत तीन वर्षों में इसमें भारी गिरावट आयी थी और परसों मैं इस गिरावट के आंकड़े बता चुका हूं । हम सभी यह महसूस करते हैं कि त्वरित बिजली विकास के लिए यथेष्ट प्रयास की आवश्यकता है, संसायन मुहैया कराने के साथ साथ सब सामान, सामग्री के आधारभूत निवेश और संगठन की व्यवस्था करने के दोनों ही रूपों में । हमें मुख्य साज समान की सप्लाई करने वाले 'शेल' जैसे देशी संस्थान हैं । निसंदेह, इसमें कुछ कमियां हैं जो माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई हैं और हम उन कठिनाइयों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे । परन्तु देशी संसाधनों और देशी क्षमता का उपयोग करने का एक प्रयास किया जा रहा है ।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में बिजली की मांग बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है । जबकि एक विकास शील देश में कुछ सीमा तक यह आवश्यक है, हमें इस बारे में सोचना है कि उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए बिजली के सफल उपयोग को कैसे सुधारा जाए । हम ऊर्जा के नए स्रोतों जैसे और ऊर्जा, जलीय उर्जा और भू-तापीय ऊर्जा के विकास के लिए सक्रिय कदम उठाने की कोशिश कर रहे है । कल प्रधान मन्त्री ने भी इसका उल्लेख किया था और हमारा कार्यक्रम और प्रोद्योगिकी और उत्पादन विकास में अनुसंधान को तेज करने का है । हम जलीय ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाने का विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हम इस सम्बन्ध में भी बड़ी तेजी से आगे आएंगे । जहां तक जल स्रोतों का सम्बन्ध है, हमने इनसे अधिक से अधिक लाभ उठाना है क्योंकि यह ऊर्जा के उपलब्ध स्रोतों में सबसे अधिक सस्ता है और हमें बड़े पैमाने पर इस ऊर्जा को विकसित करना होगा ।

उच्च स्तर पर सरकार द्वारा ऊर्जा कार्यक्रमों और मांग की पूरा करने के तरीकों की समीक्षा की जा रही हैं । निःसंदेह अपेक्षित स्रोतों और, यथासंभव सीमा तक पुराने ईंधन को बनाए रखने और तेल पर निरर्भता को कम किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समस्याएं पर्याप्त हैं । हम जितना अधिक जलीय और तापीय साधनों को विकसित कर सकेंगे, उस सीमा तक हम तेल पर निर्भरता को कम कर सकेंगे । वास्तव में, यदि हम त्वरित गति से, इन साधनों का विकास कर सकें तो परिवहन के विद्युतिकरण द्वारा कस्बों और नगरों में ईन्धन को बनाए रखना संभव हो सकेगा जिससे प्रदूषण भी कम हो जाएगा । हमें अपनी ऊर्जा नीति ऐसी बनानी होगी कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की मांग को बहुत ही अनुकूल तरीके से पूरा किया जा सके । इसलिए ऊर्जा विकास के लिए एक समावित कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

कोयला उस देश में ऊर्जा का मूल श्रोत बना रहेगा और उत्पादन के वर्तमान स्तर पर, हम कोयले की चालू मांग को पूरा करने की स्थिति में हैं : मैंने कल यह भी कहा था कि कोयला उत्पादन में कोई कमी नहीं हैं। परन्तु वहां परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। वास्तव में, 14 मिलियन टन कोयले का भंडार कोयला खानों से निकला पड़ा है। फिर भी बिजली, इस्पात और सीमेंट के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से खासतौर बंगाल बिहार के क्षेत्रों से कोयला ढोने के लिए रेल वैगनों की उपलब्धता से सम्बन्धित दबावों के कारण कोयले की सप्लाई में कमी का अनुभव होता रहा है। मैंने कल भी ये आंकड़े दिए थे कि रेलें दिसम्बर 1979 के अन्त में जितने कोयले की ढुलाई कर रही थी उसकी तुलना में वे 1976-77 में अधिक कोयले की ढुलाई कर रही थीं। इसलिए, पिछले तीन वर्षों में रेलों की कोयला ढोने की क्षमता में गिरावट आई है। हम पुनः रेलों की ढोने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रेल द्वारा कोयले की ढुलाई बढ़ाने के लिए हम रेलवे विभाग से लगातार सम्पर्क किए हुए हैं। उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए जहां तक संभव है सड़क से भी कोयले की ढुलाई करके कमी को पूरा किया जा रहा है। ऐसा किया ही जाना है क्योंकि यदि रेलें कोयले की ढुलाई नहीं कर सकती तो हमें सड़क परिवहन जैसे वैकल्पिक परिवहन पद्धतियों का पता लगाना है।

कोयला उद्योग के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए वृहद विस्तार कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं और इसका श्रम मंत्री महोदय को जाता है। 1979-80 में 276 करोड़ रुपए विकास के लिए रखे गए थे। हमने 1980-81 के लिए यह धनराशि बढ़ाकर 378 करोड़ रुपए की दी है जोकि एक बहुत बड़ा कदम है। जनवरी 1980 से 238 करोड़ रुपए की लागत की 13 नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इस तेज रफ्तार से कार्य हो रहा है। हमें आशा है कि सप्लाई, मांग से भी आगे बढ़ जाएगी।

हम खान सम्बन्धी रेक्नोलोजी में भी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व अधिकांश खनन कार्य कुदाली से किया जाता था। अब यह कार्य मशीनों द्वारा किया जा रहा है। और आधुनिक मशीनीकृत खनन टेक्नोलोजी का प्रयोग शुरू करने की दृष्टि से ब्रिटेन, फ्रांस, रुस और पोलेंड जैसे बाहरी देशों की सहायता प्राप्त की जा चुकी है। खान आयोजना और कोयला निकालने के मशीनीकृत तरीकों के सम्बन्ध में कोयला कम्पनियों को सलाह देने के लिए इन देशों के विशेषज्ञ इस देश की यात्रा करते रहे हैं। इसके लिए आवश्यक साज समान भी मंगा लिया गया है और धीरे धीरे उसे हमारी कोयला खानों में प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से मजदूरों और इंजीनियरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चालू किए गए हैं। इन दोनों श्रेणियों के लिए विदेशों की प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उन पर जा रहा है।

खनन कार्य कठिन और जोखिम भरा काम है। हम खानों में सुरक्षा संबन्धी कदम उठा रहे हैं। खानों में भूविज्ञान संबन्धी कठिनाइयाँ हैं। वहां गैस है। इसके लिए हमने खानों में कई सुरक्षा उपाय भी लागू किए हैं। इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं और उन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन सिफारिशों में खानों में सर्वाधिक रूप से योग्य कर्मचारियों की व्यवस्था करना, पर्यवेक्षी कर्मचारियों और कर्मकारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और कोयला कम्पनियों में आन्तरिक सुरक्षा संगठनों की स्थापना जो उत्पादन स्कंध से स्वतन्त्र हो और जिसके प्रमुख एक

वरिष्ठ स्तर के खनन इंजीनियर हों, जैसी सिफारिशें शामिल हैं। सुरक्षा सम्बन्धी स्थितियों को सुधारने की दृष्टि से कुछ खनन तकनीकों को अपनाया जा रहा है जैसे बिजली की टेक के साथ लम्बी दीवारों वाली सुरंगों का अंगीकरण, और अधिक क्षेत्रों में द्रव चालित खनन कार्य का विस्तार तथा कोयला खदानों के ऊपरी भाग पर संप्रेषकों और मशीनीकृत मारकों को डलिया द्वारा मारित किए जाने के स्थान पर काम में लाया जाना। डिग्री-तीन की गैस वाली खानों में मैथेन, कार्बन मानोक्साइड, कार्बन डाईआक्साइड, तापमान आदि की निगरानी रखने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मजदूरों के बचाव के लिए कैप लेम्पस, हेल्मेट और जूते जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

कोयला खान सुरक्षा बोर्ड (कोल माइनिंग सेफ्टी बोर्ड) का गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने इसकी घोषणा की थी। केवल इतना ही नहीं, हम मजदूरों की सहायता करने के उपाय भी शुरू कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में हमने इस बात का उल्लेख किया है कि गरीब मजदूरों को उनकी अपनी बेटियों के विवाह के लिए ऋण तथा अग्रीम धनराशी दी जा रही है। हम उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी अग्रिम धनराशि दे रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में हमने ये सब आंकड़े दे दिए हैं।

माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि सरकार अर्थ व्यवस्था की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में निश्चयी और गंभीर है तथा इसमें किए जाने वाले तकनीकी और वित्तीय भारों के प्रति सजग है। इसलिए सभी मोर्चों पर समन्वित और लाभप्रद ढंग से स्रोतों को अधिक से अधिक के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

माननीय दोस्तों को मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, मंत्रालय द्वारा उनकी जांच की जागगी और उनको इस बावत अवगत करा दिया जाएगा कि हमने क्या कदम उठाए हैं।

श्री निन्देश्वरी डूबे (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी ऊर्जा राज्य मत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि 1976-77 के बाद से किस तरह से बिजली के उत्पादन में निरन्तर गिरावट आती गयी और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा संकट पैदा हुआ। उससे विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में भारी क्षति तो पहुँची ही लेकिन इस ऊर्जा संकट ने सारे देश के जन जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया जो हमारे देश में विकास के कार्यक्रम थे वे भी सब अस्त-व्यस्त हो गये अब खुशी की बात है कि जब से वर्तमान सरकार प्रशासन में आयी है तब से उसने कोशिश शुरू कर दी है कि ऊर्जा संकट को दूर किया जाए और इस दिशा में उनसे कुछ कारगार कदम भी उठाये हैं।

जैसा कि ज्ञात हुआ है कि विभिन्न राज्यों में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं जिनसे अपेक्षा की जाती है कि उनका और सेन्टर का आपस में कोआर्डिनेशन हो वह न होने की वजह से यह संकट और भी बढ़ा है।

(श्री शिवराज पाटिल पीठासीन हुए)

इसके लिए सैन्ट्रल गवर्मेंट ने एक टास्क फोर्स बनायी है। जो भविष्य में टेक्नीकल कोआर्डिनेशन और पावर स्टेशन के मैनेजमेंट और इनपुट आदि की कमी को पूरा करने में राज्य

सरकार को सहयोग देगी। अब ऊर्जा के क्षेत्र में सरकर सोच रही है कि 10-15 वर्षों की लोंग टर्म प्लानिंग की जाए। स्पष्टत: ऊर्जा के क्षेत्र में इस तरह की प्लानिंग से हमारे देश की रिक्वायर मेंट के मुताबिक जो जेनरेशन बढ़ाने काम है वह तेज होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में इस तरह लोंग टर्म प्लानिंग आवश्यक है। हम जो थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं उनमें पांच-छः साल की अवधि लग जाती है। हाइड्रो जेनरेशन की स्कीम्स को भी कार्यान्वित करने में तो आठ से दस साल तक लग जाते हैं। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में कम-से.कम दस-पन्द्रह साल की प्रोस्पेक्टिव प्लानिक होनी चाहिए।

इसके साथ ही, चूंकि देश के विभिन्न राज्यों में नेचुरल रिसोर्सिज समान रूप में नहीं पाये जाते हैं, कुछ राज्यों में वे अधिक हैं, कुछ में नहीं हैं इसलिए इस स्थित को देखते हुए सरकार को अपनी योजना तैयार करनी चाहिए। कुछ राज्यों के लोग अपने हितों की बातों को ही ध्यान में रख कर ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण से दूसरे राज्यों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। इसके लिए रीजनल प्लनिंग करने की आवश्यकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में एक स्टेट में पावन् सरपलस है, दूसरे राज्य में कम है, यह जो इम्बेलेंस हैं, पावर डिस्ट्रिब्यूशन में इसको दूर करना चाहिए।

हाल में पावर मिनिस्टर्स की एक काफ्रेंस हुई थी। जैसा कि ज्ञात हुआ कि उसमें यह एक नेशनल ग्रिड डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम पर आम सहमति हो गयी है। मैं यह मानता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। यह काम पहले ही होना चाहिए था। खैर देर आयद दुरूस्त आयद। नेशनल ग्रिड डिस्ट्रिब्युशन काम तेजी से पूरा होना चाहिए। इसकी जो हमारी कल्पना है, जिसको कि हम करने जा रहे हैं उसके लिए यह आवश्यक हैं कि मोनिटरिंग की पूरी जवाब देही सेन्टर की होनी चाहिए। यह काम सेन्टर के जिम्मे होना चाहिए। सारे देश के सरप्लस पावर के डिस्ट्रिब्युशन का कंट्रोल सेन्टर के हाथ में पूरी तरह से होना चाहिए। पावर जेनरेशन और जो डिस्ट्रिब्युशन राज्यों के द्वारा किया जाता है, उसका हमें जो अनुभव है वह कुछ अच्छा नहीं है। उसके आधार पर मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि पावर जेनरेशन के मामले में सेन्टर का सफीयर बढ़ाना चाहिए।

सुपर थरमल पावर स्टेशंस बनाने की जो भी योजना है, ये सुपर थरमल पावर स्टेशन सेन्टर के द्वारा ही पूरे किये जाने चाहिए। बहुत से सुपर थरमल पावर स्टेशन बनाने की योजना है राज्य सरकार इनको बनाने की स्थिति में नहीं हैं और न ही उनके पास इतना साधन है। इनको बनाने के लिए जितनी शक्ति होनी चाहिए वह राज्य सरकारों के पास नहीं है। इसी कारण से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। मैं बिहार स्टेट की ही बात कहता हूं। वहाँ पर एक स्थान पर सुपर थरमल पावर स्टेशन बनाने की योजना बनी। तेनुघाट में यह टेकनीक्ली फिजिकल था, वहां पर रा मैटीरियल की अवेविलिटी भी अच्छी थी, वह कोयला क्षेत्र के बीच में था और वह सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए एक आइडियल साइट थी लेकिन न जाने किन कारणों से उसको वहाँ से हटा करके कहलगाँव ले जाने की बात पहले सोची गई और अब तो यह सुना जा रहा है कि उसको फरक्का ले जाने की बात सोची जा रही है। यह ठीक ही नहीं है। सुपर थर्मल पावर स्टेशज के लिए जो साइट की सिलैक्शन की बात है इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सारी दूसरी कंसिड्रेशंज को अलग रख कर हम को यह देखना चाहिए कि कहाँ पर रा

मैटीरियल अवेलेबल है और जहाँ पर वह टेक्नीकली फीजिक्ल हो वहीं पर उसको स्थापित किया जाना चाहिए। जहाँ पर कोयला सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो पानी उपलब्ध हो अन्य रामैटीरियल उपलब्ध हों वहीं पर इनकी स्थापना होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार के सुपर थरमल पावर स्टेशन के बारे में आप पुनः विचार करें।

एक उत्साहवर्द्धक बात मन्त्री महोदय ने कही है। उन्होंने कहा है कि 1976-77 में हमारा कैपेसेटी यटिलाइजेशन 56 परसेंट था जोकि बाद में घटकर 45 परसेंट रह गया और अब नई सरकार की कोशिशों के फलस्रूप वह 48 परसेंट पर आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि केन्द्र का जो सबसे बड़ा पावर जैनरेशन का प्रतिष्ठान है, डी. वी. सी. उसकी परफामेंस में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं है। डी. वी. सी. में जहाँ 1976-77 में 750 से 900 मैगावाट बिजली जैररेट होती थी आज केवल 300 से 400 मैगाव ट के बीच में ही पैदा होती है और वहां आकर रुकी हुई है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि कोयला उद्योग जिसको सबसे ज्यादा डी. वी. सी. के पावर स्टेशंज से बिजली दी जाती है उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, उसके उत्पादन पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिजली उत्पादन की कमी के कारणों में ये भी एक कारण बताया गया है, कोयले की इनएडिक्वेट और बैड सप्लाई की बात तो मेरी समझ में आती है लेकिन बैड सप्लाई की बात समझ में नहीं आती है। पावर स्टेशन के लिए जिस प्रकार का कोयला चाहिये वह इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि कोई कारण ही नहीं है कि बैड सप्लाई हो। जाने अनजाने में कभी-कभी मन्त्री महोदय भी ऐसी बात कह जाते हैं। ओबरा के सम्बन्ध में हाल में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो पावर जैनरेशन में कमी आई है उसका कारण बैड कोल का सप्लाई होना है। मुझे यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। यह सर्व विदित है कि ओबरा थर्मल पावर स्टेशन का जो बायलर है वह 45 परसेंट ऐश परसेंट के कोयले के लिए डिजाइन्ड है और जिगूरदाह का जो कोयला जाता है वह आधा तो रगु सागर पावर स्टेशन को जाता है और आधा ओबरा को। जहाँ रेगु सागर पावर स्टेशन की कैपेसेटी युटिलाइजेशन 95% से 105% है वहाँ पर ओबरा की सिर्फ 45 परसेंट, और इससे भी बैड कोयला गया है तो वह कोयला हो ही नहीं सकता। वह काला पत्थर हो सकता है और अगर ऐसा हुआ है तो फिर बायलर्ज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा।

जहाँ तक कोयला उद्योग का सम्बन्ध है, उसके राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, जो वैस्टिड इंटरेस्टस हैं वे सुनियोजित ढंग से कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण को बुरा बताने की कोशिश करते रहे हैं। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पहले जो कोयले के उत्पादन की हमारी क्षमता थी और आज जो है उसकी अगर तुलना की जाए तो जो जानकार लोग हैं उनको आश्चर्य हुए बगैर नहीं रहेगा। राष्ट्रीयकरण से पहले यानी 1973 से पहले जो कोयला उद्योग का उत्पादन था राष्ट्रीयकरण के दो साल में ही दस मिलियन टन बढ़ गया। राष्ट्रीयकरण से पहले जितना कोयले का उत्पादन होता था उससे आज 26 मिलियन टन कोयला अधिक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। माइनिंग इंडस्ट्री के जो वर्ल्ड ओवर जानकार लोग हैं वह यह मानते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद काल इन्डस्ट्री ने जो उत्पादन करके दिखाया गया है, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बावजूद इसके कि उसको बहुत सी कठिनाइयों और बाधाओं का मुकाबला करना पड़ा है।

बिजली की ही बात ले लीजिए, जैसे कि मैंने कहा है कोल इन्डस्ट्रीज की डी. वी. सी

मेन सप्लायर है बिजली की । कोल इंडिया की विभिन्न सब्सीडियरी कंपनीज की जो रिक्वायरमैंट्स हैं उसकी सिर्फ 30,35 प्रतिशत बिजली और कभी कभी 25 प्रतिशत बिजली ही डी. वी. सी. दे पाती है । मैं सिर्फ एक कम्पनी की ही बात कहता हूं । भारत कोकिंग कोल, जिसमें 113 मेगावाट बिजली की जरूरत है, उसको 35 से 40 मेगावाट और मैक्सिमम 45 मेगावाट ही मिलती है । कोयला आपरेशन को जो जानते हैं, उन्हें पता है कि 75 प्रतिशत जो बिजली की कंजम्पशन है वह डिवायटरिंग प्रोसेस और वैंटिलेशन पर खर्च होता है । डी-वायटरिंग कोल माइन्स का कंटीनुअस प्रासेस है । बिजली के फेल होने से पानी जमा हो जाता है । जब तक पानी मारते हैं, मेंटिलेशन ठीक करते हैं माइनर्स अन्डर-ग्राउण्ड जाते हैं, बिजली बन्द हो जाती है ।

बिजली बन्द होने के फलस्वरूप फिर माइनर्स बाहर आ जाते हैं । एक-एक शिफ्ट में 4, 4 और 5, 5 बार माइनर्स को बाहर आना पड़ता है और अन्दर जाना पड़ता है आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले के उत्पादन पर क्या इसका असर पड़ता होगा । लेकिन इन बाधाओं के बावजूद भी कोल इन्डस्ट्री को जो भी उत्पादन का टारगेट दिया गया, उसने उसे करीब-करीब पूरा किया है । अगर कोयला लोगों के पास और इन्डस्ट्री के पास पहुँचता तो क्या कोयला उद्योग इसके लिए जवाबदेह है ?

75-76 के साल में सिर्फ 7 मिलियन टन कोयला का पिटहैड स्टाक था, वह आज बढ़कर साढ़े 14 मिलियन टन हो गया है । रेलवे अगर पब्लिक के पास पावर स्टेशनस के पास और विभिन्न उद्योगों के पास कोयला नहीं पहुँच पाती तो वह इसके लिये जवाबदेह है । बड़े दबे शब्दों में चर्चा होती है जब रेलवे की बात आती है, हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हमारे पावर स्टेशन्स में वैगन्स की सप्लाई काफी इम्प्रूव कर गई है । की होगा, मेरा ख्याल है कि 15 दिन या एक महीने के लिए । लेकिन अभी क्या स्थिति है ? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने जवाब में बतायेंगे ।

मैं मानता हूं कि पावर स्टेशन्स में जो वैगन सप्लाई की पोजीशन है, उसमें कम से कम 150 वैगन डेली की शार्ट सप्लाई है । जहां तक कोयला इंडस्ट्री का सवाल है, 1976-77 के साल में जो सप्लाई था उससे 1200 वैगन शार्ट सप्लाई पोजीशन में आप समझ सकते हैं कि कोयला उद्योग की क्या हालत होगी । लेकिन जितनी सारी बदनामियाँ हो सकती हैं कोयला उद्योग पर डालने की कोशिश की जाती रही है, उप-सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मुझे दुःख है कि इतना कम समय इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए रखा गया है और सदस्यों को सिर्फ 10 मिनट बोलने के लिये दिये जाते हैं ।

जनता पार्टी के शासन काल में बाहर से 2 मिलीयटन कोकिंग कोल मंगाने का एक फैसला हुआ । हमने तब भी उसका विरोध किया था । हमारा कहना था कि 2 मिलियन टन कोयला मगाने के लिए जो विदेशी मुद्रा लगेगा, उसका उपयोग दूसरे महत्वपूर्ण काम के लिये किया जा सकता है । वैगन की पोजीशन सुधारने के लिए उसका उपयोग हो सकता है और हमारा यह मानना है कि अपने यहां हम इन्डीजनस सोंसज को ओगमैंट करके कोकिंग कोलकी रिक्वायरमैंट्स का पूरा कर सकते हैं ।

अभी हाल में एक दिन चर्चा हुई । ऊर्जा मंत्री महोदय ने कहा कि अभी तो 5 लाख टन कोकिंग कोल मंगाने की ही हमने सहमति दी है । मैं कहूंगा कि वह कोकिंग कोल आयेगा कब

तक ? उसके पहुँचने में 6 महीने से कम समय तो नहीं लगेगा। आज जो वेगन की डिफिकल्टी है, उसके हिसाब से उसको विभिन्न प्रान्तों में पहुँचाना डिफिकल्ट होगा या नहीं ?

डायेरक्ट फीड कोल अपने देश के खानों में ऐसा कोयला है जिसे हम कहते हैं उसमें एश कन्टैन कम है और थर्मा कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जिसकी वजह से उसको बिना वाश किये हुए डायेक्ट स्टील प्लान्टस को भेजा जा सकता है। मिडियम कोकिंग कोल का तो इतना ज्यादा रिजर्व है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उस सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करें तो भी 200 बरसों तक कोयला खत्म होने वाला नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि जो बाहर से हम कोयला मगाने जा रहे हैं स्टील प्लान्ट्स के लिये उसे हमें अपने रिसोसर्ज से पूरा किया जाना चाहिए। उसको बाहर से मंगाने में जो फारेन एक्चेंज खर्च होगा उससे ही हम वैगनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करें या अन्य उपयोगी कार्यों में खर्च करें।

सेफ्टी के सम्बन्ध में मंत्री जी ने चर्चा कर दी कि सेफ्टी के जो सारे कानूनी प्रावधान हैं, उनको हम कारगर ढंग से उनको लागू कर रहे हैं। अभी 2 बड़े एक्सीडेंट्स कोल माइन्स में हुए हैं। संथाल परगना में एक माइन में एक्सीडेंट हुआ, 4 आदमी मरे, 5,6 घायल हुए। अभी हाल में 3 तारीख को गोपाली चक कौलरी में फिर एक्सीडेंट हुआ। उसमें 4 आदमी मरे और 9 घायल हुए, जिनमें से एक आदमी की स्थिति बहुत खराब है। माइन सेफ्टी के सम्बन्ध में कई कांफरेंसिज हुई है और सेफ्टी कमेटीज बनी है। सेफ्टी कमेटीज ने दो दो बार युनेनिमस रिकोमेनडेशन दिये हैं, लेकिन सरकार ने उनको अभी लागू नहीं किया। मंत्री महोदय ने कहा है कि सेफ्टी के लिए बहुत से मेजर्स लिये गये हैं और बहुत से एप्लायसिज मंगाये गये हैं और दिये जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न कन्स्ट्रेन्ट्स की वजह से कोयला उत्पादन पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, और फिर कोयला-उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोलमाइन्ज की सेफ्टी के बात को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। सेफ्टी कमेटी रीकमेंडेशन्ज को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। कई मिसहेप्स के बारे में जुडिशल बाडीज के जो वार्डिक्ट्स हैं, उन्हें भी ठीक तरह से लागू करना चाहिए। और हाल दुर्घटनाओं के कारणों की शीघ्र उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। और उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

बहुत कोशिशों बाद कोलमाइन्ज वैलफैयर आर्गनाइजेशन को कोल मिनिस्ट्री के अन्तर्गत लाया गया है। उसी तरह से लगातार मांगों के बाद कोलामाइन्ज प्राविडेंट फंड आर्गनाइजेशन को भी लेबर डिपार्टमेंट से कोलडिपार्टमेंन्ट में लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अब पूरा कोयला उद्योग नेशनललाइज हो गया है, तो इन आर्गनाइजेशन को कोल इंडिया के नियंत्रण में ही अब दे देना चाहिए।

वाशरीज के कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम को तत्काल पूरा करना चाहिए। हमें खबर मिली है कि सुदामडिह वाशरी का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, लेकिन रेलवे वैगन्ज सप्लाई न होने के कारण वह अभी तक चालू नहीं हो पाई है। केदला झारखंड और रामगढ़ की वाशरीज की योजना एक्सक्लूसिवली बोकारों स्टील प्लांट के लिए बनाई गई थी, मगर यह खटाई में पड़ी हुई है। जब इस साल के बजट में को सेक्टर के लिए अधिक एलोकेशन है, तो वाशरीज के हुई है। जब इस साल के बजट में कोल सेक्टर के लिए अधिक एलोकेशन है, तो वाशरीज के

कंस्ट्रक्शन के काम को फौरन पूरा किया जाना चाहिए, ताकि स्टील प्लांट्स के लिए बाहर से कोयला मंगाने की भविष्य में न पड़ें।

डा. वी. कुलनदई वेलु (चिदम्बरम्) : सभापति महोदय, डी. एम. के. की ओर से मैं वर्ष 1980-81 के लिए ऊर्जा मंत्रालय तथा कोयला विभाग की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहूँगा।

यह एक विवादरहित तथ्य है कि देश के औद्योगिक विकास और हरित क्रान्ति में ऊर्जा मंत्रालय को एक अहम रोल अदा करना है। बिजली के बिना उद्योगों का चक्का जाम हो जाता है। पेट्रोलियम की लगातार बढ़ती जा रही कीमतों की परिस्थिति में वह दिन जल्दी ही आ रहा है जब विद्युत शक्ति को पेट्रोल की जगह लेनी होगी। दुनिया के अनेक देशों में, और ज्यादा विद्युत शक्ति पैदा करने के विभिन्न साधनों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर अनुसंधान कार्य हो रहा है.....

सभापति महोदय : क्या मैं यह बात माननीय सदस्य महोदय के नोटिस में ला सकता हूं कि उन्हें सिर्फ आठ मिनट दिए गए हैं ? यदि वह इसे पढ़ते हैं तो संभवतः इसको पूरा कर पाना उनके लिए कठिन होगा वह केवल मुद्दे उठाने की कृपा करें।

डा. वी. कुलनदई वेलु : मेरा दूसरा मुद्दा तमिलनाडु में बिजली की स्थिति के सम्बन्ध में है जहाँ बिजली की लगातार कमी रही है; वहाँ बिजली की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है; कुप्रशासन के कारण इस जबर्दस्त संकट का सामना कर रहे हैं।

हमारा देश बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध पन बिजली की क्षमता के शतप्रतिशत उपयोग के स्तर पर पहुँच गया है। विश्व बैंक ने भी अधिकतम सीमा तक पन बिजली पैदा करने में भारत के प्रयासों की सराहना की है।

अब हमें ताप बिजलीघरों और आणविक विद्युत केन्द्रों पर अधिकाधिक रूप से निर्भर करना है। यह बात अब निश्चित हो गई है। कि हमारे आणविक विद्युत केन्द्रों को संसाधित यूरोनियम की सप्लाई के लिए अमरीका पर निर्भर रहना है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दलदल में फंस कर रह गई है संसाधित यूरोनियम की कमी के कारण तारापुर आणविक संयंत्र को बन्द किए जाने के बारे में हम सुनते रहे हैं।

कल पक्कम आणविक संयत्र का निर्माण अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यद्यपि इसे बीस वर्ष पहले शुरू किया गया है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम अपने उद्योग की विद्युतसम्बन्धी आवश्यकताओं को पूराकरने के लिए आणविक बिजली पर निर्भर नहीं कर सकते। हमारे पास केवल ताप बिजलीघर रह जाते हैं। हमारे ताप बिजलीघर अपनी संस्थापित क्षमता की तुलना में केवल 40 प्रतिशत बिजली पैदा करते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला यह है कि हमारे कोयले में राख का अंशअधिक है और दूसरा यह है कि हमारे अनेक ताप संयंत्रों में तकनीकी खामियां हैं। हमारी सरकार ने खासतौर पर ताप संयंत्रों में उपयोग में लाने के लिए राख के कम अंश वाला कोयला आस्ट्रेलिया से आयात किया है।

तकनीकी खामियों के बारे में, मैं इन्दौर ताप संयंत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। भारतीय इन्जीनियरों द्वारा किए जा रहे मरम्मत कार्यों पर विदेशी निर्माताओं ने आपत्ति की है। आम

आदमी के रूप में हम इस तरह की दलीलों को नहीं समझ पाते। लेकिन एक बात हम जानते हैं और वह यह है कि इन्जौर ताप संयंत्र का उत्पादन सबसे अधिक निम्नतर स्तर पर पहुँच गया है जब तमिलनाडु में 60 प्रतिशत तक बिजली की कटौती होती है तो उसका गंभीर अथ होता है। बिजली की कमी के कारण उद्योग शिथिल पड़ रहे हैं। जब हम मैट्टूर बिजली घर की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो कर्नाटक सरकार कुछ आपत्तियां उठा देती है और नदी जल-विवाद के कारण योजना रुकी पड़ी है।

संकट की इस घड़ी में, मैं केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय हित में इस मामले के मैत्रीपूर्ण निपटारे के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, यदि समूचा तमिलनाडु बिजली की कमी के कारण निष्क्रिय हो जाता है तो क्या आप समझते हैं कि पड़ौसी राज्य फल-फूल सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं ?

महोदय, आप जानते हैं कि तमिलनाडु के ताप संयंत्रों के लिए कोयला दूसरे राज्यों से आना होता है हमारे अपने राज्य में कोयला खानें नहीं हैं। हमने यह बात देखी है कि कई मौकों पर हमारे ताप संयंत्रों में सिर्फ एक सप्ताह के लिए कोयले का भण्डार था। हमारे ताप बिजली घरों के लिए कोयले की सप्लाई के लिए राज्य सरकार को नई दिल्ली स्थित कोयला विभाग के पास जाना होता है। महोदय, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोयले की कमी के कारण मौजूदा ताप बिजलीघर बन्द न हो जाएं। मैं एक बात का अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा राज्य बिजली उत्पादन के लिए कोयले के लिए पूरी तरह दूसरे राज्यों पर निर्भर है और कोयले की अनियमित सप्लाई के कारण इस सम्बन्ध में हमने बहुत अधिक नुकसान उठाया है।

महोदय, नेवेली में दूसरे ताप बिजलीघर को मंजूरी दिए जाने के लिए हम केन्द्रीय सरकार के आभारी हैं परन्तु कृषि कार्यों के लिए, उद्योगों तथा घरेलू उपयोग के लिए बिजली की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इस दूसरे ताप बिजलीघर को अपनी क्षमता 1500 मेगावट तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त धनराशि दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं दूसरी 'माइन कट' के लिए, जो कि लिग्नाइट का मूल स्रोत है, और अधिक अनुदान दिए जाने की मांग करना चाहूंगा। यह लिग्नाइट बिजली पैदा करने, यूरिया के उत्पादन, ब्रिकेटिंग और लेको उत्पादन के लिए लाभदायक है। लिग्नाइट के उपलब्ध स्रोत हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत अपर्याप्त हैं। इसलिए इसके लिए अतिरिक्त अनुदान दिए जाने चाहिए। दूसरा 'माइन कट' अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़े पैमाने पर होना चाहिए।

तमिलनाडु में दो बिजलीघर और विचाराधीन पड़े हुए हैं जिनमें से एक मेट्टूर में है। यहां भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है परन्तु कार्य निष्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कार्य का शीघ्र क्रियान्वयन और निष्पादन पूर्णतया आवश्यक है।

महोदय, हम यह भी सुनते हैं कि समुद्र के पानी से पन बिजली तैयार की जा सकती है। मैं मंत्री महोदय से इस बात का अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक बिजली घर पाण्डिचेरी में और दो तमिलनाडु में समुद्र के पानी से बिजली तैयार करने के लिए स्थापित किए जाने चाहिए।

इन्नौर तापीय आणविक बिजलीघर के सम्बन्ध में स्थिति इतनी खराब है कि वहां उत्पादन

बहुत कम हो गया । है । इसलिए इस सम्बन्ध में स्थिति सुधारने के लिए सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए ।

इसलिए, पर्याप्त मात्रा में बिजली तैयार किए जाने के सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्री अनन्त रामुल मल्लु (नगर कूरनूल) : सभापति महोदय, मुझे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाये ।

श्रीमान्, मैं ऊर्जा तथा कोयला मन्त्रालयों की मांगों का समर्थन करता हूं,। इस बारे में मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । तीन वर्ष के जनता शासन में बिजली तथा कोयले का उत्पादन अत्यन्त घट गया है । प्रगति तथा समृद्धि के कोयला तथा बिजली उतनी ही आवश्यक है जितनी मनुष्य के लिए हवा और पानी की आवश्यकता है । श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सत्ता सम्भालने के बाद उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा कर रही हैं । काफी हद तक हमने क्षति पूर्ति कर ली है ।

तीन वर्ष के जनता शासन में इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन में लगभग 46% से 50% कमी आई । अपने गतिशील प्रधान मन्त्री के प्रयत्नों से स्थिति काफी हद तक सुधर गई है तथा बिजली और कोयले का उत्पादन 3% बढ़ गया है । मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय तथा सम्बद्ध व्यक्तियों को बधाई देता हूं जनता शासन के दौरान उत्पादन की कमी का मुख्य कारण समन्वय की कमी थी । हमारे माननीय प्रधान मन्त्री विभिन्न मन्त्रालयों में समन्वय स्थापित करने के लिए मन्त्रिमंडलीय समिति गठित की है जिसके परिणाम थोड़ी अवधि में ही निकलने लग गये हैं । इस सामयिक निर्णय के लिये प्रधान मन्त्री बधाई की पात्र हैं । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कर्मचारियों के प्राशिक्षण का वृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है । श्रीमान, सभी राज्य सुपर ताप बिजली गृहों के निर्माण के लिए अपने दावे कर रहे हैं । केन्द्र को राजनीतिक दबाव से झुकना नहीं चाहिये अपितु बिजली तथा कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर सुपर थर्मल पावर स्टेशनों का निर्माण करना चाहिए । तभी हम इन सुपर थर्मल पावर स्टेशनों से लाभ उठा सकते हैं । अन्यथा हमें लाभ के स्थान पर हमें पर्याप्त घाटा उठाना पड़ेगा ।

केन्द्र को अधिक उत्पादन वाले राज्यों से कम राज्य वाले राज्यों को बिजली देने का अधिकार है । यदि कमी वाले राज्यों को बिजली नहीं दी जाती तो वे राज्य सदा पिछड़े राज्य बने रहेंगे तथा फालतू बिजली अप्रयुक्त रहेगी । इस प्रकार समाजवाद नहीं लाया जा सकेगा तथा उसके बिना हमारा विनाश होगा, देश में समान विकास नहीं हो पायेगा । इसलिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना आवश्यक है ताकि पूरे देश की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने देश के 42% गाँवों को ले लिया है परन्तु अभी पूरे ग्रामीण भारत को बिजली देने के लिए काफी कार्य करना है बेशक पाँचवीं योजना के दौरान विद्युतीकरण के लिए पांच करोड़ रुपया आवंटित किए गये थे, परन्तु, ऐसी बस्तियों के जिनमें बिजली दी जा चूकी है परन्तु उनके साथ लगी हरिजन बस्तियों को अभी बिजली नहीं

*तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

दी गई। अधिकारी लोग इसमें पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे। इसलिए सरकार को हरिजन बस्तियों को यथ.शीघ्र बिजली देनी चाहिए।

श्रीमान, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षणों के नियम को राज्य बिजली बोर्डों में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। सरकार को इस आरक्षण कोटे को उचित क्रियान्विति के लिए इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए।

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को 285.20 करोड़ रुपये का आवंटन बिजली उत्पादन के व्यापक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त नहीं है।

श्रीमान, मेरे राज्य को बिजली के उत्पादन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है भद्रचलम के निकट मंगूर में थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास 1976 में किया गया था परन्तु अभी तक वहाँ पर कोई प्रगति नहीं हुई है। कोयले की खाने निकट हैं। थर्मल पावर स्टेशन के लिए यह स्थल आदर्श है। सरकार को इस परियोजना को मन्जूरी देने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। हमने काठगुन्डम तथा रामागुन्डम में अतिरिक्त थर्मल स्टेशनों के लिए प्रार्थना की थी। हमने नागर्जुन सागर (लेफ्ट) बांयी नहर पन बिजली परियोजा चरण में पोचमपद तथा श्रीसेलव परियोजना के लिए प्रस्ताव भेजे हैं परन्तु दुर्भाग्य से बार-बार अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद भी परियोजनाएं भारत सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई हैं। मेरे राज्य में बिजली की भारी कमी के कारण क्या मन्त्री महोदय तुरन्त पर्याप्त सहायता देंगे ताकि हम पड़ोसी राज्यों को बिजली दें सकें।

गोदावरी नदी पर इच्छमपल्ली परियोजना का भी प्रस्ताव है। इस परियोजना से न केवल मेरे राज्य को अपितु महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्यों को भी लाभ पहुँचेगी। इस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इसे तुरन्त मन्जूरी देंगे।

एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वह ठेका श्रमिक पद्धति के बारे में है। इस समय ठेकेदार श्रमिकों का खून चूसते हैं। जबतक इस श्रमिक प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाता श्रमिक वर्ग का ठेकेदारों के हाथों शोषण होता रहेगा। पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन में बोलते हुए दिवगत श्रम मन्त्री दामोदरम संजीवैया ने बल पूर्वक इस श्रमिक प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। मुझे उम्मीद हैं कि वर्तमान सरकार जो गरीबों के शोषण को रोकने के लिए वचनबद्ध है, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए उचित कानून लायेगी।

मेरे राज्य में 16000 छोटे गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया। यह तर्क देते हुये कि आन्ध्र प्रदेश विकसित राज्य है। कोई अनुदान नहीं दिया गया। मुझे खेद है कि कोयले के उत्पादन में पर्याप्त कमी आई है। मुख्यत: जनता सरकार द्वारा कुप्रबन्ध के कारण ऐसा हुआ है। वर्तमान सरकार के निरन्तर प्रयत्नों के फलस्वरूप सरकार कोयले का उत्पादन 3.04 करोड़ टन से 3.08 करोड़ टन बढ़ा सकी। इस वर्ष 20 करोड़ टन वृद्धि हुई है कहा गया है कि थर्मल बिजली घर कोयले की कमी के कारण पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर कर रहे। इसलिए यह आवश्यक है थर्मल पाथर स्टेशनों को बिना व्यवधान के कोयला दिया जाये। इस उद्देश्य के लिए 1500 माल डिब्बों की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्रालय आवश्यक माल डिब्बे देगा।

बिजली के बिना सभी आर्थिक गतिविधियां थम जाती हैं। इसलिए थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की अवधि सप्लाई तुरन्त की जानी चाहिए। हमें बताया गया है कि श्रमिक झगड़ों तथा दुर्घटनाओं के कारण उत्पादन में कमी आई है। मैं औद्योगिक गतिविधियों में अनुशासन का पक्षपाती हूं परन्तु साथ ही कार्मिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की अवहेलना न की जाये। ये वही लोग हैं जो अपना जीवन देकर अधिक कोयले का उत्पादन करते हैं तथा देश की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसलिये मैं श्रम कल्याण योजनाएं चालू करने के लिये सरकार से निवेदन करता हूँ। उन्हें भी आवास दिये जाने चाहिए। कार्मिकों की समस्याओं पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रीमान, हमारी कोयला के अपने बिजली घर होने चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि बिजली में कटौती हो जाने से कोयले की निकासी घट जाती है। यदि खानों के अपने बिजली घर होते हैं तो उन्हें रोका जा सकता है। कोयला खानों में सीमेंट तथा इस्पात की सप्लाई बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान सप्लाई बहुत कम है बहुत से राज्य कोयला खानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने को तैयार नहीं हैं. हमारे मार्क्सवादी मित्र इस उद्योग के बारे में बहुत शोर कर रहे हैं तथा समाजवाद और लोकतंत्र पर बहुत से भाषण दे रहे हैं। परन्तु वह इस तथ्य को भूल रहे हैं कि उनके राज्य ने भूमि अधिग्रहण करने तथा अधिक उत्पादन करने की कोई कार्यवाही नहीं की। राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए केन्द्र के पास अधिक शक्तियों का रहना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस उद्देश्य के लिए विधेयक पुरः स्थापित किया

हमें रेल सुरक्षा बल के समान कोयला सुरक्षा बल अवश्य रखना चाहिए।

कोयला खानों में प्रयुक्त होने वाली सभी वस्तुएं जैसे टोकरियाँ, जूते इत्यादि स्थानीय उत्पादकों से सीधे खरीदी जानी चाहिए। अभी तक जूते पंजाब हरियाणा से आते हैं। इस नीति से बिचौलियों लाभ पहुँचाता है। इन बिचौलियों को समाप्त करके स्थानीय उत्पादकों से खरीद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

हरिजनों को भी विक्रेता नियुक्त किया जाना चाहिए। अभी तक कुछ ही व्यक्ति विक्रेता के रूप में लाभ कमा सके हैं। आगे यह स्थिति जारी नहीं रहना चाहिए।

श्रीमान कोयला खानों की अपनी परिवहन न्यवस्था करनी चाहिए।

नौकरियों में आरक्षणों को ठीक तरह क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। इस बारे में वार्षिक रिपोर्टों में कोई उल्लेख नहीं है। इंजीनियर्स इंडिया लि. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्तियाँ आदि देकर प्राशिक्षण दे रही हैं। यह महत्वपूर्ण बात है तथा इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा। बहुधा अनुसूचित, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को इसलिये रोजगार नहीं दिया जाता कि उनके पास तकनीकी अहर्ताएं नहीं हैं। अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को तकनीकी अहर्ताएं देने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। उसके बाद उन्हें विभिन्न उद्योगों में खपाया जाना चाहिये।

हमारे माननीय मन्त्री श्री अब्दुल गनी खान चौधरी गतिशील व्यक्ति हैं वह शीघ्र निर्णय के लिये प्रसिद्ध हैं। मैं न केवल उनके मंत्रालय में अपितु पूरे देश की प्रगति में सहयोग देने को तत्पर हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उत्पादन दुगना हो जायेगा। सभापति महोदय मैं यह अवसर दिये जाने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बुद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, ऊर्जा और कोयला मंत्रालय से सम्बन्धित जो मांगे यहां पर रखी गई हैं, उनके समर्थन में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अभी हमारे राज्य मत्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया, उससे भी यह स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है कि विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से और कोयले के उत्पादन की दृष्टि से हम उन्नति की ओर नहीं जा रहे हैं। कोयले का उत्पादन जो 1976 में था और जो आज है—स्थिति बिलकुल स्टेगमेंट है। कोयले के प्रोडक्शन में कोई इन्क्रीज नहीं हुई है, कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, यदि कुछ हुई भी है तो वह बहुत साधारण बढ़ोत्तरी है। इसी प्रकार विद्युति के उत्पादन में भी हम आगे नहीं बढ़े हैं। अभी जो पिक्चर बतलाई गई-उसके अनुसार इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक कुछ बड़ा है।

मेरे राजस्थान प्रान्त के बारे में जनवरी से लेकर जून तक विद्युत की दृष्टि से जितना कष्ट हमने उठाया है, वैसा कष्ट हमने कभी भी नहीं उठाया। इसका क्या कारण था ? हमारा जो कोटा में एटामिक प्लांट है, उसकी हालत बहुत खराब है। फरवरी और मार्च के महीने में तो 20-22 दिन तक बन्द रहा, उनके सामने मकैनिकल डिफिकल्टी थी, टैकनीकल डिफिकल्टी थी और उनकी मेन्टेनेन्स की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे प्लांट्स हैं-राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध-इनमें पानी की कमी के कारण स्थिति खराब हुई। कुछ तो जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ- उन्होंने चम्बल का पानी इरिगेशन परपजेज के लिये दे दिया, जिससे पानी की कमी हो गई और बिजली का पूरा उत्पादन नहीं हो सका। कोयले की स्थिति वैसे ही बहुत खराब रही।

हमारे राजस्थान में एक कठिनाई यह है कि हमारा कोई भी पावर हाउस अपने आप में इण्डिपेण्डेन्ट पावर हाउस नहीं है, उन पर हमारा इण्डिपेण्डेन्ट कन्ट्रोल नहीं है। जैसे चम्बल का मध्य प्रदेश में है. भाखड़ा का पंजाब में है और बदरपुर का दिल्ली में है, हमारा खुद का उनपर कोई इण्डपेण्डेन्ट कन्ट्रोल नहीं है। हम यह चाहते हैं कि एक नेशनल ग्रिड की स्थापना शीघ्र से शीघ्र की जाय। परन्तु मुझे विश्वास नहीं है कि आप कोई ऐसा बोल्ड-स्टेप उठा पायेंगे। यदि आप वास्तव में ऐसा बोल्ड स्टेप उठाते हैं तब तो यह सभी प्रान्तों के हित में होगा, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जो आपको ऐसा बोल्ड स्टेप उठाने नहीं देगें। जो राज्य प्रोग्रेसिव हैं, जो ज्यादा बिजली उत्पादित करते है, वे नेशनल ग्रिड स्कीम का विरोध करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके यहां जो सरप्लस बिजली होती है, उसे दूसरे प्रान्तों को दिया जाय। इसलिये जो नेशनल ग्रिड की स्कीम आप बनाने जा रहे हैं आपकी वह योजना सफल हो, हमारे प्रान्त को भी बिजली मिल सके-ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब आप देख लीजिए हमारे राजस्थान प्रान्त को, जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूँ आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाड़मेर और जैसलमेर का जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। 33 हजार वर्ग मील में वह फैला हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि जैसलमेर जिले में 0.6 प्रतिशत विलेजेज इलेक्ट्रिफाइड हैं यानी 500 गांवों में से केवल तीन गांव ही इलेक्ट्रिफाइड हैं। यह स्थिति उस जिले की है और बाड़मेड़ जिले की भी यह स्थिति है कि 865 गांवों में से केवल 65 गांव ही इलेक्ट्रिफाइड हैं यानी 5-6 प्रतिशत विलेजेज इलक्ट्रिफाइड हैं। अभी जो हमें इन्फार्मेशन मिली है परफार्मेन्स बजट से, 1980-81 के बजट से उससे यह मालूम हुआ कि देश में 42.3 प्रतिशत विलेजेज इलक्ट्रि

फाइड हैं। इस तरह से आप यह देखें कि हम कितने पीछे हैं परन्तु इसके साथ ही मैं केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम है, उस आर०ई०सी० प्रोग्राम के अन्तर्गत हमारे बाड़मेड़ जिले में कुछ काम शुरु हुआ है। इस के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ गांवों का इलैक्ट्रिफिकेशन इस प्रोगाम के अन्तर्गत होना है और वे गांव हैं सिवाना, वायूत, सिन्दरी और पोरीमना इन गांव की इलक्ट्रिफिकेशन की स्कीम में मजूर हुई हैं परन्तु मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कीमें मंजूर हुई हैं इन का इम्पलीमेटेशन ठीक तरह से हो। यह राजस्थान गवर्नमेंट का फंकशन है परन्तु मैं आप को यह याद दिलाना चाहता हू कि अगर वहां की गवर्मेंट ठीक तरह से फंकेशन न करे, तो उसको आपको देखना चाहिए क्योंकि हमने यह देखा है कि राजस्थान गवर्नमेंट की अवहेलना का जो परिणाम हुआ है वह यह है कि 500 गाँवों में से सिर्फ 3 गांवों का ही इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि ये जो आर०ई०सी० की स्कीमें मंजूर हुई हैं, उन का इम्पलीमेटेशन तीव्र गति से और युद्ध स्तर पर होना चाहिए। अगर सही ढंग से इम्पलीमेंटेशन हुआ तो हमारे जिले के जो 400 से ज्यादा गाँव हैं, वे इलैक्ट्रिफाई हो सकेंगे। यह अच्छी साइन है और मैं इसको अच्छा सगुन मानता हूं कि ये स्कीमें मंजूर की गई हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में बीकानेर और पलाना में लिगनाइट के काफी भंडार हैं और उस लिगानाइट के बारे में पहले भी सर्वेक्षण हुआ है और पहले भी इस सम्बन्ध में योजना बनाई गई थी परन्तु यह मान कर कि यह एकोनोमीकल नहीं होगा, उसको ड्राप कर दिया गया। अब जबकि कोयला महंगा हो गया है, उस दृष्टि से पलाना में जो लिगनाइट के भंडार हैं उनका सर्वेक्षण करना चाहिए। मुझे यह भी मालूम पड़ा है कि टैकनीकली एग्जामिन कर के जो सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी एजेन्सी है, उस ने इस को साऊन्ड माना है। इसके लिए फाइनेन्सेज सैंक्शन कर के इस काम को तीव्र गति से चालू करना चाहिए क्योंकि हमारे यही सोर्स थर्मल प्लान्ट का है। यह सोर्स बन कर हमारे पश्चिमी क्षेत्र को विद्युत दे सकता है। हाइड्रो के बारे में मैंने पहले भी बताया है और एटामिक प्लान्ट के बारे में भी बताया है। इस के बारे में टेकनीकल नो-हाऊ टेकनीकल जानकारी न होने क कारण वह शट डाऊन होता रहता है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी एजेन्सी है, वह टेक्निकल नो-हाऊ को जानती है और इसलिए वह खुद इस को देखे, उस के इंजीनियर्स जा कर वहाँ देखें कि इस में क्या खराबी है। बार बार वह क्यों खराब होता रहता है और यह देखा जाए कि क्या कोई पर्मानेन्ट सोल्यूसन इस प्रकार का हो सकता है जिससे इस एटोमिक प्लान्ट को ठीक किया जाए। एटोमिक प्लान्ट का जो सैकेन्ड स्टेज है, उस के बारे में भी स्कीम सैंकशन हुई है और अभी तक वह वर्क कम्पलीट नहीं हुआ है और हैवी वाटर के कारण वह काम रुका हुआ है। तो वह जो एटोमिक प्लान्ट नम्बर दो है, वह काम भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

मैं एग्रीकल्चरिस्ट्स के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। एग्रीकलचरिस्ट्स से राजस्थान में बिजली के लिए मिनिमम चार्जिज लिये जाते हैं। राजस्थान में तो मिनिमम चार्जिज के बारे में स्थिति है, और प्रांतों में भी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लड आ जाता है या और दूसरे कारण हो जाते हैं जिनसे बिजली नहीं पहुँचती है। उस समय भी जो मिनिमम चार्ज हैं वे ले लिये जाते हैं। इसमें ऐसा प्राविजन होना चाहिए कि जब किसान को बिजली नहीं मिले तब उससे मिनिमम चार्ज वसूल नहीं किये जाएं। यह स्थिति होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उद्योगपतियों की तरफ अगर एरियर्स हों तो उनके कनेक्शन नहीं काटे जाते हैं लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट्स की तरफ अगर कुछ एरियर्स हुए तो उनके एकदम कनेक्शन काट दिये जाते हैं। यह राजस्थान प्रान्त के बारे में मैं कह रहा हूँ। और प्रान्तों में भी यह स्थिति हो सकती है। मेरा कहना यह है कि ये रूल्स हैं वे तो ठीक हैं लेकिन उनके इम्प्लीमेन्टेशन में दिक्कत होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स का तो हम पक्ष लेते हैं मगर एग्रीकल्चरिस्ट्स को हम कोई सुविधा नहीं देते। अगर किसी एग्रीकल्चरिस्ट की तरफ एरियर्स हों तो उसे कम से कम तीन नोटिस देने चहिए। उसके बाद ही उसका कनेक्शन काटें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि विद्युत की दृष्टि से, कोयले के उत्पादन की दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। हमने टारगेट तो बिजली का बनाया है लेकिन अभी तक देश में तीस हजार मेघावाट शक्ति है। अगले पाँच वर्षों में हमने बीस हजार मेघावाट बिजली और पैदा करने की स्कीम बनायी है। जब तक हम पूरी प्लानिंग से, पूरी शक्ति से नहीं चलेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कोयला और ऊर्जा मंत्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं।

श्री वि. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वत्तीपुरम) : सभापति महोदय, ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान की माँगों के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज देश में ऊर्जा की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। इस कारण से वर्तमान उद्योगों के बन्द होने का खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे देश की अर्थ व्यवस्था की विकास गति कम हो जायेगी। माननीय मन्त्री, इस बात से परिचित है कि उनके कन्धों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे देश में औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक आधार निर्माण करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

आज की स्थिति के अनुसार जल-विद्युत का उत्पादन बहुत कम है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तीन दशकों के पश्चात आज भी हमें इसके उत्पादन के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है यह जुए जैसा है और कृषि के क्षेत्र में भी यही बात है। तापीय शक्ति और उत्पादन की स्थिति भी शोचनीय है। माननीय राज्य मन्त्री श्री विक्रम महाजन ने कुछ समय पहले यह बात बहुत सुगमता से कह दी थी कि राज्यों में उत्पादन क्षमता 30-35 प्रतिशत है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दामोदर घाटी परियोजना में कितना विद्युत उत्पादन है? क्या यह भी राज्य का एक उपक्रम है? इसका क्या कारण है कि इस परियोजना में विद्युत उत्पादन की स्थित बड़ी खराब है, यह केवल 30-35 प्रतिशत ही है। कई अवसरों पर मैंने सुना है और समाचार पत्रों में मन्त्री महोदय के वक्तव्यों को पढ़ा है जिसमें उन्होने सारा दोष कोयले के उत्पादन पर लगा दिया है। आप यह कहते आ रहे हैं कि कोयले की क्वालिटी खराब होने के कारण बिजली उत्पादन की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे विचार से जिस कोयले का उत्पादन हम कर रहें हैं उसमें राख की प्रतिशतता अधिक है उसमें 35 से 40 प्रतिशत राख होती है। किन्तु सारे कोयले में ऐसा नहीं होता है। कई तापीय विद्युत एककों का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि उसमें 35 से 40 प्रतिशत राख वाले कोयले का उपयोग किया जा सकता है। मेरा विचार है और मन्त्री महोदय की भी ही राय है कि सुपर थरमल स्टेशन भी ऐसे स्थानों पर लगाये जाने चाहिए जहाँ अच्छी किसम का कोयला उपलब्ध हो। इस सम्बन्ध में उन्होंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया है

कि कल्चर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अच्छी किसम का कोयला उपलब्ध है और वह चाहते हैं कि सुपर थरमल स्टेशन वहीं पर स्थापित किया जाये। किन्तु मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष कल्चर उर्वरक संयंत्र को क्यों बन्द करना पड़ा था क्या यह बिजली के उपलब्ध न होने के कारण था किन्तु वहाँ अच्छी किस्म का कोयला तो उपलब्ध था ? क्या आपका थर्मल संयंत्र चलाया नहीं जा सकता था ? मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कोयला और अन्य बातों के अतिक्ति थर्मल पावर स्टेशनों को चलाने में रख रखाव और अनुशासन सम्बन्धी गम्भीर समस्यओं का भी सामना करना पड़ता है।

धनबाद की कोयला खानों में मुख्यत: दमोदर घाटी परियोजना से बिजली मिलती है। ऊर्जा और कोयला तो एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि कोयले की खानों में बिजली की सप्लाई नहीं दी जाती तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि कोयले का उत्पादन बढ़ेगा और कोयले की किस्म में सुधार होगा ? जब कोयले की खानों को केवल 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत बिजली ही दी जाती है और वह भी दिन में 10 अथवा 15 बार की बिजली कटौती के साथ तो ऐसी अवस्था में आप उत्पादन वृद्धि की आशा कैसे करते हैं ? मैं माननीत मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोयला खानों को कम से कम भविष्य में प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई दी जायेगी। ऐसा पहले तो नहीं किया जा रहा है। वह अपने अन्य सहयोगियों के परामर्श से ऐसे क्या उपाय कर रहे हैं कि कोयला खानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली उपलब्ध की जा सके ? हमारी गैर कोककारी धोवनशालाओं की संख्या भी बहुत कम है। यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश में एक धोवनशाला है। धोवनशालाओं के अभाव में आप कोयले की किस्म कैसे सुधार सकते हैं ? यदि धोवनशालाएं उपलब्ध भी हों तो यदि आप उन्हें समुचित बिजली की पूर्ति नहीं करते और अगर बिजली की कटौती भी होती रहे, तो आप इन धोवनशालाओं से भी अच्छी किस्म के कोयले की आशा नहीं कर सकते हैं। यह ऐसी अनेक प्रकार की व्यवहारिक बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना होगा।

अब मैं कोयले के बारे में कहना चाहता हूँ माननीय मन्त्री यह मानेंगे कि पिछले 2 अथवा 3 वर्षों अथवा कुछ वर्षों में केन्द्रीय और पश्चिमी कोयला क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन काफी अच्छा रहा है। वास्तव में पश्चिमी और केन्द्रीय कोयला क्षेत्रों में कोयला उत्पादन के आंकड़े काफी सम्मान जनक रहे हैं, किन्तु वास्तविक समस्या तो भारतीय कोककारी कोयला लिमिटेड और रानीगंज में पूर्वी कोयला क्षेत्रों के बारे में है आप उन कारणों को जानते हैं क्यों कि आप पिछले छ: महीनों में इस मन्त्रालय का कार्य देख रहे हैं।

पूर्वी कोयला क्षेत्र तथा वी. सी. सी. एल. की प्रमुख समास्याएं केवल बिजली की ही नहीं है। विस्फोटक पदार्थों की भी कमी थी। धनबाद में तथा बिहार क्षेत्रों में तथा पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति भी गम्भीर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अधिक कर्मचारियों तथा सुरक्षा जैसी अन्य अनेक समस्याएं भी हैं।

इन खानों को चलाना बड़ा कठिन कार्य है क्योंकि उनमें गैस भी है। नियमित बिजली की सप्लाई के बिना ये खानें चल नहीं सकतीं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इन कोयला खानों में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहते हैं। क्या गृह मंत्रालय का कोई अधिकारी राज्य सरकारों से समन्वय रखने जा रहा है ? आप यह कह कर

इसे टाल नहीं सकते कि यह मामला राज्य सरकारों का है यह महत्वपूर्ण मामला है जिसमें हमारे औद्योगिक विकास का पूरे देश के साथ सम्बन्ध है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसलिए यह कह कर कि कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है इसे राज्य सरकारों पर छोड़ने के बजाय वह हमें बतायें कि वह इस मामले में क्या विशेष कार्यवाही करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं स्वय जानता हूं कि कई मामले ऐसे हैं जो हाथ में नहीं लिए गये । आप इन क्षेत्रों में विद्यमान समानान्तर संगठनों के बारे में जानते हैं। पूर्वी कोयला क्षेत्रों तथा बी. सी. सी. एल. में इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय बरते जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण समस्या माल डिब्बों की उपलब्धता के बारे है। यह समस्या सदा बनी रही है। ऐसी बात नहीं है कि पहले हजारों माल-डिब्बे उपलब्ध थे। हो सकता है हमारी माँग बढ़ गई हो। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें नौवहन का अधिक उपयोग करना चाहिए। बहुत समय से हल्दिया पत्तन कार्य नहीं कर रहा था जिसके परिणाम स्वरूप इसमें जहाज नहीं चल सके। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि आप सड़कों के माध्यम से बहुत सा कोयला भेज रहे हैं। आपने विशेष रूप से दक्षिण में कोयला जमा भी किया है जोकि दक्षिण की आवश्यकता को पूरा करेगा।

यह सिंगहौली कोलियरी कारपोरेशन, जोकि केन्द्र तथा राज्य सरकार का संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, से मूलतह यह उम्मीद की जाती थी कि यह दक्षिण की सारी आवश्यकता को पूरा कर सकेगा परन्तु किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि आपकी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार किस तरह कार्य कर रही है। सिंगौली खान कोई अपवाद नहीं है। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं । एक बार मैं मद्रास गया। कोयले के उपलब्ध होने के बारे में एक विज्ञापन था। मैंने स्वयं टेलीफोन करके इसकी जाँच की। मुझे बताया गया "कि निजी विक्रेता के पास कितना भी कोयला अतिरिक्त मूल्य पर लिया जा सकता है।" निःसन्देह केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश की सिंगरौली कोयलाखान के लिए काफी धनराशि देती है और यदि राज्य सरकार अथवा स्थानीय अधिकारी इस प्रकार कोयले का दुरुपयोग तथा चोर बाजारी करते हैं तो केन्द्रीय सरकार तथा आपके मत्रालय का कार्य सुनिश्चित करना है कि इस खान द्वारा उत्पन्न कोयले का उपयोग न किया जा सके। इस तरह मुझे आशा है कि आप इसकी जांच कराकर यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसा न हो। आपको मालूम है कि आपकी राज्य सरकार तथा मुख्या मंत्री किस प्रकार कार्य कर रहे हैं; वैसी ही कार्यवाही उन्होंने सिंगरौली खाद्यान के बारे में की है (व्यवधान) प्रो० रंगा मैं जानता हूं कि आपका उसमें हाथ नहीं है; आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

बिजली की विद्यमान कठिनाईयों के साथ, विशेष रूप से कोयला खानों के लिये, अन्य समस्याएं भी हैं, फिर भी विशेष रूप से 30 सी. एफ. और बी. सी. सी. एल में कुछ खुले मुँह वाली खानों की स्थापना से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ई. सी. एफ तथा बी. सी. सो. एल. क्षेत्र में खुले मुँह वाली खानों की स्थापना करके कोयले का उत्पादन बढ़ाये जाने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं। चूंकि आपने मुझे थोड़ा सा समय दिया है, इसलिये मैंने सामान्य रूप से कुछ बातें कहीं हैं।

समाप्त करने से पूर्व धनबाद के बारे में मैं एक दो बातें जानना चाहता हूं। धनबाद में आपका कोयला ईंधन अनुसंधान केन्द्र है। पहले एक प्रस्ताव था कि कोयले को तरल रूप में परिवर्तित करके ईंधन का रूप दिया जाये परन्तु बाद में इस प्रक्रिया को महंगा पाया गया। परन्तु अब मुझे पता चला है कि आस्ट्रेलिया, क्वीन्सलैंड में एक फर्म ने इस प्रकार की प्रौद्योगिकी में दक्षता प्राप्त की है जिसे अब आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोयला ईंधन अनुसंधान केन्द्र के अधिकारी इस परियोजना के बारे में कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री मोतीलाल सिंह (सीधी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के अन्दर कोयले के बहुत खाद्यान हैं। मध्य प्रदेश के सरगुजा, शहडौल, सीधी जिले में सिंगरौली कौलरी जिनमें कोयले का भण्डार भरा हुआ है, लेकिन बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां का सर्वेक्षण अभी पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया है।

पश्चिमी कोयला क्षेत्र में कुल उत्पादन का 80 या 90 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश की कोयला खानो से होता है, परन्तु इसका जो मुख्यालय है, वह अपने मध्यप्रदेश न होकर महाराष्ट्र में नागपुर में है। इस तरह से मध्य प्रदेश का विकास विशेष रूप से सही नहीं हो पाता है। जितना मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिये, वह समुचित ढंग से नहीं हो पाता है क्योंकि रोजगार के मामले में क्षेत्र या प्रान्त के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। इसी तरह से सिंगरौली कौलरी का हेडक्वार्टर भी रांची में है, इससे क्षेत्रीय मजदूरों को काम करने के लिए प्राथमिकता नहीं मिल पाती है।

रांची में जो सिंगरौली के लिये हैडक्वार्टर है, वह मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सिंगरौली में कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में जारी रख सकते हैं, आपको अपना समय मिलेगा।

महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 193 के अधीन चर्चा की जायेगी। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उन्हें समय की उपलब्धता पर ध्यान रखना चाहिए। दो घंटे आवंटित किये गये हैं...

कुछ माननीय सदस्य : तीन घंटे।

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रकार से पुनरावृत्ति होगी। हमें संक्षेप में मुख्य बातें कहनी चाहिए तथा अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहिए। हमें सीधे अपनी बात कहनी चाहिए तथा तथ्य बताने चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सभा में इस प्रकार के वाद-विवाद को उठाने में कोई खुशी नहीं है परन्तु हमें ये मामले सभा में उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हाल के अपराधों ने हमें हिला दिया है। अपराधों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चुनाव के अवसर

पर वायदा किया था कि वे हरिजनों तथा अल्प संख्यकों के रक्षक के रूप में कार्य करेंगी, परन्तु वायदों तथा कार्य निष्पादन में कोई तालमेल नहीं है। मैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन से पढ़ता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं रिकार्ड करना चाहता हूँ।

मैं 12 वर्ष से भाषण देता आ रहा हूँ और तीन घन्टे का समय दिया गया है ···।

अध्यक्ष महोदय : तीन घन्टे नहीं (व्यवधान) यदि सब लोग ऐसा समझते हैं, तो हम शान्ति पूर्वक मामलों पर चर्चा कर सकेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रिपोर्ट के अध्याय 5 में इस बात का उल्लेख है :

" पिछले कुछेक वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों पर किये गए अमानवीय अत्याचारों से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इस समस्या ने देहा-व्यापी रूप धारण कर लिया है। बाद के अनुच्छेदो से पता चलेगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों पर किए गए अत्याचारों के गम्भीर मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई है ···।

अन्यत्र रिपोर्ट में कहा गया है :

"हरिजन उत्थान के लिए विशेष परियोजना शुरू करने के मामले में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और विशेष सेलों की स्थापना के बावजूद सरकार को रिपोर्ट किये गये अत्याचार के मामलों में वृद्धि को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है ··· इन समुदायों के लोगों पर हमला, बलात्कार, आगजनी तथा विभिन्न प्रकार के बर्बता के मामले जारी हैं। ऐसे मामले विशेषत: बिहार, उत्तर प्रदेश, तथा मध्य प्रदेश में बढ़ गये हैं। मैं और आगे उल्लेख नहीं करूंगा। कांग्रेस के 30½ वर्ष के शासन में, सत्रह साढ़े ग्यारह वर्ष के नेहरू परिवार के शासन से बावजूद हरिजन, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प संख्यकों के लोग निरन्तर भय के वातावरण में जीवन यापन कर रहें है तथा उनकी नीद हराम हो गई है। कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाली पुलिस तथा सिविल प्रशासन इससे संबद्ध हैं तथा इसका अंग बन गये हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं : क्या यह सच है कि बागपत के पुलिस अधिकारी को यहां लाया गया था तथा एक केन्द्रीय मंत्री ने सुझाव दिया था कि इंस्पेक्टर को दण्ड दिया जाये परन्तु तुरन्त ही इस ओर ध्यान दिलाया गया यदि उन्हें दण्डित किया जाता है तो भविष्य में निर्वाचन के अवसर पर कोई हमारी मदद नहीं करेगा, इनकी मदद से ही हम चुनाव जीत पाये हैं, इसलिए हम उन्हें दण्ड नही दे सकते··· (व्यवधान) अनुसूचित जातियों और जन जातियों के सभी वर्गों की महिलाओं का दमन, उन पर अमानवीय अत्याचार हत्या, उनके साथ छेड़छाड़ तथा उन्हें जिन्दा जलाये जाने की घटनायें होती हैं ... (व्यवधान) दूसरों को पीड़ा देने में मजा कैसा है ?

बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, पुलिस द्वारा महिलाओं नग्न किया जाना, पुलिस स्टेशनों में भी ऐसा किया जाना आदि घटनाओं का देश के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। मुझे समाचार पत्रों में पढ़ कर अत्यन्त दुःख हुआ कि महिला के गुप्तांगों में छड़ी तथा लाल मिर्चे डाली गई। दुर्ग में भी एक महिला सिपाही ने एक नाबालीग पुत्र को अपनी माता के साथ संभोग कराना चाहा अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस ने इसे प्रकाशित किया है। इससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।

वे न केवल इसका पूरे विश्व में प्रचार करेंगे अपितु इसे सचित्र प्रदर्शित करेंगे। इन घटनाओं के फोटो चित्र विदेशों में पहुँच गये हैं।

हरियाणा में एक अल्प घटना में तत्कालीन मुख्य मन्त्री के आदेश से भिवानी के निकट पुलिस स्टेशन में एक भाई को अपनी बहन के साथ संभोग करने पर बाध्य किया गया। कल विदेश मंत्री ने बताया कि उनके पास विदेशों में प्रचार के पर्याप्त साधन नहीं है। विश्वास रखिए, इसका पर्याप्त प्रचार और प्रसार होगा। बाँदा में निंदनीय अपराध हुए हैं। यह जिला हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात है। दुर्ग में एक तीन माह की गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर गया। दरभंगा में सी.आर.पी. ने अत्याचार किये हैं। उन्नाव में पुलिस अधिकारिओं ने लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए क्या क्या किया? बागपत में श्रीमती त्यागी का भी गर्वपात हो गया। कफालटा में पंद्रह व्यक्तियों को जिन्दा जला दिया गया तथा कई के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं हैं। मैंने एक बात नोट की है— वही समाचार यदि आप मद्रास में पढ़े तो उसमें कहा जाता है 'हरिजन' पुरुष अथवा स्त्री।

यदि आप उसी समाचार पत्र का दिल्ली का अलग संस्करण पढ़े तो देखेंगे 'हरिजन' शब्द को छोड़ दिया गया है। यह एक आश्चर्यजनक बात है प्रेस के प्रबन्धक कर रहे हैं।

मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूँ। यदि वे चुनाव जीतने के लिए पुलिस की सहायता लेते हैं तो पुलिस उसके बदले में ढील की आशा करेगी। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कुछ क्षण पहले आपको मुझे सीख देने का मौका मिला था। मैंने नियम 377 के अन्तर्गत किसी एक राजनैतिक दल के खिलाफ मनगढ़न्त आरोप लगाने या आक्षेप करने के बारे में एक नोटिस दे रहा था और मैं पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के कार्यकरण के खिलाफ तथ्यों पर आधारित आरोप लगा रहा था। उस समय आपने कहा था कि इसकी अनुमति नहीं दी गई है और इसको लोप किया जाना है, इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकरण का उल्लेख नहीं किया जा सकता है तो उन नियमों को इसी रूप में कांग्रेस सरकारों के सम्बन्ध में भी लागू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कोई मिथ्या आरोप न लगाएं। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं किसी दल का उल्लेख नहीं कर रहा था। मैं यह कह रहा हूँ कि उन राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए राज्य प्रशासन तंत्र और पुलिस का उपयोग करने का प्रयास किया, पुलिस हमारे बदले में स्वतंत्रता की अपेक्षा करती है और यह उसका परिणाम है और यही कारण है कि निश्चित तौर पर इतने अधिक पुलिस कर्मचारी इस मामले में अन्तग्रस्त हो रहे हैं क्योंकि वे अपनी सुविधा वापस चाहते हैं। यही उसका कारण है। सवर्ण

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सामन्ती लोगों ने आपको समर्थन दिया और उन्होंने भी हिस्सा चाहा विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो कि कुछ समय से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र हैं। मैंने अपने युवा साथी श्री मकवाना द्वारा उत्साह पूर्वक प्रसारित किए गए आंकड़े देखे हैं जिसमें उन्होने जनता शासन-काल के दौरान हरिजनों पर हुए अत्याचारों की ओर संकेत किया है।

परन्तु यह आंकड़ों की लड़ाई नहीं है अपितु एक मूल समस्या है और मैं श्री मकवाना और सरकार को इस बात का आश्वासन देता हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हम लोग किसी को बक्शेंगे नहीं, चाहें वह कांग्रेस, कांग्रेस (आई) हो अथवा जनता पार्टी हो, यदि वे स्वीकार न की जा सकने वाली बातें करते हैं। जनता पार्टी कांग्रेस की राह पर चली और कांग्रेस (आई) जनता पार्टी की राह पर चल रही है। यही आपकी स्थिति है जो लोग उन बातों को रंगने की कोशिश कर रहे हैं जो 1977-78 के प्रारंभ से हाल तक घटी, उनके समक्ष मैं समाचार पत्रों की कतरनों का हवाला दूंगा कि प्रारंभिक वर्षों में क्या हो रहा था।

4 मई 1975 का यह अखबार कहता है :

"बांदा— प्रति वर्ष 1500 हरिजन लड़कियां बेची जाती हैं।"

गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में हरिजनों पर हुए अत्याचारों के आंकड़े निम्न बताए गए थे · गुजरात में श्वना में 174 ऐसे मामले हुए और 1972 में 217 मामले। महाराष्ट्र में 1971 ऐसे मामलों की संख्या 47 थी और 1972 में 131 मामले हुये थे। उत्तर प्रदेश में 1971 में ऐसे 1811 मामले हुए थे और 1972 में 1925 मामले। 11 नवम्बर 1974 के 'इंडियन एक्सप्रेस— "हरिजनों के खिलाफ अपराध— छः महीने में 2758 मामले।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, प्रस्ताव को सिर्फ 10 मिनट नहीं महोदय, मैं अभी अपनी बात समाप्त नहीं कर सकता।

दिनांक 3-4-74 का "टाइम्स आफ इंडिया" हरिजन गांव को जलाने में पुलिस का हाथ

ठाकुरों के क्रोध का शिकार बने कुछ लोगों के साथ, जिन्होंने अचल नगर से पांच किलो मीटर दूर खड़गपुर कस्बे में शरण ली थी, हुई भेंटवार्ताओं से यह बात उजागर हुई कि जमीन की जरूरत और गरीबी से प्रेरित होकर बहराइच के लगभग 250 हरिजन साल भर पहले गोंडा जिले में अनाथ थे आदि।

वहां अत्यधिक उत्पीड़न और दमन था। यह 20 मार्च 1974 का दूसरा अखबार है

"दोहद में पुलिस अत्याचारों की कहानी।"

1 सितम्बर 1973 का दूसरा अखबार कहता है-

"हरिजन गांव जलाया गया"

4 अगस्त 1973 का एक दूसरा अखबार कहता है-

"सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा हरिजनों की जमीन पर खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया।"

हरियाणा में पुलिस हरिजनों को आतंकित कर रखती है। वहां की कांग्रेस सरकार के अंतर्गत भज्जर में हरिजनों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर पुलिस द्वारा जबर्दस्ती कब्जा कर लिया गया था जमीन को पूरी तरह रौंद दिया गया। और फसल को काट लिया गया था।

"चार हरिजन महिलाओं पर जमींदारों द्वारा हमला"—28-7-1973

"तीन वर्षों में 1100 हरिजन मारे गए इंडियन एक्स प्रेस, नई दिल्ली 19 अगस्त 1970 :

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री रामनिवास मिर्धा ने सदन (राज्य सभा) के समक्ष एक विवरण रखा। जिसमें 1967 से 1969 तक के तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में मारे गये हरिजनों की संख्या के राज्यवार आंकड़े बताए गए थे। इनकी कुल संख्या 1100 से कुछ ज्यादा होती है। इनमें उत्तर प्रदेश का नाम सूची में सबसे ऊपर था जिसमे 322 मामले हुए।

"हरिजनों पर अत्याचार की 1500 से ज्यादा घटनायें" इंडियन एक्सप्रेस, 15 दिसम्बर 1972।

अध्यक्ष महोदय : आप इतिहास को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मैं इस चर्चा के लिए चार घंटे की समय दूं तो भी आपके ऐसा करने का समय नहीं रहेगा। मैं लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार कार्यकर रहा हूं। लोगों की संख्या के अनुसार मुझे समय नियत करना है। इस पर आपका एकाधिकार नहीं हो सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्तावक हूँ और प्रस्तावक को सामान्यतः कम से कम आधा घंटे का समय मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : यह उतेजित हो जाने का प्रश्न नहीं है। यह विवेक का प्रश्न है। यह तर्क का प्रश्न है। मुझे सारे सदन को देखना है केवल आदेश नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसलिए, यह एक मिशाल है। प्रस्तावक को भी केवल इतना समय मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ अधिक समय दूंगा। कृपया अपनी बात जारी रखें और समाप्त करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज जो कुछ हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। यह कहीं कम होती है तो है तो कहीं ज्यादा। आपने संपूर्ण निष्ठा के साथ उस समस्या का समाधन करने का कभी प्रयास नहीं किया। समस्या वर्ग हितों की है। आज सतारूढ़ दल, कांग्रेस दल पूंजीवादी रास्ते पर चल रहा है और उसके वर्ग हित का आधार गांवों में है; ग्रामीण क्षेत्रों में उनके निहित स्वार्थ हैं। जनता दल की भी यही स्थिति है। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों को राजनीतिक खेल में मोहरे बनाया गया है। बेलची और नारायनपुर की घटनाओं पर बहाए गए मगर अच्छी आँसुओं को हम भूले नहीं हैं पारसबीघा और पिपरा में चौदह व्यक्तियों को जिन्दा जला दिया गया था। आप कैसी शानदार सरकार चला रहे हैं; जिसे आप जाति युद्ध कहते हैं वह वस्तुतः एक वर्ग युद्ध है। भूमिहीन किसान जो कि मुख्यतः हरिजन और अनुसूचित जातियों के लोग हैं सबसे अधिक पौड़ित हैं। अब उनमें भारी जागृति आ रही है और वे लोकतांत्रिक आंदोलनों का सहारा ले रहे हैं। दलित लोग अपना दावा कर रहे हैं इससे दूसरे लोग भयभीत हो रहे हैं। सरकारी प्रशासन तंत्र इनके साथ मिला हुआ है कि इतनी अधिक हत्याए हो रही हैं।

1971 की जनगणना में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 79, 995, 896 थी। आप इसमें

दस प्रतिशत और जोड़ दीजिए। और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 38, 015, 162 थी। जनगणना के अनुसार कुल जनसख्या की 21.5 प्रतिशत आबादी इन जातियों की है। अनुसूचित जातियों के 89 प्रतिशत लोग तथा अनुसूचित जनजातियों के 97 प्रतिशत लोग गावों में रह रहे हैं। उनमें 80 से 90 प्रतिशत से भी अधिक खेती, कृषि-मजदूरी और वन सम्बन्धी कार्य करते हैं। उनके बाकी लोग खानों और बागानों आदि में कार्य करते हैं। उनमें साक्षरता इतनी कम है कि 1971 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता के 29.3 प्रतिशत के कुल औसत के मुकाबले में अनुसूचित जातियों के 10.27 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के 8.53 प्रतिशत लोग साक्षर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले वक्ता को बुलाने वाला हूं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लम्बे समय के कांग्रेस शासन के बाद बंधुओं मजदूरों पर भाव दृष्टिपात कीजिए। इसका मूल कारण क्या है ? क्योंकि दलित लोग जिनको कि सदियों से सामाजिक और आर्थिक दर्जा नहीं दिया गया है, अब विरोध में उड खड़े हुए हैं। वे इस व्यवस्था को तोड़ देना चाहते हैं और यही कारण है यह उथल पुथल हो रही है।

यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप विधि आयोग की 8वीं रिपोर्ट पढ़ें। इस पर एक चर्चा होनी चाहिए··· (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। इसके बाद कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि सदन मेरे साथ सहयोग करे तो हम चर्चा जारी रख सकते हैं। अन्याथा यदि हरकोई अपने अपने हिसाब से चलेगा तो यह चर्चा रात 2 बजे प्रात: तक चलेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रस्तावक को आधा घंटा दिये जानेकी मिसाल रही है। आपने मेरे प्रति सर्वाधिक अन्याय किया है।

अध्यक्ष महोदय : उसकी तुलना में मैंने आपको तीगुना अधिक समय दिया है

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रस्तावक को आधे घंटे का समय दिये जाने की मिसाल रही है मैं आपको ऐसे 20 मामले बताऊ गा।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : आप इस तरह पीठ की अवज्ञा नहीं कर सकते। जिस तरह मेरे मित्र ने खुलकर पीठ की अवज्ञा की है क्या आप उसी रूप में सदस्यों को पीठ की अवज्ञा करने की अनुमति दे सकते हैं; आपको पीठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह एक अनुभवी सदस्य हैं और मैं समझता हूँ कि वह स्वयं इस बात का अहसास करेंगे

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि यह एक दल या दो दल की बात नहीं है, इस विषय पर पूरे सदन को और पूरे देश को विचार करना है कि क्या हम इसे राजनीतिक

** कार्यवाही वृतान्त में समिलित नहीं किया गया।

पहलू से देखें या हमारे देश में जो आये दिन घटनाएं हो रही हैं, उसकी जड़ में जाने की कोशिश करें।

बागपत में अगर लोकदल के लोग आन्दोलन चला रहे हैं, तो क्या इस समस्या का निदान उससे होने वाला है ? क्या इस प्रश्न का हल बागपत के आन्दोलन से होने वाला है ? आज हमें इस सदन पर विचार करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि···

एक माननीय सदस्य : 30 वर्ष तक कुछ नहीं किया।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर डिबेट इस तरह से करना है, तो फिर ठीक है···(व्यवधान)

डा० रजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मुझे इस बात का गर्व है कि अगर हरिजनों के लिए इस देश में किसी ने कुछ नहीं किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने समय-समय पर पर जो कदम उठाये, संविधान में हरिजनों को जिस तरह ले अधिकार दिये गये, उनके उत्थान के लिए तरह-तरह के कानून बनाये गये—वे हमसे और आपसे छुपे नहीं हैं। आप एमर्जेन्सी की बात करते हैं, जब 1 जुलाई, 1975 को हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के सामने 20 सूत्री कार्यक्रम रखा था। उन 20 सूत्री कार्यक्रमों में 8 कार्यक्रम ऐसे थे जो सीधे हरिजनों और मजदूरों से सम्बन्धित थे। क्या आप उनसे इन्कार कर सकते हैं ? जिन्हें बाण्डेड-लेबर, बंधुआ मजदूर कहा जाता था, ये सब हरिजनों में से आते थे। उन आदिवासियों और हरिजनों को इस बंधुआ मजदूरी के काम से छुड़ाने के लिए किसने कानून पास किया, किस की सरकार ने पास किया ? श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने पास किया था ··(व्यवधान) इनी जल्दी भूलना नहीं चाहिये। मैं मानती हूं कि अच्छे कामों को जल्दी भुला सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि बधुआ मजदूरों को छुड़ाने का काम, उनको स्वतन्त्र कराने का काम हरिजनों की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा कदम था। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते हैं।

हरिजनों के बीच में जमीनों के बटवारे की बात को लीजिए-गांव सभा की जमीनों को उन्हें दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं केवल उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखती हूं। हमारे यहां 10 लाख परिवारों को घर बसाने के लिए जमीनें दी गई थीं और वे लोग उन जमीनों पर बसाये गये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बाद में क्या हुआ ? जब लोक दल की सरकार हमारे सूबे में आई, तो उसने बहुत से इलाकों में जहां हरिजनों को जमीन दी गई थी, उनके नेताओं के इशारों पर उन हरिजनों से उन जमीनों को वापस ले लिया···(व्यवधान) नतीजा यह हुआ कि गांव-गांव में इसको लेकर हरिजनों पर अत्याचार हुए और और खुले मुंह से उनसे कहा गया कि अब कांग्रेस सरकार की हुकूमत नहीं है जो तुम्हारी तरफदारी करेगी, अब वह जमीन तुम्हें नहीं दी जायगी। जिन हरिजरों ने एक-दो वर्षों में मेहनत करके उस जमीन को अच्छा बना लिया था उनसे भी उन जमीनों को छीन लिया गया।

आज जब हरिजनों पर हुए अत्याचारों की बात कहते हैं या हरिजन महिलाओं पर हुए अत्याचारों की बात कहते हैं तो इसके पीछे इकोनामिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये यूं ही हो रहे हैं, ये डीप-रूटेड हैं, हमारे देश के अन्दर, समाज के अन्दर जो यह बीमारी है, उसकी तरफ हमें गौर करना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा और उस बीमारी के इलाज की तरफ हमें जाना पड़ेगा। मैं यह मानती हूं कि आज की लीडरशिप, कांग्रेस की

लीडरशिप इस काम के लिए सक्षम है और वह उन उपायों को अवश्य अमल में लायेगी, जिनसे इस समस्या का समाधान होगा।

मुझे खुशी है—जैसे ही लोक सभा के चुनावों के बाद हमारी सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में केन्द्र में आई, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने अपना एक डी. ओ. लेटर 10-3-1980 को राज्य सरकारों को गवर्नरों को और जहां-जहां प्रेजिडेन्ट्स रूल था वहां की पुलिस को भेजा, जिसमें बड़े विस्तार से उन्होंने लिखा कि कैसे हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सकता है, किस तरह से सख्ती से काम लेना चाहिये, इस तरह की गाइडलाइन्ज उनको भेजी। उस पत्र में गवर्नमेंट की इन्टेन्शन को गवर्नमेंट के इरादे को बहुत अच्छे तरीके से साफ किया गया और मुझे इस बात का भी काफी संतोष है कि इस दौरान जहां-जहां से रेप के केसेज की खबर आई···(व्यवधान) हरिजनों के ऊपर अत्याचारों की खबर आई, हमारे गृह मंत्री महोदय फौरन उन स्थानों पर पहुचे। उन्होंने यह नहीं किया कि वे बैठे रहे। मुझे याद है-उत्तर प्रदेश में जब लोक दल की सरकार थी—उस वक्त नारायणपुर का काण्ड हुआ था और इसी सदन में स्वर्गीय सजय गांधी जी इस प्रश्न को उठाया, और उसके बाद हमारी नेता श्रीमती इदिरा गांधी नारायणपुर गई थी, उन्होंने वहां पर देखा कि मास स्केल पर रेप किया गया था गांव की हरिजन औरतों के साथ, मजदूर और गरीब औरतों के साथ, बेवस औरतों के साथ। उस समय हमारी प्रधान मन्त्री को उस समय के मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने उनकों वहां जाने से रोकने की हिम्मत की थी और कहा था कि वे न जायें। मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जो बात हुई बागपत में उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि उसकी जूडीशियल इंक्वायरी हो रही है। क्या यह सच है और क्या झूठ है, वह हमारे सामने बाद में आयेगा। मगर मैं यह कहना चाहती हूं कि उस बात को लेकर आज एक आन्दोलन खड़ा कर दिया गया है लेकिन उस उक्त के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री जी को वहां जाने से रोकने की गुस्ताखी की थी और प्रेसीडेंट तक को यह पत्र लिखा था कि वह टेस्ट के मामलों में इन्टरफियेरेन्स होगा। और भी भी कितने कांड हुए हैं जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वय जाकर उनको देखा। अगर वे यहां न जा पाई, तो गृह मन्त्री को उन्होंने वहां पर भेजा। तो आज हमारी सरकार जो है, वह सो नहीं रही है। हमारी सरकार आज के जो जीवित प्रश्न हैं, आज के जो सवाल हमारे समाज के सामने हैं और गवर्नमेंट के सामने हैं, उनको देख रही है और हम उनको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम यह जानते हैं कि स्त्रियों को इज्जत और मान मर्यादा रहनी है और हमें इस बात का गौरव है कि आज हमारे देश की बागडोर एक महिला के हाथ में है और वह महिला संसार की एक महान् महिला है। हमें पूरी आशा है कि उनके नेतृत्व में इस देश की महिलाओं कीजो इज्जत है, जो मर्यादा है, वह सुरक्षित रहेगी और वे कुछ ऐसे कदम उठाएंगी, जिनसे आज जो हो रहा है, वह कल न हो।

रेप के जो कानून हैं, उनमें से ऐसे परिवर्तन किये जायेंगे, जोकि और सख्त हों। मेरा तो सुझाव यह है कि इस कानून में ऐसे परिवर्तन होने चाहिये कि जो कोई भी औरतों के साथ इस तरह से बलात्कार करे और इस तरह का क्राइम करने की हिम्मत करें, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया जाए और उसके लिए समरी ट्रायल होना चाहिए और ऐसे अपराधों को निपटाने के लिए विशेष अदालतों का इन्तजाम होना चाहिए। मैं समझती हूं कि हमारी सरकार इस सुझाव पर गौर करेगी और हम अपने देश में एक ऐसा वातावरण बनाएंगे, जिससे यह चीज आइन्दा के लिए न होने पाये। धन्यवाद।

श्री राजेश पाइलेट (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बड़े भाई श्री बसु के साथ इस बात में सहमत हूँ कि आज हम इस सदन में एक बहुत गंभीर और अनसिविलाइज्ड सबजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज के युग और हमारी प्रगति के अनुसार इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए लेकिन क्या हम सब इस पालियामेंट में यह भी सोच-विचार करेंगे कि इस के कारण क्या हैं और कैसे इस बुराई को दूर किया जा सकता है।

मेरे अपने विचार से इसका जो खास कारण है, वह यह है कि इस देश की जो गरीबी, है वह इस काम में हाथ बंटाती है। जो गरीब हैं, उन की पहुँच सरकारी मशीनरी या रिलायेबिल सोर्स तक नहीं हो पाती। मुझे लाइब्रेरी में देखते-देखते कोई ऐसा रिकार्ड नहीं मिला जहां किसी बड़े आदमी की औरत या किसी मिनिस्टर या किसी एम. पी. या एम. एल. ए. के साथ ऐसा हुआ हो। ···(व्यवधान)···होल्ड ओन हम लोग क्या करते हैं। हम लोग गरीबों की बात तो करते हैं लेकिन होता क्या है। यहां पर 80, 90 एम. पीज हैं, जो हरिजनों के नाम पर, हरिजनों के टिकट पर जीत कर आए हैं। लेकिन ये लोग कभी यह नहीं सोचते हैं कि हमने इनके लिए क्या किया, हमने क्या नहीं किया। (व्यवधान)

जहां तक इन घटनाओं का कारण मेरी समझ में आया है वह यह है कि जब तक हमारा राष्ट्रीय करेक्टर नहीं उठेगा, नेशनल करेक्टर नहीं उठेगा तब तक ऐसी घटनाओं में कुछ कमी तो हो सकती है लेकिन ये खत्म नहीं हो सकती हैं। ये घटनाएं इस प्रकार से ही होती रहेंगी। अगर हमें इन्हें खत्म करना है तो हम लोगों को अपना नेशनल करेक्टर, पोलिटिकल करेक्टर सुधारना होगा एक पोलिटिकल पार्टी किसी चीज को रिकमेण्ड करती है, दूसरी पोलिटिकल पार्टी जो कि यह नहीं सोचती कि यह देश के भले में है या बुरे में है, उसके अपोजिशन में मूव करती है। एक दूसरी पोलिटिकल पार्टी एक दूसरे से गेन उठाती है। वे तीन मुख्य कारण हैं जिन से ये घटनाएं होती हैं।

इन घटनाओं के मैंने फीगर्स कलेक्ट किये हैं, वे कहाँ तक सही हैं, यह आप खुद देख लें। 1975 में जब एमर्जेंसी लगी थी तो उसके बाद 1976 तक में आपको डाकू लोग ढूँढे नहीं मिलते थे। रात को 12 बजे आप बाहर निकल सकते थे। (व्यवधान) आप फिगर्स देखिये :—

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दर्ज मामलों की संख्या इस प्रकार थी : 1975-7781, 1976-5968, 1977-10,879, 1978-15070 तथा 1979-1 857। आप इसकी भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि कौन-सी पार्टी कार्य कर रही थी और कौन-सी पार्टी कार्य नहीं कर रही थी : आप 1980 में देख लीजिए। 60 महीनों में मामलों की संख्या कम हो कर 3786 रह गई है।

ये फिगर्स हैं। इनको आप देखें। अगर हम गलत हैं तो आप बताएं अगर आप गलत हैं तो हम बताएं। लेकिन ऐसे मामलों में पोलिटिकल बहस न करें। यह देश का सवाल है। अब रेप केसिज लिजिए :—

ये बलात्कार के मामले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों को ही शिकार बनाया गया है : 1975-292, 1976-305, 1977-570, 1978-310, 1979-385, तथा 1980-114 तथ्य तो यह है आप 1977, 1978 तथा 1979 में जनता पार्टी द्वारा किये गये कार्य को देख सकते हैं। और यह भी देख सकते है कि उन्होंने जनता का कितना ध्यान रखा है।

रेप केसिज ज्यादातर बिहार और यू. पी. में हुये हैं। ये दो ही स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें राजनीति सबसे ज्यादा चलती है, यह मेरा अपना विचार है। (व्यवधान) आपकी गलती हो या हमारी गलती हो दोनों को अपनी-अपनी गल्तियां माननी चाहिए।

इन सब फिगर्स को पढ़ने के बाद और इन सब घटनाओं को देखने के बाद मैं इनकी रिमेडीज सोचता हूँ। पहली तो यह है कि ऐसे लोगों को सोशल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट मशीनरी पनिशमेंट तो दे ही, लेकिन जब तक सोशल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक कोई असर नहीं होगा। (व्यवधान) जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको इस मामले में अप्राइज करना चाहिए कि कहां कहां ये घटनाएं होती हैं और कैसे कैसे ये घटनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। इनके कारण हैं बोण्डेड लेबर, पावर्टी, अनएम्प्लाएमेंट पुलिस प्रोटेक्शन और एक्सप्लोइटेशन बाई द पोलिटिकल पार्टीज। ये सारे कारण हैं जिनसे ये घटनाएं होती है और इन्हें हमें दूर करना चाहिए।

अपोजिशन वालों ने बागपत को नहीं भुलाया। रोज अखबारों में बागपत, बागपत आता है। आज सुबह ही मैं बागपत हो कर आया हूँ। वहां कोई लोग अरेस्ट होने के लिये तैयार नहीं हैं। ये लोग डोनेशन इक्ट्ठा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम कोर्ट अरेस्ट करेंगे। माया त्यागी जिसका कि यह कैसा हुआ, उसके घर से कोई अरेस्ट होने के लिये तैयार नहीं है। 10 बजे से 12 बजे तक इन्हें सौ आदमी अरेस्ट होने के लिये नहीं मिले। बसें ट्रक आ रहे हैं लेकिन अरेस्ट होने के लिये आगे कोई नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ कि यह एक पोलिटिकल एक्सपलोइटेशन है और बड़ा भारी पोलिटिकल एक्सप्लोइटेशन है इसको जब तक बन्द नहीं किया जायेगा तब तक इस प्रकार की घटनायें खत्म नहीं होंगी। इसको आप बन्द कीजिये।

अब मैं प्रेस मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ बांदा की एक घटना के बारे में चार पांच रोज पहले एक खबर छपी थी कि हरिजन महिलाओं का रेप हुआ है, वहां पर उन पर एट्रासिटीज हुई है। लेकिन आज उन्होंने लिख दिया है कि गलत है। इसी तरह से बिहार के दरभगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में छपी थी। यू. पी. के नवाबगंज में घटना को प्रकाश में लाया गया था। लेकिन आज टाइम्स आफ इंडिया में कहा गया कि ये गलत हैं। इस वास्ते मैं कहूँगा कि प्रेस मीडिया को भी वही खबरें छापनी चाहिये जो कनफर्म्ड हों। अगर प्रेस मीडिया ठीक खबरें नहीं देता है तो जो सिचुऐशन है इसको बहुत आसानी से एक्सप्लायट किया जा सकेगा। इस वास्ते प्रेस में वही खबरें छपनी चाहिऐ जिन का कनफर्नेशन मिल चुका हो।

एम पीज बड़ी खुशी के साथ इस तरह की सबजेक्टस को यहां उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी कांस्टट्युएन्सी में ऐसा केस होता है तो मुझे उस पर शर्म फील होनी चाहिए मुझको चाहिये कि मैं करेक्टव स्टेप्स लूं। इसी तरह से जो एम पीज हैं, हमको अपनी-अपनी कंस्टिट्युएंसीज को लुक आफ्टर करना चाहिये। अगर वहां पर गवर्नमेंट मशीनरी ठीक नहीं है तो उसको ठीक करवाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का वहां पर केस हो जाता है तो एवव पार्टी लाइज···उठ कर हमको कोशिश करनी चाहिये कि अव्वल तो हम देखें कि ऐसा केस हो ही नहीं लेकिन अगर हो जाता है तो जो गिल्टी हैं उनको सजा दिलाने में हमको मदद करनी चाहिए। इस तरह की सिचुएशन को एक्सप्लायट करने की कोशिश तो

हमको कतई नहीं करनी चाहिये। इस तरह से अगर हम चलते रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि देश का उद्धार हो सकता है।

गवर्नमेंट मशीनरी कितनी भी स्ट्रिक्ट हो जाये, जब तक पब्लिक कोओप्रेशन उसको नहीं मिलता है तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। उसको पब्लिक स्पोर्ट तब मिलेगी, पब्लिक ओपिनियन उसकी फेवर में तब जायेगी जब सब पोलिटिकल पार्टीज, सब पालिटिशयन सही बात में सरकार के साथ कोओप्रेट करें और गलत बात हो रही हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं।

मैं यह चाहूँगा कि जितने केस लाइट में आए हैं उनमें सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिये और एक एग्जैम्पल सेट करनी चाहिये और साबित कर दिखाना चाहिये कि वह इस तरह की चीजों के साथ हर्गिज नहीं हैं।

अन्त में यह कहना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि अगर कुछ एक पार्टी सिचुएशन को एक्सप्लाट करने की कोशिश करेंगी तो सारी पार्टीज एक्सप्लायट करेंगी और इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस वास्ते राजनीतिक लाभ इस तरह की घटना से उठाने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आज हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध देश की हमारी करोड़ों बहनों की और बेटियों और, माताओं से है। हमारे माथे पर यह एक कलंक होगा। अगर हमारी नाबालिग बेटियों के मन में यह भय हो कि सड़क पर चलते उनका शीलहरण हो सकता है। वह दिन इस देश के लिए सबसे दुखद दिन होगा। अगर किसी माँ बाप के मन में यह चिन्ता हो कि किसी दिन रात के समय अचानक पुलिस का दारोगा और सिपाही उसके घर में आयेंगे और मां बाप को कहेंगे कि घर से बाहर जाओ और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दो दो दारोगा बलात्कार करेंगे। उन्नाव में यही हुआ है। एक हरिजन गुरप्रसाद के घर में रात के वक्त तीन सिपाही और दो दारोगा जाते हैं, मां बाप को घर से बाहर कर देते हैं, तीन सिपाही दरवाजे पर पहरा देते हैं और दो दारोगा उसकी सोलह वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करते हैं।

मैं इसको किसी दल का सवाल नहीं मानना चाहता हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी बहु बेटियों और माँ बहनों के साथ इस तरह की बातें होंगी तो क्या हमारे देश की इज्जत बढ़ेगी, समाज की इज्जत बढ़ेगी, क्या यह देश पर एक बहुत बड़ा कलंक नहीं होगा ? दिल्ली में एक विदेशी महिला किसी अपराध में गिरफ्तार हुई। उसको थाने लाया गया। थाने का एक अधिकारी उसको अपने घर ले जाता है और कहता है कि चार्ज शीट नहीं लगाऊंगा अगर रात को तुम हमारे साथ सो जाओ। क्या इससे हमारे देश की इज्जत बढ़ती है। हमारे देश में दुनियाँ भर के लोग आते हैं। भारत कोई मामूली देश नहीं है। हमारी इज्जत सारी दुनिया में है। कल विदेश मन्त्री हमारी संस्कृति, हमारे गौरव, हमारी भूमिका का वर्णन कर रहे थे और हम सब उससे सहमत थे। लेकिन ऐसे देश में अगर इस तरह की घटनायें होंगी तो श्रीमान, हमारे लिए सबसे ज्यादा चिन्ता और शर्म की बात होगी।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : आप संसद में विदेशी महिला की बात कह रहे हैं। आप यह नहीं जानते कि आप क्या बात कर रहे हैं। यह मनगढ़न्त कहानी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान्, आज जिस बात को मैं कहना चाहता हूं। आज हमारे समाचार-पत्र ऐसी घटनाओं से भरे हुए हैं। आज हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हम जो इस सदन में बैठे हुए हैं, हमारे देश का जाना-माना अखबार क्या लिखता है "नवभारत टाइम्स" क्या लिखता है हमारे बारे में, उसके सम्पादकीय से लिखा है :

"देश के बड़े नगरों में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं को देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि सुदूर ग्रामो और कस्बों में पुलिस वाले महिलाओं के साथ कितनी मनमानी करते होंगे, लेकिन उनकी मनमानी के समाचार अखबारों को नहीं पहुँच पाते, इसलिए उनपर पर्दा रह जाता है।"

यह कब लिखा गया है, जब इसी नगर में के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर गया एक सिपाही एक रोगिणी बहिन के साथ बलात्कार करता है। हमारे लिए चिन्ता की बात यह है कि जो हमारी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, उनके साथ बलात्कार होता है, और हमारी बहिने जो रेलगाड़ियों में चलती हैं, उनके साथ बलात्कार होता है। आज थानों के अन्दर, पुलिस अधिकारियों के घरों के अन्दर, श्रीमन् बागपत को हम किसी राजनीतिक कांड नहीं बनाना चाहते, लेकिन श्रीमती माया त्यागी अगर बागपत के चौक में सरे बाजार पुलिस के अधिकारियों द्वारा नंगी करके घुमाई जायेगी तो लोकदल राष्ट्रीय पैमाने पर आन्दोलन करेगा अपनी बहिनों की रक्षा के लिए। (व्यवधान) हम इसको किसी पार्टी का सवाल नहीं बनाना चाहते। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संसद के सदस्यों के बारे में (व्यवधान) वही "नवभारत टाइम्स" लिखता है :

"बलात्कार अपने आप में अमानवीय कुकृत्य है। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लोगों के सामने आज की द्रोपदी का चीरहरण होता रहे, बागपत में, लोग सोते रहें और थाना बागपत के लिये आन्दोलन कर रहे हैं, लेकिन उस औरत का चीरहरण होने से वहां लोग नहीं बचा सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप लोग ?

श्री चन्द्रजीत यादव : : श्रीमान् "नवभारत टाइम्स" लिखता है :

बलात्कार अपने आप में एक अम वनीय कुकृत्य है, लेकिन जब समाज के तथाकथित रक्षक पुलिस वाले ही यह कुकृत्य करें, तब कोई महिला अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकती। वातानुकूलित बंगलों में रहने वाले मन्त्री, संसद, विधायक (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बोलने का कुछ किया जायेगा या नहीं ? (व्यवधान)

अगर आप नहीं चाहते है, तो मैं नहीं बोलता हूं।

श्री एडुआर्ो फलीरो (मारमागाओ) मेरी इस सम्बन्ध में आपत्ति है। वह हमें हर समय उकसाते रहते हैं और कठिनाईयां उत्पन्न करते हैं। वह शरारत करते हैं और बुराई हमें मिलती है।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन तो सारे हिन्दुस्तान में पैदा करना चाहते हैं, और स्वयं डिसिप्लिन करना नहीं चाहते। इस बारे में कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा।

आप जनता द्वारा चुने गये जनता के प्रतिनिधि हैं। सदन की कार्यवाही इस प्रकार नहीं चलाई जा सकती।

वह अपनी बात कह सकते हैं और आप अपनी बात कह सकते हैं। यह सदन लोकतन्त्र का पवित्र स्थान है और मैं आपको अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर दे रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान्, मैं कह रहा था कि हमारे बारे में आज लोग क्या सोचते हैं।

"कि वातानुकूलित बगलों में रहने वाले मन्त्री, सांसद विधायक और बड़े अधिकारी देश के सुदूर ग्रामों में जाकर देखें कि थानेदारों और सिपाहियों ने किस प्रकार मध्ययुगीन सामंती निजाम कायम कर रखा। सभी कानूनों और नियमों को ताक पर रख कर किसी भी बेकूसर महिला को दिन और रात में जबरन थाने में ले जाया जाता है और उसके साथ बलात्कार होता है फिर जो भी जबान खोलता है, उसे झूठे अपराधों में फंसाकर बन्द कर दिया जाता है, या सबूत मिटाने के लिए पुलिस वाले बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर देते हैं। हरिजन और पिछड़े वर्ग की महिलायें विशेष रूप से पुलिस वालों की शिकार बनती हैं।

श्रीमन् मैं यह नहीं कह रहा हूं, एक जाने-माने अखबार के सम्पादक अपने सम्पादकीय में में कह रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि आज कि स्थिति क्या है आज किसतरह से पत्थर तोड़ने वाली महिला के साथ बलात्कार हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 2 मही पहने बलात्कार हुआ। अस्पताल की रोगिणी के साथ पिछले महीने पहले इसी दिल्ली में बलात्कार हुआ, रेलगाड़ियों में जाने वाले यात्रियों के साथबलात्कार हुआ। पुलिस के थाने में, सरे-बाजार चौक पर, गरीबों के घरों में घुसकर नाबालिक बालिका के साथ बलात्कर, 4, 4 बच्चियों की माँ के साथ बलात्कार।

इसलिए मैं कहता हूं कि आज एक आदमी ने जिसने इसकी जाँच-पड़ताल की है, उसने कहा है कि हिन्दुस्तान में दुर्भाग्य है कि आज हर साल 20 लाख बलात्कार की घटनाएं होती हैं। आज हम सबको इस पर संजीदगी से सोचना है—सरकार को सोचना है, यहां पर दोनों तरफ बैठे हुए सदस्यों को सोचना है, जो लोग समाज की मर्यादा और गरिमा की रक्षा करना चाहते हैं, उनको सोचना है—कि हमारे देश में इस प्रकार के जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं। मेरा कहना है कि जो पुलिस अधिकारी इस प्रकार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, अगर उनके खिलाफ सख्तो से कार्यवाही की गई होती तो, फिर दूसरे लोगों को ऐसा करने की हिम्मत न पड़ती।

आज मैं गृह मंत्री जी से यह माँग करना चाहता हूँ कि वह पुलिस को इस बात का निर्देश दें कि किसी भी महिला को— इसमें किसी पार्टी या दल का सवाल नहीं है, जाति और धर्म का सवाल नहीं है— पुलिस लाक-अप में न रखा जाये। आज पुलिस के लाक-अप में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रह गई हैं। इसके अलावा किसी महिला को पुलिस थाने में न ले जाया जाये— अकेले न ले जाया जाये। आज महिलाओं को थानों में ले जाया जाता है।

पुलिस में एक कई मार्शलला ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। अगर पुलिस का कोई सिपाही ड्यूटी पर रहते हुए इस प्रकार का व्यभिचार करता है, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तो इस देश में मर्यादा, इज्जत और सम्पत्ति की रक्षा नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए कोई मार्शल ला ट्रिब्यूनल बनाया जाये। जिस तरह फौज में तत्काल सजा देने के लिए ट्रिब्यूनल है, उसी तरह पुलिस में ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए।

यह देश खान अब्दुल गफ्फार खां की सेवाओं और खिदमात को कभी नहीं भूल सकेगा। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसके लिए हम सब उनके आभारी और ऋणी हैं। आज खान अब्दुल गफ्फार खां में हमको महात्मा गांधी की आवाज मिलती है। वह भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन भारत के लिए उनके दिल में उतना ही प्यार, आदर और दर्द है, जितना कि किसी भारतीय के दिल में है। वह अहिंसा में विश्वास करते हैं और महात्मा गांधी के शिष्य हैं, लेकिन हमारे देश में आने और यहां के हालत को देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह का जघन्य कुकृत्य करने वाला कर्मचारी या व्यक्ति सजा-ए-मौत का अधिकारी है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि सेक्सन 376 आई.पी.सी. में संशोधन कर के उस व्यक्ति के लिए सजा-ए-मौत की व्यवस्था की जाये, जो एक बहन या बेटी का शील-हरण करता है। बलात्कार कोई मामूली अपराध नहीं हैं। वह देश और समाज पर सब से बड़ा कलंक है।

मैं उन लोगों में से था, जो सोचते हैं कि एक सभ्य समाज में मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत दिनों तक सोचने के बाद मैं इस नतीजे हर पहुँचा हूँ कि समाज चाहे सभ्य हो या पिछड़ा हुआ, अगर उसमें इस प्रकार के अशिष्ट, अश्लील, अमानवीय और राक्षसी कृत्य होते हैं, तो उनके लिए मौत की सजा से कम सजा नहीं हो सकती है। और उस सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सोचने समझने के बाद मैं यह मांग कर रहा हूँ।

मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री इस पर गम्भीरता से विचार करें। जब यह प्रश्न उठ था, तो उन्होंने आप को और इस सदन को यह आवशासन दिया था कि वह राजाओं के गृह मंत्रियों की मीटिंग बुलायेंगे और अगर जरूरत होगी, तो मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलायेंगे। इन्होंने आश्वाशन दिया है कि अपोजीशन के नेताओं की बैठक बुलायेंगे। मैने आप से आप के चेम्बर में मिल कर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की थी कि पार्टी से ऊपर उठ कर हम सब को इस प्रश्न के ऊपर विचार करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि राष्ट्र में इस प्रकार का वातावरण पैदा हो सके। सरकार अपना काम करे, मुस्तैदी से करे लेकिन राष्ट्र में ऐसा वातावरण पैदा हो कि इस प्रकार के जघन्य कार्य करने वालों की हिम्मत न हो सके। इसलिए मैं बहुत संजीदगी से यह मांग करना चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर विचार करे और उनके खिलाफ कार्यवाही करे।

श्रीमती मोहसिना किदवई (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस अहम मसले पर हम बहस कर रहे हैं, जैसा कि और इस सदन के हमारे मैम्बरान ने कहा, मैं भी उनके साथ अपने को जोड़ती हूँ कि यह ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर पार्टी से ऊपर उठ कर हमें सोचना है। आज इतना बड़ा कलंक उस हिन्दुस्तान पर लग रहा है, जिस हिन्दुस्तान की तहजीब और तमधुन, जिस हिन्दुस्तान की सभ्यता की बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन के ऊपर आज भी हम गर्व करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन आज उस हिन्दुस्तान में ऐसे वाकयात हो रहे हैं, खास तौर से महिलाओं के साथ, महिलाओं की, औरतों की बेवसी का जो एक फायदा उठाया जा रहा है उस से न सिर्फ महिला जगत का बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का सिर शर्म से झुक जाता है। आज उन घटनाओं को लेकर हम इसे ऐवान में बहस कर रहे हैं, जो दुनिया की जम्हूरियत का सब से बड़ा ऐवान है। चाहे वह बागपत हो, चाहे वह पिपरा हो, चाहे वह बेचली हो, चाहे किसी वक्त की हुकूमत में ये चीजें हुई हों, यह बात जाहिर है कि हुकूमत उसकी जिम्मेदार होती है, लेकिन

अपोजीशन में जो हमारे साथी बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी भी कम नहीं होती है। आज कुछ अपने साथियों की तकरीर मैंने सुनी। हम सब अखबारों में पढ़ते हैं और हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हम सब रेडियों में सुनते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूं कि यह रेप या बलात्कार के जो अल्फाज हैं, ऐसा लगता है कि यह एक आम चीज हो गई है। अखबारों के जरिए, इस सदन के जरिए जो चीजें, जो कहानियां हमें यहां नहीं सुनायी जानी चाहिएं वह सुनाई जाती हैं। हमें मालूम है कि किस औरत के साथ क्या हुआ ? हमें मालूम है, हम अखबारों में किस्से पढ़ते हैं लेकिन सीनियर मैम्बर्स की जुबान से उन सब को फिर से यहां पर नैरेट किया जाय, वह सारी स्टोरीज यहां बयान की जायें, मैं समझती हूं कि यह सदन के लिए मुनासिब नहीं है।

आज हम बागपत की बात कहते हैं। कोई भी तहजीबयाफ्ता इंसान चाहे वह इधर बैठा हुआ हो चाहे उधर बैठा हो, जिस में जरा बराबर भी इन्सानियत और शर्म है, कोई भी उस औरत के साथ जो हुआ उस को डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन इस के पीछे जो मुझे सब से खतरनाक चीज नजर आती है जिसे मैं सब से खतरनाक चीज समझती हूं वह यह है कि दो हजार आदमियों का मजमा हो और एक औरत को इस तरह से नंगा कर के नचाया जाता हो, इस से बढ़ कर शर्म और गैरत की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है ? आज उस बागपत में सौ आदमी जाते हैं कोर्ट अरेस्ट करने के लिए, तीन सौ आदमी जाते हैं कोर्ट अरेस्ट करने के लिए, उस दिन वह सब कहां थे जब एक बहन की इज्जत लूटी जा रही थी ? उस वक्त वह कहां थे ? यह सबसे बड़ी खतरनाक चीज है · (व्यवधान)··· आज जो एक सब से बड़ी खतरनाक चीज मुझे दिखाई देती है वह यह है कि वह हिन्दुस्तान जहां किसी औरत का कोई दुपट्टा अगर छिन जाता था तो लोग मर जाते थे या खत्म हो जाते थे और उस को बचा लेते थे, उसी हिन्दुस्तान में जहां चार हजार का मजमा हो वहीं एक औरत बेबसी से चिखती चिल्लाती चली जाय। चूड़ियां पहन लेनी चाहिए उन बागपत के लोगों को। ···(व्यवधान)··· आज वह लोग कोर्ट अरेस्ट कर रहे हैं। वही बागपत के लोग हैं, उस दिन वह कहां थे ?

आज हम आप के जजबात को ठेस नहीं पहुँचना चाहते। हम समझते हैं कि आप के जजबात एक बहन के, एक बेटी के मामले में क्या हो सकते हैं, उसकी हम कद्र करते हैं। लेकिन उस चीज को एक सियासत के मैदान में ले आना और उससे एक अपना पोलिटिकल फायदा उठाना, यह मुनासिब नहीं है। उस औरत को तीन चार दिन तक किसी से मिलने न देना, हम भी उसके साथी हैं, हम भी उस से हमदर्दी रखते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस हिन्दुस्तान में किसी बहन की इज्जत न लुटे, आज जो औरतें खेतों में काम करने निकलती हैं, उनकी बेवसी है कि उन्हें काम करने बाहर जाना होता है, आज हमारी औरतें जो काम करने के लिए दफ्तरों में जाती हैं चाहे होटलों में जाती हों, उनके साथ आज क्या होता है ? आज इन सब चीजों को हमें और आप को गौर से देखना होगा और सोचना होगा। चन्द्रजीत जी ने एक बात बहुत सही कही कि हमारे जान-माल के मुहाफिज जो समझे जाते हैं वही रहबर रहजन बन जायें तो हम किस के सामने अपना दुखड़ा रोने जायेंगे ? लेकिन हमें इस की वजूहात देखनी होगी। मैंने इतने सीनियर मैम्बरों की बातें सुनी, सिवाय चन्द सुझावों के किसी ने और कोई सुझाव नहीं रखे। कि आखिर यह जो एक समाज का कलंक है, एक रिसता हुआ नासूर है उसको हम बन्द कैसे करें ? उसको जड़ से कैसे मिटायें इस सिलसिले में किसी के सुझाव नहीं आये।

इस सिलसिले में मेरे दो चार सुझाव हैं। जैसा कि अभी यादव जी, ने कहा कि इस जुर्म की सजा सूली पर चढ़ा देना होगा, मैं भी समझती हूं यह हक बजाबि होगा क्योंकि एक औरत जिसकी, किस्मत लुट जाए वह भी उसके लिए मौत ही होती है। इस लिए मौत की सजा सूली पर चढ़ा देना हम बजाबि है। ऐसे मुजरिम को मैं तो कहूँगी, सरेआम सूली चढ़ाना चाहिए ताकि दूसरों के लिएभी एक इबरत हो सके कि एक बेबस औरत से भायदा उठाने, एक महिला की बेबसी से फायदा उठाने की सजा मौत होगी। इसमें अगर दो चार इन्नोसेंट आदमी भी फांसी पर चढ़ जायें तो चढ़ जाने दीजिए। (व्यवधान) बहरहाल इस चीज को खत्म होना चाहिए, हमारे देश और तहजीब पर जो कलंक का टीका है उसको मिटना चाहिए।

इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आज हम सुन रहे हैं कि पुलिस के लोग यह करते हैं तो हमारे पुलिस कॉंस्टेबिलस सकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी कुछ परिवर्तन करना ब्रिटिश पीरियड से एक परम्परा चली आ रही है पुलिस के लिए कि अवाम से कितना दूर रहो, अवाम को कितनी तकलीफें पहुँचाओं और क्या क्या करो लेकिन अब हमारा देश आजाद है, पुलिस हमारी अपनी है, हुकूमत करने वाले अपने हैं इसलिए हमें चाहिए कि हम पुलिस की ट्रेनिंग में परिवर्तन लायें। उनके लिए जो किताबें होती हैं, सिलैबस होता है या जो भी उनकी ट्रेनिंग और टीचिंग होती है उसमें कुछ, परिवर्तन करें, मारल सोशल जैसी भी तालीम की जरूरत हो वह दें।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूँ कि कुछ औरतें जज होती हैं, हालांकि अभी बहुत कम है और आई. ए एस. में जो औरतें हैं, एस. डी. एम. वगैरह, उनके कोर्ट में ही ऐसे मुकदमे जायें और उनकी सुनवाई इन-कैमरा होना चाहिए। एक अजीब बदतहजीबी की बात है कि एक औरत से आप सारी दुनिया के समाने वह सब कहलवाना चाहते हैं जो कि शायद वह अपने घर में भी न कह सके। यह बड़ी भारी ज्यादती और जुल्म की बात है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ऐसे केसेज की कार्यवाही इन कैमरा हो। साथ ही मैं आप से यह भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इसमें कुछ टाइम लिमिट भी होनी चाहिए वरना अगर अराबी को फौरन सजा न मिले तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि अगर हम चाहें कि कानून के जरिये से किसी अपराध को रोक दें तो कानून के जरिए न कोई अपराध रुके हैं और न रुक सकते हैं। अपने शारदा ऐक्ट बनाया लेकिन कितने छोटे बच्चों की शादियाँ आपने रोक ली ? आपने ऐंटी डाउरी ऐक्ट बनाया लेकिन कितनी औरतों को जलकर मरने से रोक लिया ? यह हमारे समाज की खराबी है। इसके लिए हमें पूरा माहौल तैयार करना पड़ेगा। मैं इस सदन की महिला सदस्यों को दावत देना चाहूंगी कि कि हम सभी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एक प्लेटफार्म पर आयें और इन सारी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें ताकि हिन्दुस्तान की तहजीब और तमद्दुन का जो एक असर सारी दुनिया पर है वह कम न हो और दुनिया के समाने हमारा सर शर्म से न झुक जाय बल्कि हम फख्र के साथ अपना सर उठा कर चल सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।

श्रीमती गीता मुखर्जी :(पंसकुरा) अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि जो समय मुझे दिया

गया है आप उसे कड़ाई के साथ लागू नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आज बहुत महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि आज इस विषय पर यहां चर्चा हो रही है। यदि आप आज के समाचार पत्र देखें तो आपको इस बात का अहसास होगा कि स्थिति कितनी नाजुक है क्योंकि हमारे देश की तीन राज्य विधान सभाओं में पिछले एक हफ्ते में महिलायों के विरुद्ध हुऐ अपराधों के विषय पर बहस हो रही है और आज तो इस देश की उच्चतम विधान संस्था में भी इसी स्थिति पर बहस की जा रही है। इससे हम समझ सकते हैं कि किस स्थिति का आज हमें सामना करना पड़ रहा है, वह कितनी गंभीर है। महोदय, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सभी घटनायों का वर्णन यहां करूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो घटनायें बदायूं, गोरखपुर देवरिया, उन्नाव, बागपत, लखनऊ और फलौदी में हुई हैं, अक्षम्य हैं तथा वे हमारी भारत माता के माथे पर काला कलंक है जिसके कारण मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं दिल्ली में नई नई आयी हूं फिर भी मुझे सभी जगह से अनेक टेलीफोन आये हैं। मुझे यह बात मालूम नहीं कि क्या साधारण महिलायें हमसे यह पूछ रही हैं कि हम संसद में क्या कर रहे हैं।

हर रोज कोई न कोई घटना हो जाती है। यही उपयुक्त समय है कि हम इस गंभीर मामले पर सोच-विचार करें। मैं बागपत में हमारी बैठक के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, हमने बागपत में अपनी भारतीय साम्यवादी पार्टी के सदस्यों की मीटिंग बुलाई थी कि इस गंभीर मामले पर विचार कर सकें। यह बैठक कल होनी थी जिसमें श्री भूपेश गुप्त, श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा मुझे बोलना था किन्तु हमें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बागपत के एस. डी. एम. ने हमें यह मीटिंग करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सभी सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया है महोदय, इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। इसी कारण से हम चाहते थे कि वहां के संबद्ध व्यक्ति को निलंबित किया जाये।

महोदय, महिलाओं के बारे में विधि-आयोग के 84वें प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि जब कोई महिला यह शिकायत करती है हि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो न्यायालयों को यह मान लेना चाहिए कि वह सच कह रही है और उस पर अनावश्यक रुप से संदेह नहीं किया जाना चाहिये। इस बात पर न्यायालय को संदेह नहीं करना चाहिये और संदेह का लाभ अपराधी के पक्ष में नहीं जाना चाहिये। यह एक गम्भीर बात है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, कुछ लोगों ने नारायणपुर में हुई घटना का उल्लेख किया। नारायणपुर घटना की बहुत चर्चा रही है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि नारायणपुर में जो महिलायों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था उस पर क्या कार्यवाही की गई। इस मामले में लोक दल सरकार ने पदुरौना के पुलिस उप-अधीक्षक को, जो इस मामले में मुख्य अपराधी थे निलंबित कर दिया था किन्तु नयी सरकार आने के बाद उन्हे सेवा में वापिस ले लिया गया है। पुलिस के लोग कानून और व्यवस्था के संरक्षक होते हैं किन्तु वे कानून का उल्लघन करके और इस प्रकार के अपराध करके भी बिना सजा पाये रह जाते हैं। क्या सत्तारुढ़ दल के लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? हम भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य जनता शासन के दौरान ऐसी चीजों के विरुद्ध लड़ते रहे हैं, आप यह नहीं कह सकते कि हमारा रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है किन्तु मैं यह बात नहीं जानती कि हमारे देश में, हमारे उस देश में जहाँ की प्रधानमंत्री एक

महिला हैं वहां पर ऐसे गंभीर और जघन्य अपराध क्यों होते हैं और जब इस गंभीर मामले पर यहां चर्चा की जा रही है तो आप इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं जैसे हम यहां किसी मछली बाजार में बैठे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि विधि आयोग के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है। संसद के दूसरे अधिवेशन में मैंने यह प्रश्न उठाया था कि इस मामले पर विधि आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद इस संबंध में सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया। महोदय, क्या मैं यह जान सकती हूं कि बलात्कार के सभी मामलों में जहां पुलिस के आदमी अपराधी होते हैं उसे निलंबित किया जाना चाहिये और गिरफ्तार किया जाना चाहिये और इस बात की परवाह नहीं की जानी चाहिये कि उस समय कौन सी पार्टी सत्ता में थी। क्या सरकार ऐसा करने को तैयार है। कभी-कभी तो जिला अधिकारी अथवा उप जिला अधिकारी बलात्कार का अपराधी होता है ऐसे मामलों में आप क्या कार्यवाही करते हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऐसी बातों पर गंभीर रुप से विचार किया जाना चाहिये। सबसे पहले माननीय गृह मंत्री को एक सांविधिक महिला आयोग अथवा केन्द्र में एक विशेष तन्त्र स्थापित करना चाहिए जो कि इस प्रकार के मामलों की जांच करें और उन्हें समय-समय पर मोनिटर करे और उन मामलों में की गई कार्यवाही के संबंध में सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

महोदय, मैं इस बात को नहीं जानती कि चिकमंगलूर में क्या घटना हुई थी जहां पर हड़ताल के दौरान कुछ सामान्य महिला चाय कर्मचारियों के साथ पुलिस की सांठ-गाठ से बलात्कार किया गया था। इस प्रकार की अनेक घटनायें होती रहती हैं। इस समय जो कानून है उससे किसी भी अपराधी को दंड नहीं मिलता है।

महोदय, मैं एक वृद्ध महिला हूं। किन्तु फिर भी यह मेरी इच्छा होती है कि मेरे हाथ में एक बंदूक हो और मैं उन लोगों को गोली मार दूं जो महिलाओं के साथ इस प्रकार के जघन्य अपराध करते हैं फिर उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, इसके लिए मैं जेल भी जाने के लिये तैयार हूं। पिछले कुछ सप्ताहों से इस प्रकार की भावनायें मेरे मन में उठ रही हैं। अब मुझे आशा है कि इस सदन में इस मामले पर गंभीर रुप से विचार किया जायेगा और इस समस्या का उचित समाधान ढूंढ़ लिया जायेगा।

श्री धर्मदास शास्त्री (करोल बाग) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के प्रति अपना आभारप्रकट करता हूँ कि बहुत लम्बी प्रतीक्षा के बाद आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। आज करोड़ों हरिजनों की आत्मायें रो रही हैं कि उनके नेता, जो देश के निर्माता हैं, जो देश के भाग्य-विधाता हैं, वे उनकी समस्याओं पर किस तरह से सीरियसली सोच रहे हैं, किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं या उनके तन की लंगोटी को भी अपने स्वार्थों का हल करने के लिए उतार कर ले जाना चाहते हैं।

मैं कहना चाहता हूँ—माननीय वसु जी से, आप स्वयं अपने वश में नहीं हैं, आपका नाम वसू कैसे पड़ गया ? आपको हरिजनों का इतिहास मालूम नहीं है। हरिजन सिर ऊंचा करके नहीं देख सकता था, राजा के महल के सामने से नहीं गुजर सकता था, शादी में घोड़े पर नहीं जा सकता था, नये कपड़े नहीं पहन सकता था, वेदों के मंत्रों का उच्चारण उसके कान में न चला जाय इस तरह की स्थिति से हमारा हरिजन गुजर रहा था, ऐसे समय में हरिजनों को भूमि में, भवन

में, रोटी में और गद्दी में, यदि हिस्सा दिया, तो महात्मा गांधी ने, जवाहर लाल नेहरु ने और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया।

जब हम लोगों ने हरिजनों को भूमिपति बना दिया और जब वे अपना सिर ऊंचा करके दूसरे लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं—तो यह बात किसी को बरदाश्त नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं—हरिजनों के भी जो बड़े-बड़े मठाधीश हैं, जो उनके शंकराचार्य बने हुये हैं, जिन्होंने हरिजनों को बेचा है, हरिजनों के साथ सौदा किया है, जब उनके शासन में बेलछी में काण्ड हुआ, सासाराम में नारायणपुर में काण्ड हुआ, किस तरह से जिन्दा हरिजनों को जलाया गया—तो वे कहां थे ? चन्द्रजीत यादव हमारे क्रान्तिकारी नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज उनका सिर बहुत ऊंचा हो रहा है, जब चौपड़ा के मासूम बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, तब उनकी आत्मा कहां चुप हो गई थी ? उस समय उनका सिर उसी सम्मान के साथ नहीं झुका। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस समस्या को गम्भीरता के साथ देखने का सवाल है। जब एक गाय मारी जाती है तो सारे शंकराचार्य चिल्ला उठते हैं कि गऊ हत्या हो गई, लेकिन जब कोई हरिजन जलाया जाता है तो कितने शंकराचार्य चिल्ला कर कहते हैं कि हरिजन को जलाना पाप है ? कितने हरिजनों के मठाधीशों ने जब शासन उनके हाथ में था, जब वे सत्ता में थे, इसके खिलाफ आवाज उठाई ?

कहते हैं कि लोक दल आन्दोलन करेगा। किस बात का आन्दोलन करेगा ? हरिजनों के रक्षण के लिए या हरिजनों के भक्षण के लिए ? कंझावला के अन्दर हरिजनों को जो जमीनें दी गई थीं उन जमीनों को छीनने का आन्दोलन किसने चलाया ? किसान के बेटे ने। उसी लोक दल के मेम्बर उस हरिजन की जमीन को लूटना चाहते हैं। किस के लिये आन्दोलन करना चाहते हैं ? हमको आन्दोलन की परिभाषा बतायें। यदि आन्दोलन की परिभाषा लोगों की लाज लूटना है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, तो मैं इस आन्दोलन को आन्दोलन नहीं समझता।

मैंने सोचा था कि यहाँ बड़े-बड़े पार्लियामेन्ट के नेतागण, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, कुछ गम्भीर बात करते होंगे, अच्छी बातें करेंगे। एक महिला सदस्या बोल रही थीं तो आप की तरफ से लोग अभद्र व्यवहार कर रहे थे। महिला के प्रति आप के हृदय में कितनी सहानुभूति, श्रद्धा और निष्ठा है—उसका परिचय आप ने दे दिया है।

मैं यह कहना चाहता हूँ—आज हमको इस बात का आन्दोलन करना है कि जिन हरिजन भाइयों को हमने जमीनें दी हैं, वे उनके पास सुरक्षित रहें, इस काम में यदि आप हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं, आप के मन में सच्चाई है तो आइये, उनको कब्जा दिलवायें, उन जमीनों का जो हमने उनको दी थीं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ—हमारी नेता श्रीमती किदवई ने भी कहा है—यदि किसी बहन के साथ बलात्कार होता है, तो उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, अगर उससे भी कोई जबरदस्त सजा हो सकती है तो वह देनी चाहिये। आइये, उस कानून के संशोधन में हमारा हाथ बटाइये। हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि जो गुनहगार है उसको सख्त सजा दी जाय और समाज के अन्दर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे न हो, उस कानून के बनाने में हमारा साथ दीजिये, हम कानून बनायेंगे।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप की सच्चाई, आप की भावनाओं को हम जानते

हैं ? मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे देश के अन्दर आर्थिक रेवोलूशन, आर्थिक क्रान्ति नहीं आयेगी, तब तक इस तरह की समस्या से हम पूरी तरह से नहीं निपट सकते हैं। आर्थिक रेवोलूशन हरिजन नेताओं के लिए आया। वे खाली अपनी जिन्दगी के लिए आर्थिक रेवोलूशन लाए और बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठ गये, वे ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठ गये लेकिन जो गरीब हरिजन था, वह बेलची में जिन्दा जलता रहा। तब भी उनकी आत्मा में कोई ज्योति नहीं जली। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे आज इस बात की सच्चाई और गहराई को समझें कि उन्होंने हरिजन के नाम पर अपनी गरीबी और भूख तो दूर कर ली लेकिन उस छोटी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की जिन्दगी में इन्क्लाब लाने की कोई बात नहीं की। आज उस इन्क्लाब को लाने के लिए आगे आइये और हरिजनों की जिन्दगी में आर्थिक जलजला ले आइये यदि आप के अन्दर भावनाएं हैं और यदि आप की आत्मा तड़पती है कि किसी बहन की लाज न लुटे, तो राजनीतिक खिलवाड़ न करो। इस तरह से अखबार पढ़ कर क्या सुनाते हो हमको, यह सब खुद जानते हैं लेकिन यह सब राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप लोग, उन की लज्जा लूटने के लिए आन्दोलन करते हैं और हरिजनों की धोती उछालते हैं। मुझे आप बताइए कि किस तरह से उनकी रक्षा की जाए। आप लोग उनके शत्रु हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और शब्दों का भक्षण करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं।

*श्री टी. नागरत्नम् (श्रीपेरम्बदूर) : अध्यक्ष महोदय, आज सभा में हम एक संकल्प के माध्यम से हरिजन तथा अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार तथा अन्य अत्याचारों पर विचार कर रहे हैं। कई सदस्यों ने सम्पूर्ण भारत में हो रही ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है। प्रविड़ मूनेत्र कषगम् की ओर से मैं भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

आरम्भ में ही मैं यह कहना चहता हूं कि इस मामले को राजनीतिक रंग न दिया जाए और इसे शासक दल के विरुद्ध केवल आलोचना का मामला न बनाया जाए। जिस समय जनता पार्टी का केन्द्र में शासन था और अन्न प्रविण मुनेत्र कषगम तामिलनाडु में सत्ता में थी उस समय तमिलनाडु में भी बलात्कार के ऐसे मामले हुए थे। रात 8-00 बजे के समय जब एक 'मैरी' नाम की महिला अपने काम से लौट रही थी, अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम के एक कार्यकर्त्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। यह घटना तमिलनाडु में पोल्लाची में हुई। शासक दल ने इस मामले को सामान्य घटना मानकर रद्द कर दिया और मामले को रजिस्टर भी नहीं किया गया। यह स्वभाविक है कि ऐसे मामलों में सरकार की उदासीनता से अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है और तमिलनाडु में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तस्वीर का दूसरा रुख भी है। माननीय महिला सदस्य ने जैसा कि कहा कि जब मामले को अदालत में ले जाया जाता है तो सन्देह का लाभ भी अपराधी को मिलता है तथा ये अपराधी मुक्त हो जाते हैं।

तमिलनाडु में पलानी में एक महिला अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने गई। उसके पति की उपस्थिति में ही इस मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसे बाहर निकाल दिया गया। न तो मामला दर्ज हुआ और न ही अपराधियों को दण्डित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई। कैराकुड्डी में एक 'बालाम्माल' के साथ 5 व्यक्तियों ने बालात्कार किया और उसकी हत्या भी कर दी गई। शव-परीक्षा से पता चला कि उसके साथ बला-

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बलात्कार किया गया था। अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम् के मंत्री ने सभा में स्वीकार किया था कि उसके साथ पाँच नहीं दो व्यक्तियों ने बलात्कार किया था। यह सब रिकार्ड में है। इसे माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, त्रिवेल्लूर के निकट एक गाँव में दो बच्चों की माँ के साथ चार आदमियों द्वारा बलात्कार किया गया। वह मामला दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने यौनि के गंद को भी रसायन परीक्षा के लिए भेजा। चिमित्सा प्रमाण-पत्र से भी बलात्कार की पुष्टि हुई। भारतीय दण्ड सहिता की धारा 147, 148, 324 और 354 के अधीन महिला के शील-भंग का मामला दर्ज किया गया। इस अमानवीय अपराधों के लिए पुलिस के लोग जिम्मेदार हैं। विरोधी पक्ष वालों ने ऐसे मामलों में उदासीनता के लिए शासक दल को दोषी ठहराया। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि श्रीमती गाँधी ने बागपत में घटना स्थल पर गृह मंत्री को भेजा और न्यायिक जाँच का भी आदेश दिया गया है। मेरे विचार में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु हमें प्रधान मंत्री की सराहना करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

*श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का सर्वोच्च मन्च यह सम्मानीय सभा, देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के साथ किए गये बलात्कार से उत्पन्न स्थिति पर विचार कर रही है। जब कभी किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है तो इससे बड़ी पीड़ा और लज्जा महसूस होती है समाचार-पत्रों में पिछले एक वर्ष से प्रकाशित होने वाली बलात्कार की घटनाओं से न केवल भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है बल्कि भारतीय महिलाओं की गरिमा भी कम हुई है। इन घटनाओं से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मैं दो चार सुझाव देना चाहता हूँ।

भारत सीता और सावित्री की भूमि है। यहाँ पर महिलाओं का पूर्ण आदर और विश्वास के साथ सम्मान किया जाता है। और हमें यह विचार करना है महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे की जाये।

यह तो पक्की बात है कि महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्ष 1974 में केवल दिल्ली में ही ऐसी 42 घटनायें हुई और 1979 में इनकी संख्या बढ़कर 78 हो गई। महिलाओं पर लज्जाजनक हमले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं तक ही सीमित नहीं हैं महिलाओं के साथ बलात्कार बिना किसी जात-पात का ख्याल रख किए गए हैं। हाल ही में एक मानसिक महिला रोगी के साथ जयपुर मानसिक अस्पताल में एक सिपाही ने बलात्कार किया। कुछ दिन पहले हमने समाचार-पत्र में पढ़ा कि एक पिता ने अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार किया है। हमें काम-वासना से ग्रस्त ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अत्यन्त कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। हमें ऐसे मामलों को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए और हमें महिलाओं के अपमान पर विचार करते समय दलगत राजनीति से ऊपर रहना चाहिये। इस समस्या को प्रशासकीय और समाजिक स्तर लेना चाहिये।

मैं इस ममस्या के समाधान हेतु उन प्रशासकीय उपायों के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जो हमें करने चाहिए। स्त्रियों के साथ अत्याचार करने वालों को दण्ड देने हेतु कानून को और कड़ा बनाना चाहिए। जाँच-पड़ताल के लिये किसी भी स्त्री को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 पुलिस को ऐसा करने की अनुमति नहीं

* मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

देती। परन्तु इसके बावजूद वे अपराधी महिला को थाने ले जाते हैं। ऐसे पुलिस वालों के विरुद्ध अवश्य ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों के लिए जाँच-पड़ताल महिला अधिकारियों द्वारा ही की जानी चाहिये। बलात्कार की शिकार स्त्री की चिकित्सा-परीक्षा सदैव महिला डाक्टर द्वारा की जानी चाहिये। उचित तो यह होगा कि ऐसे मामलों के मुकदमों की सुनवाई हेतु महिला न्यायधीश की नियुक्त की जाये। इस सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिशों को कतिपय उपयुक्त परिवर्तनों के बाद शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाए।

सहमत की आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया जाना चाहिये। यह न केवल प्रशासकीय रूप से आवश्यक है बल्कि समाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न भी है जिससे हम सब को सहमत होना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से तथाकथित आधुनिक युग में महिलाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण विचित्र है। हम भूल जाते हैं कि वह एक माता, एक बहन और एक पुत्री है और केवल यही याद रखते हैं कि वह काम-पिपासा की तृप्ति की एक वस्तु है। जब तक इस प्रकार का दृष्टिकोण रहेगा कड़े से कड़े प्रशासकीय उपाय से भी कुछ नहीं हो सकेगा। प्रशासकों और सम्पूर्ण समाज को देश में स्त्री के सम्मान की रक्षा हेतु सहयोग करना चाहिए।

जब कभी स्त्री के शील और सम्मान को खतरा हुआ है तो पुलिस प्रत्येक अवसर पर इसकी शिकार की सहायता करने में असफल रही है। हमारे पास भारत के प्रत्येक गाँव में तैनात करने के लिये पुलिस वाले कहाँ हैं? जब कभी स्त्री को समाज विरोधी तत्व से खतरा हो तो सम्पूर्ण समाज को उसका साथ देना चाहिये और सहायता करनी चाहिये। यदि हम इसमें असफल रहते हैं तो इसका अर्थ होगा कि पुरुषार्थ समाप्त हो गया है। हम इस प्रकार के अपराधों को किस प्रकार रोक सकते हैं जब एक महिला को परेशान किया जाये और पुलिस खड़ी देखती रहे? यदि पुलिस असफल रहती तो समाज के एक कर्त्तव्यपूर्ण नागरिक के नाते हमें माता, बहन और पुत्री की रक्षा के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

इस मामले में समाचार-पत्रों का भी उत्तर दायित्व है। महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के नाम और फोटो प्रकाशित किये जाएं ताकि पूरा समाज उनकी निन्दा कर सके। ऐसे मामलों की उचित रिपोर्टिंग से भी इन समाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने में काफी सहायता मिलेगी।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : काफी—देर से इस सदन में, देश के अन्दर हरिजनों, अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं पर जो अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, उसका निदान कैसे हो, उसका मुकाबला हम कैसे करें, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस सदन में कुछ ऐसे लोग भी हैं कुछ हमारे ऐसे साथी भी हैं जो सुबह-सुबह उठकर अखबारों में ऐसी खबरें खोजते हैं कि कहाँ पर हरिजनों पर जुल्म हुआ है, कहाँ पर बलात्कार की घटना हुई है और उस समाचार पर दुःख प्रकट करने के बजाय खुशी का इजहार करते हैं इसलिए कि उनको आज एक मसाला मिल गया है और सदन में जाकर वे इस बात की चर्चा करेंगे और यहां आकर वे घड़ियाली आँसू बहाते हैं। हकीकत यह है कि उनको इस बात की चिन्ता नहीं होती है कि जो अत्याचार हो रहे हैं, हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं, उनका क्या इलाज किया जाए, कैसे उनका निदान किया जाए। इस बात की उनको जरा भी

फिक्र नहीं है, अगर फिक्र है तो यह है कि कैसे हम सरकार को नीचा दिखायें और कैसे होम मिनिस्टर को नीचा दिखायें। यही उनके दिल की भावना है, यही बातें हैं।

आज जो बागपत को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब अलीगढ़ और जमशेदपुर, बेलछी में और पता नहीं पिछले तीन सालों में कितनी ऐसी घटनायें हुई हैं, कितने मासूम लोग मारे गये हैं, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, तो उस समय वे कहां थे ? आज आन्दोलन चला रहे हैं हमारे चौधरी चरण सिंह, कहां थे वे उस समय? वह उस समय होम मिनिस्टर थे, इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर थे। अगर वह चाहते तो उस वक्त आन्दोलन हो सकता था। 6 महीने तक लगातार दंगे होते रहे, जमशेदपुर में दंगे होते रहे, चरणसिंह जी के कान पर जूं नहीं रेंगी, लोकदल के लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। इसीलिए कि वह उस समय कुर्सी पर थे, सत्ता में थे।

अगर सही मायनों में हम चाहते हैं कि ऐसे जुल्म न हों, अगर सही मायनों में इस देश के लोग यह चाहते हैं कि हरिजनों पर जुल्म न हों तो हमें आर्थिक विषमता को कम करना होगा। आज देश में जितनी घटनाएं घट रही हैं, अगर उनको गहराई से देखें तो उसके पीछे आर्थिक विषमता सबसे बड़ा कारण है।

आज आपने देखा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमने जमीन, मकान और दूसरी थोड़ी बहुत सुविधाएं हरिजनों को दी थीं इन साढ़े 3 सालों में उन्होंने उन सारी सुविधाओं बन्द कर दिया और फिर उनसे जमीनें छीन ली गई और आज फिर बड़े-बड़े जमींदारों का उन पर कब्जा हो चुका है।

अभी श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि बागपत में उस दारोगा का और इन्सपेक्टर का ट्रांस्फर इसलिये नहीं हो रहा है क्योंकि उसने कांग्रेस को जिताया, इसलिये उसके साथ कार्यवाही नहीं की जा रही है। में उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बंगाल के अन्दर जो उनकी जीत हुई, क्या वह पुलिस के जोर से जीत हुई ?

ज्योतिर्मय बसु जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। 1977 में इन्दिरा जी इस देश की प्रधान मंत्री थीं। सार देश में कांग्रेस हार गई और इतना ही नहीं खुद श्रीमती इन्दिरा गांधी भी चुनाव में हार गई। अगर हमें सत्ता का दुरुपयोग करना होता, पुलिस का दुरुपयोग करते तो कभी भी इन्दिरा जी नहीं हारतीं, कभी कांग्रेस चुनाव नहीं हारती।

हमने हमेशा जनता ने जो फैसला किया है, उस पर विश्वास किया है, अवाम ने जो फैसला किया, है, हमने उस पर विश्वास किया है। आज जब यू. पी. में जनता ने बागपत की जनता ने जब कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया तो आपको भी उसे कबूल करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर इस पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिये। आज देश हमारी ओर, सदन की ओर देख रहा है कि हम क्या कर रहें हैं उनके लिये। आज जो समाज के कमजोर लोग हैं, वह हमारी ओर बड़ी उमीद के साथ देख रहे हैं। इसलिये सारे सदन को चाहे किसी कुर्सी पर हों, किसी पक्ष में हों, उन सब को मिलकर बैठकर फैसला करना होगा कि किस तरह से देश के साथ

हरिजनों पर, अल्पसंख्यकों पर समाज के कमजोर वर्ग पर जो अन्याय हो रहा है, उससे निपटारा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : हम एक गम्भीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक शर्म का विषय है और हमारा सिर शर्म से झुका हुआ है। मुझे उदाहरणों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी घटना किसी भी नागरिक का शर्म से सिर झुकाने के लिए काफी है। अतः इसे दलगत प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। यह अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रश्न भी नहीं है। यह अल्प संख्यकों का प्रश्न नहीं है। यह भारत की माता के सम्मान का प्रश्न है। क्या हम अपनी माताओं के सम्मान की रक्षा के लिये तैयार हैं? क्या हम अपनी माताओं और बहनों को सम्मान रक्षा करने के लिए तैयार हैं? क्या हमें इस प्रश्न पर पक्षपातपूर्ण भावना से, छिछोरेपन से विचार करना है? यह एक अन्य मामला है जिस पर हमें शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए।

मैं घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा। पिछले वक्ताओं ने घटनाओं का जिक्र किया है परन्तु मैं अपने आपको चर्चा की विषय वस्तु तक ही सीमित रखूंगा। मैं हरिजनों और गिरिजनों की आर्थिक अवस्था के प्रश्न को या अल्प संख्यकों के साथ देश में जो भेदभाव किया जा रहा है उसका नहीं लूंगा। प्रश्न तो यह है कि देश में स्त्री-जाति के सम्मान की आम जनता से और देश के कानून और व्यवस्था के रक्षकों से कैसे रक्षा की जाए। मैं सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव देता हूं।

इस समय सरकार के सर्वोच्च पद पर एक महान भारतीय महिला आसीन है। चुनावों में देश की महिलाओं ने इस आशा के साथ उनके पक्ष में मतदान किया था कि उसके द्वारा दिए गए आश्वासन और वायदे क्रियान्वित किए जाएंगे। उसने देश में कानून और व्यवस्था में सुधार लाने का वायदा किया था। देश की महिलाएं उनकी ओर देख रही हैं। क्या वह देश में व्यवस्था की स्थापना करेगी? क्या वह राष्ट्र की आत्मा को इस प्रकार से जागृत करेगी कि यदि किसी एक महिला के साथ बलात्कार किया जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए सैकड़ों व्यक्ति अपनी जान की परवाह न करते हुए तैयार रहेंगे? वास्तव में आवश्यकता इसी बात है, की ओर मुझे विश्वास है कि यदि श्रीमती गांधी के दिमाग में यह बात बैठ जाए तो वह देश में इस प्रकार की भावना पैदा कर सकती है। वास्तव में आवश्यकता इसी बात की है। आप पुलिस पर निर्भर नहीं कर सकते। यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि किसी महिला को थाने ले जाया जाता है तो उसके साथ महिला सिपाही जानी चाहिए। परन्तु मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है उससे महिला सिपाही पर से हमारा विश्वास बिल्कुल उठ गया है। कोई भी मामूली चरित्रवान महिला अपने पुत्र को अपनी मां के साथ बलात्कार करने के लिए नहीं कह सकती। यह एक महिला सिपाही द्वारा किया गया। मैं गृह मंत्री को सुझाव दूंगा कि किसी महिला को महिला सिपाही के रूप में नियुक्त करने से पहले इस बात की पूर्णतया जांच कर लेनी चाहिए कि उसका यौन संबन्धी अतीत क्या रहा है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है कि तब तक किसी महिला को महिला सिपाही नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही किसी भी महिला को जांच के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाना चाहिए। यह काफी नहीं है कि उसके साथ महिला सिपाही को जाना चाहिए अथवा उसके परिवार के सदस्यों को उसके साथ जाना चाहिए। ऐसे उदाहरण ध्यान में आये हैं जिनमें

परिवार के सदस्य पति तथा पुत्र को पुलिस स्टेशन से निकाल बाहर किया गया और महिलाओं को हटाया गया है। यह गृह मंत्री के विचारार्थ है कि क्या यह व्यवस्था नहीं की जा सकती कि केवल एक वकील ही उस महिला के साथ पुलिस स्टेशन आये और यदि इसमें खर्च वहन करने का प्रश्न हो तो इसे सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इसमें होने वाला खर्च इस देश के मातृत्व की इज्जत की रक्षा की तुलना में अधिक नहीं है।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। यह सुझाव दिया गया है कि उन लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए जो इस देश में महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालते हैं। किसी महिला की इज्जत पर हाथ डालना उसे कत्ल करने से भी बुरी बात है और ऐसी सजा दी जानी चाहिए जैसी कत्ल करने के अपराध के लिए दी जाती है। किन्तु मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं. हमारा सारा न्याय शास्त्र ब्रिटेन के न्याय शास्त्र पर अधारित है। एक महिला जिसका शील भग किया गया है यह उस महिला को सिद्ध करना है, कि उसका शील भंग हुआ है। क्या यह हमारे समाज में सम्भव है ? आंकड़े दिये गये हैं कि इतने बलात्कार के मामले हुए हैं। यह तो केवल एक छोटा भाग है। जिस किसी भी महिला के साथ बलात्कार हुआ है वह उसे गुप्त रखना चाहेगी। अन्यथा वह इस समाज में एक गिरी हुई महिला हो जाती है। हमारे समाज में किसी गिरी हुई महिला का कोई स्थान नहीं है। अतः जो आंकड़े दिये गये हैं वह उन वास्तविक घटनाओं की संख्या का जो इस देश में हो रही हैं मात्र एक हिस्सा है। हमने कुछ मामलों में ब्रिटेश न्याय शास्त्र की भावना में परिवर्तन किया है। इस मामले में मेरा सुझाव है कि जब किसी व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप होता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने को निर्दोष साबित करे। यह महिला की जिम्मेदारी नहीं है कि वह सिद्ध करें कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। यह पहला अवसर नहीं है कि मैं यह सुझाव दे रहा हूं। न्याय शास्त्र की इस भावना में अपराधी तब तक निर्दोष है जब तक यह अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है, इस सभा द्वारा पहले ही कुछ मामलों में परिवर्तन किया गया हैं। मेरा गृह मंत्री को यह सुझाव है कि वह इस पर विचार कर इसमें शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन करें। अपने को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होनी चाहिये जिस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है। यही आवश्यकता है। यह हरिजन महिला का प्रश्न नहीं है. यह अनुसूचित जनजाति की महिला का प्रश्न नहीं है, यह भारतीय महिला का प्रश्न है। क्या ब्राह्मण महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया गया है ? कल ही उत्तर प्रदेश विधान सभा में चर्चा हो रही थी कि इन कुछ महीनों में अकेले कानून और व्यवस्था के अभिरक्षकों द्वारा 17 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनमें ब्राह्मण महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें अल्प समुदाय की महिलाएं भी हैं। नारायणपुर में क्या हुआ ? श्रीमती बाजपेयी नारायणपुर के बारे में बढ़ाचढ़ा कर कह रही हैं। उन्हें यह तथ्य मालूम नहीं है कि हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया गया अल्पमत समुदाय की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। किसी को भी तथ्यों के बारे में निश्चित जानकारी होनी चाहिए। अतः मैं इस छोटे मुद्दे तक सीमित नहीं रहूँगा। यह भारतीय मातृत्व की इज्जत का प्रश्न है। सरकार इस पर कड़ी कार्यवाही करे। हम सुबह जब समाचार पत्र खोलते हैं तो कहीं न कहीं किसी घटना का उल्लेख होता है। ऐसा क्यों हो रहा है ? क्योंकि लोग निडर महसूस कर रहे हैं। नारायणपुर में ऐसी घटना घटी हैं किन्तु अपराधियों को कोई सजा नहीं दी

गई। गृह मंत्री के पास अद्यतन जानकारी भी नहीं हैं। क्या कानूनी कार्यवाही की गई है और किस स्तर पर ये मामले लम्बित पड़े हैं ? नारायणपुर में क्या हुआ हैं ? अपराधी कहां है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मत्री के विचारार्थ मैं यह सुझाव दूंगा कि उन्हें मंत्रालय में इस सम्बन्ध में एक कक्ष खोलना चाहिए ताकि इन मामलों की एक-एक करके जांच की जायें और उनकी प्रगति नोट की जाये। यदि सुस्ती दिखाई दे तो मंत्री महोदय इस बात को निश्चित करें कि इन सभी मामलों की उपेक्षान की जाये।

मैं विभिन्न घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा है किसी भी सभ्य राष्ट्र का माथा एक ही घटना से शर्म से झूक जाना चाहिए। यदि हम सभ्य होने का दावा करते हैं तो हमें हर कीमत पर राष्ट्र की आत्मा को जगृत करना होगा और महिलाओं की इज्जत की रक्षा करनी होगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इस अवसर का लाभ उठायेगी।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : (बम्बई उत्तर मध्य) अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो बातें हो रही हैं महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह सिर्फ हरिजनों के ऊपर या आदिवासी महिलाओं के ऊपर ही हों ऐसी बात नहीं है। बूढ़ों के ऊपर भी हो रहे हैं, लड़कियों के ऊपर भी हो रहे हैं, अपनी खुद की लड़की के ऊपर भी हो रहे हैं, ये सारी बातें सुन कर और पढ़ कर ऐसा लगता है कि हमारे देश के बारे में दुनिया क्या समझती होगी। हमारे देश में कहा जाता है कि जहां महिलाओं की इज्जत होती है वहाँ देवताओं का वास रहता है। इस प्रकार की बातें आज तक हम सुनी थीं। मैं यहां पर पालिटिक्स नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। अभी अभी हम ने रिजर्वेशन के लिए दस साल और बढ़ाए हैं, क्यों ? तीस साल तक किस का राज था ? अगर हरिजनों की हालत हम तीस साल में सुधार पाते तो दस साल और बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। मुझे लगता है कि हम सारे लोग इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं यह कहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी जो ये सारे सवाल हैं उनको शेर और शायरी में परिवर्त्तित न करें, यह कोई मजाक की बातें नहीं हैं। बहुत गभीर बातें हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सदन में बैठने वाले जो सदस्य हैं वे इसको समझेंगे कि जो चर्चा चल रही है यह हमारी बच्ची के बारे में है, हमारी लड़की के बारे में है, हमारी बहु के बारे में है और किसी न किसी की पत्नी के बारे में है।

मुझे खुशी है, श्रीमती किदवई ने कहा कि वह यह मानती हैं कि यह सवाल पार्टी का नहीं होना चाहिए। लेकिन नारायनपुर में पालिटिक्स बनाया गया, बेलची में पालिटिक्स बनाया गया ···(व्यवधान)··· मैं अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में कहती हूं कि अगर मुझे पोलिटिकल कैपिटल बनाना होता तो मैं उस लड़की को इदिरा गांधी जी, प्रधान मन्त्री के पास नहीं ले जाती। उसके पहले जब मेरे पास वह लड़की आई तो मैंने कांग्रेस (आई) के सदस्यों से कहा कि आप भी मिलना चाहते हैं तो जनता पार्टी के दफ्तर में वह आने वाली है, आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। मैं चाहती थी उसके नाम का पता पार्लियामेन्ट में सभी को न चले क्योंकि वह एक एडवोटाइजमेन्ट हो जाता है और एक लड़की को सभी लोग देखने के लिए चले जायें यह गलत बात है। मैंने यह कहा था और मैं समझती हूं इसको पोलिटकल रूप में नहीं लेना चाहिए और आज भी मैं ऐसा ही मानती हूं।

मेरा आपको सुझाव है। पुलिस जिसके ऊपर हमने सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली गई है उनको सुरक्षा देने का जो काम बागपत में हुआ और वह डकैत की बीवी कही जाती है, इसलिए हुआ परन्तु मुझे लगता है अगर सम्पत्ति लूटने वाले लुटेरे होते हैं तो स्त्री की इज्जत लूटने वाले भी लुटेरे ही हैं। इसलिए आज जो पुलिस है दे. और क्रिमिनल्स इन यूनिफार्म उनको सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी। 18 तारीख को यह घटना हुई और अगर 19 तारीख को ही पुलिस वालों को सस्पेन्ड कर दिया जाता तो किसी को पोलिटिकल कैपिटल बनाने का मौका ही नहीं मिलता लेकिन आपने ही ऐसा मौका दे दिया। परन्तु आपको यह नोट करना चाहिए कि मैं इसको मानने वाली नहीं हूं।

मै इस सदन में कांग्रेस (आई) की सदस्याओं से प्रार्थना करती हूं कि आइये, आप और हम इस देश की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए इकट्ठी होकर आवाज उठाऐं और कहें कि पुलिस और पुरुष स्त्री की इज्जत लूटते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम एक साथ हैं। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि किसने क्या किया या क्या कहा। हमारी माया के बारे में बाते होती हैं, एक बार नहीं कई बार एक बार बागपत में नंगा किया, यहाँ भी बार-बार नंगा करना चाहते हैं। तो उस बारे में हमको नहीं कहना चाहिए। बार बार उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिये, वह बेचारी वहाँ पर बैठकर क्या कहती होगी ? हमारे देश में जो सबसे ऊंचा स्थान है वहाँ से उसकी इज्जत के बारे में, उसके शरीर के बारे में कि किस प्रकार से किया गया, बार बार बातें कही जायें, यह नहीं होना चाहिए।

मेरी आप से प्रार्थना है हमें इस देश में एक नई हवा बनानी है। लेकिन मैं देखती हूं हमारे देश में ऐसी हवा बनी है, इण्डस्ट्रियल पालिसी की वजह से कि लोग गाँव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। उनके परिवार गांवों में हैं। शहरों में सिनेमा कैसे हैं और पोस्टर कैसे होते हैं ? दुभुक्षितः किं न करोति पापम्। उनके सामने स्टिमुलेटिंग एटमास्फियर रहता है जिसकी वजह से हमारे देश में गुनाह बढ़ गये हैं। मेरी प्रार्थना है कि सवाल सिर्फ पुलिस और पुरुषों को ठीक करने का नहीं है बल्कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की इमेज कैसे बनाई जाये, सवाल इस बात का है। हम रोज अखबारों और मैगजीनों में देखते हैं कि स्त्री का शरीर महत्व का है। स्त्री केवल पुरुष के उपभोग की चीज नहीं है—हम इसको नहीं होने देंगे। सभी बहनों को इसको समझना चाहिए और वे पुरुष इस संघर्ष में हमारा साथ देने के लिए तैयार हों जो यह समझें कि स्त्री पुरुष के उपभोग की चीज नहीं हैं—वह चीज है भी नहीं—वह एक व्यक्ति है और वह अपने अधिकारों के लिए काम करेगी।

मेरी ला मिनिस्टर से प्रार्थना है कि मथुरा केस में जो हमने संघर्ष किया था उसके बाद ला कमीशन ने जो भी हमारे साथ सुझाव मंजूर किये हैं वह जल्दी से जल्दी सदन में लाये जायें।

मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि पुलिस से कहना चाहिये कि आप की ल्वायल्टी किसी भी पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए, न सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, न विरोधी पार्टियों के साथ, बल्कि उनकी निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए और संविधान की इज्जत रखने के लिए ही उन्हें काम करना चाहिए। अगर पुलिस यह समझे कि सत्तारूढ़ पक्ष के साथ सम्बन्ध रखकर कोई भी गुनाह करेंगे, उसकी सजा नहीं होगी तो कभी पुलिस रक्षा का काम नहीं कर पायेगी। अतः

पालिटिक्स से ऊपर उठकर इस देश की इज्जत रखने के लिए, यहां पर मैंने जो कुछ सुझाव रखे हैं उन पर मन्त्री जी ठोस कार्यवाही करें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है क्योंकि उन्होंने पूरी गम्भीरता के साथ भाग लिया है तथा उनमें से कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग दिया है किन्तु अधिकांश सदस्यों ने पूरी गम्भीरता से इस पर चर्चा की है। अतः मैं उनका धन्यवाद करता हूं ।

श्रीमती किदवाई, श्रीमती गीता मुखर्जी, चन्द्रजीत जी तथा अन्त में बाबू जी ने अच्छे सुझाव दिये हैं, हम देखेंगे कि उन्हें कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है और किस प्रकार इसे देश के कानून से जोड़ा जाये। वास्तव में यह एक प्रश्न है जैसाकि बाबूजी ने सही कहा है यह भारतीय मातृत्व का का प्रश्न है किन्तु हरिजनों पर और कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचारों के बारे में कई बातें कही गई हैं। अतः मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा।

मैंने इसे सभा में पहले भी बार बार कहा है कि यह सरकार कमजोर वर्गों और विशेषरूप से महिलाओं के उत्थान और रक्षा के प्रति वचनबद्ध है। जैसाकि मैंने पिछले अवसरों पर कहा है हमने हरिजनों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कुछ आर्थिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि इस वर्ष इन समुदायों के उत्थान के लिए 100 करोड़ रुपये की एक विशेष सहायता योजना स्वीकृति की गई है। हम एक राज्य से दूसरे राज्य में बैठकों में समीक्षा करने के लिये जा रहे हैं और वहां भी हम राज्य सरकारों पर राज्य विशेष में अनुसूचित जातियों के लोगों की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अनुपात में धनराशि के नियतन के महत्व पर जोर देते रहे हैं। प्रधान मन्त्री ने सभी उप-राज्यपालों, राज्यपालों और मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखे हैं और उसके बाद गृह मन्त्री ने इस समस्या पर कार्यवाही की जानी है चाहिए उसके लिए उन्हें विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये हैं। राज्यपालों और मुख्यमन्त्रियों की गत बैठक में जब वे यहां थे, इस समस्या सम्बन्धी चर्चा पर विशेष ध्यान दिया गया था किन्तु उसके बाद भी इस देश में ये घटनाएं बार-बार हो रही हैं। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हमारा यह प्रयास रहेगा ये घटनाएं कम से कम हों और हमेशा के लिए बन्द हो जायें।

तथापि पुलिस का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, वह चाहे कहीं भी किसी भी रूप में हो, निन्दनीय है और सरकार को इस सम्बन्ध में कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। यद्यपि कोई भी सरकार अपने पुलिस अधिकारियों की गलत काम के लिए विशेषरूप से महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के लिए रक्षा नहीं करेगी किन्तु कम से कम यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू करने से पहले प्रथम दृष्टया जांच में अपराध की पुष्टि होनी चाहिये। हाल की कुछ घटनाओं में जिनके बारे में समाचार-पत्रों में उल्लेख किया गया है तथा विशेष रूप से विपक्षी नेता जिनसे उत्तेजित हुये हैं, यह पाया गया है कि आरोप पूर्णतया निराधार हैं और यदि यह झूठ न हो तो इससे यह धारणा बनती है कि इस प्रकार की अपुष्ट, झूठी तथा खतरनाक खबरों को प्रकाशित कर सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार के उत्तेजनापूर्ण बयान का जो समाचार-पत्रों में आये हैं बिना उचित जांच के राजनीतिक लाभ उठाना ठीक नहीं होगा। बागपत में नौ पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार का आरोप तथा उत्तर प्रदेश में हरिजनों को मारने तथा 250 महिलाओं और

बच्चों को जख्मी करने तथा नौ हरिजन महिलाओं के साथ व्यापक बलात्कार जिसे कुछ समाचार पत्रों में महत्व दिया गया, जाँच करने पर पाया गया कि ये यदि बहुत झूठे नहीं तो बहुत ही उत्तेजना पूर्ण थे। इससे यही धारणा बनती है कि अखबरों के इस प्रकार पक्षपात पूर्ण प्रचार के कुछ गुप्त अभिप्राय है।

श्री ए. नीला लोहिया दसन (त्रिवेन्द्रम) : क्या मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : में वाद-विवाद मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। गृह मन्त्री वाद-विवाद का उत्तर देगे। किन्तु जब मैं हस्तक्षेप कर रहा हुं तो कुछ माननीय सदस्यों ने जो कतिपय बातें उठाई हैं उनका हवाला देना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है। श्री ज्योतिमय बसु ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के 25वें प्रतिवेदन का हवाला दिया है। किन्तु जब उन्होंने उसका हवाला दिया तो उन्हें मालूम नहीं है कि यह प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 का विशेषरूप से वर्ष 1977-78 के अन्तिम भाग से सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध उस अवधि से है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी और जनता पार्टी सत्ता में थी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने प्रतिवेदन में जो भी टिप्पणी की है वह जनता पार्टी के विरूद्ध है न कि कांग्रेस पार्टी के विरूद्ध है।

साथ ही उन्होंने बांदा में हुई घटना का उल्लेख किया है। वह प्रतिवेन निराधार है और जांच करने हर मालूम हुआ है कि यह अधिकांशतः सही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सही क्या है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं बताऊंगा सही क्या है। उन्होंने दुर्ग की घटना का भी उल्लेख किया है। उसके बारे में भी जाँच करने पर मालूम हुआ है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसाकि मेंने पहले सही कहा था कि माननीय सदस्यों ने जिन बहुत सी घटनाओं का उल्लेख किया है इनमें से कुछ ही घटनाओं में कुछ सच्चाई है किन्तु कई घटनाओं का समाचार-पत्रों ने बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। मैं गुप्तचर विभाग तथा आसूचना ब्यूरों जैसे स्वतंत्र भारत प्राधिकारों के जांच अधिकारियों की रिपोर्टों के आधार पर चलता हूं।

दूसरे वक्ता, श्री चन्द्रजीत यादव ने बड़े अच्छे सुझाव दिए। उन्होंने पूरी गम्भीरता से इस मामले पर चर्चा की है। मैं इस इरादे की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने पिपरी और अन्य जगह के मामलों की स्थिति के बारे में जानना चाहा है। पिपरी में घटना 25 फरवरी, 1980 को घटी और उसी दिन शिकायत दर्ज कर दी गई थी और 8 अप्रैल, 1 80 को आरोप-पत्र दे दिया गया था तथा 18 मार्च, 1980 को मामला सेशन न्यायालय को सौंपा गया था। 8 अप्रैल, 1980 को सेशन न्यायालय ने विचारण प्रारम्भ हुआ और राज्य सरकार के निवेदन पर, उच्च न्यायालय ने मामसे की दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश निश्चित कर दिया है।

जहां तक वेलची कांड का सम्बन्ध है, यह 28 मई, 1977 को पंजीकृत कराया गया था और 30 जून, 1977 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि मुकदमा 5 फरवरी 1980 को शुरू हुआ।

आप इन दोनों मामलों के अन्तर को देख सकते हैं, उस ढंग को भी जिससे वर्तमान सरकार ने मामलों पर विचार किया है। अब यह भी देखिए कि जाँच किस प्रकार से की गई है और किस ढंग से न्यायिक प्राधिकारियों को मामलों को निपटाने के लिए कहा गया है जिससे इस प्रकार के मामलों को उच्च प्राथमिकता दी जाये। इस सबसे पता चलता है कि यह सरकार जिस आशय से इसे चुना गया है उसके प्रति ईमानदार है।

कुछ अच्छे सुझाव भी माननीय सदस्यों ने दिए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, मैंने उन्हें ध्यान में रख लिया है और हमारा यह प्रयत्न होगा कि इनमें से बहुत सों को कार्य रूप दे दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य विपक्ष के नेताओं की बैठक के बारे में जानना चाहते थे। मैं इस सदन में बारम्बार कह चुका हूं कि हरिजनों पर अत्याचारों की इस समस्या पर हम विपक्ष के नेताओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी सांसदों के साथ विचार-विमर्श करने वाले हैं। 14 जुलाई, 1980 के लिए एक बैठक निश्चित की गई हैं। मैं विपक्ष के नेताओं को पहले ही पत्र लिख चुका हूँ। मेरे साथी, संसदीय कार्य मन्त्री महोदय ने लिखा है···

प्रो. एन. जी. रंगा (गुन्टूर) : कांग्रेस (इ) के कुछ संसद सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के, सभी दलों के सदस्यों को छोटे-छोटे समूहों में बुलाया जा रहा है और विभिन्न तिथियां निश्चित की गई हैं जहाँ इस पर खुले रूप में चर्चा की जायेगी। इस मामले पर विचार-विमर्श करने और उन्हें कुछ अनुदेश देने के लिए 15 जुलाई, 1980 को राज्य गृह-सचिवों की एक बैठक बुलाई गई है।

एक महिला ससद सदस्य ने 'बन्द कमरे' में विचारण की सलाह दी थी। यह एक सुझाव दिया

श्री मलिक एम. एम. ए. खां (एटा) यह हरिजनों का ही सवाल क्यों बनाया जा रहा है, इसमें माइनोरिटी कम्युनिटीज के लोग भी हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : केवल हरिजनों की ही नहीं, मैं तो असूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों, अल्पसख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों (व्यवधान) की बात कर रहा हूँ। (व्यवधान) इसमें समाज के सभी कमजोर वर्ग को सम्मिलित कर लिया गया है, परन्तु जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कमजोर वर्गों का मुख्य अंग हो तो, मुझे इस महान सदन को सूचित करना ही चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं।

जहां तक महिलाओं के साथ बलात्कार आदि अपराधों का सम्बन्ध है, सरकार काफी सतर्क है माननीय महिला सदस्या श्रीमती गीता मुखजी ने एक ज्ञापन भेजा है। और इस सदन तथा दूसरे सदन के सदस्यों ने कुछ पत्र भी लिखे थे। सरकार ने मामले को तुरन्त विधि आयोग के पास भेज दिया और विधि आयोग के चौरासिवें प्रतिवेदन में, बहुत सुझाव दिए गये हैं। गृह और विधि मन्त्रायल प्रतिवेदन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं चूंकि आपराधिक विधि समवर्ती सूची विषयों में आती है, इसे राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजा गया है। विधि आयोग कि सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिये, विभिन्न राज्य सरकारों के गृह सचिवों और

अन्य सम्बद्ध अधिकारियों के साथ एक बैठक 15 जुलाई, 1980 को निश्चित की गई है। उसके तुरन्त पश्चात भारत सरकार के रुख को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। उन्होंने विभिन्न विधियों अपराधी विधियों पर बहुत से सुझाव दिये हैं। विधि-अयोग ये भारतीय दन्ड संहिता में संशोधनों का सुझाव दिया है। अपराधी दन्ड प्रक्रिया में संशोधन के बहुत से सुझाव दिये गये हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत से संशोधनों का सुझाव दिया गया है

एक माननीय सदस्य : किस बारे में ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : दन्ड के बारे में, और जिस ढंग से जाँच की जानी चाहिए तथा साक्ष्य प्राप्त की जानी चाहिए। इन संशोधनों के अधीन बहुत से पहलुओं को ले लिया गया है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, प्रतिवेदन पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। जैसे ही हमें राज्य सरकारों से प्रतिवेदन वापिस मिल जाते हैं हम अपने मत को अन्तिम रूप दे देंगे। और जैसे कि गृह मन्त्री महोदय राज्य सभा को पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक व्यापक संशोधन लाया जायेगा, उस समय भी इस सदन के सभी सदस्यों को इस पर विस्तार से चर्चा के लिए एक अवसर मिलेगा।

एक माननीय सदस्य। इसी सत्र में क्या ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैं कह चुका हूँ यह विषय समवर्ती सूची में आता है। हमें राज्य सरकारों से भी प्रतिवेदन प्राप्त करने है। जैसे ही वे मिल जाते हैं, गृहमन्त्री महोदय एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत करेंगे। इस सदन में और उस सदन में भी, इस समस्या पर विस्तार में चर्चा करने के लिए सभी सदस्यों को एक अवसर मिलेगा।

जैसा कि मैंने कहा है, माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को मैंने नोट कर लिया है और विभिन्न विधियों में सशोधन करते समय, उन पर विचार किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ महोदय मैं आपके माध्यम से इस सदन के सभी सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार काफी सतर्क है जैसा कि बाबूजी ने ठीक ही कहा है, भारत की प्रधान मन्त्री बहुत कुछ कर सकती हैं, करने का उनका इरादा भी है, वे बहुत सी बातें करने के लिए वचनबद्ध हैं और वे करना भी चाहती हैं। मैं इस सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि सदन के समक्ष एक व्यापक संशोधन लाया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हरिजनों, कमजोर वर्गों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यक वर्गों पर किसी प्रकार के अत्याचार न हो, इस दिशा में हर कार्यवाही की जायेगी।

इन शब्दों के साथ, महोदय मैं आपको और सभी मानीनय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री ए. नीला लोहिथादासन (त्रिवेन्द्रम) आज की तरह, हमारे देश के इतिहास में, कभी भी महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं इतनी अधिक संख्या में नहीं घटी।

समाचार पत्रों में प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं। परन्तु गृह राज्य मन्त्री, श्री मकवानाजी बता रहे हैं कि वे समाचार-पत्रों की खबरों पर भरोसा न करके केवल अपने अधिकारियों की रिपोर्टों पर निर्भर कर रहे हैं। वे कौन अधिकारी हैं? वे पुलिस अधिकारी हैं। रिपोर्ट भेजने वाले कई पुलिस अधिकारी तो घटनाओं के लिए स्वयं दोषी हैं। यदि गृह मन्त्री महोदय, उन पर ही भरोसा करने वाले हैं तो न्याय कैसे होगा।

महोदय, मैं घटनाओं को उद्धृत नहीं करूंगा, क्योंकि समयाभाव है। उन पर इस सदन में ही पहले विचार हो चुका है। रही बागपत की बात, उसे इस सदन में मान लिया गया में। गृह मन्त्री महोदय ने घटना को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने घोषणा की थी कि वे वहां दौरे पर, जांच के लिए जायेंगे। परन्तु वे वास्तविक घटना स्थल पर गये ही नहीं। वे शारीरिक रूप साहसी पुरुष लगते हैं, परन्तु उन्होंने असली घटना स्थल को देखने का मानसिक साहस नहीं दिखाया। स्थल का दौरा करने के बाद भी उनका कहना है, मैं पूर्णतया दुविधा में हूँ।' महोदय, यदि स्वयं गृहमन्त्री महोदय ही दुविधा में हों तो, राष्ट्र का क्या भाग्य होगा ? इस देश के मातृत्व का क्या भाग्य होगा ? इस देश की बहनों और बेटियों का क्या बनेगा ?

महोदय, किसी ने नारायणपुर की घटना का भी उल्लेख किया था। महोदय स्व० श्री संजय गांधी ने ही इस मामले को सदन में उठाया था और तत्कालीन लोक दल मन्त्रालय को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया था। अब देखिए कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने उस पुलिस अधीक्षक को फिर से सेवा में ले लिया है जो मामले में अभियुक्त था और जिसे तत्कालीन लोक दल मन्त्रालय ने पदच्युत कर दिया था। यदि आप इस ढंग से प्रशासन को चलाते रहे तो आप महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे कर सकेंगे ?

इसके पश्चात मैं गृहमन्त्री महोदय, से जो कि यहां उपस्थित हैं मैं यह पूछना चाहता हूँ जो कि चट्टान की तरह अप्रभावित और हर उस किसी घटना से अप्रभावित लगते हैं जो कि इस देश में घट रही है उनके इस अटल विश्वास के साथ कि, 'इस देश में घट रही घटनाओं के लिए उत्तरदायी चंडाल-चौकड़ी के प्रति में व्यक्तिगत रूप से वफादार हूँ और मैं गृह मन्त्री बना रहूँगा।' महोदय परन्तु इस देश की महान परम्परा रही है। आप गृहमन्त्री की उस महान पीठ पर विराजमान है जिसकी शोभा सरदार बल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और गोविन्द वल्लभ पन्त जैसे महान पुरुष बढ़ा चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश में एक परम्परा कायम की थी एक भीषण विभित्स रेल दुर्घटना के तुरन्त बाद उन्होंने रेल मन्त्री पद से त्याग-पत्र दे दिया था। इसी प्रकार चीनी आक्रमण के पश्चात रक्षा मन्त्री श्री कृष्णामेनन ने त्याग-पत्र दे दिया था। अतः कम से कम देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए या कम से कम विश्व को यह दिखाने के लिए कि सरकार मामले के प्रति गम्भीर है, में उनके त्याग-पत्र की माँग करता हूँ। अन्यथा, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, बागपत में 18 तारीख को यह घटना घटती है और 20 तारीख को श्री राज नारायण जी वहाँ जाते हैं। दूसरे दिन अखबारों में यह खबर आती है।

मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आखिर इस घटना पर इस देश के अन्दर जो चर्चा हो रही है उसके कारण हम और आप सब इस पर विचार करने के लिए मजबूर हुए। ये हैं हालात जो आज देश के सामने हैं। इनके रहते हम यहाँ पर इस विषय पर विचार कर रहे हैं।

एक बात मैं कहना चाहता हूं। माया त्यागी की इज्जत लूटी गई, वह तो अलग बात है। लेकिन अब शायद उसकी जिन्दगी भी खतरे में है। इस वास्ते होम मिनिस्टर और प्रान्तीय सरकार को उसकी रक्षा करने की अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए और उसकी जिन्दगी की रक्षा करनी चाहिए।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : वह उनके परिक्षा में है।

श्री मनी राम बागड़ी : मैं ज्ञानी जी का बड़ा आभारी हूं कि वह मौके पर गए लेकिन मैं समझता हूं कि ज्ञानी जी अगर समझदार डाक्टर होते तो एक दम से फोड़े का आप्रेशन कर देते और जो पीक थी उसे निकाल देते। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद यह सब कुछ कहने का हम को मौका नहीं मिलता। जो ढील बरती गई हैं, जो मजबूत कदम नहीं उठाए गए हैं उसी का यह नतीजा है कि बार-बार इस देश के अन्दर इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, उनको चर्चा का विषय बनाना हमको पड़ रहा है। ज्ञानी जी ने मौके पर जाकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मौके पर जाकर उनको जो मजबूत कदम उठाना चाहिए था वह कदम उन्होने नहीं उठाया। इन्दिरा जी की मैं इस मामले में निन्दा नहीं करता हूं उनकी मैं तारीफ करता हूं। वह गई अन्यत्र और जाने के बाद उन्होंने कदम उठाए। लेकिन ज्ञानी जी ने ऐसा नहीं किया। ज्ञानी जी गए और उन्होंने अपना कदम वापिस ले लिया जिसकी वजह से यह सब बवडर उठा।

गुरु नानक की याद मैं आपको दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

हाकिम चोर मुसद्दी कुत्ते
जा जगावन थाँ-थाँ सुत्ते।

मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञानी जी के जमाने में अगर बेटे को माँ के साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर किया जाय और पुलिस वाले ऐसा करें, बाप के सामने बेटी के साथ पुलिस वाले बलात्कार करें तो उस देश का क्या हाल होगा इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, इस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर हूँ कहने के लिए कि हिन्दुस्तान की फौज का भी पतन हो रहा है। मैं फौज के हाकिमों से कहना चाहता हूं, जनरलों से कहना चाहता हूँ कि देश में यह जो तबाही हो रही है इस तबाही से देश को वे बचायें और इस देश के चरित्र को कायम रखें, देश की रक्षा वे करें। फौज को इन कामों में नहीं उलझना चाहिए। रेलों में किस तरह से और क्या हो रहा है, इसके किस्से भी रोज पढ़ने को मिल जाते हैं। ज्ञानी जी आप याद रखें। आपको घमड है, इन भाइयों को घमड है लेकिन घमंडी का सिर नीचा होता है। क्या आप भूल गए हैं वे दिन कि एमरजेंसी की वजह से जनता ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया था, पुलिस जूतों से पीटती थी, ठोकरें मारती थी, तुम रोते थे ? इन लोगों ने भी कोई काम नहीं किया और हिन्दुस्तान की जनता ने इनको भी उखाड़े कर फेंक दिया। समय आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है आपको भी लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। गांधी जी ने क्या कहा था इसको भी मैं आपको याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा कांग्रेस वालों सचेत हो जाओ और ठीक काम करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह जमाना आएगा कि गांधी टोपी वालों को लोग चुन-चुन कर मारेंगे। याद रखों मजाक करने वालों, तुम्हारा नामोनिशान नहीं मिलेगा। हालत इस तरह के पैदा हो रहे हैं. हालत इस ओर इशारा कर रहे हैं। एक जलजला आएगा और तुम मिट जाओगे। इसको मामूली बात न समझो।

मैं ज्ञानी जी की हालत को समझ रहा हूं। ज्ञानी जी कोई मामूली आदमी नहीं है। वह सिख सिद्धान्तों के कायल हैं। आखिर ज्ञानी जी भी इस देश के रहने वाले हैं। भारत में हर कोई

किसी बेटी का बाप हैं, किसी पत्नी का पति है किसी मां की कोई बेटी है और जब किसी की इस तरह से इज्जत लुटती है तो यह हो नहीं सकता है कि ज्ञानी जी चुप बैठे रहें और कोई सख्त कदम न उठाएं। लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है। जिस तरह से हिन्दुस्तान में बंधुवा मजदूर हैं, उसी तरह से आज कल बंधुवा वजीर भी हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं। ज्ञानी जी, समस्त संसार को याद रखो, जब जुल्म इस देश में बढ़े, पटना से गुरु तेग बहादुर, पटना, जहां से श्री गुरु गोविन्द सिंह अपने पिता को कहते हैं, जाओ, दिल्ली का दरबार, दिल्ली तुमको शहीदी के लिए पुकारती है. जो कि जुल्मों सितम का केन्द्र बन गई है। वहां बहिनों की, अबलाओं की इज्जत लुट रही है। आज देश की महिलाओं की इज्जत लुट रही है, इसके लिए कुछ करो, वरना जमाना नहीं बख्शेगा। जेल तो हमारी भी होगी, कैद तो हमारी भी होगी, लेकिन बख्शे आप भी नहीं जायेंगे।

याद रखना कि इस देश में बेटी चाहे वह किसी की है, बेटी है, हम सब की बेटी है। मान लो. मानते नहीं, लेकिन जबान से कहते हैं। बहिन जी ने कहा कि कानून से कुछ नहीं होता यह सत्य है। सिर्फ कानून से नहीं होता, लेकिन यह भी सत्य है कि कानून से नहीं होता तो गन्दे कानून बनाये जाते हैं। चोरी कानून से नहीं रुकती तो चोरी का कानून हटाया नहीं जा सकता। बच्चों की शादियां शारदा एक्ट से नहीं रुकीं तो उसको हटाया नहीं जाता, रेप अगर कानून से नहीं रुकती तो उस कानून को खत्म बनाओ, ज्ञानी जी, आपके हाथ क्यों कमजोर हैं ? आप गुरु गोविन्द सिंह को मानने वाले हो, तो उठाओ कलम, घरों जेल में उन दरिन्दों को जिन्होंने इस किस्म का भ्रष्टाचार किया है।

कहां हैं, मकवाना साहब, आपको याद है कि थाने में जींद की हरिजन लड़की आपके द्वारा बरामद कराई गई, उस थानेदार को आपने मुअत्तिल नहीं किया। आपने ज्ञानी जी, वहां पर, यह ठीक है, मैं साफ कहता हूं (व्यवधान) आप किसको कहलवाना चाहते हो?

ज्ञानी जी घर मंत्री हैं। इन्दिरा जी को मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि इन्दिरा जी इस समय शोक में हैं, मैं उनसे इस समय बात नहीं करना चाहता। ज्ञानी जी घर मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं. मैं उनसे कहना चाहता हूँ या तो करो या इस्तीफा दे दो। आप को शोभा नहीं देता है। आप इस देश की समस्त बेटियों के बाप हैं, सिर्फ एक दो या चार बेटियों के बाप नहीं हैं जो अपने घर में पैदा हुई हों।

मैं उमीद रखूंगा कि या तो कर जाओ, या हट जाओ, इस देश की परम्परा को कायम रखो।

मेरे भाई ने कहा कि लोकदल करेगा। अच्छा होता लोकदल ही नहीं, बल्कि समस्त लोग मिलते, जो बागपत के अन्दर एजीटेशन थी, उसमें कांग्रेस के भी आदमी थे, जिन्होंने आन्दोलन खड़ा किया, आन्दोलन का मतलब सत्याग्रह नहीं, जिन्होंने आवाज उठाई। एक पार्टी की बात मत बनाओ, देश की बनाओ।

मैं हिन्दुस्तान के सभी लोगों को आह्वान करता हूं, बिला लिहाज किसी पार्टी के, अगर जुल्म हो तो गांधी जी ने कहा था कि अगर बहिनों की इज्जत को अहिंसा के रास्ते पर चलकर

नहीं बचा सकते तो चाहे हिंसा करो, जान देकर इज्जत बचाओ, अगर जान देकर नहीं बचा सकते हो तो जान लेकर इज्जत बचती हो तो जान ले लो मगर अबला की इज्जत बचाओ।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रणाली, व्यवस्था बड़ी ही बुरी स्थिति में है। महोदय कुछ समय पहले, हम अपने गृह राज्य मन्त्री के तथाकथित हस्तक्षेप को सुन रहे थे और मुझे इससे और निराशा हुई है कि किस ढंग से उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर सरसरी तौर पर कार्यवाही की है। और मुझे उनके उन शब्दों पर आपत्ति है जब उन्होंने यह कहा कि महिलाओं पर अत्याचार, उनके साथ बलात्कार आदि उनके लिए 'बलात्कार' अन्य सैकड़ों अत्याचारों के ही समान है और उसे 'बलात्कार' आदि नाम दिया जा सकता है। महोदय, कार्यवाही वृतान्त से इस शब्द को निकाल दिया जाना चाहिए। महोदय, हरिजनों के ऊपर अत्याचार आदि वासियों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार हमारे देश के लिए कोई नया समाचार नहीं है। हम इसके आदी हो गये हैं। हर सवेरे हम इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं। हमने इन्हें कांग्रेस के शासन काल में देखा। हमने इन्हे जनता शासन में में देखा। हमने इन्हे लोकदल के शासन में देखा। हम लोग पुन: इन्हे कांग्रेस के शासन में देख रहे हैं। यही बात है कि हम अभ्यस्त हो गये हैं। परन्तु, महोदय यह विशेषता है कि ये चीजें देश के संरक्षकों को ही भयभीत कर रही है और यहां तक इसकी सीमा है कि सदन में भी भय की भावना भर रही हैं। हम केवल इतना जानते थे कि हरिजनों का बलात्कार किया जाता है, हरिजनों को उत्पीड़ित किया जाता है। अब यह देखते हैं कि यह सीमा लांघ रही है। हमारे समुदाय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। शासक वर्ग पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इससे आतंक पैदा हो गया है। महोदय जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब हम पुलिस सरंक्षण चाहते हैं। परन्तु, पुलिस से हमें कौन बचायेगा ? यह एक प्रश्न है। व्यवस्था ऐसी हो गई है कि रक्षा करने वाली पुलिस ने ही भक्षण करना शुरू कर दिया है। महोदय, आप बेनट के सहारे कई काम कर सकते हैं। परन्तु आप उस बेनट पर नहीं बैठ सकते हैं। व्यवस्था अपनी ही बेनट पर बैठ रही है अब आतंकित है। महोदय, यही बात है।

मुझे मालूम है कि आप मुझे समय नहीं देंगे। परन्तु रोनाल्ड सेगल की एक पुस्तक भारत में संकट मैंने बहुत पहले पढ़ी थी वह मुझे याद आती है। उस पुस्तक में भारत के दो प्रांतों एक केरल और दूसरे उत्तर प्रदेश की तुलना की गई। वे कहते हैं कि केरल और उत्तर प्रदेश में क्या अन्तर है मैं इस समय संसद में हूं और पहले मैं विधान सभा में भी था। मैंने केरल में भी बलात्कार की घटना नहीं सुनी और न कभी चर्चा की है। परन्तु ये सारी चीजें केवल बिहार में ही क्यों हो रही है ? केवल उत्तर प्रदेश में ही क्यों; क्या अन्तर है! इस भव्य सदन से यह पूछना चाहूंगा कि एक महिला की जाति क्या है ? आप देखेंगे कि जो समाज हरिजनों पर आदि वासियों पर अत्याचार करता है वही समाज महिलाएं पर भी अत्याचार करता है परन्तु महिलायें भी अनुसूचित जाति व हरिजन होती है।...

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) हम इससे सहमत नहीं हैं।

श्रीए. के. राय (धनबाद) आप इसे पसंद न करें, माता जी परन्तु आप सहमत हैं। अत: यह स्थिति है। यहां एक बात और है जिसमें आपको बताना चाहूंगा। उनका कहना है कि भारतीय दंड संहिता में शसोधन लाकर वे महिलाओं की इज्जत की रक्षा करेंगे। मेरा उनसे मतभेद है।

मुझे सारे भाषणों से पता चलता है पाकिस्तान के जिलाऊलहक की खुशी होगी शायद वह कानून सर्वोत्तम है जहां बलात्कार के अपराधी को पत्थरे मार मार कर उसकी मृत्यु कर दी जाती है। आप ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हैं ? परन्तु कानून औरतों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता है। इसके लिए ऐसी सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है जहां महिलाओं को ही नेतृत्व करना होगा। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। महोदय मुझे पैराडाइज लांस्ट्स का एक शब्द याद आता है।

'जिन्दगी में अच्छे समय में या मुसीबत में भी कमजोर होना दुखद है।'

अगर आप पुरूषों की दया पर निर्भर हैं तो आपकी इज्जत खतरे में है। हम एक पूंजीवादी समाज में जी रहे हैं यहां सभी चीजें पदार्थ है। यहां तक कि औरत का शरीर भी एक पदार्थ है हम बलात्कार करने वालों को फांसी देने की बात करते हैं। क्या आप इन सब बेहूदे चित्रों, सिनेमा और संस्कृति पर प्रतिबंध लगा सकते हैं; आज हम विकृत और वृत संस्कृति में जी रहे हैं जो हमारे देश की राजनीतिक गठन को भी दूषित कर रही है महोदय, इसलिए यह एक बड़ी समस्या है। मेरा कहना है कि इस बड़ी समस्या का हल छोटे तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। इसका हल कोई हल्के तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस देश चेतना और सदन की चेतना से जगने और संघर्ष करने का अनुरोध करता हूँ। भारत मातृत्व का प्रतीक है। हम भारत माता कह कर पुकारते हैं न कि भारत पिता कहकर। पश्चिम में वे लोग पितृभूमि कहकर पुकारते हैं। हम मातृभूमि कहते हैं। हमारी माँ को आज खतरा है हमें उठना चाहिए एवं एक होकर संघर्ष करना चाहये और माँ की इज्जत की रक्षा करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, गृह मंत्री के पुलिस-समर्थक दृष्टिकोण के कारण हम वाक-आउट करते हैं।

तत्पश्चात श्री हरिकेश बहादुर एवं कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।

श्री मलिक एम.एम.ए. खां (एटा) : इस हाउस का** बाहर चला गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं असंसदीय शब्दों को कार्यवाही वृतांत से निकलवा दूंगा।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हमारे 16 सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। सब के विचारों पर मैं टिप्पणी करूं इसकी मेरे ख्याल में जरूरत नहीं रही है। हर ख्याल के मुताबिक एक दूसरे के विचारों को कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है और कुछ ने एक दूसरे की काट भी की है। इसलिए भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा समय मैं हाउस का न लूं। मेरे कुलीग जिन्होंने इंटरवीन किया, कुछ बातों पर उन्होंने विचार प्रकट कर दिया। मैं सतर्क था कि शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत ही न होती मगर यह जो मोशन है उस में लिखा है ··

महिलाओं, विशेषकर कामकाजी महिलाओं, हरिजन और आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचार की घटनाओं में पैमाने पर वृद्धि और ऐसे अपराधों में पुलिस कर्मचारियों के दोषी होने के संबन्ध में चर्चा उठाना।"

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अगर इस मोशन में इन्क्रीज शब्द न लिखा होता, तो मैं समझता था कि मेरे बोलने की जरूरत नहीं थी। यह 'इन्क्रीज" का जो लफ्ज है, यह बिलकुल गलत है और मैं आथेन्टिकली करता हूं, इस सम्माननीय हाउस के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये जितनी बुराइयां इस मोशन में लिखी गई हैं, एक-एक कर के बढ़ी नहीं हैं, कम हुई हैं। बढ़ी नहीं है, बल्कि कम हुई हैं। जिसका सुबूत देने के लिये मेरा ख्याल है कि राजेश जी की तकरीर में और दूसरे आनरेबिल मेम्बरों की तकरीरों में काफी कहा गया है। अगर किसी मेम्बर को शुब्हा हो, तो मेरे पास ये रिकार्ड्स हैं' मैं बता सकता हूं, 1975 से लेकर अब तक··· (व्यवधान)···

श्री मनीराम बागड़ी : ज्ञानी जी, पुलिस रेप के आंकड़े जरा बतायें।

श्री जैल सिंह : मैंने बागडी जी की बातें बड़े गौर से सुनी हैं और मैं तो ज्योतिर्मय बसु से लेकर डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जी, राजेश पायटल, चन्द्रजीत यादव जी, श्रीमती मोहसीना किदवई, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री धर्मदास शास्त्री, श्री नागरत्नम जी, श्री आर.के. महालगी, तारीक साहब, बाबू जगजीवन राम जी और श्रीमती प्रमिला दण्डवते जी, मकवाना जी, नाडार जी, बागड़ी जी और ए.के. राय जी, की बातें सुनता रहा हूं। प्रमिला दण्डवते जी तशरीफ ले गई। इन सब माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने अपने विचार दिये हैं, मैं उनका मशकूर हूं और उस के लिये उन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिये। कुछ बातों पर जहां उन्होंने शका प्रकट की हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। बाबू जी का जो विचार है. उन्होंने बहुत आदर्श वादी बातें की और असल समस्या को ठीक तरीके से निपटाने के लिये अपने ख्याल दिये। मैं समझता हूं गुस्से से और लड़ाई से इन निहायत शर्मनाक घटनाओं को खत्म करने के लिये हम किसी नतीजे पर नहीं हुंच सकते। यह हमारे समाज पर एक काला धब्बा है मगर यह धब्बा यह कह कर कि उस पार्टी के जमाने में हुआ, इस पार्टी के जमाने में हुआ, मिट नहीं सकता है। किसी के जमाने में ज्यादा हुआ होगा और किसी के जमाने में कम हुआ होगा। लेकिन इस बात पर भी आप इतफाक करेंगे कि भारत के इतिहास में यह बीमारी सदियों पुरानी है। यह मनुस्मृति के समय की बीमारी है। जब भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य शूद्र में बटवारा किया गया तब से यह बीमारी चली आती है। आप इस बात को मानेंगे कि इस पुरानी बीमारी को कैसे उखाड़ा जा सकता है इसके ऊपर काफी ठडे दिल से और कराखदिली से बात करनी पड़ेगी।

बागड़ी जी ने गुरु गोविन्द सिंह जी का, गुरु नानकदेव जी का हवाला दिया, ज्यादातर दिया, इसलिए कि मैं उनको जानता हूं। मेरी पगड़ी, दाढ़ी, और केश को देख कर उन्होंने ज्यादा हवाला दिया। खैर, मैं खुश हुं, मुझे इस बात पर कोई नाराजगी नहीं है।

आज मैं कोई शेर नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि श्रीमती प्रमिला दण्डवते जी कह गई हैं कि शेर नहीं कहने चाहिए। (व्यवधान) मगर वे तशरीफ ले गई हैं।

मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि यह सदियों पुरानी बीमारी है, अगर आप हिन्दुस्तान के इतिहास पर थोड़ी सी निगाह डालें तो भगवान रामजी के वक्त में जब उन्होंने भीलनी के जूठे बेर खाए तो समाज में जो ऊंची जात वाले थे उन्होंने उसको बुरा माना। जब भगवान कृष्ण जी विदुर के यहां गए तो दुर्योधन ने बुरा माना। उसके बाद जितने हमारे महर्षि और देवता पुरुष आए उन्होंने इन बातों के खिलाफ लड़ाई की लेकिन फिर भी यह बीमारी हट नहीं सकी।

(व्यवधान) आप अगर रेप के बारे में पूछते हैं तो भारतवर्ष के माथे पर जो यह कलंक है वह खाली भारत में ही नहीं है, पूरे मानव समाज के ऊपर है। ऐसी वहशियाना ताकतें संसार में हमेशा रही हैं और रहेंगी, उनके साथ लड़ाई होती रहेगी, उनसे मिटाने के लिए यत्न किया जायेगा, उको खत्म करने के लिए उपाय किए जायेंगे लेकिन यह तो कोई बताए कि कौन सा दुनिया का वह मुल्क है जहां पर ऐसी बहशियाना ताकतें मौजूद नहीं है ? मगर इन बहशियाना ताकतों को खत्म करने के उपाय हमको करने चाहिए। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : जब कभी खत्म होंगी ही नहीं तो उपाय क्या करोगे ?

श्री जैल सिंह : मैं आपसे एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। मैं आज आपसे कहता हूँ कि कोई आदमी कहे संसार में बुराइयां खत्म हो जायेंगी तो नहीं होंगी लेकिन कम की जा सकती है, दबाई जा सकती हैं। हमें तहैया किया है आपके मिलवर्तन से इन बुराइयों को खत्म करेंगे। (व्यवधान) मुझे यकीन है मुसम्मम इरादा रखने वाले इन्सान पहाड़ों को चीर कर निकल जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बुराई खत्म करने के लिए कह रहे हैं या हमें खुश करने के लिए कर रहे हैं।

श्री जैल सिंह : बुराई खत्म करने के लिए कह रहा हूं, आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर आपको खुश करने के लिए कहूं तो आप एक दिन भी काम नहीं करने देंगे। मैं आपको ओबलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं।... (व्यवधान) ...

माननीय स्पीकर साहब, मैं विरोधी दल के नेताओं और मैम्बरों का अदब करता हूं, सत्कार करता हूं, और करता रहूंगा, लेकिन जिस बात को मैं समझूंगा कि मेरे लिए आप गलत कह रहे हैं, तो आपको खुश करने के लिए नहीं बल्कि एक आदर्शवादी इन्सान के नाते बात करूंगा और करता रहूंगा।

अभी श्री ज्योतिर्मय वसु भी तशरीफ ले गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी के मार्ग पर चल रही है। मुझे उनको सिर्फ इतना ही कहना है कि श्री ज्योतिर्मय बसु जब भी आप कोई बात करते हैं, तो उस बात में आप लड़ाई झगड़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं समझता कि जिस नुक्ता नजरिए से उन्होंने कहा वह उन्होंने बुराई को खत्म करने के नुक्ता-नजरिए से नहीं कहा।

मैंने श्री चन्द्रजीत यादव, बाबू जगजीवन राम की तकरीरें भी सुनी हैं और उन्होंने भी हमको बहुत कहा है, बागड़ी जी ने भी सबसे ज्यादा कहा है, लेकिन क्या इन तकरीरों में कुछ उपाय बताये गये हैं, कुछ सुझाव दिये गये हैं, कुछ कन्स्ट्रक्टिव सजैशन्स हैं ? श्री ज्योतिर्मय बसु कहते हैं कि जनता पार्टी भी बुरी थी और कांग्रेस पार्टी भी बुरी है और जनता पाटी के रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। मैं बसु जी से कहता हूं कि फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं है आप जनता पार्टी के रास्ते पर चले थे, हम जनता पार्टी के रास्ते पर हैं तो फिर आप भी हमारे रास्ते पर चलते रहिए लेकिन अब आपको कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। पार्टियां दूसरा रास्ता बनाती हैं और आप उसके साथ चलते हैं और हमेशा के साथ चलते आए हैं और अब भी साथ ही चलते रहेंगे तथा सहारे के बगैर आप नहीं चल सकते।

खैर, एक खत श्री एन. जी. रंगा ने जो हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन हैं, प्राइम मिनिस्टर को लिखा है और उन्होंने उस खत में कुछ सुझाव लेकिन एक सुझाव जो उन्होंने दिए हैं। 'केन्द्रीय गृह मन्त्री राज्य के गृह मन्त्रियों एवं उनके पुलिस महानिरीक्षकों का एक सम्मेलन शीघ्र बुलाएं और पुलिस जनता के प्रति व्यवहार के सुधार के बारे में प्राकृतिक एवं राजनीतिक आवश्यकता की चर्चा करें।"

इस तरह का सुझाव उन्होने दिया है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इनके सुझाव को कुबूल करता हूं और मैं भारत के तमाम होम मिनिस्टरों की मिटिंग बुलाऊंगा और आई. जी. पुलिस की मीटिंग भी बुलाऊंगा।

दूसरी बात जो आगे जाकर रंगा जी ने कही है कि रिफ्रेशर कोर्स देकर ट्रेनिंग दी जाये, पुलिस वालों को, कि वह व्यवहार अच्छा करें और जितने निकम्मे हैं, बदमाश हैं, उनकी छटनी कर दी जाये। मैं यह समझता हूं कि एक जनसाधारण के मुकाबले में अगर पुलिस वाला कोई गुनाह करता है तो उसको सजा कहीं ज्यादा होनी चाहिए। उनके ऊपर तो हमें एतबार होना चाहिए कि वे हमारी रक्षा करेंगे। अगर रक्षा करने वाला भी हमको मारता है, तो उनको सजा ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए और मैं इसके हक में हूं।

एक बात को आप जरूर मानेंगे, दुनिया में गुनाहगार को बख्शना महापाप है और निर्दोष को सजा देना भी महापाप से महापाप है। जब तक किसी का दोष साबित नहीं होता है, तब तक उसको सजा देना यह इन्साफ कि बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हाउस इस बात पर इत्तफाक करेगा और हाउस के तमाम मैम्बर इत्तिफाक करेंगे कि जिस घटना के ऊपर जोर दिया गया, वह बागपत वाली घटना है। (व्यवधान)

बाबू जो ने कहा था कि स्त्री को साबित करने की जरूरत नहीं है जिस पर दोष हो, वह साबित करे कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसको मौका तो देंगे कि साबित कर सके। अगर निदर्षो होने के लिए मौका ही नहीं देंगे, तो वह क्या करेगा? ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि जिसके ऊपर इल्जाम लगे, वह निर्दोष साबित होने के लिए अपनी अर्जी भी न दे सके।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : लेकिन, मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं...

श्री जैलसिंह : आप बैठ जाइये, मैंने बड़े गौर से आपकी बात सुनी है। आप जो सवाल करना चाहें, बाद में कर लें, मैं फिर मौका दे दूंगा। मैं इस तरह से बात करके भागने वाला नहीं हूं। आप जो चाहें पूछें, लेकिन आप जरा ठन्डे दिल से पूछें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं ठंडे दिल से पूछना चाहता हूं।

श्री जैलसिंह : आप तो पूछने से पहले ही गरम हो गये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं कहां गरम हुआ हूं, मान्यवर।

श्री जैलसिंह : मैं अपोजीशन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि जो ऐसी समस्या है, जिसके लिये आप भी कहते हैं कि पोलिटीक्लाइज नहीं करनी चाहिए और हमारा भी फर्ज है कि इसको पोलिटीक्लाइज न करें, तो फिर आप पोलिटीक्लाइज क्यों करते हैं? क्या आप इस

**क्या यह न्याय की बात है?

बात से इन्कार कर सकते हैं ? बहुत से वाक्यात थे जिनके बारे में मकवाना जी ने बतलाया, बिलकुल निर्मूल और निराधार थे और उनकी खबरें बिलकुल झूठी छपीं । इंडियन एक्सप्रेस अखबार को माफी मांगनी पड़ी—जब उन्होंने बम्बई का एक ऐसा केस प्रकाशित किया । आप मानेंगे कि बहुत बार गलती भी हो सकती है और बहुत बार बदनीयती से भी ऐसा किया जाता है लेकिन सरकार का यह फर्ज है कि असलियत को निकाले और असलियत को निकालने के लिए चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, हो उसको शेल्टर न दें । मैं कहना चाहता हूं—आप इस बात पर यकीन रखें—हम किसी को भी शेल्टर नहीं देंगे । जब एक जुडीशियल एनक्वायरी का फैसला हो गया है और वह भी हाई कोर्ट की मन्जूरी से और एक जज के थ्रू हो रही है, और उस एनक्वायरी से पहले हम किसी को सजा दे दें, तो उस इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं रह जाता है । आपको देखना होगा—मैंने एक बात उस रोज भी कही थी कि बहुत शर्मिन्दगी की बात है कि एक औरत के कपड़े उतारे गये वही बात अब भी कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि उसके कपड़े उतारे गये, लेकिन हमारे दोस्त कहते थे कि बागपत जाकर फिर घटना स्थल पर पर क्यों नहीं गये ? मैं आनरेबिल मेम्बर साहबान से यह प्रार्थना करूंगा—जहां हजारों आदमी इकट्ठे हो जाएं, अपने अपने वकील ले आयें और वकील बात करें, जिन्होंने अपनी आंखों से उस घटना को देखा नहीं था' वहां पर नारेबाजी हो रही हो, तो आप बतलाइये वहां क्या इंक्वायरी हो सकती है । असल में ऐसा कन्फ्यूजन था कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैंने वहां जाकर फैसला किया कि मैं जुडीशियल एन्कवायरी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को मशविरा दूंगा ताकि असली बात सामने आ सके । एक तरफ एक वकील ने 15 मिनट तकरीर की कि पुलिस निर्दोष है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है । उन्होंने डाकुओं को मारा है, हमें बचाया है, हमारी इज्जत को बचाया है, औरत के कपड़े उतारना पुलिस का काम नहीं था, लोगों ने गुस्से में उतारे हैं । लेकिन दूसरे ने कहा कि लोगों का बिलकुल कोई कुसूर नहीं है, पुलिस गुनहगार है, तीन निर्दोष आदमियों को मारा गया है, औरत के कपड़े उतार कर थाने में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया । जब उससे पूछा—क्या आप वहाँ थे ? तो उसने जवाब दिया—हम नहीं हमारी लेडी मेम्बर श्रीमती मुखर्जी हमारे साथ गई थीं । बड़े जोर से उन्होंने उस दिन भी तकरीर दी थी और आज भी तकरीर दी है । मैं आपके सेन्टीमेंट्स की कद्र करता हूं, लेकिन मैं लेडी मेम्बर से यह भी प्रार्थना करूंगा कि आप जुडिशियल इंक्वायरी के सामने जाकर शहादत दे सकती हैं कि इसके साथ बलात्कार हुआ और किसने किया ? जब आपने खुद कुछ देखा नहीं है तो क्या मैं बगैर किसी बात के किसी को फांसी पर लटका दूं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी —*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने इन को दावत दी है । मैं तो आप के सेंटीमेंट्स की कद्र करता हूं । आप को जाना चाहिए लेकिन इस बात का ख्याल रखिये कि कोई ऐसी चीज पैदा न हो । मैं उस पार्टी से बिनती करूंगा जो धमकी देती है कि हम मूवमेंट करेंगे, हजारों लाखों

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

आदमी जाएगें। वे सोचें कि वे ऐसा करके गलती करते हैं। उस देवी की, उस माया देवी की, उस लड़की की इज्जत का भी ख्याल रखें। अगर रेप नहीं हुआ, तो उसको क्यों बदनाम करते हैं। अगर रेप हुआ, तो हम सख्त से सख्त सजा देगें, साधारण सजा नहीं देगें।

श्री चन्द्रजीत यादव : एक औरत को नंगा कर के चौक पर सरे बाजार घुमाया जाए, आप समझते हैं कि यह मामूली बात है।

श्री जैल सिंह : जिस ने घुमाया, उसको सजा देगें। स्पीकर साहब, यादव साहब के साथ मैंने पहले भी इतिफाक किया है। वही बात आपने कही। मैंने कहा था कि यह बहुत निन्दनीय है, बहुत घटिया बहुत नीच काम है। औरत के कपड़े उतारे गये लेकिन यह पता नहीं कि कपड़े उतारने वाला कौन था। यह साबित करना पड़ेगा। जिस ने कपड़े उतारे, उस को सजा मिलेगी क्योंकि औरत के कपड़े उतारना भी एक पाप है।

श्री चन्द्रजीत यादव : 16 आदमियों का बेलची में कत्ल हुआ, क्या वहां जूडीशियल इंक्वायरी हो रही है। अगर आप में ईमानदारी है तो किसी भी सी. आई. डी. के बड़े अफसर से जाँच करा कर महीने भर के अन्दर रिपोर्ट सबिमट कराइए—**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री जैलसिंह : स्पीकर साहब, जुडीशियल इन्क्वारी का फैसला··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप गुस्सा मत करिये। आप बैठिए :··· (**व्यवधान**) ···हद हो गई। आप इतने गुस्से में आ गये हैं। कार्यवाही वृतांत में मेरी अनुमति के बिना कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी व्यवस्था के प्रश्न पर।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, कृपया आप बैठ जाइये (**व्यवधान**) श्री बागड़ी आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री मनीराम बागड़ी : आखिर एक परम्परा रखनी है। मेरा प्वाइन्टस आफ आर्डर यह है, अध्यक्ष जी, कि एक माननीय महिला सदस्य के ऐसा कहने पर गृह मंत्री जी गुस्से में आ जाएं, यह शोभा नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं है। यह इनकी आपस की बात है। आप बैठिये।

श्री मनीराम बागड़ी : इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। विरोधी पक्ष का छोटा-मोटा आदमी गुस्सा कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब भाषण न दीजिये।

श्री मनीराम बागड़ी : **

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री जैलसिंह : आनरेबिल स्पीकर साहब, बागड़ी जी अच्छा सुझाव देते हैं, मुझे खुशी है। मैं चन्द्रजीत यादव जी से प्रार्थना करूंगा कि आप धमकियों में न आएं। आप ठंडे दिल

* * कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से सोचें, यह एक बुनियादी बीमारी है। उसका खात्मा करना है। उसको करने के लिए पार्टी के नुक्ता निगाह से नहीं देखना चाहिए।

देखिये कई दोस्त ऐसा ख्याल करेंगे कि अपनी पार्टी के वर्करों को कहते हैं कि—

दोस्तों जाओ खताएं ढूंढ कर लाओ,

मेरे आदम, मेरे मुनशर, मेरे नौशेरवां बेकार बैठे हैं।

जब बीस साल हो जाएं, गल्तियों और कमजोरियों को ढूंढ़-ढूढ़ कर लाना ही एक काम रह जाए तो क्या कहा जाए। पोलिटिकल पार्टीज का यह फर्ज है कि वे हमको कमजोर करने की कोशिश करें, हमारा फर्ज यह है कि हम अपनी बात को आपके सामने रखें। लेकिन यह बात हमारी और आपकी ही नहीं है। यह बात देश की महिला की, हमारी मां की, हमारी बेटी की, हमारी बहिन की है। यह मसला देश की बेटियों की, माताओं की, बहिनों की इज्जत का मसला है। यह मसला बीकर सेक्संस का, पिछड़े हुए समाज का, कमजोर वर्ग के लोगों का, हरिजनों का और आदिवासियों का है। यह एक इन्सानियत का मसला है। जिनको हर बराबर का दर्जा देना चाहते हैं उनका मसला है। इसमें नाइत्तिफाकी की कोई बात नहीं है। बेशक आप मुझसे इत्तिफाक न करें लेकिन यह कहां की बात है कि मैं आपकी बात तो सुनूं, लेकिन जब मैं आपको कहूं तो आपको गुस्सा आए।

स्पीकर साहब के चेम्बर में बैठकर तमाम अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स से बात हुई थी, फैसला हुआ था। मुखर्जी का लेटर मेरे पास है कि इसमें जुडीशल इन्क्वारी करवाई जाए। फिर उस मामले को उठाना कहां का इन्साफ है।

स्पीकर साहब ये कहते हैं कि गृह मंत्री वहां गये लेकिन घटना स्थल पर नहीं गये। मैं घटना स्थल पर जा कर क्या कर सकता था? मैं तो वहां इसलिए गया था कि मैंने राज्य सभा में वायदा किया था। मैं कोई इन्वेस्टीगेशन आफिसर तो हूं नहीं। मेरा फर्ज है कि लोगों के नुमाइन्दे की हैसियत से जहां उनको कांटा चुभता हो, वहां जा कर उनकी तसल्ली करा आऊं और ज्यादती अगर होती हो तो उसको दूर करूं, उसको सजा दूं। यह तो मेरी ड्यूटी है। यह मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं।

मैं आप से बहुत अदब से विनती करता हूं कि इस मामले में औरतों की इज्जत तभी बढ़ सकती है जब आप लोग हमको कोआप्रेशन दें। इस मामले में कानून में जो हम सुधार करना चाहते हैं उसके लिए जो आपके सुझाव आये हैं उन पर हम ठंडे दिल से विचार करेंगे। श्रीमती मोहसिना किदवई ने कहा कि ऐसे मामलों में सजाए मौत होनी चाहिए और भी मेम्बरों ने कहा कि सजाएं मौत होनी चाहिए। मैं इसके हक में हूं। ऐसे जुर्म के लिए सजाए मौत होनी कोई बुरा नहीं है। लेकिन क्या हाउस इस बात को मानेगा, मेम्बर मानेगें? मैं परसनली तो इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन डेमोक्रेसी, जम्हूरियत सुनहरी उसूलों पर चल रही है। हम इस मामले में आपके साथ सलाह मशविरा करेंगे और 14 तारीख को हमने तमाम अपोजिशन के लीडर्स की मीटिंग बुलायी है। हम उनसे बात करेंगे। भारत के तमाम प्रांतों की सरकारों के विचार भी मांगे गये हैं। उनको बुलाया भी गया है। इन सबसे सलाह मशविरा करने के बाद, विचारने के बाद इन कानूनों में हम क्या कर सकते हैं वह देखेंगे। लेकिन आप मुझसे इत्तिफाक करेंगे कि कानून वही

चल सकता है जिसके साथ जनता की सहमति हो, मुखालिफत न हो। इसमें अवाम की हमें सहमति लेनी होगी। इसके लिए मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि मुल्क की इन बीमारियों को दूर करने के लिए आप हमारे साथ इत्तिफाक करें, सहयोग करें। मैं आपको यकीन दिलाता हू कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वह करूंगा। मैं इसके लिए अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हू, अपना ओहदा छोड़ने को तैयार हूं और हर किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हूं। मैं इन बुराइयों को दूर करने की हर कोशिश करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों के मन में परिवर्तन आए, धार्मिक, समाजिक, पोलेटिकल परिवर्तन आए, आर्थिक दृष्टि से भी तमाम लोग इस बात को माने कि यह हमारे माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है और इसको हमें धोना है। इस परिवर्तन को लाने में आप और हम मिलकर कोशिश करें। 33 साल के करीब या उससे कुछ कम समय सविधान को लागू हुए हो गया है। जातपात के लिहाज से किसी के साथ मिलवर्तन न करना और उसको नीच करना जुर्म है लेकिन इसको जुर्म करार देने के बावजूद भी हर प्रान्त में हरिजन मेम्बर भी हैं, हरिजन मिनिस्टर भी हैं, हुकारान भी हैं, सब कुछ है लेकिन इसके बावजूद भी, आज भी भारत में ऐसे स्थान हैं जहां हरिजनों के साथ छुआछूत बरती जाती है, उनका छुआ हुआ पानी पीना गुनाह समझा जाता है यह इसलिए है कि समाज में इस बात पर पूरा मिलवर्तन नहीं है, सब खामोशी अखत्यार किए हुए है। या तो खामोशी है या उस पर अमल नहीं किया जा रहा है महात्मा गांधी का नाम लेने वाले गांधी भक्त भी मैंने देखें हैं जो नीच जाति वालों से नफरत करते हैं—(इंटरप्शंज) अच्छा किया आपने मुझे सचेत कर दिया। मुझको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था इस तरह की बात को। जिनको समाज ने अपनी दृष्टि में नीच करके रखा हुआ था, उनको उठाने के लिए, उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए, उनकी सामाजिक दशा को सुधारने के लिए हम सबको आगे आना होगा। आज ऊची जाति के बड़े-बड़े लोग बाबू जगजीवन राम के घर से खाना तो खा लेंगे लेकिन जब सफाई मजदूर के हाथ से खाना खाने या पानी पीने का वक्त आएगा तो नहीं पीयेगे। क्या करेगा कानून इसलिए आप सबके मिलवर्तन की जरुरत हैं। इन बुराइयों का खात्मा हो जाय तो यह कइनलावी चीज होगी। हमारी नेशन बहुत चमकेगी, ताक्तवर होगी, मजबूत होगी। जब तक हम कानूनों में जो इनसे ताल्लुक रखते हैं, तरमीम नहीं करते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहेंगे और हम आपके विचारों को आदर और सम्मान के साथ देखेंगे और उनको कानून में इनकारपोरेट करने की जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करेगे और आपके सामने एक कम्प्रिहेसिव बिल लाएंगे और दोनों हाउसिस से इसी वजट सेशन में इस बिलको पास करवाएंगे और आप जो फैसला करेगें उसको मंजूर करके उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा, उसमें कोई कमी आने नहीं दी जायेगी, कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी

मध्याह्न पश्चात् 6·55 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार 11 जुलाई, 1980/20 आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकल मार्किट दिल्ला-6